परिणाम बजट

2013-2014

वित्त मंत्रालय

भारत सरकार

अर्थमूलं कार्यम्

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन	(i)
कार्यकारी सारांश	(iii)-(xii)
माँग सं. 33 - आर्थिक कार्य विभाग	1-25
माँग सं. 34 - वित्तीय सेवा विभाग	27-60
माँग सं. 39 - व्यय विभाग	61-71
माँग सं. 42- राजस्व विभाग	73-98
माँग सं. 43- प्रत्यक्ष कर	99-127
माँग सं. 44 - अप्रत्यक्ष कर	129-176
माँग सं. 45 - विनिवेश विभाग	177-184

प्राक्कथन

"**परिणाम बजट**" व्यय की योजना बनाकर, उपयुक्त लक्ष्य सुनिश्चित कर, प्रत्येक योजना की निहित क्षमता का आकलन करके "**परिव्यय**" को "**परिणाम**" में बदलने का सरकार का प्रयास है। "परिणाम बजट" लोगों के प्रति सरकार के जवाबदेह और पारदर्शी होने की एक कोशिश है।

कार्यकारी सारांश के अतिरिक्त परिणाम बजट 2013-14 में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सात मांगों से संबंधित सात अलग-अलग खण्ड हैं जिनके लिए परिणाम बजट तैयार किया जाना है। ये हैं, आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय, राजस्व, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और विनिवेश। प्रत्येक खण्ड में परिव्यय और परिणाम; सुधारात्मक उपाय; नीतिगत पहल और आरंभ किए गए कार्यक्रम; पिछले निष्पादन की समीक्षा; 3 वर्षों की वित्तीय समीक्षा तथा सांविधिक और स्वायत्त निकायों के निष्पादन की समीक्षा संबंधी विवरणों पर परिचर्चा की गई है।

कार्यकारी सारांश

वित्त मंत्रालय केन्द्रीय सरकार के वित्त-साधनों के प्रबंध के लिए उत्तरदायी है। इसका संबंध ऐसे आर्थिक और वित्तीय विषयों से है जिनका देश पर समग्र रूप से प्रभाव पड़ता है। यह विकास के लिए संसाधन जुटाता है, केन्द्रीय सरकार के व्यय को विनियमित करता है तथा राज्यों को संसाधन अंतरण करने संबंधी मामलों पर कार्रवाई करता है। यह आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने, व्यय के लिए प्राथमिकताएं निश्चित करने, बजट के लिए संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने तथा निधियों के उपयोग का औचित्य सुनिश्चित करने हेतु अन्य मंत्रालयों/ विभागों, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक वित्तीय संस्थाओं और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ कार्य करता है। बहुपक्षीय एजेंसियों एवं विदेशी सरकारों के साथ इस मंत्रालय के स्ट्रेटेजिक संबंध होते हैं। यह मंत्रालय निम्नलिखित तेरह मांगों का प्रबन्ध करता है:

मांग संख्या	विभाग
33	आर्थिक कार्य विभाग
34	वित्तीय सेवाएं विभाग
35	विनियोग - ब्याज अदायगियां
36	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्त-साधनों का अंतरण
37	सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि
38	विनियोग - ऋण की अदायगी
39	व्यय विभाग
40	पेंशन विभाग
41	भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग
42	राजस्व विभाग
43	प्रत्यक्ष कर
44	अप्रत्यक्ष कर
45	विनिवेश विभाग

छः मांगें अर्थात, 35 - ब्याज अदायगियां, 36 - राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को (वित्त-साधनों का) अंतरण, 37 - सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि, 38 - ऋण की अदायगी, 40 - पेंशन, और 41 - भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग, विशेष रूप से, परिणाम बजट के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इस मंत्रालय के अधीन सभी 13 मांगों के लिए बजटीय प्रावधानों का सारांश इस कार्यकारी सारांश के अनुबंध में दिया गया है ।

मंत्रालय के परिणाम बजट 2013-14 का संक्षिप्त सार इस प्रकार है:

मांग संख्या 33 - आर्थिक कार्य विभाग

आर्थिक कार्य विभाग केंद्रीय सरकार का नोडल विभाग है जो देश की आर्थिक नीतियां और ऐसे कार्यक्रम बनाता है जिनका इन कार्यक्रमों का आर्थिक प्रबंधन के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है। यह विभाग वार्षिक केन्द्रीय बजट (रेल बजट को छोड़कर) और आर्थिक समीक्षा तैयार करता है। कुछ मुख्य कार्यकलापों एवं कार्यक्रमों का उल्लेख इस प्रकार है:

- मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त लेवी के प्रति रेलवे सुरक्षा कार्यों (1102.45 करोड़ रुपए) के लिए अंशदान (आयोजना) - 2013-14 के दौरान इस योजना के अंतर्गत, रेल मंत्रालय ने 1000 रोड अंडर ब्रिजों/सबवे और 225 रोड ओवर ब्रिजों का निर्माण करने का प्रस्ताव करते हुए व्यस्त लेवल क्रॉसिंग पर सुरक्षा को सुदृढ़ करने का लक्ष्य बनाया है।

- अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी की वित्तीय सहायता योजना में परियोजना की कुल परियोजना लागत के 20 प्रतिशत तक सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) की व्यवस्था का उल्लेख है। अब तक, 80,203.28 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत तथा 15,672.68 करोड़ रुपए के व्यवहार्यता अंतर निधियन से 145 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है। तथापि, इन प्रस्तावों की व्यवहार्यता अंतर निधियन की वास्तविक राशि, नीलामी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही ज्ञात हो पाएगी। 45 परियोजनाओं के लिए वित्तीय परिसमापन की स्थिति प्राप्त हो गयी है। मध्य प्रदेश और गुजरात में 14 परियोजनाओं को प्रीमियम पर दिया गया है जहां किसी वीजीएफ सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। वीजीएफ योजना के अंतर्गत दिसंबर, 2012 तक 902.96 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गयी है। प्रायोजन प्राधिकारी की आवश्यकताओं और पहले से अंतिम अनुमोदन प्रदत्त परियोजनाओं की संख्या के आधार पर, बजट अनुमान 2013-14 में 678.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

- भारत अवंसरचना परियोजना विकास निधि योजना में, सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के कुल परियोजना विकास व्यय के 75 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है। अब तक, इस योजना के अंतर्गत 60.06 करोड़ रुपए की सहायता से 49 परियोजनाएं मंजूर की गयी हैं। वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 में इस योजना के तहत क्रमशः 1.32 करोड़ रुपए, 7.55 करोड़ रुपए, 7.00 करोड़ रुपए और 7.00 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गयी है। वर्ष 2012-13 में दिसंबर, 2012 तक, लगभग 1.76 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गयी।

- वर्ष 2013-14 के दौरान, एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया को ब्याज समकरण सहायता के लिए 290.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना 2003-04 में प्रारंभ की गयी थी। 7 वर्षों की अवधि के दौरान, एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत सरकार समर्थित 137 क्रेडिट श्रृंखलाएं अनुमोदित की गयीं। इनमें, कुल मिलाकर, 6,414.97 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण राशि सम्मिलित रही। ये ऋण श्रृंखलाएं विश्व के भिन्न-भिन्न महाद्वीपों में स्थित 57 विकासशील देशों को दी गयीं। हमने 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (दिसंबर, 2012 तक) के दौरान क्रमशः 127.70 करोड़ रुपए, 139.48 करोड़ रुपए और 145.97 करोड़ रुपए की ब्याज समकरण सहायता संवितरित की है।

मांग संख्या 34 - वित्तीय सेवाएं विभाग

वित्तीय सेवाएं विभाग सरकारी क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, कृषि ऋण, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों तथा पेंशन सुधार से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। मुख्य कार्यकलाप का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

- सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने जोखित भारित आस्ति अनुपात की तुलना में अपनी पूंजी को सहज स्तर तक बनाए रखने के लिए सक्षम बनाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे बेसेल-III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड के अनुरूप बने रहें, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 14588 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करायी गई थी । आवश्यकता पर विचार करने के पश्चात्, इस प्रावधान को संशोधित अनुमान 2012-13 में कम करके 12517 करोड़ रूपये कर दिया गया था। वर्ष 2013-14 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 14000 करोड़ रूपये का प्रस्ताव किया गया है।

- किसानों को अल्पावधि ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सहायता योजना के अन्तर्गत बजट अनुमान 2012-13 में किए गए 6000 करोड़ रूपये के प्रावधान को संशोधित अनुमान 2012-13 में कम करके 5400 करोड़ रूपये कर दिया गया। दिसम्बर, 2012 तक 4377.99 करोड़ रूपये जारी किए गए थे । वर्ष 2013-14 के दौरान इस योजना के लिए 6000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

- सरकार भारतीय आयात निर्यात (एक्जिम) बैंक और भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लि0 (आईआईएफसीएल) को इक्विटी सहायता प्रदान करती है ताकि उनकी प्राधिकृत पूंजी के अंतर्गत उनकी प्रदत्त पूंजी को बढ़ाया जा सके। वर्ष 2012-13 के दौरान एक्जिम बैंक के लिए 200 करोड़ रूपये तथा आईआईएफसीएल के लिए 400 करोड़ रूपये के पूरे प्रावधान को जारी कर दिया गया है। बजट अनुमान 2013-14 में एक्जिम बैंक के लिए 700 करोड़ रूपये तथा आईआईएफसीएल के लिए 400 करोड़ रूपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

- बजट अनुमान 2012-13 में नाबार्ड को पूंजी सहायता के रूप 500 करोड़ रूपये उपलब्ध कराए गए थे, जिसे संशोधित अनुमान 2012-13 में बढ़ाकर 1000 करोड़ रूपये कर दिया गया था। दिसम्बर, 2012 तक 500 करोड़ रूपये जारी किए गए थे। बजट अनुमान 2013-14 में 700 करोड़ रूपये के अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

- बजट अनुमान 2012-13 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनर्पूंजीकरण हेतु 200 करोड़ रूपये उपलब्ध कराए गए थे, जिसे संबंधित राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंकों द्वारा अपना आनुपातिक भाग बढ़ाये जाने को ध्यान में रखते हुए संशोधित अनुमान 2012-13 में बढ़ाकर 535 करोड़ रूपये कर दिया गया था। दिसम्बर, 2012 तक 200 करोड़ रूपये जारी किए गए थे। बजट अनुमान, 2013-14 में 88 करोड़ रूपये के अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

- असंगठित क्षेत्र के लोगों को सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने हेतु बढ़ावा देने के लिए उन्हें नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत नामांकन करवाने के लिए बढ़ावा देने हेतु 'स्वावलंबन योजना' को वर्ष 2010-11 के दौरान आरम्भ किया गया था, जिसमें अभिदाताओं के एनपीएस खाते में सरकार के 1000 रुपए के योगदान का प्रावधान है। इस योजना के लिए बजट अनुमान 2012-13 में किए गए 220 करोड़ रुपए के प्रावधान को योजना के अंतर्गत नामांकन को ध्यान में रखते हुए संशोधित अनुमान 2012-13 में कम करके 128 करोड़ रुपए कर दिया गया। बजट अनुमान, 2013-14 में इस योजना के लिए 170 करोड़ रूपये के अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

- राष्ट्रीय आवास बैंक के जरिए 1% ब्याज सहायता के संबंध में बजट अनुमान 2012-13 में किए गए 400 करोड़ रुपए के प्रावधान को संशोधित अनुमान 2012-13 में बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया। दिसम्बर 2012 तक राष्ट्रीय आवास बैंक को 200 करोड़ रूपये जारी किए गए थे। बजट अनुमान 2013-14 में 200 करोड़ रूपये के अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

मांग संख्या 39 - व्यय विभाग

व्यय विभाग, केन्द्र सरकार में सार्वजनिक व्यय-प्रबंधन प्रणाली और राज्य वित्त से संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार है। यह केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में व्यय प्रबंधन पर निगरानी रखता है तथा व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर नजर रखता है। यह विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परिणाम बजट का समन्वय करता है, विकास कार्यों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को निधियां जारी करता है और केन्द्रीय योजना संबंधी मामलों पर निगरानी रखता है। इसके प्रमुख कार्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं:

- योजना पक्ष की स्कीमों के लिए निधियां, योजना आयोग/संबंधित नोडल मंत्रालय की सिफारिश पर जारी की जाती हैं। जिन महत्वपूर्ण फ्लैगशिप स्कीमों के लिए वर्ष 2012-13 में योजना शीर्ष के तहत निधियां प्रदान की जा रही है, उनमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि स्कीम आदि शामिल हैं। व्यय विभाग की मांग संख्या 36 में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता हेतु बजट प्राक्कलन 2012-13 में 99543.00 करोड़ रुपए के परिव्यय के मुकाबले में दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार 53099.335 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

- राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.एम.) की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने हेतु केन्द्रीय योजना स्कीम के लिए वर्ष 2013-14 में राजस्व खंड के तहत 4.00 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। इस प्रावधान में से 3.00 करोड़ रुपए, केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के 60 अधिकारियों को स्नातकोत्तर व्यावसायिक प्रबंधन डिप्लोमा (पी.जी.डी.बी.एम.)-वित्त के आधारभूत तत्वों को शामिल करते हुए उच्च स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण देने के लिए हैं। वर्ष 2012-13 में विभिन्न केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के 47 उम्मीदवार प्रायोजित किए गए थे। राजस्व खंड के अंतर्गत 1.00 करोड़ रुपए का प्रावधान, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से स्नातकोत्तर वित्तीय

विपणन कार्यक्रम में केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के 20 अधिकारियों को एक वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए है।

मांग संख्या 42 - राजस्व विभाग

- मांग सं0 42 - राजस्व विभाग के अंतर्गत मुख्य व्यय केन्द्रीय बिक्री कर(सीएसटी) की समाप्ति के कारण राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के प्रति है जिसके लिए वर्ष 2013-14 के बजट में 9300 करोड़ रूपये रखे गये हैं । दूसरा मुख्य व्यय सरकारी अफीम एवं क्षारोध कार्य संबंधी व्यय है जिसके लिए 260.14 करोड़ रूपए रखे गए हैं। मूल्य वर्धित कर(वैट)/वैट संबंधी व्यय के लिए 2013-14 के बजट में 132 करोड़ रूपये रखे गये हैं । परिणामी बजट में शामिल किया गया अन्य गैर योजना व्यय कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली (टी आई एन एक्स एस वाई एस) की स्थापना और माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) हेतु विशेष प्रयोजन वाहक के संबंध में है।

- सभी राज्यों में वैट का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन एक उपलब्धि है। अब तक राज्यों को वैट क्षतिपूर्ति के रूप में 19,002.82 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है तथा सभी राज्यों के दावे निपटा दिए गए हैं।

- केन्द्रीय बिक्री कर की दर 1 अप्रैल, 2007 से 4%से घटाकर 3% और 1.6.2008 से 3% से घटाकर 2% कर दी गई थी। राज्यों को 30860.42 करोड़ रूपये की प्रतिपूर्ति राशि जारी की गई है जिसमें 2007-08 में 2168.88 करोड़ रूपये, 2008-09 में 1950 करोड़ रूपये और 2009-10 में 8735.18 करोड़ रूपये और 2010-11 में 13833.78 करोड़ रूपये और 2011-12 में 4172.58 करोड़ रूपये की प्रतिपूर्ति राशि शामिल है ।

- राज्य सरकार के वाणिज्य कर प्रशासनों के कम्प्यूटरीकरण हेतु मिशन मोड परियोजना के लिए 1133.41 करोड़ रूपये की समग्र लागत अनुमोदित की गई है और 31 दिसम्बर, 2012 तक केन्द्रीय हिस्से के रूप में 501.94 करोड रूपये की राशि जारी की गई जिसमें वर्ष 2009-10 में जारी किए गए 145 करोड़ रूपये और वर्ष 2010-11 में 206.32 करोड़ रूपये और वर्ष 2011-12 में 102.83 करोड़ रूपये और वर्ष 2012-13 (दिसम्बर, 2012 तक) 47.79 करोड़ रूपये शामिल है।

- सरकार ने माल एवं सेवा कर सुचारू रूप से लागू करने के लिए समर्थकारी वातावरण तैयार करने के लिए माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) हेतु एक विशेष प्रायोजन वाहक (एसपीवी) स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह केन्द्र और राज्यों सहित विभिन्न साझेदारों को सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना एवं सेवाएं प्रदान करेगा। जीएसटीएनः एसपीवी हेतु वर्ष 2013-14 में 100 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

- गाजीपुर और नीमच स्थित सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरियां निर्यात के लिए कच्ची अफीम का प्रसंस्करण, अफीम क्षारोद का निर्माण और अन्य संबंधित कार्य करती हैं । उन्होंने 2011-12 में 312 करोड़ रूपये के बजट अनुमान की तुलना में 383.54 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली की है । 2012-13 में (दिसम्बर, 2012 तक) 366.73 करोड़ रूपये के बजट अनुमान की तुलना में 265.79 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली की गई है ।

- पोस्त खेतिहरों के लिए स्मार्ट कार्ड परियोजना को वर्ष 2007-08 में विस्तारित कर दिया गया है जिससे कि सभी 17 अफीम प्रभाग इसमें शामिल किए जा सकें । एक बार इस परियोजना के पूर्णतः और सफलतापूर्वक कार्यान्वयन होने से विभिन्न खेतिहर गतिविधियों की निगरानी की जा सकेगी तथा नीति स्तरीय निर्णयों के लिए भी यह उपयोगी होगा ।

- प्रशासनिक एवं समन्वय यूनिटों द्वारा परिणामी बजट से संबंधित अपनी-अपनी मदों के संबंध में मासिक रिपोर्ट देने की प्रणाली प्रारंभ की गई है । परिणामी बजट के तहत व्यय की प्रवृत्ति एवं प्रगति की मासिक एवं त्रैमासिक समीक्षा विभाग/मंत्रालय के स्तर पर की जाती है । प्रमुख परियोजना मदों के संबंध में कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए परियोजना मॉनिटरिंग/कार्यान्वयन समिति स्थापित की गई हैं । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के विशाल कम्प्यूटरीकरण उद्यम हेतु समन्वित प्रयासों तथा तेजी से निर्णय लेने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति भी कार्य कर रही है जिसमें निजी क्षेत्र के श्रेष्ठ विशेषज्ञ भी सदस्य हैं ।

मांग संख्या 43 - प्रत्यक्ष कर

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) सर्वोच्च संस्था है जिसे भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीबीडीटी की सहायता 17 निदेशालयों द्वारा की जाती है जो इसके संबद्ध कार्यालय के रूप में काम करते हैं। विभिन्न मुख्य आयकर आयुक्त प्रत्यक्ष करों के संग्रहण का पर्यवेक्षण करते हैं तथा पूरे देश में कर दाता सेवाएं प्रदान करते हैं जबकि आयकर महानिदेशक (जांच) कर अपवंचन पर रोक लगाने एवं बेहिसाबी धन का पर्दाफाश करने के उद्देश्य से जांच मशीनरी का पर्यवेक्षण करते हैं। अपीली मशीनरी भी हैं जिसमें आयकर आयुक्त (अपील) शामिल होते हैं जो सहायता करने वाले अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों का निर्धारण करने संबंधी कार्य करते हैं। मुख्य गतिविधियों का सारांश नीचे दिया गया है।

- 'सूचना प्रौद्योगिकी' के अंतर्गत बजट अनुमान-2013-14 में 421.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है जिसे अन्य बातों के साथ निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों/योजनाओं पर खर्च किया जाना है :

  - आयकर विभाग में व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के चरण-III के लिए संदर्शी योजना
    - प्रणाली एकीकरण
    - अखिल भारतीय कर नेटवर्क
    - डाटा केंद्र हायर करना
    - 2003 से 2009 की अवधि के बकाया पैन फार्म का भौतिक भंडारण
    - 2003 से 2009 की अवधि के बकाया पैन फार्म की स्कैनिंग

- कर सूचना नेटवर्क (टिन)
- करदाता सेवाएं
- आयकर संपर्क केन्द्र
- आईटीआर की ई-फाइलिंग
- करों का ई-पेमेंट
- प्रतिदायों की ऑनलाइन ट्रैकिंग
- प्रतिदाय बैंकर
- केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग प्रकोष्ठ (सीपीसी) टीडीएस (कागज आधारित एवं ई-फाइल्ड दोनों)
- केन्द्रीकृत प्रौसेसिंग केन्द्र (सीपीसी) बंगलौर
- डाटा वेयरहाउस एवं व्यवसाय आसूचना (डीडब्ल्यू एंड बीआई) समाधान एन.पी
- नया आईटीडी अप्लीकेशन

➢ विभिन्न स्थानों पर कार्यालय आवास की खरीद/ निर्माण के लिए बजट अनुमान 2013-14 में पूंजी खंड के अंतर्गत 546.98 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है जिसमें एमसीडी सिविक सेंटर, एनबीसीसी प्लाजा, साकेत, दिल्ली एवं भोपाल में कार्यालय के अधिग्रहण को पूरा करना, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर में उन्नत प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण, नोएडा, बंगलौर, श्रीनगर, नरिमन प्वाइंट, मुम्बई, पुणे, सूरत, नवसारी एवं दमन में कार्यालय भवन का निर्माण, मोहाली में आरटीआई भवन का निर्माण, लखनऊ, श्रीनगर एवं शाहजहांपुर में कार्यालय सह आवासीय भवनों का निर्माण, गोल्फ लिंक, नई दिल्ली में अतिथि गृह का निर्माण तथा बेलगाम, अहमदाबाद, बंगलौर, एरोड एवं कोच्चि में भूमि की खरीद शामिल है।

➢ हाडपसर, जम्मू, चेन्नई एवं सूरत में आवासीय क्वार्टरों के निर्माण तथा भोपाल में क्वार्टरों के अपग्रेडेशन के लिए बजट अनुमान 2013-14 में पूंजी खंड के अंतर्गत 41.00 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है।

➢ विभाग द्वारा शुरू की गई पहलें तथा उपाय कर कानूनों एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण, करदाताओं को बेहतर सुविधा तथा करदाताओं एवं अधिकारियों के बीच संपर्क न्यूनतम करने पर केन्द्रित हैं। अन्य बातों के साथ इनमें आयकर विवरणी ऑनलाइन तैयार करने एवं दाखिल करने की सुविधा, विवरणियों की केंद्रीकृत प्रोसेसिंग, प्रतिदाय बैंकर योजना जिसमें ईसीएस के माध्यम से करदाता के खाते में प्रति दाय का सीधे भुगतान शामिल हैं, करों का ई-पेमेंट, प्रतिदाय की ऑनलाइन ट्रैकिंग, कर विवरणी तैयारकर्ता योजना (टीआरपीएस), एकल खिड़की करदाता सेवा के लिए, 60 आयकर सेवा केन्द्रों की स्थापना, आयकर संपर्क केन्द्र (काल सेंटर) आदि शामिल है। इसके अलावा, हाल ही में नए सिरे से लिखे नागरिक चार्टर के आधार पर सार्वजनिक सेवा सुपुर्दगी में उत्कृष्टता के लिए सेवोत्तम योजना भी शुरू की गई है।

➢ आयकर विभाग के अवसंरचना निदेशालय ने परिसंपत्ति रजिस्टर तैयार करने तथा उसकी निगरानी करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है जिसमें भूमि, कार्यालय भवन, अवासीय क्वार्टर , वाहन एवं फर्नीचर आदि जैसी परिसंपत्तियों का ब्यौरा होता है जिनका बही मूल्य 2 लाख रुपए से अधिक है। ऐसी परिसंपत्तियों का मूल्य 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार 4854.33 करोड़ रूपए है।

➢ इस अनुदान के अंतर्गत 2011-12 में वास्तविक व्यय 3315.78 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान के विरुद्ध 3239.85 करोड़ रुपए था जो 97.71 प्रतिशत उपयोग को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2012-13 में, 31 दिसम्बर, 2012 तक वास्तविक व्यय 3735.51 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान के विरुद्ध 2487.08 करोड़ रुपए है जो 66.58 प्रतिशत उपयोग को दर्शाता है।

मांग संख्या 44 - अप्रत्यक्ष कर

इस मांग का संबंध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क के उदग्रहण एवं संग्रहण, सेवा कर, तस्करी रोकने एवं शुल्कों की अदायगी से बचने को रोके जाने संबंधी नीति बनाने से है। मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:-

➢ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना समेकन परियोजना के लिए 598.97 करोड़ रू. के संशोधित लागत को सी सी ई ए ने मंजूरी दे दी है और इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है । व्यापक तौर पर कम्प्यूटरीकरण किया गया है जिसमें वृहद क्षेत्रीय/स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्क प्रारंभ किया गया है जिससे सभी कार्यालयों, समुद्री पत्तनों, हवाई अड्डों, कंटेनर डिपो को जोड़ा गया है, डाटा वेयरहाउस की स्थापना की गयी है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में आटोमेशन किया गया है तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है जिससे आयात आदि का सहज रुप से क्लियरेंस किया जा सके। इस परियोजना के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन के लिये विक्रेताओं को ठेके दे दिए गए हैं। अधिकांश घटक तो लगभग पूरे हो गये हैं। वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 में क्रमशः 84.46 करोड़ रू., 167.17 करोड़ रू., 186.41 करोड़ रू., 145.58 करोड़ रूपये और 144.31 करोड़ रू. खर्च किए गए हैं। 2012-13 के दौरान दिसंबर 2012 तक 77.21 करोड़ रूपये खर्च किए गए।

➢ सभी प्रमुख सीमाशुल्क पत्तनों/हवाई अड्डों पर जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) प्रचालनरत है जो भारत के 95% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कवर करते हैं। आर एम एस का नया उन्नत रुपांतरण 69 अवस्थानों पर कार्यरत है।

➢ कार्गो क्लीयरेंस हेतु 7 और कंटेनर स्कैनर (3 मोबाईल गामा रे स्कैनर और 4 फिक्स्ड एक्स-रे स्कैनर) प्राप्त करने का प्रयास चल रहा है। मोबाईल और फिक्स्ड स्कैनरों को वर्ष 2013-14 में लगा दिए जाने की संभावना है। जल क्षेत्र में तस्करी रोधी संचालनों को सुदृढ़ करने के लिए 109 समुद्री जलयान भी प्राप्त जा चुके हैं। वर्ष 2013-14 के लिए कुल 100.00 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं के तहत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 में क्रमशः 27.42 करोड़ रू., 99.88 करोड़ रू., 78.64 करोड़ रु., 33.20 करोड़ रूपये तथा 46.52 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं। 2012-13 के दौरान दिसंबर 2013 तक 1.44 करोड़ रूपये खर्च किए गए।

➢ उत्पाद शुल्क, आय कर/कारपोरेट कर और सेवा कर का भुगतान करने वाले बड़े कर दाताओं के लिए बंगलौर, चेन्नई, मुम्बई और दिल्ली में सिंगल विंडो सेवा की स्थापना की गई है। कोई भी व्यक्ति अथवा कम्पनी जो पिछले किसी भी वर्ष के दौरान 10

करोड़ रू. से अधिक आय कर/ कारपोरेट कर अथवा 5 करोड़ रू. उत्पाद शुल्क अथवा 5 करोड़ रू. सेवा कर का भुगतान कर चुका है, संबंधित बड़ी करदाता यूनिट को सहमति प्रदान करते हुए बड़े करदाता के रूप में कार्य करने के विकल्प का चयन कर सकता है।

➢ राजस्व का संग्रह करने, संगठनात्मक दक्षता, आधारभूत संरचना तथा साधन में वृद्धि करने हेतु बेहतर प्रयासों में प्रोत्साहन के लिए संवृद्धकारी राजस्व का 1% उपयोग करने के लिए योजना बनाने हेतु राजस्व उत्पादन करने वाले विभागों को अनुमति देते हुए व्यय प्रबंधन पर व्यय विभाग के दिशा निर्देशों/अनुदेशों के अनुसरण में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने विभिन्न उद्देश्यों जैसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क रेजों, में आधारभूत संरचना के क्षमता निर्माण/सुधार, संगठनात्मक क्षमता तथा बाहरी निवारक क्रियाविधियों आदि में वृद्धि के लिए वाहनों को किराए पर देने के लिए 31.01.2013 तक 160.44 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई/ आबंटन किया गया है।

मांग संख्या 45 - विनिवेश विभाग

<u>अधिदेश</u>

विनिवेश विभाग मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की शेयरधारिता का विनिवेश करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, यह विभाग केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पूर्ववर्ती उद्यमों में बिक्री की पेशकश या निजी भागीदारी के जरिए केन्द्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित सभी मामलों पर कार्रवाई करता है।

कार्यपद्धति (ऐपरोच)

इस समय, विनिवेश के लिए निम्नलिखित कार्यपद्धति अपनायी गयी हैः-

(i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पहले से ही सूचीबद्ध, लाभ कमाने वाले उद्यम, जो 10% की आम जनमानस की शेयरधारिता की शर्त को पूरा नहीं करते, उन्हें सरकारी शेयरधारिता में से सार्वजनिक पेशकश के जरिए या संबंधित सीपीएसई द्वारा नई इक्विटी के निर्गम या दोनों के संयोजन से इस शर्त का अनुपालक बनाया जायेगा।

(ii) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के वे सभी असूचीबद्ध उद्यम, जिनकी निवल संपत्ति सकारात्मक है और जिनका कोई संचित घाटा नहीं है तथा जिन्होंने पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ अर्जित किया है, उन्हें सरकारी शेयरधारिता में से सार्वजनिक पेशकश के जरिए या कंपनी द्वारा नई इक्विटी के निर्गम या दोनों के संयोजन के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा।

(iii) अपनी पूंजीगत निवेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश कर सकते हैं और भारत सरकार उसके साथ-साथ या स्वतंत्र रूप से ऐसे उद्यमों में अपनी शेयरधारिता के एक हिस्से की पेशकश कर सकती है।

(iv) विनिवेश के सभी मामलों पर मामला दर मामला आधार पर निर्णय लिया जाएगा क्योंकि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम की इक्विटी संरचना, वित्तीय क्षमता, निधि की आवश्यकता, संचालन का क्षेत्र आदि जैसे घटक अलग-अलग होते हैं जो एकरूपता की अनुमति नहीं देते।

(v) सार्वजनिक पेशकशों के माध्यम से विनिवेश के सभी मामलों में, सरकार कम से कम 51% इक्विटी और प्रबंधन नियंत्रण अपने पास बनाए रखे।

विनिवेश के लाभ -

(i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश और स्टॉक एक्सचेंजो में उनके सूचीकरण से आर्थिक सुधार कार्यक्रम को गति मिलती है और इसके साथ-साथः

➢ **<u>निगमित शासन को बेहतर बनाना</u>**

- जैसा कि सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा और कंपनी नियम के तहत अधिदेश किया गया है उच्च प्रकटीकरण स्तर से बेहतर पारदर्शिता तथा जवाबदेही आती है। इसलिए निरीक्षण तंत्र मजबूत तथा बहुस्तरीय बन जाता है।
- स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करने से निगमित नियंत्रण बेहतर होता है।
- उच्च स्तर की निवेशक सकेन्द्रित संवीक्षा और अनुसंधान, व्यवसाय के पेशेवर आचरण के अनुपालन की मांग करते हैं जिसके परिणामस्वरुप निगमित संस्कृति में सुधार आता है।
- कंपनी बाजार अनुशासन के अधीन होगी जिससे प्रबंधकीय स्तर और कार्यशाला स्तर, दोनों स्तरों पर कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। कारोबार मूल्य में दिन-प्रतिदिन के उतार-चढ़ाव से न केवल प्रतिस्पर्धा के साथ कंपनी के निष्पादन को आंका जा सकता है बल्कि इससे दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के प्रभाव को भी व्यक्त किया जा सकता है।

➢ **<u>इक्विटी संस्कृति के विस्तार के माध्यम से पूंजी बाजार का विकास तथा विस्तार करना</u>**

- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने से पूंजी बाजार के विस्तार तथा विकास में सुविधा होती है और इक्विटी संस्कृति का विस्तार होता है।
- बाजार से निधियां जुटाने के लिए पर्याप्त रुप से विकसित क्षेत्रों में अवरुद्ध संसाधनों को अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों में लगाया जा सकता है जो अपने आर्थिक विकास के चरण में होने के कारण बाजार से संसाधन जुटाने में समर्थ नहीं है।

- जब आधारभूत संरचना के विकास के लिए अधिक संसाधन प्रयोग में लाये जाते हैं तो इससे बेरोजगारों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होते हैं और साथ ही साथ इससे आर्थिक विकास को एक बड़ा मंच उपलब्ध होता है।

(i) इससे सीपीएसई में अवरूद्ध संसाधनों के पुनर्नियोजन के लिए राजकोषीय दायरे का भी सृजन होता है।

➢ **<u>सभी शेयरधारकों, जैसे कि निवेशकों, संबंधित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम के कर्मचारियों, कंपनी और सरकार के लिए उद्यमों का वास्तविक मूल्य निर्मुक्त करना</u>**

- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सूचीबद्ध करने के परिणामस्वरुप वे अपनी पूंजीगत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूंजी बाजार में पहुंच बनाने में सक्षम हो जाएंगे जैसे कि निजी कंपनियों के मामले में होता है। इस प्रकार सरकारी वित्त पोषण पर निर्भरता कम हो जाएगी।

(ii) सरकार के लिए बजटीय संसाधन जुटाना

विनिवेश से प्राप्त निधियों का उपयोग

- विनिवेश से प्राप्त राशि को 'राष्ट्रीय निवेश कोष' (एनआईएफ) में जमा किया जाता है। निधि से प्राप्त आय को, सामाजिक क्षेत्र की उन योजनाओं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा देती हैं, के वित्त पोषण और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के लाभ कमाने वाले तथा पुनरुद्धार योग्य उद्यमों के विस्तार/विविधिकरण का वित्त पोषण करने हेतु उनकी पूंजीगत निवेश की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है।

- हालांकि; वर्ष 2008-09 की वैश्विक मंदी द्वारा उत्पन्न कठिन आर्थिक स्थिति और भीषण सूखे के कारण 11वीं योजना के विकास कार्यनिष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 05 नवंबर, 2009 को यह निर्णय लिया था कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त समस्त धनराशि, योजना आयोग/व्यय विभाग द्वारा निर्धारित सामाजिक क्षेत्र की विशिष्ट योजनाओं के पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से उपयोग में लाई जाएगी। विनिवेश से प्राप्त धनराशि को एनआईएफ में जमा कराये जाने से एक बार की छूट जो 01 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2012 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए थी, को आगे एक और वर्ष के लिए अर्थात 31 मार्च, 2013 तक बढ़ा दिया गया था।

अतः अप्रैल, 2009 से विनिवेश से प्राप्त समस्त धनराशि का सरकार के सामाजिक क्षेत्र के निम्नलिखित कार्यक्रमों के पूंजी व्यय का वित्त पोषण करने के लिए उपयोग किया जा रहा हैः-

(i) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

(ii) इंदिरा आवास योजना

(iii) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

(iv) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

(v) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

(vi) त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम

<u>बजटीय लक्ष्य</u>

वर्ष 2012-13 के लिए विनिवेश के लिए बजटीय लक्ष्य 30,000 करोड़ रुपए है। सरकार को, दिसम्बर, 2012 तक राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि., हिन्दुस्तान कॉपर लि. तथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में विनिवेश से 6905.20 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है।

वित्त मंत्रालय के अंतर्गत बजटीय प्रावधानों का सारांश

(करोड़ रुपए)

विवरण	वास्तविक 2011-12			बजट अनुमान 2012-13			संशोधित अनुमान 2012-13			बजट अनुमान 2013-14		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
मांग संख्या 33 आर्थिक कार्य विभाग												
जोड़ - राजस्व भाग	**3685.58**	**3400.19**	**7085.77**	**4704.90**	**4376.45**	**9081.35**	**3824.90**	**3912.04**	**7736.94**	**4464.45**	**4400.67**	**8865.12**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	3685.58	3400.19	**7085.77**	4704.90	4376.45	**9081.35**	3824.90	3912.04	**7736.94**	4464.45	4400.67	*8865.12*
जोड़ - पूंजी भाग	**300.00**	**13505.68**	**13805.68**	**437.55**	**58523.53**	**58961.08**	**437.55**	**16782.84**	**17220.39**	**678.00**	**65730.89**	**66408.89**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	300.00	13505.68	**13805.68**	437.55	58523.53	**58961.08**	437.55	16782.84	**17220.39**	678.00	65730.89	*66408.89*
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	***3985.58***	***16905.87***	***20891.45***	***5142.45***	***62899.98***	***68042.43***	***4262.45***	***20694.88***	***24957.33***	***5142.45***	***70131.56***	***75274.01***
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	3985.58	16905.87	**20891.45**	5142.45	62899.98	**68042.43**	4262.45	20694.88	**24957.33**	5142.45	70131.56	75274.01
मांग संख्या 34 वित्तीय सेवा विभाग												
जोड़ - राजस्व भाग	**200.00**	**6311.61**	**6511.61**	**200.00**	**8335.23**	**8535.23**	**...**	**7459.42**	**7459.42**	**200.00**	**7268.99**	**7468.99**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	200.00	6311.61	**6511.61**	200.00	8335.23	**8535.23**	...	7459.42	**7459.42**	200.00	7268.99	7468.99
जोड़ - पूंजी भाग	**14297.43**	**14.00**	**14311.43**	**15888.00**	**14.01**	**15902.01**	**14652.00**	**1.00**	**14653.00**	**29888.00**	**12.40**	**29900.40**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	14297.43	14.00	**14311.43**	15888.00	14.01	**15902.01**	14652.00	1.00	**14653.00**	29888.00	12.40	29900.40
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	***14497.43***	***6325.61***	***20823.04***	***16088.00***	***8349.24***	***24437.24***	***14652.00***	***7460.42***	***22112.42***	***30088.00***	***7281.39***	***37369.39***
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	14497.43	6325.61	**20823.04**	16088.00	8349.24	**24437.24**	14652.00	7460.42	**22112.42**	30088.00	7281.39	37369.39
विनियोग संख्या 35 - ब्याज अदायगियां												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**287182.18**	**287182.18**	**...**	**324769.43**	**324769.43**	**...**	**333997.49**	**333997.49**	**...**	**385000.46**	**385000.46**
भारित	...	*287182.18*	**287182.18**	...	*324769.43*	**324769.43**	...	*333997.49*	**333997.49**	...	*385000.46*	385000.46
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	***287182.18***	***287182.18***	**...**	***324769.43***	***324769.43***	**...**	***333997.49***	***333997.49***	**...**	***385000.46***	***385000.46***
भारित	...	*287182.18*	**287182.18**	...	*324769.43*	**324769.43**	...	*333997.00*	**333997.00**	...	*385000.46*	385000.46
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...

विवरण	वास्तविक 2011-12			बजट अनुमान 2012-13			संशोधित अनुमान 2012-13			बजट अनुमान 2013-14		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
मांग संख्या 36												
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण												
जोड़ - राजस्व भाग	**74056.91**	**52842.59**	**126899.50**	**95908.00**	**68022.46**	**163930.46**	**80435.00**	**64420.35**	**144855.35**	**91957.00**	**72059.40**	**164016.40**
भारित	...	*43972.67*	**43972.67**	...	*58357.46*	**58357.46**	...	*55031.80*	**55031.80**	...	*62134.40*	62134.40
स्वीकृत	74056.91	8869.92	**82926.83**	95908.00	9665.00	**105573.00**	80435.00	9388.55	**89823.55**	91957.00	9925.00	101882.00
जोड़ - पूंजी भाग	**9995.35**	**...**	**9995.35**	**11000.00**	**1000.00**	**12000.00**	**11000.00**	**1000.00**	**12000.00**	**11000.00**	**1000.00**	**12000.00**
भारित	*9995.35*	...	**9995.35**	*11000.00*	*1000.00*	**12000.00**	*11000.00*	*1000.00*	**12000.00**	*11000.00*	*1000.00*	*12000.00*
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	***84052.26***	***52842.59***	***136894.85***	***106908.00***	***69022.46***	***175930.46***	***91435.00***	***65420.35***	***156855.35***	***102957.00***	***73059.40***	***176016.40***
भारित	*9995.35*	*43972.67*	**53968.02**	*11000.00*	*59357.46*	**70357.46**	*10000.00*	*56031.80*	**66031.80**	*10000.00*	*63134.40*	*73134.40*
स्वीकृत	74056.91	8869.92	**82926.83**	95908.00	9665.00	**105573.00**	80435.00	9388.55	**89823.55**	91957.00	9925.00	101882.00
मांग संख्या 37												
सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**212.68**	**212.68**	**...**	**250.00**	**250.00**	**...**	**235.00**	**235.00**	**...**	**225.00**	**225.00**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	212.68	**212.68**	...	250.00	**250.00**	...	235.00	**235.00**	...	225.00	225.00
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	***...***	***212.68***	***212.68***	***...***	***250.00***	***250.00***	***...***	***235.00***	***235.00***	***...***	***225.00***	***225.00***
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	212.68	**212.68**	...	250.00	**250.00**	...	235.00	**235.00**	...	225.00	225.00
विनियोग संख्या 38												
ऋण की वापसी अदायगी												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**3495928.70**	**3495928.70**	**...**	**3786074.35**	**3786074.35**	**...**	**3301906.00**	**3301906.00**	**...**	**4014248.55**	**4014248.55**
भारित	...	*3495928.70*	**3495928.70**	...	*3786074.35*	**3786074.35**	...	*3301906.00*	**3301906.00**	...	*4014248.55*	*4014248.55*
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	***...***	***3495928.70***	***3495928.70***	***...***	***3786074.35***	***3786074.35***	***...***	***3301906.00***	***3301906.00***	***...***	***4014248.55***	***4014248.55***
भारित	...	*3495928.70*	**3495928.70**	...	*3786074.35*	**3786074.35**	...	*3301906.00*	**3301906.00**	...	*4014248.55*	4014248.55
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
मांग संख्या 39												
व्यय विभाग												
जोड़ - राजस्व भाग	**2.45**	**115.25**	**117.70**	**4.00**	**131.25**	**135.25**	**2.88**	**121.97**	**124.85**	**4.00**	**136.12**	**140.12**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	2.45	115.25	**117.70**	4.00	131.25	**135.25**	2.88	121.97	**124.85**	4.00	136.12	140.12

विवरण	वास्तविक 2011-12			बजट अनुमान 2012-13			संशोधित अनुमान 2012-13			बजट अनुमान 2013-14		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
जोड़ - पूंजी भाग	**1.03**	**...**	**1.03**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	1.03	...	**1.03**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	***3.48***	***115.25***	***118.73***	***4.00***	***131.25***	***135.25***	***2.88***	***121.97***	***124.85***	***4.00***	***136.12***	***140.12***
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	3.48	115.25	**118.73**	4.00	131.25	**135.25**	2.88	121.97	**124.85**	4.00	136.12	140.12
मांग संख्या 40 पेंशन												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**17977.51**	**17977.51**	**...**	**19800.00**	**19800.00**	**...**	**19564.00**	**19564.00**	**...**	**21049.00**	**21049.00**
भारित	...	*75.43*	**75.43**	...	*90.00*	**90.00**	...	*90.00*	**90.00**	...	*95.00*	95.00
स्वीकृत	...	17902.08	**17902.08**	...	19710.00	**19710.00**	...	19474.00	**19474.00**	...	20954.00	20954.00
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	***17977.51***	***17977.51***	**...**	***19800.00***	***19800.00***	**...**	***19564.00***	***19564.00***	**...**	***21049.00***	***21049.00***
भारित	...	*75.43*	**75.43**	...	*90.00*	**90.00**	...	*90.00*	**90.00**	...	*95.00*	95.00
स्वीकृत	...	17902.08	**17902.08**	...	19710.00	**19710.00**	...	19474.00	**19474.00**	...	20954.00	20954.00
मांग संख्या 41 भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**2421.17**	**2421.17**	**...**	**2558.49**	**2558.49**	**...**	**2618.16**	**2618.16**	**...**	**2794.54**	**2794.54**
भारित	...	*74.02*	**74.02**	...	*78.83*	**78.83**	...	*86.61*	**86.61**	...	*97.69*	97.69
स्वीकृत	...	2347.15	**2347.15**	...	2479.66	**2479.66**	...	2531.55	**2531.55**	...	2696.85	2696.85
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**0.61**	**0.61**	**...**	**10.00**	**10.00**	**...**	**5.00**	**5.00**	**...**	**10.00**	**10.00**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	0.61	**0.61**	...	10.00	**10.00**	...	5.00	**5.00**	...	10.00	10.00
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	***2421.78***	***2421.78***	**...**	***2568.49***	***2568.49***	**...**	***2623.16***	***2623.16***	**...**	***2804.54***	***2804.54***
भारित	...	*74.02*	**74.02**	...	*78.83*	**78.83**	...	*86.61*	**86.61**	...	*97.69*	97.69
स्वीकृत	...	2347.76	**2347.76**	...	2489.66	**2489.66**	...	2536.55	**2536.55**	...	2706.85	2706.85
मांग संख्या 42 राजस्व विभाग												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**5256.94**	**5256.94**	**...**	**1167.05**	**1167.05**	**...**	**855.24**	**855.24**	**...**	**10117.19**	**10117.19**
भारित	...	...	**...**	...	*0.02*	**0.02**	...	*0.02*	**0.02**	...	*0.02*	0.02
स्वीकृत	...	5256.94	**5256.94**	...	1167.03	**1167.03**	...	855.22	**855.22**	...	10117.17	10117.17
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**3.57**	**3.57**	**...**	**11.54**	**11.54**	**...**	**8.91**	**8.91**	**...**	**100.71**	**100.71**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	3.57	**3.57**	...	11.54	**11.54**	...	8.91	**8.91**	...	100.71	100.71
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	***5260.51***	***5260.51***	**...**	***1178.59***	***1178.59***	**...**	***864.15***	***864.15***	**...**	***10217.90***	***10217.90***
भारित	...	*0.02*	**0.02**	...	*0.02*	**0.02**	...	*0.02*	**0.02**	...	*0.02*	0.02
स्वीकृत	...	5260.51	**5260.51**	...	1178.57	**1178.57**	...	864.13	**864.13**	...	10217.88	10217.88

विवरण	वास्तविक 2011-12			बजट अनुमान 2012-13			संशोधित अनुमान 2012-13			बजट अनुमान 2013-14		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
मांग संख्या 43 प्रत्यक्ष कर												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**2971.85**	**2971.85**	**...**	**3071.18**	**3071.18**	**...**	**3301.51**	**3301.51**	**...**	**3771.91**	**3771.91**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	2971.85	**2971.85**	...	3071.18	**3071.18**	...	3301.51	**3301.51**	...	3771.91	3771.91
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**260.99**	**260.99**	**...**	**809.28**	**809.28**	**...**	**434.00**	**434.00**	**...**	**589.98**	**589.98**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	260.99	**260.99**	...	809.28	**809.28**	...	434.00	**434.00**	...	589.98	589.98
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	***3232.84***	***3232.84***	**...**	***3880.46***	***3880.46***	**...**	***3735.51***	***3735.51***	**...**	***4361.89***	***4361.89***
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	3232.84	**3232.84**	...	3880.46	**3880.46**	...	3735.51	**3735.51**	...	4361.89	4361.89
मांग संख्या 44 अप्रत्यक्ष कर												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**3193.66**	**3193.66**	**...**	**3481.88**	**3481.88**	**...**	**3535.78**	**3535.78**	**...**	**3830.25**	**3830.25**
भारित	...	*0.16*	**0.16**	...	*0.50*	**0.50**	...	*0.50*	**0.50**	...	*0.50*	0.50
स्वीकृत	...	3193.50	**3193.50**	...	3481.38	**3481.38**	...	3535.28	**3535.28**	...	3829.75	3829.75
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**47.34**	**47.34**	**...**	**119.20**	**119.20**	**...**	**34.83**	**34.83**	**...**	**149.25**	**149.25**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	47.34	**47.34**	...	119.20	**119.20**	...	34.83	**34.83**	...	149.25	149.25
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	***3241.00***	***3241.00***	**...**	***3601.08***	***3601.08***	**...**	***3570.61***	***3570.61***	**...**	***3979.50***	***3979.50***
भारित	...	*0.16*	**0.16**	...	*0.50*	**0.50**	...	*0.50*	**0.50**	...	*0.50*	0.50
स्वीकृत	...	3240.84	**3240.84**	...	3600.58	**3600.58**	...	3570.11	**3570.11**	...	3979.00	3979.00
मांग संख्या 45 विनिवेश विभाग												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**35.26**	**35.26**	**...**	**63.24**	**63.24**	**...**	**25.83**	**25.83**	**...**	**63.24**	**63.24**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	35.26	**35.26**	...	63.24	**63.24**	...	25.83	**25.83**	...	63.24	63.24
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	***35.26***	***35.26***	**...**	***63.24***	***63.24***	**...**	***25.83***	***25.83***	**...**	***63.24***	***63.24***
भारित	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	**...**	...	...	...
स्वीकृत	...	35.26	**35.26**	...	63.24	**63.24**	...	25.83	**25.83**	...	63.24	63.24

आर्थिक कार्य विभाग

प्रस्तावना

आर्थिक कार्य विभाग देश की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों, जिनका आर्थिक प्रबन्धन के आंतरिक और बाहरी पहलुओं पर असर होता है, को तैयार और मॉनीटर करता है। इस विभाग की एक प्रमुख जिम्मेदारी प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय बजट (रेल बजट को छोड़कर) और आर्थिक समीक्षा को तैयार करना है। अन्य मुख्य कार्यों में शामिल हैं:

- आर्थिक कार्य विभाग देश की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों, जिनका आर्थिक प्रबन्धन के आंतरिक और बाहरी पहलुओं पर असर होता है, को तैयार और मॉनीटर करता है। इस विभाग की एक प्रमुख जिम्मेदारी प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय बजट (रेल बजट को छोड़कर) और आर्थिक समीक्षा को तैयार करना है। अन्य मुख्य कार्यों में शामिल हैं:
  - बृहत आर्थिक नीतियों को तैयार और मॉनीटर करना जिनके अंतर्गत शामिल हैं - राजकोषीय नीति और लोक वित्त, मुद्रास्फीति, लोक ऋण प्रबंधन और पूंजी बाजार एवं स्टॉक एक्सचेंजों के कार्यकरण से संबंधित विषय; तथा बाजार उधारों और लघु बचतों के जरिए आंतरिक संसाधन जुटाने के लिए अर्थोपाय;
  - बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय सरकारी विकास सहायता और सार्वभौम विदेशी उधारों, विदेशी निवेशों के जरिए विदेशी संसाधनों की मॉनीटरिंग एवं उन्हें जुटाना तथा भुगतान संतुलन सहित विदेशी मुद्रा संसाधनों की मॉनीटरिंग करना;
  - विभिन्न मूल्यवर्गों के बैंक नोटों एवं सिक्कों, डाक लेखन सामग्री, डाक टिकटों इत्यादि का उत्पादन करना; और
  - भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के अधिकारियों का संवर्ग प्रबन्धन, कैरियर प्लानिंग और प्रशिक्षण।

इस मांग में, बजट का अधिकांश हिस्सा लाभांश राहत के लिए रेलवे को सब्सिडी, स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइनों के संचालन पर रेलवे को हुई क्षतियों की प्रतिपूर्ति, रेलवे सुरक्षा कार्यों के लिए अंशदान, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष/एशियाई विकास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं को अभिदान, भारत सरकार के लिए एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता, अन्य विकासशील देशों को रियायती ऋण श्रृंखलाएं और भारतीय रिजर्व बैंक को की गई सिक्कों की आपूर्ति की लागत देने के लिए है। इसके अलावा, किए जाने वाले व्यय में इस विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात राष्ट्रीय बचत संस्थान (एनएसआई), प्रतिभूति अपील अधिकरण (एसटी), 14 वां वित्त आयोग और वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग का स्थापना संबंधी व्यय तथा अंतरराष्ट्रीय निकायों को दिया जाने वाला भारत सरकार का अंशदान विषयक व्यय सम्मिलित है। अतः बहुत कम ऐसे क्रियाकलाप और परिव्यय हैं, जिन्हें मूर्त, निर्धारित करने योग्य/मापीय शब्दों में वर्णित किया जा सके। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए ''परिव्यय'' और ''परिणाम'' के रूप में दर्शित करते हुए आयोजना और आयोजना-भिन्न कार्यकलापों का वर्णन निम्नलिखित विवरणों में दिया गया है:

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013 - 14 (₹ करोड़)			प्रमात्रात्मक प्रदाय/ वास्तविक उपलब्धियां	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) आयोजना-भिन्न	4(ii) आयोजना	4(iii) सीई बीआर*				
1.	**मुख्य शीर्ष 3054 - मोटर स्प्रिट तथा उच्च गति डीजल पर अतिरिक्त उद्ग्रहणों के लिए रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए अंशदान। (आयोजना)**	यातायात के लिए निर्बाध और सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने के लिए इस योजना के तहत केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत धनराशि का प्रयोग मानव रहित लेवल क्रासिंग्स पर रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों और रेलवे उपरि सेतुओं/ अधोसेतुओं के निर्माण के वित्तपोषण हेतु किया जाएगा ।	...	1102.45	...	- 1600 स्थानों पर पहरेदारों की तैनाती। - 300 स्थानों पर अन्तःपाशन। स्थानों पर उत्थापक अवरोधक। - सभी मानवयुक्त फाटकों पर टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है। - 1000 सड़क अधोसेतुओं/सबवे का निर्माण। - 225 सड़क उपरिसेतुओं का निर्माण।	मानव रहित रेलवे क्रांसिंग पर सुरक्षा सुनिश्चित करना और सड़क यातायात एवं रेल कार्यों के लिए निर्बाध रास्ता प्रदान करना। जहां उपरि सेतु/अधोसेतु बनाए जाते हैं वहां ईंधन में बचत होती है और कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है।	- मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को मानव युक्त बनाने के लिए फाटकों/उत्थापक अवरोधों का निर्माण किया जाता है और चौकीदारों के लिए ड्यूटी कुटीरों/ फाटकों और लॉजों का निर्माण हो गया है। - स्टेशन से लेवल क्रासिंग स्थान तक केबल बिछाना, सिग्नल प्रणाली और टेलीफोनों को लेवल क्रासिंग स्थान से जोड़ना। - लागत विभाजन आधार पर व्यस्त लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर सड़क उपरिसेतुऑ/सड़क अधोसेतुऑ की व्यवस्था की जाती है। 1 लाख से अधिक की क्षमता की ट्रेन व्हीकल यूनिटों वाले आरऑबी/आरयूबी का प्रस्ताव उपक्रमों अर्थात आरऑबी पूर्ण करने, समान लागत विभाजन करने विलंगम मुक्त भूमि की व्यवस्था आदि के पश्चात एलसीके समापन जैसी सहमति के साथ राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा प्रायोजित किया जाता है।	- आर उपरिसेतुऑ / अधोसेतुऑ का निर्माण करना रेलवे और राज्य सरकारों/ स्थानीय निकायों का संयुक्त कार्य है। संविदा संबंधी समस्या/ भूमि की अनुपलब्धता, सड़क यातायात को मोड़ने, लेवल क्रॉसिंग गेटों के स्थानांतरण में विलंब राज्य सरकार के पास निधि के संकट, दो एजेंसियों द्वारा बनाए जा रहे आरऑवी के ब्रिज भाग और अप्रोच भाग के कारण, आरऑवी निर्माण कार्य पूर्ण करने में विलंब हो जाता है।

** सीईबीआर - अनुपूरक बजट-बाह्य संसाधन यानि इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार के सिवाय अन्य संगठनों के प्रयोजना के लिए प्रतिबद्ध व्यय।*

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) आयोजना-भिन्न	4(ii) आयोजना	4(iii) सीई बीआर				
2.	**मुख्य शीर्ष 5475 - अवसंरचना विकास के लिए सहायता अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) (आयोजना स्कीम)**	व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण के प्रावधान के माध्यम से अवसंरचना क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।	...	678.00	...	अब तक, कुल 80,203.28 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से और 15,672.68 करोड़ रुपए के व्यवहार्यता अन्तराल वित्तपोषण (वीजीएफ) अनुदान से 145 प्रस्तावों को सिद्धांततया/ अंतिम रूप से अनुमोदित किया गया है। व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के लिए अब तक कुल 11,996.87 करोड़ रुपये के अनुमोदन दिए गए हैं। एक बार बोली प्रक्रिया पूरी होने पर इन प्रस्तावों की वीजीएफ राशि के वास्तविक स्तर का पता चलता है।	सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से अवसंरचना का विकास।	'सिद्धान्ततः' अनुमोदन और अंतिम संवितरण की अनुमति के बीच समयान्तर होता है।	संवितरण तभी हो सकता है जब परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो चुका हो तथा निजी पक्षकार का चयन प्रति-स्पर्धात्मक बोली लगाने के जरिए हो गया हो और उसने अपना इक्विटी शेयर निवेश कर दिया हो।
3.	**मुख्य शीर्ष 3475 - भारतीय निर्यात आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता (आयोजना-भिन्न)**	इसका उद्देश्य भारत के नीतिगत आर्थिक हितों को विदेशों में बढ़ावा देना और दीर्घावधि आर्थिक सम्बन्धों को विकसित करना है। यह योजना, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सरकार समर्थित ऋण सहायता हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता भी प्रदान करती है।	416.50	...	...	भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए निर्यात-आयात बैंक के माध्यम से अन्य विकासशील देशों को क्रेडिट श्रृंखलाएं प्रदान करना।	भारत सरकार समर्थित भारतीय आयात निर्यात बैंक ऋण सहायता के संबंध में भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाती है। अंगोला, बुर्किना फासो, कम्बोडिया, चाड, कांगो, कोट डी आइवर जिबूती, गिनी बिसाऊ, गुयाना, आदि जैसे विकासशील देशों के साथ भारतीय निर्यात को बढ़ाने, नीतिगत तथा आर्थिक संबंधों के विकास हेतु ऋण श्रृंखला प्रदान की जाती है।	इस प्रावधान का उपयोग 31 मार्च, 2014 तक किया जाना है।	यदि प्राप्तकर्त्ता देश अदायगी नहीं करता है, भारत सरकार एग्जिम बैंक को राशि की अदायगी करेगी क्योंकि भारत सरकार की प्रति-गारंटी एग्जिम बैंक को ऋण श्रृंखलाओं के संबंध में दी गई है।

सुधार उपाय तथा नीतिगत पहल

1.1 आधारभूत ढांचा विकास हेतु सहायता (आयोजना)

यह योजना व्यवहार्यता अंतर के वित्तपोषण के माध्यम से आधारभूत ढांचा क्षेत्र में सरकारी-निजी भागीदारी के एक नवीन वित्तपोषण तंत्र को लागू करने के लिए है। सरकार देश में महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे की उपलब्धता और स्तर में काफी अधिक सुधार करने की जरूरत को स्वीकारती है ताकि अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और इसे उच्च वृद्धि के मार्ग पर अग्रसर किया जा सके। अधिक निवेश करके भौतिक आधारभूत ढांचे के विकास की गति बढ़ाने के लिए आधारभूत ढांचा क्षेत्र में सरकारी-निजी भागीदारी को बढावा देने का निर्णय लिया गया है। आधारभूत ढांचे के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सड़कों, बंदरगाहों, हवाई-अड्डों, रेलवे, सम्मेलन केन्द्रों, विद्युत, जल पूर्ति, शहरी क्षेत्रों में मल-जल निपटान और ठोस अपशिष्ट पदार्थ निपटान इत्यादि में सरकारी-निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण की सहायता हेतु प्रावधान किया गया है। राज्य एवं नगरपालिका स्तर पर सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण को त्वरित एवं सुदृढ़ बनाने तथा राज्य स्तर पर क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों में सरकारी निजी भागीदारी के बारे में क्षमता निर्माण कार्यक्रम को समेकित करने हेतु, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा एक बृहद राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम बनाया गया है जिसे केएफडब्ल्यू विकास बैंक के सहयोग से, राज्य स्तर पर शुरू किया गया है। 155 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए, लगभग 65 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। इन प्रशिक्षित प्रशिक्षकों ने 1975 से अधिक सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया है। ये कार्यकर्ता अपने अधिकार क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं से संबंधित कार्य देखते हैं। सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए एक आनलाइन टूलकिट्स, जोखिम एवं आकस्मिक देयता ढांचा तथा सरकारी निजी भागीदारी के लिए सम्प्रेषण कार्यनीति बनायी गयी है। ये पीपीपीज पर आर्थिक कार्य विभाग की वेबसाइट www.pppinindia.com. पर उपलब्ध हैं। सरकारी निजी भागीदारी टूलकिट एक वेब आधारित साधन है जिसे भारत में सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के ढांचे के लिए निर्णय लेने तथा भारत में क्रियान्वित की जा रही सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के ढांचे की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता के लिए बनाया गया है। सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं को प्रोत्साहित और यह सुनिश्चित करने कि पारदर्शिता, प्रतियोगी नीलामी प्रक्रिया, वहनीयता और धन के मूल्य की निर्धारित प्रक्रिया और सिद्धांतों का पालन करते हुए, सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं का प्रबंध और क्रियान्वयन किया जाता हैं, के लिए सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं की नीति का प्रारुप और इनके नियमों का प्रारुप तैयार किए गए हैं। इनको अंतिम रूप देने से पहले, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के स्तर पर इनके बारे में व्यापक विचार-विमर्श चल रहा है।

1.2 अवसंरचना सेक्टर में सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता (आयोजना)

अवसंरचना परियोजनाओं की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि परियोजनाओं से उत्पन्न सकारात्मक बाहरी सुविधाओं से केवल राजस्व प्राप्त करना नहीं हो सकता है। इस प्रकार कोई परियोजना वाणिज्यिक दृष्टि से क्षम न होकर आर्थिक दृष्टि से आवश्यक हो सकती है। जो परियोजनाएं मामूली रूप से क्षम अथवा अक्षम होती हैं, उन्हें अनुदान के माध्यम से वित्तीय दृष्टि से आकर्षक बनाया जा सकता है। सरकार ने अवसंरचना सेक्टर में ऐसी परियोजनाओं के लिए ***व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (निधियन)*** की व्यवस्था बनायी है। अब तक, 80,203.28 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत तथा 15,672.68 करोड़ रुपए की व्यवहार्यता अंतर निधियन सहायता से 145 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है। तथापि, इन प्रस्तावों की व्यवहार्यता अंतर निधियन की वास्तविक राशि, नीलामी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही ज्ञात हो पाएगी। 45 परियोजनाओं के लिए वित्तीय परिसमापन की स्थिति प्राप्त हो गयी है। मध्य प्रदेश और गुजरात में 14 परियोजनाओं को प्रीमियम पर दिया गया है जहां किसी वीजीएफ सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। वीजीएफ योजना के अंतर्गत दिसंबर, 2012 तक, 902.9623 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गयी है। प्रायोजन प्राधिकारी की आवश्यकताओं और पहले से अंतिम अनुमोदन प्रदत्त परियोजनाओं की संख्या के आधार पर, बजट अनु. 2013-14 में 678.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

1.3 अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) (आयोजना-भिन्न)

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने, वर्ष 2007-08 के अपने बजट भाषण में, परियोजना तैयारी की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 100 करोड़ रुपए की समग्र राशि से आवर्ती निधि की स्थापना की घोषणा की थी। भारत सरकार ने राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों को स्तरीय परियोजना विकास क्रियाकलापों हेतु वित्तीय सहायता प्रारंभ करने हेतु भारत अवसरंचना परियोजना विकास निधि हेतु योजना एवं दिशानिर्देश अधिसूचित किए। इसका उद्देश्य परामर्शदाता तथा लेनदेन सलाहकार को नियोजित करने की लागत सहित संभावित सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं के परियोजना विकास व्ययों का वित्तपोषण करना है ताकि सफल सरकारी निजी भागीदारी की गुणवत्ता तथा मात्रा में वृद्धि हो सके तथा अच्छी व्यवहार्यता रिपोर्टों के आधार पर सरकार विवेकपूर्ण निर्णय ले सके । भारत अवसरंचना परियोजना विकास निधि उन परियोजनाओं में सहायता करेगी जो सरकारी निजी भागीदारी परियोजना का चयन करने तथा उसे तैयार करने में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को आधार बनाए। अब तक, 60.06 करोड़ रुपए की आईआईपीडीएफ सहायता से 49 परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2008-09 में 1.32 करोड़ रुपए और 2009-10 में 7.55 करोड़ रुपए, 2010-11 में 7.00 करोड़ रुपए और 2011-12 में 7.00 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की जा चुकी है। दिसंबर, 2012 तक लगभग 1.762 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गयी है तथा वित्त वर्ष 2013-14 के लिए 4.00 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

1.4 अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग - भारत के निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता

भारत सरकार भारतीय निर्यात-आयात बैंक के माध्यम से विदेशी देशों को किफायती ऋण श्रृंखला प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत, ब्याज समकरण सहायता (अर्थात भारत के निर्यात-आयात बैंक की ब्याज-दर और उस रियायती ब्याज दर जिस पर ऋण-श्रृंखला दी जाती है, के बीच अंतर की राशि), प्रदान करती है। अधिकांश मामलों में, मूल राशि की अदायगी और ब्याज-अदायगी की भारत सरकार की प्रतिगारंटी भी एक्जिम बैंक को दी जाती है। अप्रैल से अक्तूबर, 2012 तक, 145.96 करोड़ रुपए की ब्याज समकरण सहायता मुहैया कराई गई है। 2012-13 के दौरान, इस विभाग ने भारत के एक्जिम बैंक की भारत सरकार समर्थित ऋण-श्रृंखलाओं को मंजूरी दी है। इनकी कुल राशि 310.52 मिलियन अमरीकी डालर है।

1.5 राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)

स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और अभिनव परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि सृजित की गयी है। भारत में उत्पादित कोयले पर और आयातित कोयले पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाया जा रहा है। शर्त के अनुसार, इस प्रकार संग्रहित किए गए उपकर को राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में अंतरित कर दिया जाता है। अभिज्ञात योजनाओं पर होने वाले व्यय का प्रावधान अनेक मंत्रालयों/विभागों की अनुदान-मांगों में किया जा रहा है।

1.6 वित्तीय सेक्टर विधायी सुधार आयोग

सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री बी.एन.श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में वित्तीय सेक्टर विधायी सुधार आयोग

गठित किया है। यह वित्तीय सेक्टर के कानूनों, नियमों और विनियमों को पुनः बनाने और संगत करने के लिए किया गया है ताकि इस सेक्टर की समसामयिक आवश्यकताओं का समाधान किया जा सके। इस आयोग से यह उम्मीद है कि यह अपनी रिर्पोट 24 माह की अवधि के भीतर दे देगा जो मार्च, 2013 में पूरी होती है।

1.7 निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीआई)

सरकार ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अनुमोदनों/स्वीकृतियों के संबंध में शीघ्र निर्णय लेने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति गठित की है। यह समिति, विभिन्न लाइसेंसों, अनुज्ञाओं एवं अनुमोदनों को त्वरित एवं समयबद्ध समय-सीमा में प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए, बड़ी परियोजनाओं की मानीटरी एवं समीक्षा करेगी। इससे, विभिन्न अनुमोदनों और स्वीकृतियों के अनुसार, पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाकर निवेश परिवेश के सुधरने की आशा है। इससे निजी क्षेत्र निवेशों को जुटाने, उत्पादकारी नियोजन सृजित करने और अर्थव्यवस्था एवं अवसंरचना में सुधार लाने में भी मदद मिलेगी।

1.8 अवसंरचना ऋण निधि (आईडीएफ)

अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ऋण संवितरित करते समय बैंकों द्वारा सामना की जा रही एक मुख्य समस्या, इन परियोजनाओं में निहित आस्ति देयता असंतुलन है। इसलिए बैंक अनेक ऐसी परियोजनाओं का वित्तपोषण करने से मना कर देते हैं। उम्मीद है कि ऋण वृद्धि के अभिनव साधनों के माध्यम से अवसंरचना ऋण निधि बीमा और पेंशन निधियों जैसी बचतों के स्रोत का दोहन करके अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घावधिक कम लागत वाला ऋण प्रदान करेगी। बीमा और पेंशन निधियों जैसी बचतों ने भारत में अवसंरचना के वित्तपोषण में अब तक अपेक्षाकृत सीमित भूमिका निभायी है। इसके अतिरिक्त, एनबीएफसी के रूप में स्थापित अवसंरचना ऋण निधि केवल उन सरकारी-निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं में निवेश करेगी जिन्हें वाणिज्यिक कार्य करते हुए सफलतापूर्वक एक वर्ष हो गया है। अवसंरचना ऋण निधि से होने वाली आय को आय कर छूट प्राप्त है। इस निधि के उधारों पर ब्याज अदायगी के संबंध में विदहोल्डिंग टैक्स भी मौजूदा 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की अनुमति दी गई है। परियोजना प्राधिकारी से प्राप्त बाइ-आउट गारंटी से आईडीएफ-एनबीएफसी एनपीए को बिल्कुल समाप्त करने अर्थात जीरो स्तर पर बनाए रखी जा सकेगी और सस्ती दरों पर निधियां जुटायी जा सकेंगी। आईडीएफ द्वारा प्रदत्त कम ब्याज वाले दीर्घकालिक ऋण से, अवसंरचना सेवाओं की लागत और टैरिफ कम हो जाएगा। आईडीएफ द्वारा मौजूदा बैंक ऋणों को लेने से, अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा नए ऋण के लिए समतुल्य राशि जारी की जाएगी। इस प्रकार, आईडीएफ ऐसे निकायों के लिए एक आकर्षक विकल्प प्रस्तुत करेगी जो अपेक्षाकृत दीर्घकालिक प्रत्याभूत लिखतों में निवेश करना चाहते हैं।

1.9 कर-मुक्त बांड

सरकार ने वित्त वर्ष 2012-13 के लिए 54,500 करोड़ रुपए की राशि जो वित्त वर्ष 2011-12 में 30,000 करोड़ रुपए से दुगुनी है, की राशि के कर-मुक्त बांडों के निर्गमन की अनुमति भी दी है। इन बांडों से, खुदरा और गैर-खुदरा निवेशकों को आकर्षक कूपन रेट, जो सरकारी प्रतिभूति दरों से संबद्ध हैं, का प्रस्ताव करके, देश के अवंसरचना विकास के लिए अधिक जरूरी दीर्घकालिक निधियां जुटायी जाएंगी।

1.10 राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना (आरजीईएसएस)

सरकार ने पहली बार सिर्फ प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों के लिए ''राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना'' (आरजीईएसएस) नामक एक नई कर बचत योजना 23 नवंबर, 2012 को अधिसूचित की है। इस योजना में उन नए निवेशकों के लिए उस वर्ष के लिए कर योग्य आय से निवेशित राशि के 50 प्रतिशत कटौती देने की व्यवस्था है जो 50,000 रुपए तक का निवेश करते हैं तथा जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए से कम है। सेबी ने संचालनात्मक दिशा-निर्देश 6 दिसंबर, 2012 को जारी किए हैं।

1.11 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा को शीर्ष सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य बनाया जाना

केंद्रीय बजट 2012-13 में यह घोषणा की गई थी कि शीर्ष सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरहोल्डरों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा देना उन कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। सेबी ने इस संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा इक्विटी सूचीयन करार में आवश्यक संशोधन करने के लिए 13 जुलाई, 2012 को प्रस्ताव किया। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में किए जाने वाले कारोबारों के संबंध में, बाजार पूंजीकरण के आधार पर, पोस्टल बैलट के माध्यम से चुनी गयी शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की शुरुआत करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। शेयरहोल्डरों की जिन बैठकों के लिए नोटिस 01 अक्तूबर, 2012 को या उसके पश्चात जारी किए गए हैं, उनके लिए इसे लागू किया गया है।

1.12 लघु और मझोले उद्यमों के लिए पृथक व्यापारिक प्लेटफार्मों की शुरुआत

लघु और मझोले उद्यमों के लिए पृथक व्यापारिक प्लेटफार्मों की शुरुआत की गयी तथा इन्होंने बीएसई और एनएसई में क्रमशः मार्च, 2012 एवं सितंबर, 2012 में काम करना शुरू कर दिया है। 14 जनवरी 2013 तक, बीएसई एवं एनएसई लघु एवं मझोले प्लेटफार्मों में सूचीबद्ध इक्विटियों की संख्या क्रमशः 12 और 2 रही।

1.13 नकद डिलीवरी संव्यवहारों के लिए प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) 20 प्रतिशत तक कम

केंद्रीय बजट 2012-13 की उदघोषणा के अनुसरण में, नकद बाजार में डिलीवरी आधारित संव्यवहारों के लिए एसटीटी की दर 01 जुलाई, 2012 से 0.125 प्रतिशत से 20 प्रतिशत घटाकर 0.1 प्रतिशत की गयी है।

1.14 स्टॉक एक्सचेंजों, समाशोधन निगमों एवं निक्षेपागारों के अभिशासन और स्वामित्व के लिए बेहतर विनियामक फ्रेमवर्क

डॉ. बिमल जालान समिति की सिफारिशों के आधार पर, प्रतिभूति बाजार अवसंरचना संस्थाओं जैसे निक्षेपागारों, समाशोधन निगमों और स्टॉक एक्सचेंजों की स्वामित्व संरचना एवं अभिशासन संबंधी संशोधित नीति को 02 अप्रैल, 2012 को अंतिम रूप दिया गया था। उसके आधार पर, स्टॉक एक्सचेंजों और समाशोधन निगमों में मान्यता, स्वामित्व और अभिशासन को विनियमित करने के लिए; एक नया विनियमन द्व प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियमन, 2012 को 20 जून, 2012 को अधिसूचित किया गया। इसके अतिरिक्त, निक्षेपागारों के स्वामित्व और अभिशासन को विनियमित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और भागीदारी) (संशोधन) विनियम, 2012 को 11 सितंबर, 2012 से लागू किया गया है।

1.15 मान्यता-समाप्त/अक्रियाशील स्टॉक एक्सचेंजों के लिए निकासी नीति के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने स्टॉक एक्सचेजों के लिए ''मान्यता-समाप्त/अक्रियाशील स्टॉक एक्सचेंजों के लिए निकासी नीति'' संबंधी नीति अपने तारीख 30 मई, 2012 के परिपत्र (परि/एमआरडी/डीएसए/14/2012) द्वारा संशोधित कर दी है। इस नीति में गैर-निष्पादनकारी स्टॉक एक्सचेंजों की मान्यता-समाप्त (स्वैच्छिक/अनिवार्य) करने का उपबंध है।

परिणाम बजट 2011-12 की प्रास्थिति

क्र. सं.	स्कीम/कार्य का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12 (₹ करोड़)		प्रमात्रात्मक प्रदाय/वास्तविक उपलब्धियां	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	जोखिम कारक	31 मार्च, 2012 तक की स्थिति
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
1.	**मुख्य शीर्ष 3054 - मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त उद्ग्रहणों हेतु रेलवे सुरक्षा निर्माण के लिए अंशदान। (आयोजना)**	इस स्कीम के अधीन केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत धनराशि का प्रयोग मानव-तैनात व्यस्त रेलवे क्रासिंग्स पर ऊपर के और नीचे के पुलों के निर्माण तथा मानव-रहित रेलवे क्रासिंग्स पर रेल सुरक्षा कार्यों में वित्त पोषण हेतु किया जाएगा ताकि सुरक्षित और सुचारु यातायात सुनिश्चित किया जा सके।	1040.63	1059.56	- 800 स्थानों (संशोधित लक्ष्य 1500) पर व्यक्तियों की तैनाती। - 160 स्थानों पर उठाए जाने वाले अवरोध। - 1011 स्थानों पर आधारभूत अव-संरचना। - मानव तैनाती वाले सभी गेटों पर टेलीफोन लगाया जाना। - 386 स्थानों पर इंटरलॉकिंग। - सीमित ऊचाई वाले 150 सबवे का निर्माण। - सड़क के उपर के/नीचे के 100 पुलों का निर्माण।	- मानवरहित लेवल क्रॉसिंग के संचालन के लिए, गेटेड/लिफ्टिंग बैरियर्स का निमार्ण किया जाना है और डयूटी हट्स/गेट लॉजों का निर्माण गेटकीपरों के लिए किया जाना है। योग्य/ उपयुक्त इच्छुक चौकीदारों का चयन किया जाना है और उन्हें फाटकों पर तैनात किया जाना है। - सिग्नल प्रणाली और टेलीफोनों को लेवल क्रॉसिंग स्थान से जोड़ने हेतु स्टेशन/लेवल क्रॉसिंग स्थान के बीच केबल बिछाना।	सड़क के ऊपर/नीचे पुलों का निर्माण करना रेलवे तथा राज्य सरकार/स्थानीय निकायों का संयुक्त कार्य है। कभी-कभी राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा, संविदात्मक समस्याओं, भूमि की अनुपलब्धता अनधिकृत कब्जों/ वित्तीय साधनों की कमी आदि की वजह से कार्य को समय पर न शुरू किए जाने के कारण निर्माण कार्य में विलम्ब हो जाता है।	1059.56 करोड़ रुपए पूरे परिव्यय की राशि जारी की जा चुकी है। निम्नलिखित उप-लब्धियां हासिल हुई हैं: - 1258 स्थानों पर आदमियों की तैनाती। - 117 स्थानों पर लिफ्टिंग बैरियर्स। - 958 स्थानों पर बुनियादी अवसंरचना का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। - 422 स्थानों पर इंटरलॉकिंग। - 650 स्थानों पर टेलीफोन। - 653 सबवेज का निर्माण कार्य पूरा हुआ। - सड़क के ऊपर/ नीचे 83 पुलों का निर्माण कार्य पूरा हुआ। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा किया गया सम्पर्क सड़कों का निर्माण कार्य सम्मिलित है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
2.	**मुख्य शीर्ष 5475 - अवसंरचना विकास के लिए सहायता, अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी)**	व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण का प्रावधान करके अवसंरचना क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।	499.37 (आयोजना)	300.00 (आयोजना)	इस स्कीम के अंतर्गत 84 प्रस्तावों को सशक्त संस्था द्वारा सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान किया गया। 25 प्रस्तावों के लिए वित्तीय परिसमापन की स्थिति प्राप्त हो गयी है और इनमें से 14 प्रस्तावों को प्रीमियम पर दिया गया है जिनमें व्यवहार्यता अंतराल वित्त-पोषण की आवश्यकता नहीं होगी।	'सिद्धांततः' अनुमोदित और अंतिम संवितरण के बीच समयांतर होता है। सामान्यतः किसी प्रस्ताव को सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात, बोली की प्रक्रिया और वित्तीय समापन में 12 से 18 माह का समय लगता है।	परियोजना निर्माण कार्य शुरू होने के बाद, निधि का संवितरण किया जाता है, और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए निजी पक्षकार अपनी इक्विटी शेयर का निवेश करता है।	प्रायोजन प्राधिकारियों द्वारा मांगी गयी आवश्यकता के आधार पर ब.अनु. 2011-12 में 499.37 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसे सं.अनु. स्तर पर घटाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया गया था। यह कमी मुख्यतया मुम्बई मेट्रोलाइन 2 परियोजना, जहां 2011-12 में 200.00 करोड़ रुपए की वीजीएफ राशि अपेक्षित होने का अनुमान लगाया गया था, के क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण की गयी। तथापि, 2011-12 में इस परियोजना के लिए वीजीएफ की कोई आवश्यकता नहीं हुई। 300.00 करोड़ की संपूर्ण राशि संवितरित कर दी गयी।
3.	**मुख्य शीर्ष 3475 - भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता**	इसका उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक हितों को विदेशों में बढ़ावा देना और दीर्घावाधिक स्थायी आर्थिक संबंध विकसित करना है। इस स्कीम में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सरकार समर्थित ऋण श्रृंखला हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता भी प्रदान करने की व्यवस्था है।	139.69	139.00	अंगोला, बुर्किना फासो, कम्बोडिया, चाड, कांगो, कोट डी आइवर, जीबूती आदि जैसे देशों के साथ भारतीय निर्यातों में वृद्धि, नीतिगत एवं आर्थिक संबंधों को विकसित करने के लिए प्रदत्त भारत सरकार समर्थित एक्जिम बैंक क्रेडिट श्रृंखलाओं के संबंध में भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाती है।	इन निधियों का उपयोग 31 मार्च, 2012 तक किया जाना था।	यदि प्राप्तकर्त्ता देश द्वारा अदायगी में चूक हो जाती है तो भारत सरकार एक्जिम बैंक को इस राशि का वापसी भुगतान करेगी क्योंकि ऋण श्रृंखलाओं के लिए एक्जिम बैंक को भारत सरकार की प्रतिगारंटी दी हुई है।	वर्ष 2011-12 के दौरान ब्याज समकरण सहायता के तौर पर 139.48 करोड़ रुपए की राशि भारतीय निर्यात आयात बैंक को दे दी गई है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
4.	**मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग, कोलंबो योजना के अंतर्गत तथा दक्षिण पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता; अंशदान**	कोलंबो प्लान के अंतर्गत, भारतीय संस्थानों द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों के जरिए मानव संसाधन विकास को सहायता उपलब्ध कराते हुए, देशों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।	3.00	1.10	कोलंबो प्लान देशों से प्रत्येक वर्ष 410 विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के जरिए मानव संसाधन विकास।	कोलम्बो प्लान देशों को अनवरत तकनीकी सहायता के जरिए स्थायी आर्थिक संबंधों का संवर्धन।	इसमें कोई जोखिम कारक शामिल नहीं है क्योंकि निधियों का उपयोग कालम 3 में बताए गए उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।	विभिन्न कोलम्बो योजना देशों से विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के संबंध में वित्तीय देनदारियों को पूरा करने के लिए ₹1.70 करोड़ की राशि खर्च की गई है।

विगत कार्य-निष्पादन की समीक्षा
परिणाम बजट 2012-13 की प्रास्थिति

क्र. सं.	स्कीम/कार्य का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012 - 13 (₹ करोड़)			प्रमात्रात्मक प्रदाय/वास्तविक उपलब्धियां	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	जोखिम कारक	31 दिसम्बर, 2012 तक की स्थिति
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.	4(iii) ब.बाह्य संसाधन				
1.	**मुख्य शीर्ष 3054 - मोटर स्पिरिट तथा हाई-स्पीड डीजल पर अतिरिक्त उद्ग्रहणों हेतु रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए अंशदान (आयोजना)**	इस स्कीम के अधीन केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम के अंतर्गत धनराशि का प्रयोग मानवरहित रेलवे क्रासिंग्स पर रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों और रेलवे उपरि-सेतुओं/अधोसेतुओं के निर्माण के वित्त पोषण हेतु किया जाता है ताकि यातायात के लिए सहज और सुरक्षित मार्ग मुहैया कराया जा सके।	1102.45	1102.45	...	- 2500 स्थानों (संशोधित लक्ष्य 1735) पर आदमियों की तैनाती। - 200 स्थानों पर उठाए जाने वाले अवरोधव। - 755 स्थानों पर बुनियादी अवसंरचना। - तैनाती वाले सभी गेटों पर टेलीफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। - 300 स्थानों पर इंटरलॉकिंग। - 821 सबवे का निर्माण। - सड़क के ऊपर/नीचे के 100 पुलों का निर्माण।	- मानवरहित लेवल क्रॉसिंग के संचालन के लिए फाटकों/उठाए जाने वाले अवरोधों का, और गेटकीपरों के लिए ड्यूटी कुटीरों/फाटकों लॉजों का निर्माण किया जाना है। योग्य/उपयुक्त इच्छुक चौकीदारों का चयन करके उन्हें फाटकों पर तैनात किया जाना है। - सिग्नल प्रणाली और टेलीफोन को आपस में जोड़ने के लिए स्टेशन/ लेवल क्रॉसिंग स्थल के बीच केबल बिछाना।	सड़क के ऊपर/नीचे के पुलों का निर्माण करना रेलवे तथा राज्य सरकार/ स्थानीय निकायों का संयुक्त कार्य है। कभी-कभी संविदागत समस्याओं, भूमि की अनुपलब्धता के कारण, तथा वित्तीय तंगी/ अनधिकृत कब्जों इत्यादि की वजह से राज्य सरकार/ स्थानीय निकायों के समय पर कार्य न शुरू किए जाने के कारण निर्माण कार्य में विलम्ब हो जाता है।	दिसंबर, 2012 तक 551.22 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। निम्नलिखित उप-लब्धियां हुई हैं: - 647 स्थानों पर तैनाती की गई। 520 स्थानों पर अवसंरचना का कार्य पूरा, पर तैनाती नहीं की गई। - 97 स्थानों पर उठाए जाने वाले अवरोधव - 630 स्थानों पर बुनियादी अवसंरचना का निर्माण कार्य पूर्ण। - 321 स्थानों पर इंटरलॉकिंग। - 241 स्थानों पर टेलीफोन लगाए गए। - दिसंबर, 2012 तक 280 सबवे का निर्माण कार्य पूरा हुआ। - सड़क के ऊपर/ नीचे के 42 पुलों का निर्माण कार्य पूरा हुआ।

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.	4(iii) ब.बाह्य संसाधन				
2.	**मुख्य शीर्ष 5475 - अवसंरचना विकास के लिए सहायता, अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) (आयोजना)**	व्यवहार्यता अंतराल वित्त-पोषण का प्रावधान करके, अवसंरचना क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।	437.55 (आयोजना)	437.55 (आयोजना)		... 145 प्रस्तावों को सशक्त संस्था द्वारा सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान किया गया। 45 प्रस्तावों के संबंध में वित्तीय समापन प्राप्त हो गया है जिनमें से 14 प्रस्तावों को प्रीमियम पर दिया गया, जहां वीजीएफ की आवश्यकता नहीं होगी।	सिद्धांततः अनुमोदित और अंतिम संवितरण के बीच समयांतर होता है और सामान्यतः किसी प्रस्ताव में सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात, बोली की प्रक्रिया से/ वित्तीय समापन तक 12 से 18 माह का समय लगता है।	परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो जाने, तथा प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए चयनित निजी पक्षकार के अपने इक्विटी शेयर का निवेश कर दिए जाने के बाद, संवितरण होता है।	ब.अनु. 2012-13 में 437.55 करोड़ रुपए का प्रावधान, प्रायोजक प्राधिकरणों द्वारा की गई मांग के आधार पर, किया गया था और अनुमोदित परियोजनाओं के लिए शेष वीजीएफ अभी संवितरित किया जाना है। विद्युत पारेषण लाइन की कुल 492 किमी. एवं 110 किमी. की 12 सड़क परियाजनाओं के लिए, दिसंबर, 2012 तक 351.65 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है।

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.	4(iii) ब.बाह्य संसाधन				
3.	**मुख्य शीर्ष 3475 - भारतीय निर्यात आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता (आयोजना-भिन्न)**	इसका उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक हितों को विदेशों में बढ़ावा देना और स्थायी आर्थिक सम्बन्ध विकसित करना है। यह स्कीम, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सरकार समर्थित ऋण श्रृंखला हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता भी प्रदान करती है।	225.00	290.00	...	अंगोला, बुर्किना फासो, कम्बोडिया, चाड, कांगो, कोट-डी-आइवर, जिबूती आदि जैसे देशों के साथ भारतीय निर्यातों में वृद्धि, नीतिगत और आर्थिक संबंध विकसित करने आदि के लिए प्रदान की गई। भारत सरकार समर्थित भारतीय आयात बैंक ऋण श्रृंखलाओं के संबंध में भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता भारत सरकार द्वारा दी जानी है।	इन निधियों का उपयोग 31 मार्च, 2013 तक किया जाना है।	यदि प्राप्तकर्ता देश द्वारा अदायगी में चूक हो जाती है तो भारत सरकार एक्जिम बैंक को यह राशि अदा करेगी क्योंकि स्वीकृत ऋण श्रृंखलाओं के लिए एक्जिम बैंक को भारत सरकार की प्रति-गारंटी दी हुई है।	वर्ष 2012-13 के दौरान 31 दिसम्बर, 2012 तक, ब्याज समीकरण सहायता के तौर पर 145.97 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान एक्जिम बैंक को किया गया है।
4.	**मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग, कोलंबो योजना के अंतर्गत तथा दक्षिण पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता।** **अंशदान**	भारतीय संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के माध्यम से मानव संसाधन विकास को सहायता प्रदान करके, कोलंबो योजना के अंतर्गत देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना ।	1.00	1.62	...	कोलंबो योजना देशों से प्रत्येक वर्ष 410 विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा देकर मानव संसाधन विकास।	अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, फिजी, इंडोनेशिया, ईरान, कोरिया, मलेशिया, लाओस, नेपाल, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, श्रीलंका, पापुआ, न्यू गिनी, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों को अनवरत तकनीकी सहायता के जरिए स्थायी आर्थिक संबंधों का संवर्धन।	इसमें कोई जोखिम कारक अंतर्विष्ट नहीं है क्योंकि निधियों का उपयोग कालम 3 में उल्लिखित उद्देश्य हेतु किया जा रहा है ।	कोलम्बो योजना से संबंधित कार्य अप्रैल, 2010 से विदेश मंत्रालय को अंतरित हो गया है। विभिन्न कोलम्बो प्लान देशों के विद्यार्थियों के संबंध में शेष वित्तीय देनदारियों को पूरा करने के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान दिसंबर, 2012 तक 0.26 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। इन विद्यार्थियों को 2009-10 तक भारत के भिन्न-भिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण दिया गया था।

अनुदान सं.33-आर्थिक कार्य विभाग के तहत योजनाओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़)

क्र.सं.	योजना	2011-2012			2012-13			2013-2014
		ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक	ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक (दिसम्बर 2012 तक)*	ब.अनु.
1.	अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी), व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) (मु.शीर्ष 5475) - आयोजना	499.37	300.00	300.00	437.55	437.55	351.65	678.00
2.	मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त लेवी के प्रति रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए अंशदान (मु.शीर्ष 3054) - आयोजना	1040.63	1059.56	1059.56	1102.45	1102.45	551.22	1102.45
3.	भारत के निर्यात आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता (मु.शीर्ष 3475) - आयोजना-भिन्न	139.69	139.00	139.48	225.00	290.00	145.97	416.50
4.	अन्य देशों के साथ तकनीकी आर्थिक सहयोग - कोलम्बो योजना के तहत दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता (मु.शीर्ष 3605) - आयोजना-भिन्न	3.00	1.10	1.70	1.00	1.62	0.26	0.50
	जोड़	**1682.69**	**1499.66**	**1500.74**	**1766.00**	**1831.62**	**1049.10**	**2197.45**

* *अनन्तिम*

वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की स्थिति की तुलना में हुआ वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

विवरण	मुख्य शीर्ष	2010-11			2011-12			2012-13		
		ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक	ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक	ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक (दिसम्बर 2012 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भाग-क आयोजना-भिन्न मद										
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	**2052**	**70.37**	**79.30**	**71.37**	**84.71**	**76.68**	**75.80**	**81.03**	**88.23**	**60.67**
अन्य राजकोषीय सेवाएं										
राष्ट्रीय बचत संस्थान	2047	11.48	12.25	11.21	12.40	12.45	13.61	12.94	12.41	10.15
अनिवार्य जमा (आयकर दाता योजना, 1974) के अन्तर्गत जमाराशियों पर ब्याज	2047	0.10	0.05	0.00	0.03	0.03	0.01	0.05	0.03	0.01
अन्य व्यय	2047	0.21	0.21	0.20	0.23	0.24	0.47	0.21	0.20	0.03
जोड़	**2047**	**11.79**	**12.51**	**11.41**	**12.66**	**12.72**	**14.09**	**13.20**	**12.64**	**10.19**
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
14वां वित्त आयोग	2070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6.34	0.04
वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी)	2070	0.00	0.00	0.00	1.00	4.40	4.21	5.10	4.86	1.50
अन्य व्यय (प्रति.अपील अधि.)	2070	3.72	3.88	3.28	3.28	3.87	3.24	4.05	5.57	1.46
जोड़	**2070**	**3.72**	**3.88**	**3.28**	**4.28**	**8.27**	**7.45**	**12.15**	**16.77**	**3.00**
विविध सामान्य सेवाएं										
गारंटी मोचन निधि	2075	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	200.00
अन्य कार्यक्रम	2075	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
जोड़	**2075**	**300.03**	**300.01**	**300.01**	**300.01**	**300.01**	**300.00**	**300.01**	**300.01**	**200.01**
सामान्य शिक्षा										
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण										
संरक्षित बचत स्कीम (अन्य प्रभार)	2235	0.10	0.14	0.03	0.14	0.05	0.00	0.10	0.05	0.00
जोड़	**2235**	**0.10**	**0.14**	**0.03**	**0.14**	**0.05**	**0.00**	**0.10**	**0.05**	**0.00**
अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफडी)	2416	40.00	35.52	35.52	40.00	39.76	39.76	50.00	54.00	0.00
जोड़	**2416**	**40.00**	**35.52**	**35.52**	**40.00**	**39.76**	**39.76**	**50.00**	**54.00**	**0.00**
अन्य परिवहन सेवाएं										
लाभांश राहत और अन्य रियायतों के लिए रेलवे को सब्सिडी	3075	2829.88	2190.87	2013.27	3022.61	2598.26	2034.37	3003.89	2384.23	1001.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइनों के संचालन पर हानियां	3075	600.00	648.97	634.38	657.92	652.00	652.00	600.00	637.00	200.00
जोड़	**3075**	**3429.88**	**2839.84**	**2647.65**	**3680.53**	**3250.26**	**2686.37**	**3603.89**	**3021.23**	**1201.27**
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं										
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय निर्धारण प्रभार	3466	2.19	0.22	0.00	0.23	0.39	0.38	0.42	0.38	0.38
अफगानिस्तान पुनर्निर्माण न्यास निधि	3466	1.00	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विश्व बैंक पीपीए	3466	12.50	6.00	8.09	7.50	1.87	1.78	0.01	0.00	0.00
साउथ एक्सपीरियंस विनिमय न्यास निधि (एसईईटीएफ)	3466	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़	**3466**	**15.69**	**9.55**	**9.02**	**7.73**	**2.26**	**2.16**	**0.43**	**0.38**	**0.38**
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
अंतरराष्ट्रीय सहयोग	3475	9.23	19.33	18.64	19.33	20.73	19.91	20.55	21.23	0.22
अन्य प्रभार/आईईएस/टोक्यो, बीजिंग और वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास	3475	11.61	16.58	13.22	20.25	17.92	15.94	19.80	18.69	15.36
अन्य संस्थाओं को सहायता अनुदान	3475	2.60	2.77	2.75	2.93	22.93	22.90	3.23	28.22	1.71
यूएन एजेंसियों में गैर-भारतीय कार्मिकों पर सीमाशुल्क और आयात शुल्क	3475	0.03	0.01	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.02	0.00
अनिवासी भारतीय बांड योजना के अंतर्गत मुद्रा हानि	3475	0.50	0.50	2.85	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता	3475	130.00	127.77	127.70	139.69	139.00	139.48	225.00	290.00	145.97
यमन सरकार को दी गयी ऋण श्रृंखला के बारे में बकाया देयों की माफी	3475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	0.00
तुर्कमेनिस्तान सरकार को 1995 में विस्तारित ऋण श्रृंखला के तहत देय बकाया और बकाया ऋणों पर ब्याज/दंडात्मक ब्याज को माफ करना	3475	0.00	24.50	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सेशेल्स गणराज्य को दिए गए ऋणों के बकाया और उन पर ब्याज को माफ करना	3475	0.00	0.00	0.00	18.00	6.22	6.24	3.53	3.56	1.79
कज़ाकस्तान सरकार को 1993 में विस्तारित ऋण श्रृंखला के अंतर्गत देय बकाया और बकाया ऋणों पर ब्याज/ दंडात्मक ब्याज ब्याज को माफ करना	3475	0.00	0.00	0.00	0.00	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उजबेकिस्तान सरकार को 1994 में विस्तारित ऋण श्रृंखला के अंतर्गत देय बकाया और बकाया ऋणों पर ब्याज/ दंडात्मक ब्याज ब्याज को माफ करना	3475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.39	0.00	0.00	0.00
जोड़	**3475**	**153.97**	**191.46**	**189.60**	**200.73**	**242.64**	**239.77**	**272.64**	**363.79**	**165.05**
अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग										
यूएनडीपी को अंशदान	3605	22.55	21.59	21.55	22.55	21.21	21.20	22.55	24.72	0.00
अन्य देशों के साथ सहयोग	3605	19.52	18.58	5.92	14.06	12.67	1.76	1.07	1.68	0.26
वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ)	3605	0.00	0.00	10.10	0.00	0.00	11.75	11.00	12.54	12.54
एशियाई विकास बैंक की 46वीं वार्षिक आम बैठक	3605	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.07	8.38	16.00	0.59
जोड़	**3605**	**42.07**	**40.17**	**37.57**	**36.61**	**34.03**	**34.78**	**43.00**	**54.94**	**13.39**
मुद्रा, सिक्का एवं टकसालों का पूंजी परिव्यय										
एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद	4046	1063.20	1852.00	1463.42	1584.80	1225.00	1225.00	1645.35	1000.00	484.70
विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय										
बजट प्रेस के लिए मशीन की खरीद	4075	3.00	2.50	2.17	1.50	1.47	1.44	3.00	3.91	0.00
सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थाओं में निवेश										
नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	5465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	5465	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)	5465	0.00	0.00	0.00	0.00	501.90	501.90	0.00	0.00	0.00
जोड़	**5465**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400.00**	**501.90**	**501.90**	**400.00**	**1.00**	**0.00**
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश										
आईबीआरडी को अभिदान	5466	0.00	0.00	0.00	183.65	183.65	206.11	183.65	205.04	0.00
अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को अभिदान	5466	0.01	0.01	0.00	0.01	9.17	9.18	0.00	0.00	0.00
एशियाई विकास बैंक को अभिदान	5466	216.19	199.85	199.85	199.85	205.52	205.52	205.53	234.95	234.95
अफ्रीकी विकास निधि पहल को अभिदान	5466	14.93	37.37	37.36	22.12	22.12	22.11	22.21	22.11	0.00
अफ्रीकी विकास निधि को बहुपक्षीय ऋण सहायता का भुगतान	5466	0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	1.83	2.13	2.11	0.00
अफ्रीकी विकास बैंक को अभिदान	5466	0.01	5.21	5.03	5.21	0.01	0.00	5.35	5.85	5.89
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अभिदान (प्रतिभूतियों में)	5466	0.01	0.00	6243.43	11729.41	0.00	2444.53	42000.00	0.00	0.00
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अभिदान (नकद)	5466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14000.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मूल्य अनुरक्षण दायित्व (एमओवी)	5466	0.01	0.00	0.00	0.01	1609.79	1609.78	0.01	4005.44	4005.44
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उधार संसाधनों के लिए भारत का अंशदान	5466	63.67	63.67	2.85	50.00	25.00	0.00	50.00	2.16	0.00
जोड़	**5466**	**294.83**	**306.11**	**6488.52**	**12192.09**	**2057.09**	**4499.06**	**56468.88**	**4477.66**	**4246.28**
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय										
पीपीपी के मुख्य क्रियाकलाप	5475	2.10	1.12	0.83	0.80	2.67	1.70	1.30	1.17	0.32
भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ)	5475	7.00	7.00	6.75	5.00	9.00	7.00	5.00	4.50	0.43
जोड़	**5475**	**9.10**	**8.12**	**7.58**	**5.80**	**11.67**	**8.70**	**6.30**	**5.67**	**0.75**
नई उधार व्यवस्था के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष को अन्य आर्थिक सेवाआ ऋणों के लिए ऋण	7475	0.00	0.00	0.00	0.00	9003.04	7269.58	0.00	11294.60	0.00
जोड़	**7475**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9003.04**	**7269.58**	**0.00**	**11294.60**	**0.00**
विदेशी सरकारों को अग्रिम ऋण										
श्रीलंका	7605	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़		**5437.76**	**5681.11**	**11267.15**	**18551.59**	**16766.85**	**16905.86**	**62899.98**	**20694.88**	**6385.69**
जोड़ आयोजना-भिन्न										
भाग-ख योजना मद										
असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि	2235	1000.00	1000.00	1000.00	500.00	500.00	500.00	1000.00	120.00	0.00
नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा	2810	0.00	0.00	0.00	0.00	1066.46	1066.46	1500.00	1500.00	750.00
सड़क एवं पुल	3054	1753.46	1865.62	1865.62	2081.26	2119.12	2119.12	2204.90	2204.90	1102.44
अवसंरचना विकास के लिए सहायता - वीजीएफ	5475	480.26	125.00	125.00	499.37	300.00	300.00	437.55	437.55	351.65
कुल योजना		**3233.72**	**2990.62**	**2990.62**	**3080.63**	**3985.58**	**3985.58**	**5142.45**	**4262.45**	**2204.09**
कुल जोड़		***8671.48***	***8671.73***	***14257.77***	***21632.22***	***20752.43***	***20891.44***	***68042.43***	***24957.33***	***8589.78***

वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की तुलना में हुआ मद शीर्ष-वार वास्तविक व्यय

(सकल) (करोड़ रुपए)

विवरण	2010-11			2011-12			2012-13		
	ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक	ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक	ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक (दिसम्बर 2012 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस्व खंड									
01-वेतन	52.96	57.30	53.65	59.17	52.32	58.99	59.50	66.23	51.78
02-मजदूरी	0.43	0.36	0.36	0.45	0.28	0.39	0.31	0.44	0.30
03-समयोपरि भत्ता	0.40	0.30	0.24	0.41	0.17	0.13	0.22	0.16	0.05
06-चिकित्सा उपचार	1.12	0.96	1.02	1.35	1.17	0.77	1.43	1.22	0.77
11-घरेलू यात्रा व्यय	1.75	2.38	2.00	2.15	2.54	2.10	2.54	2.29	1.22
12-विदेशी यात्रा व्यय	4.77	5.07	4.49	5.82	5.82	5.00	6.95	6.04	3.90
13-कार्यालय व्यय	8.36	8.18	8.41	8.38	8.99	8.73	9.00	8.14	5.36
14-किराया, दर एवं कर	3.45	4.19	2.08	4.65	4.30	2.49	4.80	8.99	0.70
16-प्रकाशन	4.20	3.75	3.69	4.37	5.27	4.96	5.27	5.19	4.73
20-अन्य प्रशासनिक व्यय	0.84	2.91	1.81	4.99	5.25	3.96	11.00	20.71	2.81
21-पूर्ति एवं सामग्री	1.05	1.05	0.77	1.05	0.85	0.74	0.85	0.77	0.19
26-विज्ञापन एवं प्रचार	0.56	0.72	0.53	0.65	0.61	1.86	0.65	0.50	0.04
27-लघु निर्माण कार्य	1.06	1.38	0.95	2.16	1.97	1.34	2.95	2.54	0.77
28-प्रोफेशनल सेवाएं	5.20	3.61	2.22	4.30	5.18	3.78	5.80	8.45	1.80
31-सामान्य सहायता अनुदान	2.61	2.79	2.75	2.95	22.95	22.90	3.25	28.23	0.56
32-अंशदान	92.47	98.53	99.90	96.11	94.55	94.85	105.34	114.37	12.84
33-सब्सिडी	3559.88	2967.61	2775.34	3820.22	3389.26	2825.84	3828.89	3311.23	1347.23
42-एकमुश्त	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
44-विनिमय घट-बढ़	0.50	0.50	2.85	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
45-ब्याज	0.14	0.08	0.03	0.09	0.09	0.02	0.09	0.04	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50-अन्य प्रभार	1023.22	21.23	13.32	26.36	19.91	17.12	20.27	17.90	15.29
51-मोटर वाहन	0.13	0.10	0.09	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11
52-मशीनरी एवं उपकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53-वृहद कार्य	876.73	932.81	932.81	1040.63	1059.56	1059.56	1102.45	1102.45	551.22
63-अंतर-खाता अंतरण	1176.73	2232.81	2232.81	1840.63	2926.02	2926.02	3902.45	3022.45	1501.22
64-बट्टे-खाते डालना/हानियां	0.00	24.50	24.44	18.00	41.52	41.54	3.53	5.63	1.78
सूचना प्रौद्योगिकी - अन्य प्रभार	2.50	4.88	4.51	3.15	3.06	2.56	3.18	2.85	1.71
जोड़ राजस्व	**6821.08**	**6378.00**	**6171.07**	**6948.66**	**7652.26**	**7085.77**	**9081.35**	**7736.94**	**3506.40**
पूंजी खंड									
32-अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
42-एकमुश्त	480.26	125.00	125.00	499.37	300.00	300.00	437.55	437.55	351.65
52-मशीनरी और उपकरण	3.00	2.50	2.17	1.50	1.47	1.45	3.00	3.91	0.00
55-ऋण एवं अग्रिम	0.01	0.00	0.00	0.00	9003.04	7269.58	0.00	11294.60	0.00
60-अन्य पूंजी व्यय	1126.87	1915.67	1466.27	1634.80	1250.00	1225.00	1695.35	1004.00	484.70
63-अंतर-खाता अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50-अन्य व्यय	9.10	8.12	7.58	5.80	11.67	8.69	6.30	5.67	0.75
54-निवेश	231.16	242.44	6485.68	12542.09	2033.99	4500.96	56818.88	4474.66	4246.28
पूंजी जोड़	**1850.40**	**2293.73**	**8086.70**	**14683.56**	**13100.17**	**13805.68**	**58961.08**	**17220.39**	**5083.38**
कुल जोड़	***8671.48***	***8671.73***	***14257.77***	***21632.22***	***20752.43***	***20891.44***	***68042.43***	***24957.33***	***8589.78***

वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान किए गए व्यय का विश्लेषण

आयोजना-भिन्न

मुख्य शीर्ष 2052 - सचिवालय सामान्य सेवाएं

इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के सचिवालय, जी-20 सचिवालय एवं करेंसी निदेशालय के व्यय के लिए रखा गया है। 2010-11 के दौरान, नए बने करेंसी निदेशालय के लिए सं.अनु. बढ़ा दिया गया है। सं.अनु. 2012-13 में कमी, जी-20 सचिवालय और करेंसी निदेशालय में पदों को न भरे जाने के कारण, की गई है। दिल्ली आर्थिक समागम सहित विभिन्न सम्मेलन आयोजित करने के लिए वेतनों, अन्य प्रशासनिक व्यय के कारण वर्धित आवश्यकता और प्रोफेशनल सेवाओं के लिए भी भुगतान की व्यवस्था के लिए सं.अनु. 2012-13 में प्रावधान बढ़ाया गया है। दिसंबर, 2012 तक हुए व्यय का प्रवाह संतोषजनक रहा है।

मुख्य शीर्ष 2047 - अन्य राजकोषीय सेवाएं

इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान राष्ट्रीय बचत संस्थान और इसके तहत क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के व्यय के लिए है। इसमें अनिवार्य निक्षेप (आयकर दाता) योजना, 1974 के अधीन जमाराशियों पर ब्याज, आईएमएफ रेजीडेंट आफिस की किराया लागत और अंतरराष्ट्रीय बचत बैंक संस्थाओं में भारत के अंशदान के संबंध में प्रावधान भी शामिल है। दिसंबर, 2012 तक हुए व्यय का प्रवाह संतोषजनक रहा है।

मुख्य शीर्ष 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं

इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान निवेश आयोग, 14वें वित्त आयोग, प्रतिभूति अपील अधिकरण और वित्तीय सेक्टर विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) के व्यय के लिए है। वर्ष 2010-11 में व्यय में कमी, जनवरी, 2010 में 13वें वित्त आयोग के समापन तथा निवेश आयोग के समापन के कारण हुई है। नए बने एफएसएलआरसी के लिए किए गए प्रावधान के कारण 2011-12 में वृद्धि की गई है। 14वें वित्त आयोग के अग्रिम कक्ष के लिए व्यवस्था करने हेतु ब.अनु. 2012-13 में वृद्धि की गयी है। 14वें वित्त आयोग के गठन के कारण उसके लिए किराया प्रभार आदि की व्यवस्था तथा प्रतिभूति अपील अधिकरण के किराए और बकायों का भी भुगतान करने के लिए ब.अनु. 2012-13 में किया गया प्रावधान सं.अनु. 2012-13 में बढ़ा दिया गया है।

मुख्य शीर्ष 2075 - विविध सामान्य सेवाएं

इस शीर्ष में प्रावधान कालातीत मामलों में केन्द्रीय प्रतिभूतियों पर ब्याज अदायगियों तथा सरकारी लेखाओं में जमा की गई दावा न की गयी प्रतिभूतियों के बारे में भुगतान के लिए है। 300.00 करोड़ रुपए का प्रावधान गारंटी मोचन निधि के अंतरण के लिए रखा जा रहा है।

मुख्य-शीर्ष 2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

यह प्रावधान संरक्षित बचत योजनाओं के लिए किया गया है।

मुख्य-शीर्ष 2416 - कृषि वित्तीय संस्थाएं

भारत अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) के संस्थापक देशों में है और उसने 8वें आपूरण तक आईएफएडी संसाधनों में अब तक 114 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान किया है। आईएफएडी ने 797.3 मिलियन अमरीकी डालर की वचनबद्धता के साथ 25 परियोजनाओं में सहायता की है। इनमें से, 15 परियोजनाएं समाप्त हो गयी हैं। इस समय, 378.8 मिलियन अमरीकी डालर की कुल सहायता से 10 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। 9वें आपूरण के लिए, भारत ने 30 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान करने की वचनबद्धता की है। इसका भुगतान 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में 10-10 मिलियन अमरीकी डालर की तीन किस्तों में किया जाएगा। भारत ने आईएफएडी संसाधनों के लिए 9वें आपूरण की पहली किस्त के रूप में 10 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान दिसंबर, 2012 में कर दिया है। ब.अनु. 2012-13 में किया गया 50.00 करोड़ रुपए का प्रावधान विनिमय दर घट-बढ़ के कारण बढ़ाकर 54.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आईएफएडी के प्रचालन क्षेत्रों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए निष्पादन आधारित आबंटन प्रणाली (पीबीएएस) चक्र 2013-15 के लिए, भारत को 133 मिलियन अमरीकी डालर आबंटित किए गए हैं।

मुख्य शीर्ष 3075 - अन्य परिवहन सेवाएं (रेलवे को लाभांश राहत और अन्य रियायतों के लिए सब्सिडी)

लाभांश राहत और अन्य रियायत के लिए रेलवे को दी जाने वाली सब्सिडी, सामान्य राजस्वों से रेलवे में निवेशित संपूर्ण पूंजी (लाभांश रहित पूंजी को छोड़कर) पर, रेल मंत्रालय द्वारा सामान्य राजस्वों में अदा किए जाने वाले लाभांश पर आधारित होती है। 2011-12 में, सामान्य राजस्वों को रेलवे द्वारा अदा किए जाने वाले लाभांश की दर, ''2011-12 के लिए लाभांश की दर और अन्य सहायक विषयों'' पर बनी रेलवे अभिसमय समिति (2009) की दूसरी रिपोर्ट में वर्णित सिफारिश संख्या 77 के द्वारा 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गयी थी। लाभांश राहत और अन्य रियायतों के संबंध में प्रदत्त सब्सिडी चल रहे पूंजीगत कार्य पर भी निर्भर करती है। इसी प्रकार, महत्वपूर्ण (स्ट्रेटेजिक) लाइनों के संचालन पर होने वाली हानियों की भरपाई ऐसी लाइनों के संचालन पर रेलवे के कार्यशील व्ययों पर निर्भर करती है। इस प्रकार हुए वास्तविक व्यय और किए गए प्रावधान के बीच अंतर होता है।

मुख्य शीर्ष 3466 - अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं

यह प्रावधान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय वार्षिक निर्धारण प्रभारों, अफगान पुनर्निर्माण न्यास निधि, विश्व बैंक तकनीकी सहायता ऋण और दक्षिण-दक्षिण एक्सपीरियंस विनिमय न्यास निधि में अंशदान के लिए है। सं.अनु. 2010-11 और सं.अनु. 2011-12 में, विश्व बैंक तकनीकी सहायता ऋण के लिए यह प्रावधान कम मांग के कारण घटा दिया गया था। दक्षिण-दक्षिण एक्सपीरियंस विनिमय न्यास निधि में विश्व बैंक को भारत के अंशदान के रूप में 500,000 अमरीकी डालर का एकमुश्त भुगतान करने के लिए 2010-11 की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच में सांकेतिक अनुपूरक अनुदान प्राप्त हो गया था। 2010-11 के दौरान सांस्कृतिक विरासत और संपोषणीय पर्यटन-न्यास निधि के संबंध में अंशदान के लिए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान भी प्राप्त हुआ।

मुख्य शीर्ष 3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

इस शीर्ष के अधीन, इस प्रावधान में तकनीकी सहायता के लिए राष्ट्रमंडल निधि, और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों, वाशिंगटन, टोकियो और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास के आर्थिक स्कन्ध, भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण, एशियाई विकास बैंक में भारत न्यास निधि, विनिमय अंतर और अन्य संस्थाओं को सहायता-अनुदान और एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता का प्रावधान आता है। एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता के लिए प्रावधान में ब.अनु. 2010-11 में किए गए 130.00 करोड़ रुपए के प्रावधान को, कम दावे प्राप्त होने के कारण, सं.अनु. 2010-11 में घटाकर 127.77 करोड़ रुपए कर दिया गया। ब.अनु. 2011-12 और 2012-13 के लिए यह प्रावधान क्रमशः 139.69 करोड़ रुपए और 225.00 करोड़ रुपए किया गया है। वर्ष 2010-11 और 2011-12 में वास्तविक व्यय क्रमशः 127.70 करोड़ रुपए और 139.48 करोड़ रुपए हुआ। 225 करोड़ रुपए का प्रावधान, लिबोर दर 0.5 प्रतिशत से बढ़कर 0.64 प्रतिशत हो जाने, विनिमय दर बढ़ जाने के कारण और नई ऋण शृंखला के

अनुमोदन के कारण भी, बढ़ाकर सं.अनु. 2012-13 स्तर पर 290.00 करोड़ रुपए कर दिया गया था। सं.अनु. 2010-11 में इस मुख्य शीर्ष के अंतर्गत, भारतीय दूतावास के नए बने आर्थिक और वाणिज्यिक स्कंध, बीजिंग; भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण पर अधिक हुए व्यय; अफ्रीकी विकास बैंक के साथ तकनीकी सहयोग के संबंध में अंशदान (10.00 करोड़ रुपए); वर्ष 2010 के लिए एफएटीएफ को 15000 यूरो (0.10 करोड़ रुपए) के स्वैच्छिक सदस्यता अंशदान; और भारत सरकार द्वारा तुर्कमेनिस्तान सरकार को दी गई रियायती ऋण श्रृंखला के लिए बकाया देय राशियों, ब्याज और दण्ड ब्याज (24.50 करोड़ रुपए) की माफी; के कारण कुल मिलाकर वृद्धि हुई। कजाकस्तान (34.92 करोड़ रुपए) एवं उज्बेकिस्तान (0.40 करोड़ रुपए) की सरकार को दी गई एलऑसी के संबंध में बकाया देयों/ब्याज की माफी; एक बजट उदघोषणा (2012-13) के क्रियान्वयन के अनुसरण में, मद्रास स्कूल ऑव इकोनोमिक्स और दिल्ली स्कूल ऑव इकोनोमिक्स को सहायता अनुदान; धनशोधन और आतंकवादी वित्तपोषण का विरोध करने के लिए यूरेशिया ग्रुप को अंशदान; तथा सीएफटीसी में अंशदान की बाबत विनिमय दर बढ़ जाने के कारण ब.अनु. 2011-12 में किए गए प्रावधान को सं.अनु. 2011-12 में बढ़ा दिया गया है। यमन सरकार को 1981 में दी गयी ऋण श्रृंखला के संबंध में बकाया देयों (2.07 करोड़ रुपए) की माफी; राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (15.00 करोड़ रुपए) और राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभाग, ईटानगर (10.00 करोड़ रुपए) का सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए 2012-13 में किया गया बजट प्रावधान सं.अनु. 2012-13 में बढ़ा दिया गया है।

मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग

इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), कोलम्बो योजना के अंतर्गत वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) तकनीकी सहायता के लिए अंशदान शामिल है। प्रारंभिक तैयारी संबंधी कार्यों के लिए, एशियाई विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड की मई, 2013 में दिल्ली में होने वाली 46वीं वार्षिक आम सभा के लिए सांकेतिक प्रावधान (0.15 करोड़ रुपए) किया गया है। 46वीं वार्षिक आम बैठक के लिए प्रावधानों को ब.अनु. और सं.अनु. 2012-13 स्तर पर बढ़ा दिया गया है। कोलम्बो योजना के अंतर्गत दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया तकनीकी सहायता संबंधी यह योजना अप्रैल, 2010 से विदेश मंत्रालय को अंतरित कर दी गई है। तथापि, विभिन्न कोलम्बो योजना देशों से वर्ष 2009-10 तक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से संबंधित लम्बित बिलों का भुगतान करने हेतु 2011-12 और 2012-13 में प्रावधान किए गए हैं। यूएनडीपी और जीईएफ में अंशदान के लिए ब.अनु. 2012-13 में किए गए प्रावधान को, विनिमय दर बढ़ जाने के कारण अतिरिक्त मांग की वजह से, सं.अनु. स्तर पर बढ़ा दिया गया है।

मुख्य शीर्ष 4046 - करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल का पूंजी परिव्यय

यह प्रावधान भारत प्रतिभूति मुद्रा तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद के लिए है। ब.अनु. 2010-11 में किए गए 1063.20 करोड़ रुपए के प्रावधान को सं.अनु. 2010-11 में बढ़ाकर 1852.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें से, 1463.42 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। सिक्कों की लागत के बारे में मूल्य पहले लागू 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत करने से कम व्यय हुआ। 2011-12 और 2012-13 के दौरान किए गए बजट प्रावधान, सिक्कों की लागत कम हो जाने के कारण सं.अनु. अवस्था पर घटा दिए गए हैं। इस पर कोई नकद खर्च नहीं होगा क्योंकि सम्पूर्ण राशि सिक्कों के प्रचालन से भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋण से वसूली के रूप में काट ली जाती है।

मुख्य शीर्ष 4075 - विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

वर्ष 2010-11 के लिए, गैदरिंग मशीन की खरीद हेतु 3.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसे सं.अनु. स्तर पर कम करके 2.50 करोड़ रुपए कर दिया गया है क्योंकि गैदरिंग मशीन की खरीद के लिए आंशिक भुगतान किया गया था। परफेक्ट बाइंडिंग मशीन की खरीद के लिए ब.अनु. 2012-13 में 3.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसे सं.अनु. 2012-13 में बढ़ाकर 3.91 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

मुख्य शीर्ष 5465 - सामान्य वित्तीय तथा व्यावसायिक संस्थाओं में निवेश

टकसालों और मुद्रणालयों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए ब.अनु. 2011-12 में 400.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। आशा थी कि कार्यविधि अपेक्षाओं/औपचारिकताओं को वित्त वर्ष में ही पूरा कर लिया जाएगा। तथापि, इस कवायद को पूरा न किए जाने के कारण इस राशि को सं.अनु. 2011-12 में अभ्यर्पित कर दिया गया था। चूंकि यह कवायद 2011-12 में पूरी नहीं की जा सकी थी, 400.00 करोड़ रुपए का प्रावधान ब.अनु. 2012-13 में किया गया था। बाद में इस मामले की पुनः जांच की गयी और यह निर्णय लिया गया कि इस अवस्था पर भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम को वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा ब.अनु. 2012-13 में कए गए प्रावधान को सं.अनु. 2012-13 में अभ्यर्पित कर दिया गया। इस मुख्य शीर्ष के अंतर्गत 2011-12 के लिए प्रावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निधि तकनीकी सहायता की संग्रह-राशि में अतिरिक्त अंशदान प्रदान करने के लिए 500.00 करोड़ और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम में भारत सरकार इक्विटी के लिए 1.90 करोड़ की राशि शामिल है। इसके लिए, पूरक अनुदान-मांग 2011-12 के द्वितीय बैच के जरिए कुल 501.90 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। 1.00 करोड़ रुपए की राशि, नए बने नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड में प्रदत्त पूंजी के भारत सरकार के हिस्से के लिए पूरक अनुदान-मांग 2012-13 के प्रथम बैच के माध्यम से, प्राप्त हुई है।

मुख्य शीर्ष 5466 - अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश

इसके अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), अफ्रीकी विकास बैंक, अफ्रीकी विकास निधि, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को अंशदान वैल्यू बाध्यता पूरी करने और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उधार संसाधनों की बाबत भारत के अंशदान के लिए प्रावधान है। आईएमएफ में भारत कोटा बढ़ने के संबंध में वर्ष 2010-11 के दौरान, 11,327.15 करोड़ रुपए की अनुपूरक अनुदान प्राप्त हुआ था। आईएमएफ से प्राप्त सूचना के आधार पर, कोटा वृद्धि पर आईएमएफ के संकल्प का वित्त वर्ष में ही शायद अनुसमर्थन न हो, इस प्रावधान को सं.अनु. 2010-11 में अभ्यर्पित करने तथा उसका ब.अनु. 2011-12 में प्रावधान करने का निर्णय लिया गया था। तथापि, आईएमएफ का कोटा संकल्प 3 मार्च, 2011 को प्रभावी हो गया और भारत द्वारा 4 अप्रैल, 2011 तक भुगतान करना अपेक्षित था। इसलिए भुगतान वित्त वर्ष 2010-11 में ही कर दिया गया था तथा इस प्रयोजन के लिए ब.अनु. 2011-12 में रखा गया प्रावधान सं.अनु. 2011-12 में अभ्यर्पित कर दिया गया। 2010-11 के लिए, आईएमएफ द्वारा प्राप्य भारतीय रुपयों के मूल्य समायोजन के संबंध में मूल्य बनाए रखने के लिए आईएमएफ को अभिदान के लिए 0.01 करोड़ रुपए का सांकेतिक प्रावधान किया गया था। इसे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि भारत को रुपए के पक्ष में एसडीआर विनिमय दर के घट-बढ़ के कारण भुगतान प्राप्त हुए थे। आईएमएफ/मूल्य बनाए रखने के लिए

2011-12 और 2012-13 के दौरान 1609.79 करोड़ रुपए और 4005.44 करोड़ रुपए का पूरक अनुदान प्राप्त हो गया है। इस राशि का पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) में निवेश के लिए ब.अनु. 2012-13 में 183.65 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विनिमय दर बढ़ जाने के कारण, ब.अनु. वाला प्रावधान सं.अनु. 2012-13 में बढ़ाकर 205.04 करोड़ कर दिया गया। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) में अभिदान के लिए, 9.17 करोड़ रुपए का पूरक अनुदान 2011-12 में प्राप्त हो गया है। आईएमएफ के उधार संसाधनों के संबंध में भारत के अंशदान के लिए, ब.अनु. 2010-11 में 63.67 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। यह प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज के रूप में प्राप्त एसडीआर के समतुल्य रुपए के अंतरण के लिए किया जाता है। नोट क्रय करार के अधीन प्रतिभूतियों पर ब्याज के सबंध में भुगतान करने के लिए कम आवश्यकता के कारण 2.85 करोड़ रुपए का वास्तविक व्यय हुआ। इसी प्रकार, ब.अनु. 2011-12 और ब.अनुमान 2012-13 में किए गए प्रावधान, सं.अनु. 2011-12 और सं.अनु. 2012-13 में क्रमशः कम कर दिए गए हैं।

मुख्य शीर्ष 5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाऑ पर पूंजी परिव्यय

यह प्रावधान इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना विकास निधि के लिए तथा सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाऑ के मुख्य कार्यकलापों के लिए है। इस निधि के लिए, जयपुर मैट्रो रेल परियोजना और दिल्ली जल बोर्ड, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्य सरकारों की परियोजनाऑ को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, ब.अनु. 2011-12 में किए गए 5.00 करोड़ रुपए के प्रावधान को बढ़ाकर 9.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ब.अनु. 2012-13 में 5.00 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा निधियों की आवश्यकता पर आधारित था। इसे सं.अनु. 2012-13 में घटाकर 4.50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ब.अनु. 2010-11 में सरकारी निजी भागीदारी को मुख्य धारा में लाने के क्रियाकलापों के लिए 2.10 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है। परामर्शी सेवाऑ का अनुमोदन न मिलने के कारण, 2.10 करोड़ रुपए का प्रावधान घटाकर 1.12 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अतिरिक्त सहायता के लिए, ब.अनु. 2011-12 में किया गया 0.80 करोड़ रुपए का प्रावधान बढ़ाकर 2.67 करोड़ रुपए किया गया जिसके लिए पूरक अनुदान प्राप्त हो गया है। ब.अनु. 2012-13 में किया गया 1.30 करोड़ रुपए का प्रावधान, सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए डेटाबेस/पीपीपी इंडिया.कॉम बनाए रखने/कार्यशाला/सम्मेलन और अन्य कार्यों पर किए जाने वाले व्यय के लिए है। आयोजना-भिन्न व्यय में किफायत/कटौती के कारण, यह प्रावधान सं.अनु. 2012-13 में घटाकर 1.17 करोड़ कर दिया गया है।

मुख्य शीर्ष 7475 - अन्य आर्थिक सेवाऑ के लिए ऋण

नई उधार व्यवस्था के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को ऋण प्रदान करने के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के माध्यम से सं.अनु. 2011-12 में 9003.04 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इस नई उधार व्यवस्था के अंतर्गत वर्ष के दौरान 7269.58 करोड़ रुपए के लेनदेन हुए। वर्ष 2012-13 के दौरान, इस व्यवस्था के लिए पूरक अनुदान-मांगों के माध्यम से 11,294.60 करोड़ का प्रावधान प्राप्त हुआ है।

आयोजना

मुख्य शीर्ष 2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अनुसरण में, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए, ब.अनु. 2010-11 में 1000.00 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आबंटन से राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना की गई है। वर्ष 2011-12 के लिए, इस निधि को 500.00 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गयी है। वर्ष 2012-13 के दौरान, 1,000.00 करोड़ का बजट प्रावधान, सं.अनु. 2012-13 में घटाकर 120.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

मुख्य शीर्ष 2810 - नई और नवीकरणीय ऊर्जा

स्वच्छ ऊर्जा आदि में अनुसंधान संबंधी विभिन्न नई परियोजनाऑ, जो अनेक मंत्रालयों/विभागों द्वारा क्रियान्वित की जाएंगी, में वित्तपोषण के लिए व्यय की पूर्ति के लिए भारत के लोक लेखा में बनाए रखी जाने वाली 'राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि' में प्रारंभिक अंतरण के लिए 2011-12 की पहली अनुपूरक अनुदान-मांग के माध्यम से 1066.46 करोड़ रुपए का प्रावधान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2012-13 के लिए 1,500.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। दिसंबर, 2012 तक, इस निधि में 750.00 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं।

मुख्य शीर्ष 3054 - सड़क और पुल

यह प्रावधान रेल सुरक्षा कार्यों के लिए है। पेट्रोल और डीजल पर उद्ग्रहीत किया जा रहा उपकर, रेलवे ऑवर/अंडर ब्रिजों एवं अन्य सुरक्षा कार्यों के निर्माण में वित्तपोषण हेतु केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार आवंटित किया जाता है। यह प्रावधान, कड़ाई से, रेलवे से प्राप्त मांगों तथा उपकर संग्रहणों के उनके हिस्से के अनुसार ही किया जाता है। अंतर खाता अंतरण के रूप में, समतुल्य राशि केंद्रीय सड़क प्रारक्षित निधि में अंतरित की जाती है। 2010-11 में, 876.73 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। सं.अनु. 2010-11 में, रेलवे से अधिक मांग प्राप्त होने के कारण, इसे बढ़ाकर 932.81 करोड़ रुपए कर दिया गया था। इसे पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है। ब.अनु. 2011-12 में 1040.63 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। इसे बढ़ाकर सं.अनु. 2011-12 में 1059.56 करोड़ रुपए कर दिया गया और उसका पूर्ण उपयोग कर लिया गया है। ब.अनु. 2012-13 के लिए प्रावधान 1102.45 करोड़ रुपए है। दिसंबर, 2012 तक, 551.22 करोड़ रुपए की राशि रेलवे को जारी की गई है।

मुख्य शीर्ष 5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाऑ पर पूंजी परिव्यय

यह प्रावधान अवंसरचना विकास - व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के लिए सहायता देने के संबंध में है। वर्ष 2010-11 में किए गए 480.26 करोड़ रुपए के प्रावधान को सिद्धांततः अनुमोदन प्रदत्त परियोजनाऑ के वित्तीय प्रस्तावों की धीमी परिसमापन स्थिति के कारण सं.अनु. 2010-11 में कम करके 125.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका पूर्णतः उपयोग कर लिया गया है। ब.अनु. 2011-12 में किया गया 499.37 करोड़ रुपए का प्रावधान कम करके सं.अनु. 2011-12 में 300.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह कमी मुम्बई मैट्रो परियोजना के क्रियान्वयन में हुए विलम्ब के कारण हुई जहां 200.00 करोड़ रुपए की वीजीएफ राशि का 2011-12 में जरूरत होने का अनुमान था। तथापि, 2011-12 में इस परियोजना के लिए वीजीएफ राशि की कोई आवश्यकता नहीं हुई। ब.अनु. 2012-13 में किए गए 437.55 करोड़ रुपए के प्रावधान को सं.अनु. 2012-13 में बनाए रखा गया है। इस पर दिसंबर, 2012 तक 351.65 करोड़ रुपए का वास्तविक व्यय किया गया है।

2012-13 में आर्थिक कार्य विभाग के अनुदान के मद शीर्षवार मुख्य संघटक

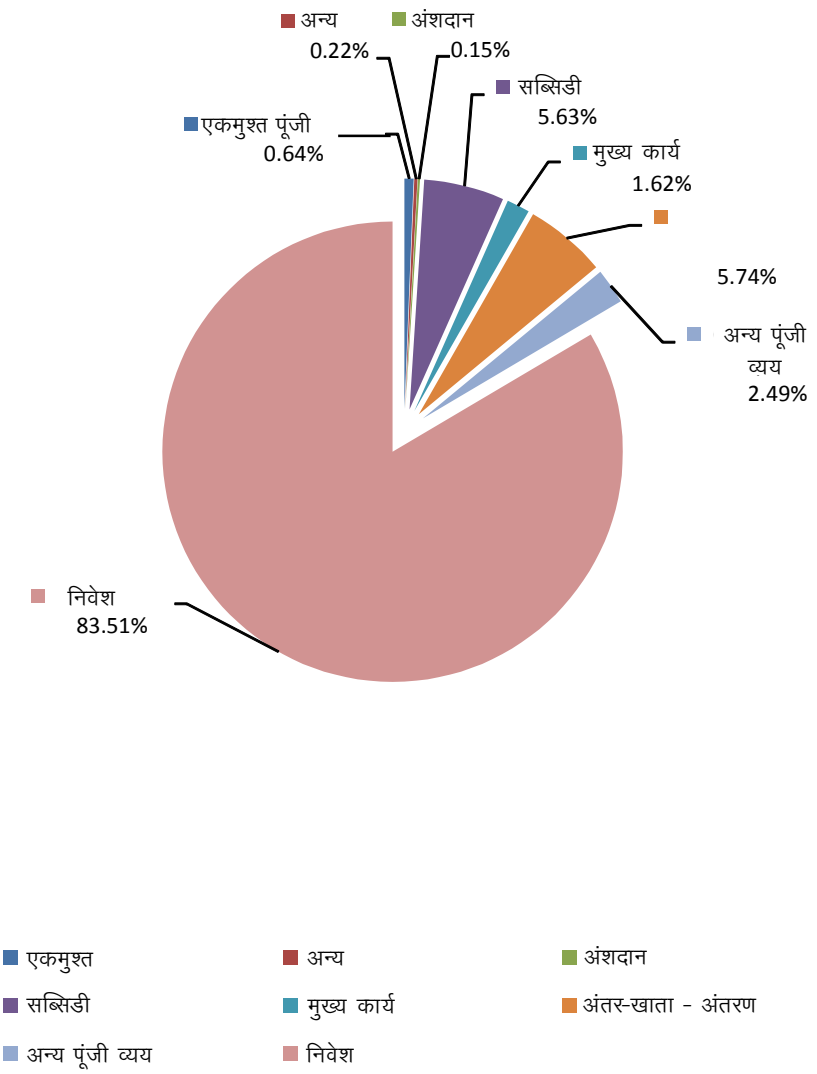

- निवेश ï मुख्य अंश, भारत के कोटा वृद्धि के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को भुगतान (₹56,000.00 करोड़), एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास निधि को अभिदान, आईबीआरडी को अभिदान ï सामान्य/चयनात्मक पूंजीगत वृद्धि (₹205.53 करोड़) भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लि. (₹400 करोड़) के लिए (कुल ₹56,818.88 करोड़) है।

- सब्सिडी-सब्सिडी का मुख्य अंश, लाभांश राहत एवं अन्य रियायतों के लिए रेलवे को तथा एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता (₹225.00 करोड़) के लिए जाता है कुल (₹3828.89 करोड़)।

- मुख्य कार्यों के लिए निधि, रेलवे उपरि/अधोसेतुओं और अन्य रेलवे सुरक्षा कार्यों के निर्माण में वित्तपोषण के लिए है (कुल ₹1102.45 करोड़)।

- अंतर-खाता अंतरण, असंगठित क्षेत्र कामगार, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि और गारंटी मोचन निधि के लिए केंद्रीय सड़क निधि, सामाजिक सुरक्षा निधि में निधियों के अंतरण के लिए है (कुल ₹3902.45 करोड़)।

- अन्य पूंजी व्यय, एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद तथा आईएमएफ के उधार संसाधनों की अदायगी के लिए है (कुल ₹1695.35 करोड़)।

- विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निकायों और संगठनों को अंशदान (कुल ₹105.35 करोड़)।

- अन्य - इसमें वेतन एवं अन्य स्थापना व्यय शामिल है (कुल ₹151.51 करोड़)।

- एकमुश्त पूंजी, व्यवहार्यता अंतराल निधियन के माध्यम से अवसंरचना क्षेत्र के विकास में सरकारी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए है (कुल ₹437.55 करोड़)।

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान अभ्यर्पण और बचत संबंधी विवरण

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान, मूल अनुदान 21,632.22 करोड़ रुपए था। इसे, 12,242.59 करोड़ रुपए का पूरक अनुदान प्राप्त करके, बढ़ाकर 33,874.81 करोड़ रुपए कर दिया गया था। इसमें से, वास्तविक व्यय 20,891.44 करोड़ रुपए हुआ, फलस्वरूप निवल बचत 12,983.37 करोड़ रुपए की हुई।

12,983.37 करोड़ रुपए की बचत 13,065.56 करोड़ रुपए की कुल बचतों का निवल प्रभाव था और विभिन्न अनुदान उप-मदों के अंतर्गत 82.19 करोड़ रुपए का कुल अधिक व्यय हुआ।

बचतों का वर्गीकरण इस प्रकार हैः

(i) संसाधनों के किफायती प्रयोग के कारण सामान्य बचत

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	उप-मद/योजना/कार्यक्रम	बचत	अभ्युक्ति/कारण
1.	आर्थिक कार्य विभाग (सचिवालय)	2.34	वेतन, मजदूरी, कार्यालय व्यय एवं यात्रा भत्ते के लिए अपेक्षाकृत कम आवश्यकता और व्यय में किफायत।
2.	रेलवे को लाभांश राहत के लिए सब्सिडी	988.24	लाभांश राहत के लिए रेलवे को दिए जाने वाली सब्सिडी, सामान्य राजस्वों से रेलवे में निवेश की गई पूंजी पर रेलवे द्वारा दिए जाने वाले लाभांश पर आधारित होती है। रेलवे द्वारा 2011-12 के लिए देय लाभांश की दर 6 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत कर दी गई। दर में इस कटौती से बचत हुई।
3.	भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण	0.93	विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करने में आने वाली लागत में किफायत।
4.	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) में अंशदान	1.35	अनुकूल विनिमय दर भिन्नता।
5.	प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद	359.80	सिक्कों की निम्न लागत।
(ii)	परियोजनाओं/योजनाओं का क्रियान्वयन न किया जाना/क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण बचत		
1.	जी-20 सचिवालय और करेंसी निदेशालय	6.56	नई सृजित यूनिटें और उन्होंने पूरी तरह से काम करना जारी नहीं किया।
2.	सेशल्स गणराज्य को दिए गए ऋण की माफी	11.62	निर्यात-आयात बैंक को एक बार में पूरा भुगतान करने के लिए यह प्रावधान किया गया था। बाद में, यह निर्णय लिया गया कि 6 वर्षों की अदायगी अनुसूची के अनुसार भुगतान किया जाए।
3.	बीजिंग स्थित भारत के दूतावास का आर्थिक और वाणिज्यिक स्कंध	3.52	नया बना स्कंध जिसने जनवरी, 2011 में काम करना शुरू किया। सभी नियुक्तियां नहीं की जा सकीं। परिणामस्वरूप बचत हुई।
4.	स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइन के संचालन पर रेलवे को हुई हानियों की प्रतिपूर्ति	5.92	स्ट्रेटेजिक लाइनों के लिए संचालन पर हुई हानियों की प्रतिपूर्ति, ऐसी लाइनों के संचालन पर रेलवे के कार्यशील खर्चों पर निर्भर करती है। रेलवे को प्रतिपूर्ति किए जाने वाली कम धनराशियों के कारण बचत हुई।
5.	प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड में बजटीय सहायता/निवेश	400.00	सभी औपचारिकताएं पूरी नहीं की जा सकीं।
6.	अफ्रीकी विकास बैंक को अभिदान	5.21	भुगतान किया जाना अपेक्षित नहीं हुआ।
7.	अवसंरचना विकास के लिए सहायता - व्यवहार्यता अंतराल निधियन	199.37	मुम्बई मेट्रो लाइन-2 परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब।
8.	भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि	2.00	अपेक्षाकृत कम आवश्यकताएं।
9.	भारत कोटा बढ़ाने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अभिदान	9284.88	प्रावधान इसलिए किया गया था चूंकि यह निश्चित नहीं था कि क्या भारत को 2010-11 में भुगतान करने की आवश्यकता पड़ेगी। तथापि, यह भुगतान मार्च, 2011 में कर दिया गया था, परिणामस्वरूप 2011-12 में बचत हुई।
10.	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उधार संसाधनों के सबंध में भारत का अंशदान	50.00	प्रावधान, नोट क्रय करार/नई उधार व्यवस्था के संबंध में आरबीआई को ब्याज के रूप में प्राप्त एसडीआर के बराबर रुपए का अंतरण करने के लिए है। ब्याज के रूप में भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं हुई। इसलिए धनराशि बिना खर्च किए रही।
11.	नई उधार व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए ऋण	1733.46	लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आरबीआई द्वारा प्रस्तुत मांग और अनुमानों के आधार पर थे। तथापि, भारत में इस निधि द्वारा वास्तविक मांग और आहरण अपेक्षाकृत कम रहे जिसके कारण बचत हुई।
(iii)	पुरानी/समाप्त परियोजना/योजना के कारण अथवा परियोजना/योजना के पूर्ण होने के कारण अभ्यर्पण/बचत		
1.	विश्व बैंक पीपीए परियोजना	5.71	परियोजना का परिसमापन।
2.	कोलम्बो योजना के अंतर्गत दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता	1.30	यह योजना 2010 में विदेश मंत्रालय को अंतरित कर दी गई थी। प्रावधान शेष भुगतान करने के लिए किया गया था। बिल प्राप्त न होने के कारण बचत हुई।

नोटः *इस अनुबंध को वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा अपनी 33वीं रिपोर्ट में यथावांछित वित्त वर्ष 2011-12 के लिए निधियों की समान्य बचत, अल्प/गैर उपयोग तथा निधियों के अभ्यर्पण के कारण बचतों के पृथक्करण के संबंध में बजट प्रभाग के दिनांक 23 मार्च, 2012 के का.ज्ञा. सं. 7(i)-वी(एस)/'2011 के अनुपालन में शामिल किया गया है।*

आर्थिक कार्य विभाग के अधीन सांविधिक एवं स्वायत्तशासी निकाय

इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) एकमात्र स्वायत्तशासी निकाय है। इसे कोई सरकारी अनुदान नहीं दिया जाता है। आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड सरकारी स्वामित्व वाला निगम है। इस संगठन का विवरण इस प्रकार हैः

भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

- भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड का निगमन 13 जनवरी, 2006 को किया गया था। इसका मुख्यालय जवाहर व्यापार भवन, नई दिल्ली में स्थित है। इसे 10 फरवरी, 2006 से काम करने की स्वीकृति दी गई थी। यह वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के अधीन भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। इसके प्रमुख, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक हैं। सरकार और प्रयोक्ता विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों के अलावा, निगम के बोर्ड में तीन कार्यात्मक निदेशक हैं।

- सभी नौ टकसालों/मुद्रणालयों/कागज कारखाना के निगमीकरण के पश्चात, भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ये टकसाल/मुद्रणालय पहले आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के करेंसी और सिक्का प्रभाग के नियंत्रण में काम करती था। ये निम्नलिखित हैं।

  भारत सरकार टकसाल, मुम्बई
  भारत सरकार टकसाल, कोलकाता
  भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद
  भारत सरकार टकसाल, नोएडा
  प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद
  भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नाशिक
  चालार्थ पत्र मुद्रणालय, नाशिक
  बैंक नोट मुद्रणालय, देवास
  प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद

- कंपनी की अनंतिम रूप से आस्तियां और देयताएं 3,237 करोड़ रुपए हैं। भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की सभी नौ यूनिटों की स्टाफ संख्या, इस समय, लगभग 12,800 है। करेंसी नोटों के लिए दो करेंसी मुद्रणालयों का ग्राहक भारतीय रिजर्व बैंक है। नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपरों और संबद्ध स्टाम्पों के लिए अन्य दो प्रतिभूति मुद्रणालयों के ग्राहक राज्य सरकारें हैं, साथ ही, डाक-सामग्री, स्टाम्पों आदि के लिए ग्राहक डाक विभाग है। प्रतिभूति मुद्रणालय अनेक ग्राहकों के लिए चेक जैसे विभिन्न प्रतिभूति वस्तुएं, तथा विदेश मंत्रालय के लिए पासपोर्ट, वीजा स्टीकर और अन्य यात्रा संबंधी दस्तावेज भी उत्पादित करते हैं। टकसालों का मुख्य कार्य आरबीआई के लिए सिक्कों का निर्माण करने तथा कारपोरेट निकायों के माध्यम से वितरण के लिए मेडल तैयार करने से संबंधित है। तथापि, स्मारक सिक्कों आदि के लिए व्यक्तियों से छोटे-मोटे भुगतान प्राप्त होते हैं।

- 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार, निगम का 5,250.05 करोड़ रुपए का एक आस्ति आधार है तथा उक्त अवधि के लिए कर पश्चात लाभ 582.47 करोड़ रुपए है। निगम ने वित्त वर्ष 2011-12 में 116.49 करोड़ रुपए के लाभांश तथा 18.90 करोड़ रुपए के लाभांश वितरण कर का भुगतान किया है।

- विद्यमान वित्त वर्ष के दौरान, यह निगम करेंसी/बैंक नोटों के उत्पादन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त मांग आदेशों की पूर्ति करने में सफल रहा। इसने भारत सरकार के लिए सिक्कों का निर्माण करने, डाक विभाग के लिए डाक-सामग्री तथा राज्य एवं अन्य एजेंसियों के लिए स्टाम्प पेपर मुद्रित करने का लक्ष्य प्राप्त किया है।

- इस निगम की नौ यूनिटें प्रतिभूति कागज के उत्पादन, प्रतिभूति दस्तावेजों के मुद्रण और सिक्कों, मेडलों आदि का निर्माण कार्य करती हैं। मौजूदा वर्ष में निर्मित मुख्य उत्पादों का ब्यौरा इस प्रकार हैः

01 अप्रैल, 2012 से 31 दिसंबर, 2012 की अवधि के दौरान उत्पादन का ब्यौरा

क्र.सं.	उत्पाद	उत्पादन (मिलियन नग)
1.	बैंक नोट	5253.128
2.	सिक्के	4911.36
3.	पोस्ट कार्ड	72.26
4.	लिफाफे	45.12
5.	अंतरदेशीय पत्र कार्ड	16.12
6.	डाक टिकट और भारतीय पोस्टल आर्डर	37.499
7.	चिपकने वाले स्टाम्प	11.425
8.	नॉन जुडिशियल एवं संबद्ध स्टाम्प	292.774
9.	बचत लिखतें	31.456
10.	एमआईसीआर-भिन्न चेक	.787
11.	एमआईसीआर चेक	17.186
12.	विविध प्रतिभूति फॉर्म व न्यायालय की स्टाम्प्स	206.456
13.	पासपोर्ट एवं संबद्ध पुस्तिकाएं	3.44
14.	स्टीकर्स/लेबल/पहचान-पत्र/मोहरें	2.839

01 अप्रैल, 2012 से 31 दिसंबर, 2012 की अवधि के दौरान मुख्य उत्पादों की बिक्री का ब्यौरा

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद	बिक्री (करोड़ रुपए)
1.	बैंक नोट	1017.63
2.	सिक्के एवं मेडल	1286.70
3.	अन्य प्रतिभूति उत्पाद	433.86
	जोड़	**2738.19**

कंपनी प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) में स्टाक प्रिपेरेशन प्लांट सहित एक नई बैंक नोट पेपर लाइन की भी स्थापना कर रही है। बैंक नोटों की वार्निशिंग कोटिंग मशीन ने चालार्थ पत्र मुद्रणालय, नाशिक में काम करना शुरू कर दिया है।

कंपनी ने बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम लगाने का करार करके भारत में करेंसी पेपर के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कार्य की शुरुआत भी की है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए है और इसके वित्त वर्ष 2014-15 में पूरा होने की संभावना है। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर, कंपनी करेंसी पेपर की

अपनी अधिकांश जरूरतों को स्वदेश में ही पूरा करेगी तथा करेंसी पेपर के आयात पर निर्भरता कम करेगी।

इस वर्ष कंपनी ने प्रतिभूति कागज, प्रतिभूति मुद्रण और सिक्का धातु-कर्म के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यावरण एवं सामाजिक विकास के क्षेत्र में शुरू की गई अभिनव सीएसआर परियोजनाएं भी पूर्ण की हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लोक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक पहल होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) में की गईं। भारतीय रेडक्रास सोसाइटी की सहायता से महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाऑ के लिए मोबाइल वैन भी शुरू की गयी है।

कम्पनी को आशा है कि वह परिचालन नोटों के मुद्रण और सिक्कों के निर्माण के लिए आरबीआई की मांग पूरी कर लेगी। कुछ राज्य सरकारों द्वारा ई-स्टांपिंग की शुरुआत के कारण संप्रेषण साधनों और नॉन-जुटिशियल दस्तावेजों में बदलाव की वजह से ई-पासपोर्ट, डाक सामग्री की प्रतिभूति स्वीकृति में विलंब होने के कारण पासपोर्ट की आवश्यकता में कमी आई है।

निगम ने प्रतिभूति कागज कारखाने को आधुनिकीकृत करने, प्रतिभूति कागज उत्पादन की क्षमता बढ़ाने, करेंसी मुद्रणालय यूनिटों को आधुनिकीकृत बनाने और परम्परागत तरीके से की जा रही अनेक गतिविधियों के स्वचालन की परिकल्पना की है। यह संगठन इस समय लाभ अर्जित करने वाला संगठन है। नकली करेंसी से बचने और देश के हित में महत्वपूर्ण पहलों की पूर्ति के लिए बैंक नोट पेपर, इंक एवं आर एण्ड डी आदि के स्वदेशीकरण की परियोजनाऑ की सहायता के लिए तारीख सितंबर, 2008 के समझौता ज्ञापन के अनुसार सरकार द्वारा सहमति दे दी गयी है। उपर्युक्त कार्यों के लिए भारत सरकार ने लगभग 1200-1500 करोड़ रुपए का वित्तपोषण प्रदान करने की सहमति दी है।

वर्ष 2013-14 में एसपीएमसीआईएल द्वारा क्रियान्वित की जा रही/की जाने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं का ब्यौरा

परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत (₹ राशि करोड़)	पूरा होने की नियत तारीख	वर्ष के शुरु होने तक कुल संचयी व्यय	2013-14 के दौरान आयोजनागत कुल व्यय	पूरा होने की संभावित तारीख	उपलब्धि/ परिणाम	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
कागज कारखाना/मुद्रणालय							
प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद में वन लाइन-कागज कारखाना	494	30.06.2014	340	100	30.06.2014	6000 मी.टन/वर्ष	पुराने मौजूदा संयंत्र के स्थान पर। इस समय कार्य जारी।
प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद में कागज मशीन का उन्नयन	67	31.03.2016	-	-	31.03.2016		
प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद में नया पल्प प्लांट (क्लेक्शट्राल, फ्रांस)	58	30.06.2013	50	8	30.06.2013		
करेंसी नोट प्रेस/बैंक नोट प्रेस में पुरानी प्रिंटिंग और फिनिशिंग प्लांट एवं मशीनरी को बदलना	400	31.03.2016	-	-	31.03.2016		दो पुरानी मौजूदा लाइन के स्थान पर।
करेंसी नोट प्रेस, नाशिक में ऑनलाइन निरीक्षण प्रणाली	25	31.03.2014	-	25	31.03.2014		करेंसी प्रिंटिंग मशीन का उन्नयन
बैंक नोट प्रेस, देवास में ऑनलाइन जॉगिंग उपस्कर	10	31.03.2014	-	10	31.03.2014		करेंसी प्रिंटिंग मशीन का उन्नयन
नए प्रतिभूति कागज कारखाने की स्थापना के लिए बीआरबीएनएमपीएल के साथ संयुक्त उद्यम	1200 (एसएमपी सीआईएल का हिस्सा 50%)	30.10.2014	200	100	30.10.2014	12000 मी.टन/वर्ष (एसएमपी सीआईएल का हिस्सा 50%)	बीआरबीएनएमपीएल के साथ संयुक्त उद्यम में आयात विकल्प के रूप में कागज का उत्पादन
आईएसपी, नाशिक में 6 कलर ऑफसेट शीट फेड मशीन	30	31.03.2014	-	30	31.03.2014		पुरानी मशीन के स्थान पर

1	2	3	4	5	6	7	8
करेंसी नोट प्रेस, नाशिक में मिनी फिनिशिंग मशीन (गिनना, बेंडिंग, श्रिंक रेप एंड लेबलिंग मशीन)	12	31.03.2013	12	-	31.03.2013		कटे नोटों की हाथ से धराई-उठाई कम करने के लिए आधुनिकीकरण
करेंसी नोट प्रेस/बैंक नोट प्रेस में कंप्यूटर की सहायता से डिजाइन (सीएडी) और कंप्यूटर टू ऑफसेट प्लेट (सीटीऑपी)	40	31.03.2014	20	20	31.03.2014		आर एंड डी प्रयास के रूप में बैंक नोटों की डिजाइन की क्षमता सृजित करना।
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नाशिक में श्रेडिंग और ब्रिकेटिंग मशीन	5	31.03.2014	-	5	31.03.2014		प्रिंटिंग व प्रोसेसिंग के दौरान उत्पादित वेस्ट पेपर की ईंट बनाना
कुल (क)	**1741**		**622**	**298**			
टकसाल							
प्रूफ मेडलों और सिक्कों के लिए बहु-विधि मेडल मुद्रणालय	37	31.12.2014	-	15	31.12.2014		
विभिन्न यूनिटों में सिक्का ढलाई मुद्रणालय (8 नग) - सभी टकसालों में दो-दो	50	30.09.2014	-	20	30.09.2014		पुरानी मशीनों को अतिरिक्त क्षमता के साथ परिवर्तित करना।
सेंट्रीफुगल फिनिशिंग लाइन (सिक्का पॉलिशिंग) - 3 नग	30	30.09.2014	-	10	30.09.2014		सिक्कों की पॉलिश के लिए।
ब्लैंक सिक्कों के लिए स्वचालित दृश्य निरीक्षण मशीन	10	30.09.2014	-	5	30.09.2014		सिक्कों की गुणवत्ता में सुधार लाना
मुम्बई/हैदराबाद में गोल्ड/ सिलवर रिफाइनिंग प्लांट	9	31.03.2013	9	-	31.03.2013		मुम्बई/हैदराबाद में परिशोधन क्षमता का निर्माण करना।
टकसालों में सीसीटीवी एवं अन्य सुरक्षा प्रणालियां	17	31.03.2013	17	-	31.03.2013		टकसालों में मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना।
नाइट्रोजन प्लांट का समग्र रूप से विद्युत भट्टी से तापानुशीतन/कठोरीकरण-4 नग	20	31.03.2015	-	5	31.03.2015		धातुऑ को सख्त/नर्म बनाने के लिए।
हाइड्रोलिक होबिंग प्रेस-3 नग	45	31.03.2015		5	31.03.2015		
जोड़ (ख)	**218**		**26**	**60**			
विविध							
ईआरपी परियोजना		**70**	30.06.2012	**32**	**20**	30.06.2013	सूचना एकत्र करने में कोई समय गंवाए बिना, निर्णय लेने के लिए विभिन्न यूनिटों के डाटा का आनलाइन विश्लेषण।
जोड़ (ग)	**70**		**32**	**20**			
कुल जोड़ (क+ख+ग)	**2029**		**680**	**378**			

वित्तीय सेवाएं विभाग

प्रस्तावना

वित्तीय सेवाएं विभाग मुख्य तौर पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और वित्तीय संस्थाओं के कामकाज सहित उनसे संबंधित नीतिगत मुद्दों, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशकों (सीएमडी) और कार्यकारी निदेशकों (ईडी) की नियुक्ति, विधायी मामलों, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संबंध, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर/डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति, नाबार्ड, कृषि वित्त निगम, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), ग्रामीण/कृषि ऋण, वित्तीय समावेशन से संबंधित मामलों, बीमा क्षेत्र और सरकारी बीमा कंपनियों के कार्य-निष्पादन से संबंधित मामलों, विभिन्न बीमा अधिनियमों के प्रशासन, नई पेंशन पद्धति (एनपीएस) सहित पेंशन सुधारों, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से संबंधित विधायी एवं अन्य मामलों आदि के लिए उत्तरदायी है।

वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा संचालित प्रमुख स्कीमें निम्नानुसार हैं:-

(i) किसानों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सहायता: सरकार ब्याज सहायता स्कीम के माध्यम से किसानों को दिए गए ऋणों पर ब्याज दर में सब्सिडी देती है ताकि किसानों को 3.00 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उपलब्ध हो सके। यह स्कीम वर्ष 2006-07 से क्रियान्वित की जा रही है और इसे वर्ष-प्रति-वर्ष जारी रखा जा रहा है। सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के संबंध में 'नाबार्ड' और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा इस स्कीम का क्रियान्वयन किया जाता है। स्कीम को वर्ष 2011-12 के दौरान जारी रखने के लिए दिए गए अनुमोदन के अनुसार किसानों को 3.00 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण 7% प्रति वर्ष की दर से उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सहायता दिए जाने के अलावा निम्नलिखित संघटक जोड़े गए हैं :

(क) ऐसे किसानों को 3% की अतिरिक्त ब्याज सहायता देना जो अपने ऋण को समय पर चुकाते हैं।

(ख) किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले लघु एवं सीमांत किसानों को कटाई उपरांत छह महीनों के लिए ठीक उसी दर पर ब्याज सहायता दिया जाना जिस पर किसानों को माल गोदामों में अपनी उपज रखने के लिए परक्राम्य गोदाम रसीदों के एवज में अल्पकालिक फसल ऋण दिया जाता है।

स्कीम की अंतर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान 3531.19 करोड़ रुपये और 2011-12 के दौरान 3282.70 करोड़ रुपये की धनराशि रिलीज की गई। वर्ष 2012-13 (दिसम्बर 2012 तक) के दौरान बजट प्राक्कलन 6000 करोड़ रुपये की तुलना में 4377.99 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई। बजट प्राक्कलन 2013-14 में पुनः 6000 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पूंजीकरण: चूंकि ऋण आस्ति सृजित करने हेतु बैंक की क्षमता का मुख्य साधन पूंजी है और तुलन-पत्र विस्तार के लिए यह आवश्यक है कि भारत सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विकास में सहायता देने एवं उन्हें वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अतिरिक्त पूंजी का निवेश कर रही है ताकि अर्थव्यवस्था की बढ़ती ऋण आवश्यकता को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) अपना टीयर-1 जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 8% तक बरकरार रखने में सक्षम हो सकें और सभी पीएसबी में भारत सरकार की धारिता (होल्डिंग) 58% तक बढ़ाई जा सके, उसके लिए सरकार ने 2010-11 में सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में 20,117.23 करोड़ रुपये की धनराशि का निवेश किया था। वर्ष 2011-12 के दौरान इसी प्रयोजन से सात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 12000 करोड़ रूपये की राशि का निवेश किया गया था।

वर्ष 2012-13 के लिए भी सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के टीयर-I सीआरएआर में वृद्धि करने के लिए उनमें पूंजी निवेश करने को अनुमोदित कर दिया है ताकि उनका टीयर-I सीआरएआर पर्याप्त स्तर पर बना रहे तथा यह सुनिश्चित हो कि बेसेल-III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड का अनुपालन किया जा रहा है तथा अपने अनुषंगी एवं एसोसिएट्स के जरिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग कार्य कर रहे सरकारी क्षेत्र के सक्रिय बैंकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता भी दी जा सके। इस प्रयोजन के लिए सरकारी क्षेत्र के 13 बैंकों को 12,517 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा रही है। वर्ष 2013-14 के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पूंजीकरण के लिए 14,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

(iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूंजीकरण: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सीआरएआर को कम से कम 9% पर लाने के लिए, डा. के.सी. चक्रवर्ती समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, 21 राज्यों में 40 आरआरबी को 2200 करोड़ रुपये तक पुनर्पूंजीकरण सहायता की सिफारिश की है, जिसका वहन भागीदारों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अपनी हिस्सेदारी के अनुपात में किया जाएगा अर्थात केन्द्र सरकार द्वारा 50%, संबंधित राज्य सरकार द्वारा 15% तथा संबंधित प्रायोजक बैंक द्वारा 35% । केन्द्र सरकार का भाग 1100 करोड़ रुपये बैठता है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पश्चात पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया वर्ष 2010-11 में आरंभ की गई थी, जिसे वर्ष 2011-12 में पूरा किया जाना था। संबंधित राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंक द्वारा अपना भाग जारी किए जाने पर केन्द्र सरकार को अपना भाग जारी करने के लिए मंत्रिमंडल का निर्णय अपेक्षित है।

वर्ष 2011-12 तक 21 आरआरबी को 468.92 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है (वर्ष 2010-11 में 66.49 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2011-12 में 402.43 करोड़ रुपये)। पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया को वर्ष 2011-12 तक पूरा नहीं किया जा सका, क्योंकि सभी राज्य सरकार पुनर्पूंजीकरण के प्रति अपना भाग जारी नहीं कर सके। अतः पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया को मंत्रिमंडल के अनुमोदन से मार्च, 2014 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

बजट प्राक्कलन 2012-13 में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसे राज्य सरकारों तथा प्रायोजक बैंक द्वारा जारी भाग के अनुपात को ध्यान में रखते हुए संशोधित प्राक्कलन में बढ़ाकर 535 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 200 करोड़ रुपये वर्ष 2012-13 (दिसम्बर, 2012 तक) के दौरान जारी कर दिया गया है। बजट प्राक्कलन 2013-14 में 88 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

(iv) 15.00 लाख रुपए तक के गृह ऋण पर ब्याज सहायता: इस स्कीम के अंतर्गत ऐसी आवासीय इकाई जिसकी लागत 25 लाख रु. से कम हो, के लिए 15 लाख रुपए तक के गृह ऋणों पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ पंजीकृत गृह वित्त कंपनियों को नोडल एजेंसियों अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से

1% की ब्याज सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2010-11 में इस स्कीम के अंतर्गत नोडल एजेंसियों को 38.54 करोड़ रुपये और वर्ष 2011-12 में 300 करोड़ रुपये रिलीज किए गए। वर्ष 2012-13 में बजट प्राक्कलन के 400 करोड़ रुपये के प्रावधान को संशोधित प्राक्कलन में बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया। संभावित दावे को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आवास बैंक को (दिसम्बर, 2012 तक) 200 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। बजट प्राक्कलन 2013-14 में 200 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

(v) नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत स्वाबलंबन स्कीमः चूंकि कुल कार्यबल के केवल लगभग 12-13 प्रतिशत को ही किसी औपचारिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली से कवर किया जाता है, इसलिए देश में एक सुदृढ़ एवं टिकाऊ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए भारत में पेंशन क्षेत्र सुधारों की शुरुआत की गई। पर्याप्त सेवानिवृत्ति आय उपलब्ध कराने के प्रयोजन से भारत सरकार द्वारा नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) शुरु की गई और इसे 01 जनवरी, 2004 से सरकार (सशस्त्र सेनाओं के सिवाय) में होने वाली नई भर्तियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया।

जैसाकि वर्ष 2010-11 के बजट भाषण में घोषणा की गई थी, सरकार ने असंगठित क्षेत्र को एनपीएस का लाभ प्रदान करने के लिए 'स्वावलंबन स्कीम' अनुमोदित किया। स्कीम का उद्देश्य है - एनपीएस के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के लोगों को अपने आपको पंजीकृत करवा कर अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक रुप से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना। असंगठित क्षेत्र के जो कोई भी नागरिक न्यूनतम 1,000/- रु. और अधिकतम 12,000/- रु. के वार्षिक अंशदान के साथ एनपीएस ज्वाइन करते हैं, सरकार उनके एनपीएस खाते में 1,000 रु. का अंशदान देगी। इस तरह, भारत सरकार प्रत्येक नागरिक की वृद्धावस्था आय सुरक्षा में प्रत्यक्ष शेयरधारक हो गई है। यह स्कीम वर्ष 2013-14 तक के लिए उपलब्ध है। वर्ष 2010-11 में स्कीम के अंतर्गत 53.50 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2011-12 में 40 करोड़ रुपये की धनराशि रिलीज की गई। वर्ष 2012-13 में अनुमोदित 220 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान संशोधित प्राक्कलन में घटाकर 128 करोड़ रुपये कर दिया गया। योजना के अंतर्गत नामांकन की गति को ध्यान में रखते हुए (दिसम्बर, 2012 तक) 15 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2013-14 के बजट प्राक्कलन में इस योजना के लिए 170 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रस्ताव किया गया है।

(vi) वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई): 55 वर्ष और अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के निमित्त वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) 14.7.2003 को शुरु की गई थी और 09.07.2004 को यह योजना वापस ले ली गई थी। स्कीम के अंतर्गत पेंशनभोगी अपने निवेश पर 9% प्रतिवर्ष का प्रभावी लाभ प्राप्त करते हैं। पेंशनभोगियों को प्रदत्त 9% की प्रभावी प्राप्ति और एलआईसी द्वारा अर्जित प्राप्ति के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा एलआईसी को की जाती है। वर्ष 2010-11 में एलआईसी को 175.70 करोड़ रु. की धनराशि रिलीज की गई थी और वर्ष 2011-12 में 182.04 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। बजट प्राक्कलन 2012-13 में उपलब्ध करायी गई 182.25 करोड़ रुपये की धनराशि को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किए जाने वाले संभावित दावे को ध्यान में रखते हुए संशोधित प्राक्कलन 2012-13 में कम करके 140.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा बजट प्राक्कलन 2013-14 में 134.23 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

(vii) आम आदमी बीमा योजना (ए.ए.बी.वाई.): सरकार ने सामाजिक क्षेत्र की दो जीवन बीमा योजनाओं, अर्थात जनश्री बीमा योजना तथा आम आदमी बीमा योजना को आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) में समेकित किया है। इस समेकन से समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराने में बेहतर प्रशासन तथा सेवा उपलब्ध होना संभव होगा। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस योजना में ग्रामीण भूमिहीन परिवारों सहित 47 चिह्नित व्यवसाय/पेशा समूहों के तहत गरीबी रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा से मामूली रुप से ऊपर रहने वाले 18 से 39 वर्ष के व्यक्तियों को जीवन तथा विकलांगता का कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना(आरएसबीवाई) के लाभार्थियों के लिए लागू किया गया है बशर्ते कि वे पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। सदस्य को परिवार का मुखिया होना या पात्र समूह के अंतर्गत एक अर्जक सदस्य होना चाहिए।

इस योजना में स्वभाविक मृत्यु के मामले में 30,000/- रुपये, दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में 75,000/- रुपये, दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी विकलांगता (दो आँख या दो हाथ/पैर या एक आँख या एक हाथ/पैर की क्षति) के मामले में 75,000 रुपये का बीमा कवर उपलब्ध कराया गया है। इस योजना में अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किया जाता है, जिसमें 9वीं से 12वीं कक्षा (इसमें आई.टी.आई. पाठ्यक्रम भी शामिल है) तक पढ़ने वाले अधिकतम दो बच्चों को प्रति बच्चा 100/- रुपये प्रतिमाह की दर से अर्द्धवार्षिक आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी वार्षिक प्रीमियम 200/- रुपये है, जिसमें से 50 प्रतिशत का अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा सृजित तथा एलआईसी द्वारा अनुरक्षित सामाजिक सुरक्षा निधि से किया जाता है। ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के मामले में प्रीमियम के शेष 50% का अंशदान राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाता है तथा अन्य समूहों के लिए यह अंशदान राज्य सरकार/नोडल एजेंसी/लोगों द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय मंत्रालय एवं विभाग/ राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र/ कोई अन्य संस्थागत व्यवस्था/ पंजीकृत गैर सरकारी संगठन नोडल एजेंसियों के रूप में कार्य कर सकते हैं। तथापि, ग्रामीण भूमिहीन परिवारों की श्रेणी के मामले में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र नोडल एजेंसी होते हैं। इस योजना के लिए बजट प्राक्कलन 2013-14 में 5.01 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(viii) महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि: महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने तथा उनके स्व-सहायता समूह (एस.एच.जी.) को बढ़ावा देने के लिए एक "महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि" का गठन किया गया है, जिसका संचालन नाबार्ड द्वारा किया जा रहा है। इस योजना की घोषणा वर्ष 2011-12 में की गई थी। यह योजना वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों सहित देश के 150 अत्यन्त पिछड़े जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। नाबार्ड ने यह सूचित किया है कि वर्ष के दौरान (28/12/2012 की स्थिति के अनुसार) 10.61 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान जारी किया गया है। 23071 स्व-सहायता समूह का गठन किया गया है, जिनमें से 14969 स्व-सहायता समूह ऋण संबद्ध हैं। इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2011-12 में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान जारी किया गया था। इसके अलावा बजट प्राक्कलन 2013-14 में 100 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

परिव्यय और परिणाम का विवरण 2013-14

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013-14 (रूपए करोड़ में)			मात्रात्मक प्रदाय/ वास्तविक परिणाम	परकिल्पित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईबीआर*				
1.	मुख्य शीर्ष 2235-वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान करना।	वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन को आर्थिक सहायता देना	134.23	-	-	स्कीम के अंतर्गत लगभग 3.5 लाख पेंशनभोगी 9% प्रति वर्ष की प्रभावी प्राप्ति प्राप्त करते हैं।	स्कीम की प्रवर्तनावधि के दौरान लगभग 3.5 लाख वरिष्ठ नागरिकों ने पंजीकरण करवाया था। उन्हें स्कीम के अंतर्गत हितलाभ प्रदान किए जा रहे हैं।	यह स्कीम 14.7.2003 से 09.7.2004 तक प्रचलन में थी। हालांकि, अभिदाताओं को फायदा मिलना जारी है।	कोई जोखिम निहित नहीं।
2.	मुख्य शीर्ष 2235-स्वाबलंबन स्कीम	नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत कवरेज का 30 लाख अभिदाताओं तक विस्तार करना।	170.00	-	-	स्कीम का उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के लोगों को एनपीएस के अंतर्गत पंजीकृत करवा कर उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक रूप से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना।	स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष और 10 लाख अभिदाताओं को पंजीकृत करवाना	मार्च, 2014	परिकल्पित परिणाम अनौपचारिक श्रम बाजार परिस्थितियों, अल्प विरामशील आमदनी और निम्न वित्तीय जानकारी, एग्रीगेटरों और पीओपी के कार्यनिष्पादन की शर्तों के अधीन है।
3.	मुख्य शीर्ष 2235-आम आदमी बीमा योजना में सरकार का योगदान	इस स्कीम में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और गरीबी रेखा से मामूली रूप से ऊपर रहने वाले व्यक्तियों को जीवन तथा विकलांगता का कवर प्रदान किया जाता है।	5.01	-	-	इस स्कीम के अंतर्गत प्रीमियम 200/- रु. प्रति लाभार्थी है, जिसमें 50% का योगदान केन्द्र सरकार द्वारा सृजित तथा एलआईसी द्वारा देख-रेख की जा रही सामाजिक सुरक्षा निधि से किया जाता है।	इस स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के लाभार्थी सहित 18 से 59 वर्ष के आयु-समूह के ऐसे व्यक्तियों को बीमा कवर दिया जाता है जो अभिचिह्नित 47 पेशागत/ व्यवसायिक समूहों के सदस्य हैं।	2016-17 तक	

** सीईबीआर - अनुपूरक बजट-बाह्य संसाधन यानि इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार के सिवाय अन्य संगठनों के प्रयोजना के लिए प्रतिबद्ध व्यय।*

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईबीआर				
4.	मुख्य शीर्ष 2416- किसानों को अल्पावधि ऋण देने के लिए ब्याज सहायता	अल्पावधि उत्पादन ऋण पर किसानों को ब्याज राहत	6000.00	-	-	किसानों को 3.00 लाख रुपए की राशि तक अल्पावधि उत्पादन ऋण 7% प्रतिवर्ष पर प्रदान करना	किसान अल्पावधि ऋणों पर अत्यंत जरूरी ब्याज राहत का लाभ उठाएंगे।	वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कार्यान्वयन की अवधि का विस्तार किया जाता है।	यह किसानों के लिए सब्सिडी है। इसमें कोई जोखिम कारक शामिल नहीं हे।
5.	मुख्य शीर्ष 2416- महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि के लिए नाबार्ड को सहायता अनुदान देना।	महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने तथा उनके स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए	-	100.00	-	यह देश के 150 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों के वित्त-पोषण को बढ़ावा देगी। परियोजना के अंतर्गत 50,000 से अधिक स्व-सहायता समूह का गठन किया जाना है।	इससे बैंक पिछड़े क्षेत्रों में निर्धन महिलाओं तक अपनी पहुंच का विस्तार करने में सक्षम हो पाएंगे। इससे महिला स्वयं सहायता समूह जीविका संबंधी कार्यकलापों को शुरू करने में समर्थ होंगे।	वर्ष 2013-14 तक	यह सहायता अनुदान है और यह परिणाम आधारित है, अतः इसमें कोई जोखिम शामिल नहीं है।
6.	मुख्य शीर्ष 2885-नोडल एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक को आर्थिक सहायता का भुगतान करना।	नोडल एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय आवस बैंक के माध्यम से 15.00 लाख रुपये तक के आवास ऋणों पर 1% की ब्याज सहायता देने के लिए प्रावधान	200.00	-	-	यह सहायता राष्ट्रीय आवास बैंक से पंजीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से दी जाएगी।	आवास लोगों की आधारभूत आवश्यकता है। आवास क्षेत्र में श्रम प्रधान कार्यकलापों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से और सीमेंट तथा स्टील जैसे उद्योगों के लिए अतिरिक्त मांग उत्पन्न करके अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन करने की अपार संभावना है।	एक वर्ष	कोई जोखिम कारक शामिल नहीं है।
7.	मुख्य शीर्ष 3465 - भारतीय स्टेट बैंक के ईक्विटी शेयर के अधिकार निर्गम में अंशदान के मद में प्रतिभूति मोचन निधि में अंतरण करना।	भारतीय स्टेट बैंक के ईक्विटी शेयर के अधिकार निर्गम में अंशदान के लिए जारी की गई विक्रय प्रतिभूति के मोचन के लिए प्रतिभूति मोचन निधि में योगदान करना।	625.00	-	-	यह भारतीय स्टेट बैंक को उसके अधिकार निर्गम, 2008 में अंशदान के लिए जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियां-2024 का मोचन करने के लिए सृजित निधि में अंतरण करने के लिए है।	इन प्रतिभूतियों के मोचन के लिए सृजित इस निधि में सरकार द्वारा 625.00 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण प्रतिवर्ष किया जाना है।	वर्ष 2024 तक	कोई जोखिम कारक शामिल नहीं है क्योंकि यह इस प्रयोजन के लिए पहले से गठित प्रतिभूति मोचन निधि में किया जाने वाला एक अंतरण है।
8.	मुख्य शीर्ष 4416 - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में	-	88.00	-	40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सीआरएआर को 9% तक लाने	आरआरबी की वित्तीय स्थिति बेहतर करना जिससे कि	मार्च 2014	यह सरकारी निवेश है। कोई भी जोखिम

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईबीआर				
	(आरआरबी) का पुनर्पूंजीकरण।	पूंजी-अनुपात (सीआरएआर) को समयबद्ध तरीके से कम से कम 7% तथा आगे 9% करना।				के लिए उनका पुनर्पूंजीकरण	वे अपनी हानि कम कर सके और उधार देने की अपनी क्षमता बढ़ा सकें।		कारक शामिल नहीं है।
9.	मुख्य शीर्ष 4416 - नाबार्ड की शेयर पूंजी में अंशदान करना।	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पूंजी आधार को बढ़ाना।	-	700.00	-	नाबार्ड के पूंजी आधार को सुदृढ़ करना और इस तरह, इसके विकासपरक अधिदेश को पूरा करने के लिए इसकी उधार क्षमता को बढ़ाना	इससे नाबार्ड की उधार शक्ति तथा कृषि ऋण देने वाले तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य विकास कार्य करने वाले बैंकों की बढ़ती पुनर्वित्त आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में वृद्धि होगी।	-	यह नाबार्ड के पूंजी आधार को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार का अंशदान है। कोई जोखिम कारक शामिल नहीं है।
10.	मुख्य शीर्ष 4885 - भारत संरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) की शेयर पूंजी में अंशदान	आईआईएफसीएल के ईक्विटी आधार को सुदृढ़ करने के लिए	-	400.00	-	आईआईएफसीएल दीर्घावधि अवसंरचना वित्त सुविधा में जो कमी है उसे पूरा करेगी, क्योंकि बैंक और अन्य संस्थाएं इसे पूरा नहीं कर पाती हैं।	कंपनी की प्रदत्त पूंजी को बढ़ाना। इससे कंपनी अपने ऋण पोर्टफोलियों को विस्तारित करने और अपनी बुनियादी स्थिति केा सुदृढ़ करने में सक्षम हो पाएगी।	एक वर्ष	वित्तीय मध्यवर्ती संगठन के रूप में आईआईएफसीएल ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम का सामना करती है।
11.	मुख्य शीर्ष 4885 - एक्जिम बैंक की शेयर पूंजी में अंशदान करना।	एक्जिम बैंक का ईक्विटी आधार सुदृढ़ बनाना	-	700.00	-	वर्ष 2013-14 के दौरान निर्यात ऋण व्यवस्था (एलओसी) के अंतर्गत बैंक का संवितरण बढ़ा कर 8506 मिलियन यूएस डालर करना।	अन्य देशों में भारत के निर्यात को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।	एक वर्ष	ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम एवं विदेशी मुद्रा जोखिम।
12.	मुख्य शीर्ष 5465 - सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का पुनर्पूंजीकरण	पीएसबी का पुनर्पूंजीकरण करना जिससे कि वे अपनी टीयर 1 सीआरएआर को सहज स्तर पर बनाए रख सके।	-	14000.00	-	सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को बेसेल-III मानदण्डों के अनुपालन में टीयर-1 सीआरएआर का सहज स्तर बनाए रखने में सक्षम बनाना।	सीआरएआर के सुविधाजनक स्तर से सरकारी क्षेत्र के बैंक अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण जरूरतों का अनुसमर्थन करने में सक्षम हो पाएंगे जिससे, अन्य बातों के साथ-साथ, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश के समग्र जीडीपी में बढ़ोतरी होगी।	एक वर्ष	यह पीएसबी में सरकार द्वारा किया गया निवेश है जिससे कि वे अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की बढ़ती ऋण जरूरतों को सकारात्मक एवं प्रभावी रूप से पूरा कर सके।

सुधार उपाय तथा नीतिगत पहलें

1. विधायी पहलें

विभाग ने निम्नलिखित विधायी पहलें आरंभ की है :-

(i) बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012

उपर्युक्त अधिनियम को दिसम्बर, 2012 के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और यह 18 जनवरी, 2013 से लागू हुआ है। इससे भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामकीय शक्तियां सुदृढ़ होंगी और यह राष्ट्रीयकृत बैंक को बोनस और स्वामित्वाधिकार निर्गम के जरिए पूंजी बढ़ाने में सक्षम बनाएगा तथा इसके अतिरिक्त 3000 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा से आबद्ध हुए बिना सरकार और आरबीआई के अनुमोदन से वे प्राधिकृत पूंजी बढ़ाने और घटाने में सक्षम होंगे।

(ii) प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012

उपर्युक्त अधिनियम दिसम्बर, 2012 के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया तथा 15 जनवरी, 2013 से लागू हुआ है। इसमें वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफासी) अधिनियम, 2002 तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली (आरडीडीबीएफआई) अधिनियम, 1993 के अंतर्गत ऋणों की वसूली की प्रक्रिया में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं (एफ.आई.) द्वारा सामना की जा रही कुछेक समस्याओं का समाधान अभिप्रेत है।

इन संशोधनों से उधारकर्ताओं से शोध्य ऋणों की वसूली की बैंक की क्षमता सुदृढ़ होगी जिससे कारपोरेट तथा खुदरा उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने की बैंक की क्षमता में वृद्धि होगी, बैंक तथा इसके ग्राहकों के लिए निधि की लागत में कमी आएगी तथा अनर्जक आस्ति का स्तर भी कम होगा।

2. "स्वाभिमान" - वित्तीय समावेशन

"स्वाभिमान" के अंतर्गत - फरवरी, 2011 में वित्तीय समावेशन अभियान आरंभ किया गया था, 62000 व्यवसाय प्रतिनिधि एजेंटों (बीसीए) को कार्य पर लगाकर तथा शाखाएं खोलकर 2000 से अधिक जनसंख्या वाले 74000 से अधिक वास स्थलों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की गई हैं। मार्च, 2012 तक लगभग 3.16 करोड़ वित्तीय समावेशन खाते खोले गए हैं। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अभी तक 43000 से अधिक छोटी शाखाएं खोली हैं।

बजट भाषण 2012-13 में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, "स्वाभिमान" अभियान का विस्तार पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी राज्यों में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले तथा अन्य राज्यों में 1600-2000 जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) वाले लगभग 45,000 वास स्थलों में किया जा रहा है।

3. 1.1.2013 से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण आरंभ करना

भारत सरकार ने 1 जनवरी, 2013 से सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में लाभ का अंतरण सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में करने की योजना आरंभ की है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत प्रायोगिक परियोजना हेतु चयनित जिले के पूरे भौगोलिक क्षेत्र को शामिल किया जाएगा और पूरे राज्य और देश को चरणबद्ध रूप में शामिल किया जाएगा।

तदनुसार वित्तीय समावेशन संबंधी कार्यनीति को संशोधित किया गया है क्योंकि बैंकिंग सेवाओं का विस्तार पूर्व में किए जा रहे विशिष्ट गांवों के कवरेज की तुलना में चयनित जिले के पूरे भौगोलिक क्षेत्र को कवर किया जाएगा। यह प्रयास है कि भौगोलिक तथा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए औसतन 1000-1500 घरों पर एक बैंकिंग आउटलेट (शाखा/ व्यवसाय प्रतिनिधि एजेंट) (बी.सी.ए.) उपलब्ध हो।

4. पेंशन सुधार

इस पृष्ठभूमि की तुलना में कि कुल श्रमिकों का लगभग केवल 12-13 प्रतिशत ही किसी औपचारिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली द्वारा कवर किया गया था, देश में सुदृढ़ तथा सतत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए भारत में पेंशन क्षेत्र में सुधार आरंभ किया गया था। भारत सरकार द्वारा नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) 01 जनवरी, 2004 से आरंभ की गई है। इसे निर्धारित लाभ पेंशन प्रणाली के स्थान पर सरकारी सेवा में आने वाले सभी नये कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य बनाया गया है। सुदृढ़ विनियमन के आधार पर व्यक्तिगत विकल्प पर आधारित किफायती तथा कुशल पेंशन प्रणाली के रूप में इसकी परिकल्पना की गई है। पूर्णतः "निर्धारित अंशदान" उत्पाद के रूप में, बिना किसी निर्धारित लाभ घटक के प्रतिलाभ पूर्णतः बाजार से सम्बद्ध होंगे। कुछेक विनियामक प्रतिबंधों के अधीन नई पेंशन प्रणाली में लोगों को विभिन्न निवेश विकल्पों तथा एक निवेश से दूसरे निवेश या एक निधि प्रबंधक से दूसरे निधि प्रबंधक में परिवर्तन का विकल्प उपलब्ध कराता है।

नई पेंशन प्रणाली का क्षेत्र

एनपीएस को 1 मई, 2009 से स्वैच्छिक आधार पर सभी नागरिकों के लिए आरंभ किया गया है। सभी नागरिकों के लिए एनपीएस उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में उपस्थिति स्थान (पीओपी) के रूप में पचपन संस्थागत कंपनियों सहित एनपीएस मध्यवर्तियों, जो पेंशन खाता खोलने तथा तथा संग्रह केन्द्रों, जो एक केन्द्रीयकृत रिकार्ड रखने वाली एजेंसी (सी.आर.ए.) के रूप में कार्य करेंगे, तथा निवेशकों के पेंशन निधि के प्रबंधन के लिए पाँच पेंशन निधि प्रबंधकों की नियुक्ति शामिल है। पीएफआरडीए में सर्वोतम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुरूप एनपीएस मध्यवर्तियों के चयन की प्रक्रिया के लिए पारदर्शी, भेदभाव रहित, प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदा प्रक्रिया अपनायी गई है, जिससे इष्टतम लागत पर एनपीएस के अंशदाताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सेवा सुपुर्दगी सुनिश्चित होती है।

संगठित कंपनियों को अपने मौजूदा तथा नये कर्मचारियों को एनपीएस संरचना में ले जाने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोर एनपीएस, विशिष्ट रूप से तैयार किए गए मॉडल, जिसे "एनपीएस-कॉरपोरेट" क्षेत्र मॉडल के रूप में जाना जाता है, को दिसम्बर, 2011 से आरंभ किया गया है। 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार 362 कारपोरेट तथा 1.17 लाख कर्मचारियों को इस मॉडल के अंतर्गत नामांकित किया गया है। एनपीएस-कारपोरेट क्षेत्र मॉडल के अंतर्गत प्रबंधन के तहत आस्ति (एयूएम) 875.57 करोड़ रुपये है।

एनपीएस को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान वर्ष में कई परिवर्तन किए गए हैं:

i. एनपीएस खाते की परिपक्वता पर अंशदाताओं को वार्षिकी योजना का प्रस्ताव देने के लिए 4 मई, 2012 को छः वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपी) को सूचीबद्ध किया गया है। वे हैं :-

   1. भारतीय जीवन बीमा निगम

2. भारतीय स्टेट बैंक जीवन बीमा कंपनी लि.
3. आईसीआईसीआई प्रुडेंसियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
4. बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
5. स्टार यूनियन दा-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
6. रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.

ii. निजी क्षेत्र में पेंशन निधि प्रबंधक (पीएफएम) के पंजीकरण हेतु संशोधित दिशा-निर्देश 12 जुलाई, 2012 को जारी किए गए हैं, जिसमें पीएफएम की संख्या को सीमित किया गया तथा पूर्व निविदा प्रक्रिया को पूरा किया गया। ये दिशा-निर्देश बाजपेयी समिति की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसका गठन निजी क्षेत्र में एनपीएस की धीमी प्रगति के कारणों की जांच करने के लिए पीएफआरडीए द्वारा किया गया था।

iii. इन दिशा-निर्देशों का पेंशन क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने वाला है। सभी इच्छुक साझेदार जो पेंशन क्षेत्र में रहना चाहते हैं वे निर्धारित पात्रता मानदण्ड को पूरा करने के पश्चात पीएफएम के रूप में पंजीकरण करवा सकते हैं।

iv. पीएफएम से भी यह आशा है कि वे संभावित अंशदाताओं के लिए नई पेंशन प्रणाली (एनपीएएस) का विपणन करेंगे, जो अपनी व्यवसाय अवधारणा के अनुसार अपने विपणन तथा वितरण माध्यमों को निर्धारित करते हैं।

विगत कार्यनिष्पादन की समीक्षा

कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008 (एडीडब्ल्यूडीआरएस)

वर्ष 2008-09 में सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी बैंकों (यूसीबी सहित) तथा स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी) द्वारा वितरित, 31 दिसम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार अतिदेय, 29.02.2008 तक अदेय, सभी कृषि ऋणों को शामिल करके सभी किसानों के लिए एडीडब्ल्यूडीआरएस की घोषणा की थी। यह छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए पूर्ण माफी योजना थी, जबकि इन अवधियों के दौरान शामिल ऋणों के लिए यह अन्य किसानों हेतु एक बारगी निपटान (ओटीएस) योजना थी। ओटीएस 75% की शेष राशि की अदायगी पर 25% की छूट का प्रस्ताव करता था। योजना को इसकी नियत तिथि, अर्थात 30.06.2008 तक कार्यान्वित किया गया था ताकि वे उधार देने वाली संस्थाओं से नये ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकें। तथापि, ओटीएस योजना के अंतर्गत "ओटीएस" द्वारा 75% की अदायगी के लिए अंतिम तिथि को 30 जून, 2010 तक बढ़ाया गया था।

संबंधित नोडल एजेंसी, अर्थात आरबीआई और नाबार्ड के जरिए विधिवत सत्यापित तथा लेखापरीक्षित दावों के आधार पर उधार देने वाली संस्थाओं के दावों की प्रतिपूर्ति किस्तों में की जाती थी। योजना के अंतर्गत उधार देने वाली संस्थाओं को वर्ष 2008-09 के दौरान 25,000 करोड़ रुपये, वर्ष 2009-10 के दौरान 15000 करोड़ रुपये, वर्ष 2010-11 के दौरान 11,340.47 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2011-12 के दौरान 1176.39 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई थी।

इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के संबंध में 104 लाख कृषि ऋण खातों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) तथा सहकारी बैंकों के संबंध में 186.92 लाख कृषि ऋण खातों को लाभ प्राप्त हुआ है। इस प्रकार योजना के अंतर्गत 52,000 करोड़ रुपये की सीमा के अंतर्गत 3.45 करोड़ कृषि खातों को लाभ प्राप्त हुआ है।

कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस) के कार्यान्वयन के प्रति उधार देने वाली संस्थाओं को ब्याज

उधार देने वाली संस्थाओं के दावों की प्रतिपूर्ति के लिए अलग-अलग कार्यक्रम तैयार करने के कारण भारत सरकार ने उधार देने वाली संस्थाओं को योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त के दावों की प्रतिपूर्ति के परिणामस्वरूप उधार देने वाली संस्थाओं को ब्याज देने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा 3 अक्टूबर, 2008 को 3,872 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई थी। वर्ष 2008-09 के दौरान 149.79 करोड़ की राशि, वर्ष 2009-10 के दौरान 458.85 करोड़ तथा वर्ष 2011-12 के दौरान 1434 करोड़ रुपये की राशि की अदायगी ब्याज के रूप में की गई है। वर्ष 2011-12 के लिए 287 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया था, जिसमें से 178.46 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई)

यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले तथा गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर रहने वाले ग्रामीण और शहरी लोगों को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। यह स्वाभाविक मृत्यु पर 30,000 रुपए, दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता पर 75,000 रुपए तथा आंशिक स्थायी अपंगता पर 37,500 रुपए प्रदान करती है। निःशुल्क अतिरिक्त लाभ के रूप में लाभार्थी के अधिकतम दो बच्चों के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए प्रतिमाह 100.00 रुपये की दर से 9वीं से 12वीं कक्षा के बीच अध्ययन कर रहे बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। योजना के तहत प्रीमियम 200.00 रुपए प्रति वर्ष है, जिसमें 50% अंशदान लाभार्थी/राज्य सरकार/नोडल एजेंसी द्वारा किया जाता है तथा 50% भारत सरकार द्वारा अंशदान की गई और एलआईसी द्वारा बनाई रखी गई सामाजिक सुरक्षा निधि से आहरित की जाती है।

बैंकों से जुड़े सभी महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के कवरेज का दायरा तेजी से बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) पर इस स्कीम के अंतर्गत विशेष ध्यान दिया गया है। बैंकों से जुड़े ऋण संबद्ध सभी महिला एसएचजी पर कवरेज का विस्तार करने के लिए एलआईसी, बैंकों, नाबार्ड और अन्य राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय करता है। वर्ष 2011-12 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत कुल मिलाकर 2,20,56,435 जीवन कवर किए गए। 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार 3,92,169 महिला एसएचजी में 41,60,755 जीवन कवर किए गए हैं।

एलआईसी द्वारा बनाए रखी गई सामाजिक सुरक्षा निधि में भारत सरकार द्वारा 2008-09 में 500 करोड़ रुपये रखे गये। निधि 'कारपस' के खत्म होने को ध्यान में रखकर एलआईसी द्वारा प्रस्तुत जरुरत के अनुसार सरकार ने वर्ष 2011-12 के दौरान निधि में और 100 करोड़ रुपये का योगदान किया और वर्ष 2012-13 में एलआईसी को 157.50 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (यूएचआईएस)

सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों द्वारा कार्यान्वित की गई सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना में परिवार के समस्त सदस्यों के अस्पताल में भर्ती होने पर फ्लोटर आधार पर 30,000 रुपए तक के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, परिवार के मुख्य अर्जक की दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 25,000 रुपए के मृत्यु बीमा तथा अर्जक सदस्य की अर्जन हानि होने पर अधिकतम 15 दिन तक 50.00 रुपए प्रतिदिन की दर पर प्रतिपूर्ति देने का प्रावधान है। योजना को सितम्बर 2008 में आशोधित किया गया था जिसमें प्रीमियम को कम कर दिया गया था और इसमें मातृत्व लाभ, 70 वर्ष की आयु तक कवरेज, पूर्व विद्यमान बीमारियों को शामिल करके तथा लाभ को बढ़ाकर बीमित की पत्नी/पति की मजदूरी की हानि के लाभ को भी शामिल किया गया है। इस योजना के लिए वर्ष 2010-11 में 22 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2011-12 में 13.60 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। इस योजना को चरणबद्ध रूप में समाप्त किया जा रहा है क्योंकि श्रम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के अंतर्गत कवरेज बढ़ रहे हैं।

नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

पर्याप्त सेवानिवृत्ति आय उपलब्ध कराने के प्रयोजन से भारत सरकार द्वारा नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) शुरू की गई और इसे 01 जनवरी, 2004 से सरकार (सशस्त्र सेनाओं के सिवाय) में होने वाली नई भर्तियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया। 27 राज्यों और संघ राज्य सरकारों ने नई प्रणाली को अधिसूचित किया है और अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अपनाया है। इनमें से 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने एनपीएस न्यास के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और 27 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने

एनपीएस के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए सीआरए के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अन्य राज्य एनपीएस आरंभ करने की तैयारी के अलग-अलग स्तरों पर हैं। इसके अलावा केन्द्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों के 26.10 लाख से अधिक कर्मचारी पहले से ही एनपीएस में शामिल हैं। एनपीएस के अंतर्गत रखी जा रही कुल धनराशि 24720 करोड़ रुपये है। एनपीएस के लाभ को असंगठित क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाने के लिए बजट भाषण 2010-11 में की गई घोषणा के अनुसरण में सरकार द्वारा "स्वावलंबन योजना" आरंभ की गई है। इस योजना को 69 एग्रीगेटर्स के जरिए संचालित किया जाता है। वर्ष 2010-11 के दौरान कुल 3,01,920 अभिदाता शामिल किए गए, वर्ष 2011-12 में 6,43,980 अभिदाता पंजीकृत किए गए तथा 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार 2,92,021 नए अभिदाताओं को पंजीकृत किया गया। असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों सहित सभी नागरिकों के लिए एनपीएस 26830 सेवा प्रदाता शाखाएं तथा 53 उपस्थिति स्थान (पीओपी) के जरिए उपलब्ध थी।

ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)/ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (डीआरएटी)

केन्द्र सरकार ने बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों के त्वरित न्यायनिर्णयन तथा त्वरित वसूली तथा इससे संबंद्ध मामलों के लिए बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत 33 डीआरटी तथा 5 डीआरएटी स्थापित किए गए हैं। डीआरटी बकाये के प्रभावी वसूली के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (एसएआरएफएईएसआई), 2002 के अधिनियमन के पश्चात डीआरटी की भूमिका और बढ़ गई है जो व्यथित पक्षों को डीआरटी के समक्ष अपील करने का अवसर देते हैं।

अनंतिम आंकड़ों के अनुसार डीआरटी द्वारा 01.01.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान 18,885 करोड़ रुपए के संबंध में 10,887 मामलों तथा 1.1.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान 16078 करोड़ रुपये के संबंध में 9125 मामलों को निपटाया गया।

परिव्यय और परिणाम 2011-12 के संदर्भ में परिणामी विवरण

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2011-2012 परिव्यय (रूपए करोड़ में)		मात्रात्मक प्रदाय/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	जोखिम कारक	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
1.	मुख्य शीर्ष-2235 किसानों के लिए कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008 के क्रियान्वयन के लिए किसान ऋण राहत कोष	ऋण माफ किए जाने पर किसान सामान्य नियमों के अनुसार बैंकों से नए कृषि ऋण के लिए पात्र हो जाएंगे।	6000.00	1500.00	यह योजना 31 मार्च, 2007 तक ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा संवितरित सभी कृषि ऋण जो 31 दिसम्बर, 2007 तक बकाया थे तथा 31.12.2007 तक अतिदेय थे और जो 29.02.2008 तक चुकाए नहीं गए, को कवर करती है। लघु तथा सीमांत किसानों के लिए पूर्ण माफी है जबकि इस अवधि के दौरान कवर किए गए ऋणों के लिए अन्य किसानों हेतु एकबारगी निपटान योजना है। एकबारगी निपटान में 75% के भुगतान पर 25% की राहत दी जाती है।	ऋण माफी के लिए यह योजना अपनी नियत तिथि अर्थात 30.06.2008 तक क्रियान्वित की गई। ऋण राहत के संबंध में अन्य किसानों को अपना भुगतान करके शेष राशि पर 25% की राहत प्राप्त करने के लिए 30.06.2010 तक समय बढ़ाया गया।	यह किसानों के लिए एक सब्सिडी है। इसमें कोई जोखिम कारक शामिल नहीं है।	1176.39 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। इस योजना के तहत लगभग 3.45 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचा है।
2.	मुख्य शीर्ष-2235 किसानों के लिए कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008 के लिए ऋणदात्री संस्थाओं को ब्याज का भुगतान	शेष प्रतिपूर्ति योग्य दावों पर ब्याज का भुगतान किए जाने पर, ऋणदात्री संस्थाओं को आरबीआई द्वारा अपेक्षित अपने प्रतिपूर्ति योग्य दावों के लिए प्रावधान नहीं करने पड़ेंगे।	287.00	287.00	एडीडब्ल्यूडीआरएस के अंतर्गत ऋणदात्री संस्थाओं के प्रतिपूर्ति योग्य दावों के लिए भिन्नकालिक भुगतान के कारण, सरकार ने एडीडब्ल्यूडीआरएस के अंतर्गत दूसरी, तीसरी और चौथी किस्तों के लिए इन ऋणदात्री संस्थाओं के लिए 2009-10 से 2011-12 की अवधि में इस उद्देश्य के लिए 3872.00 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया है।	मार्च 2012 तक	कोई जोखिम अंतर्ग्रस्त नहीं।	आरबीआई और नाबार्ड से प्राप्त दावों के अनुसार 178.46 करोड़ रूपए जारी किए गए।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
3.	मुख्य शीर्ष 2416- किसानों को अल्पावधि ऋण देने के लिए ब्याज सहायता।	अल्पावधि उत्पादन ऋण पर किसानों को ब्याज राहत।	4868.00	4000.00	किसानों को 3.00 लाख रुपए तक लघु अवधि उत्पाद ऋण 7% ब्याज दर पर उपलब्ध कराना	एक वर्ष	यह किसानों के लिए सब्सिडी है। इसमें कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।	3282.70 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए
4.	मुख्य शीर्ष 2416- अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे (एसटीसीसीएस) के पुनरुद्धार के लिए सहायता अनुदान	देश में अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे का पुनरुद्धार करना।	0.01	0.01	पैकेज को कार्यान्वित करने के इच्छुक राज्यों में अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे का पुनरुद्धार करने के लिए ।	अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे का पुनरुद्धार, राज्यों की सहमति और सहायता पर निर्भर करते हुए, अगले 1-2 वर्षों के दौरान पूरा किया जाना है।	यह देश में अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुद्धार के लिए एक अनुदान है। इसमें कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।	पैकेज को लागू करने के लिए 2010-11 तक 9245.28 करोड़ रुपये जारी किए गए 17 राज्यों में 53,205 पात्र पी एस सी एस के पुनर्पूजीकरण के लिए भारत सरकार के भाग के रूप में नाबार्ड द्वारा, 9002.92 करोड़ रुपये जारी किए गये, 3 राज्यों में 1510 अपात्र पीएसीएस, 30 सीसीवी और उड़ीसा में 13 सीसीवी से संबद्ध हैं।
5.	मुख्य शीर्ष 2416- दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे (एलटीसीसीएस) के पुनरुद्धार के लिए सहायता अनुदान	देश में दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे का पुनरुद्धार करना।	1000.00	0.01	दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुद्धार के लिए पुनरुद्धार पैकेज प्रदान करना।	पैकेज में ऐसे कतिपय परिवर्तन किए जाने जरूरी थे जिन्हें सरकार का अनुमोदन मिलना अभी शेष है।	भारत सरकार ने कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस), 2008 और एसटीसीसीएस पैकेज को लागू करने से पूर्व एलटीसीसीएस की वित्तीय स्थिति के संबंध में एसटीसीसीएस के कार्यान्वयन के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।	इस पैकेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
6.	मुख्य शीर्ष 2416- वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ)	वृहत वित्तीय समावेशन, विशेष रूप से कमजोर वर्गों, कम आय समूहों तथा पिछड़े क्षेत्रों/ बैंक सुविधा रहित क्षेत्रों में, प्राप्त करने को ध्यान में रखते हुए, संवर्द्धनात्मक और विकासात्मक कार्यकलाप संबंधी सहायता ।	10.00	10.00	वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने की दृष्टि से व्यावसायिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कमजोर वर्गो और अल्प आय समूहों को वहन करने योग्य लागत पर समय से और पर्याप्त ऋण तथा वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	यह निधि वर्ष 2007-08 से कार्यान्वित की जा रही है।	भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा क्रमशः 40:40:20 के अनुपात में अंशदान से एक निधि का गठन किया गया है, जिसका रखरखाव नाबार्ड द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार के हिस्से के रूप में वर्ष 2007-08, 2009-10 , 2010-11 में प्रत्येक वर्ष 10.00 करोड़ रुपये जारी किए गए।	10.00 करोड़ रुपये का संपूर्ण प्रावधान स्वीकृत कर दिया गया है
7.	मुख्य शीर्ष 2416 - वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ)	वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, वित्तीय समावेशन में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के अंतरण को बढ़ाने वित्तीय सेवा प्रदाता/उपयोगकर्ता के प्रौद्योगिकीय समावेशन में वृद्धि करने के उद्देश्य से सूचना संचार प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ाना।	10.00	10.00	वित्तीय समावेशन में अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी के अंतरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों को वहनीय लागत पर समय से और पर्याप्त ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकीय विकास के अंतर्गत सुविधा देना।	यह निधि वर्ष 2007-08 से प्रयोग में लाई जा रही है	भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा क्रमशः 40:40:20 के अनुपात में अंशदान से एक निधि का गठन किया गया है, जिसका रखरखाव नाबार्ड द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार के हिस्से के रूप में वर्ष 2007-08, 2009-10 , 2010-11 में प्रत्येक वर्ष 10.00 करोड़ रुपये जारी किए गए।	10.00 करोड़ रुपये का संपूर्ण प्रावधान स्वीकृत कर दिया गया है
8.	मुख्य शीर्ष 4416- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूंजीकरण	आरआरबी की जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी अनुपात को समयबद्ध रूप में कम से कम 7 प्रतिशत करना तथा बाद में इसे बढ़ाकर 9 प्रतिशत करना।	500.00	200.00	40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से उनके सीआरएआर को कम से कम 7% तक लाने में मदद मिलेगी।	एक वर्ष	यह सरकारी निवेश है। कोई भी जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।	10 आरआरबी के पुनर्पूंजीकरण के लिए 402.43 करोड़ रुपये जारी किए गए।
9.	मुख्य शीर्ष 3465 - प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान	भारतीय स्टेट बैंक के ईक्विटी शेयर के अधिकार निर्गम, 2008 में विपणण्य प्रतिभूति परिदान हेतु प्रतिभूति परिदान	625.00	625.00	यह भारतीय स्टेट बैंक को उसके अधिकार निर्गम 2008 में अंशदान करने के लिए जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियों 2024 का	वर्ष 2024 तक	कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है क्योंकि यह इस प्रयोजन के लिए पहले से गठित प्रतिभूति मोचन निधि	625.00 करोड़ रुपये जारी किए गए।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
		निधि में अंशदान करना।			मोचन करने के लिए सृजित की गई प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान है।		में किया जाने वाला एक अंशदान है।	
10.	मुख्य शीर्ष 5465 - सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का पुनर्पूंजीकरण	इक्विटी समर्थन के जरिए पीएसबी का पुनः पूंजीकरण करना जिससे कि वे अपना टियर-I सीआरएआर 8% बनाए रख सकें और सभी पीएसबी में भारत सरकार की शेयरधारिता बढ़कर 58% हो सके।	6000.00	12000.00	सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को टियर-I सीआरएआर का सुविधाजनक स्तर बनाए रखने में समर्थ करना और सभी पीएसबी में भारत सरकार की शेयरधारिता को 58% तक बढ़ाना।	-	यह पीएसबी में सरकार द्वारा किया गया निवेश है जिससे कि वे देश की बढ़ती ऋण जरूरतों को सकारात्मक एवं प्रभावी रूप से पूरा कर सकें।	12000.00 करोड़ रु. जारी किए गए। भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक वित्तीय संकट का सामना करने में समर्थ रही है।
11.	मुख्य शीर्ष 3465 - "स्वाभिमान स्कीम" के अंतर्गत "नो फ्रिल्स" खाते खोलने के लिए बैंकों को वित्तीय सहायता।	यह लगभग 73,000 अभिचिह्नित वास स्थलों में 5.11 करोड़ "नो फ्रिल्स" खाते खोलने के लिए प्रति वित्तीय समावेशन लाभार्थी खाता 140 रु. की दर से बैंकों को वित्तीय सहायता देने हेतु है।	50.00	0.00	यह वित्तीय समावेशन योजनाओं के भाग के रुप में उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अनुसमर्थन के साथ कारोबार संपर्की (बीसी) एवं अन्य मॉडलों के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने पर लक्षित है।	तीन वर्ष	कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है क्योंकि यह केवल "नो फ्रिल्स" खातों को खोलने की एककालिक नियत लागत को पूरा करने के लिए है।	योजना को बीच में ही बंद कर दिया गया और योजना के तहत कोई निधि जारी नहीं की गई। वित्तीय समावेशन के तहत 74,000 अभिचिह्नित वास स्थलों को शामिल किया गया है।
12.	मुख्य शीर्ष 4885 - इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) की शेयर पूंजी के लिए अंशदान	वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं के लिए उपलब्ध दीर्घावधि - सुविधा का संपूरण करना।	1000.00	500.00	आईआईएफसीएल दीर्घावधि- अवसंरचना वित्त सुविधा में जो कमी है उसे पूरा करेगी, क्योंकि बैंक और अन्य संस्थाएं इसे पूरा नहीं कर पाती।	-	वित्तीय मध्यवर्ती संगठन के रुप में आईआईएफसीएल ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम का सामना करती है।	आईआईएफसीएल को 500 करोड़ रु. जारी किए गए। आईआईएफसीएल ने संचयी रूप से 267 परियोजनाओं के लिए 61,219 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की।
13.	मुख्य शीर्ष 4885 - एक्जिम बैंक की शेयर पूंजी के लिए अंशदान करना।	एक्जिम बैंक का इक्विटी आधार सुदृढ़ बनाना।	300.00	300.00	वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान निर्यात ऋण व्यवस्था (एलओसी) के अंतर्गत बैंक का संवितरण बढ़ाकर 600 मिलियन यूएस डॉलर	एक वर्ष	ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम एवं विदेशी मुद्रा जोखिम।	300 करोड़ रु. का संपूर्ण प्रावधान जारी किया। एक्जिम बैंक ने 54,529.78 करोड़

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
					करना (वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान एलओसी के अंतर्गत संवितरित किए गए अनुमानित 500 मिलियन यूएस डॉलर की तुलना में लगभग 20% की बढ़त)			रु. का ऋण (भारत सरकार समर्थित एलओसी सहित) स्वीकृत किया ।
14.	मुख्य शीर्ष-2235 वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना हेतु जीवन बीमा निगम को भुगतान।	वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना हेतु सब्सिडी देना	199.61	190.38	योजना के तहत पेंशनर 9% प्रति वर्ष का प्रभावी प्रतिफल प्राप्त करते हैं।	योजना को 09.07.2004 से बंद कर दिया गया है।	कोई जोखिम अन्तर्ग्रस्त नहीं है।	एलआईसी को 182.04 करोड़ रु. दिए गए। 3.5 लाख पेंशनर जिन्होंने इस योजना को लिया है कवर किए जाते हैं।
15.	मुख्य शीर्ष 2235 - समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (यूएचआईएस) के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण कंपनियों को भुगतान	बीपीएल परिवारों के स्वास्थ्य लाभ की पहुंच में सुधार करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियां यूएचआईएस को क्रियान्वित कर रही हैं।	20.00	20.00	6.66 लाख परिवारों को कवर करना।	—	यह गरीबों के लिए कल्याण योजना है। कोई जोखिम अंतर्ग्रस्त नहीं है।	13.60 करोड़ रु. जारी किए गए। 2,93,672 परिवारों को कवर करते हुए 48077 पॉलिसियां जारी की गईं।
16.	मुख्य शीर्ष -2235 "स्वावलंबन योजना"	नई पेंशन प्रणाली के तहत 20 लाख अभिदाताओं को कवरेज प्रदान करना	220.00	110.00	यह योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों को एनपीएस के तहत स्वयं को नामांकित करके अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने पर लक्षित है।	नामांकन का स्तर एग्रीगेटर्स के निष्पादन पर आधारित होगा। (तीन वर्ष)	औपचारिक श्रम बाजार स्थिति, आंतरायिक आय और कम वित्तीय ज्ञान।	इस योजना के अंतर्गत 40.00 करोड़ रु. जारी किए गए। 6,43,980 अतिरिक्त अभिदाताओं को 2011-12 के दौरान नामांकित किया गया है।
17.	मुख्य शीर्ष 2885 - नोडल एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक को आर्थिक सहायता का भुगतान	नोडल एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से 15 लाख रु. तक के आवास ऋणों पर 1% की ब्याज सहायता देने के लिए प्रावधान।	500.00	300.00	यह ब्याज सहायता अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से प्रदान की जाएगी।	डेढ़ वर्ष	कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं हे।	300.00 करोड़ रु. जारी किए गए।

परिव्यय और परिणाम 2012-13 के संदर्भ में परिणामी विवरण

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2012-2013 परिव्यय (रूपए करोड़ में)		मात्रात्मक प्रदाय/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक	31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
1.	मुख्य शीर्ष 2235 - वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना हेतु जीवन बीमा निगम को भुगतान	वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना हेतु सब्सिडी देना	182.25	140.00	योजना के तहत लगभग 3.5 लाख पेंशन भोगी 9% का प्रभावी प्रतिफल प्राप्त करते हैं।	लगभग 3.5 लाख वरिष्ठ नागरिकों जिन्हें इस योजना के क्रियान्वयन के दौरान नामांकित किया गया था को इस योजना के तहत लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।	कोई जोखिम अन्तर्ग्रस्त नहीं है।	-
2.	मुख्य शीर्ष 2235 - "स्वावलंबन योजना"	नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत 30 लाख अभिदाताओं को कवरेज प्रदान करना	220.00	128.00	यह योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों को एनपीएस के तहत स्वयं को नामांकित करके अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने पर लक्षित है।	प्रत्येक वर्ष इस योजना के तहत 10 लाख अतिरिक्त अभिदाताओं को नामांकित करना।	संभावित परिणाम अनौपचारिक श्रम बाजार स्थिति, कम आंतरायिक आय और कम वित्तीय जानकारी, एग्रीगेटर का निष्पादन और उपस्थिति स्थान के अधीन है।	कुल 2,92,021 नये अभिदाता पंजीकृत किए गए हैं।
3.	मुख्य शीर्ष 2235-जनश्री बीमा योजना के लिए एलआईसी द्वारा अनुरक्षित सामाजिक सुरक्षा निधि को बढ़ाने के लिए सरकार का अंशदान	यह योजना गांव और शहरों में गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से मामूली रूप से ऊपर रह रहे लोगों को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करती है।	175.00	175.00	इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम 200 रु. प्रति वर्ष है जिसमें से 50 प्रतिशत अंशदान लाभार्थी/ राज्य सरकार/नोडल एजेंसी द्वारा किया जाता है और शेष 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा अभिदत्त और एलआईसी द्वारा अनुरक्षित सामाजिक सुरक्षा निधि से लिया जाता है।	वे व्यक्ति जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच है और जो पहचाने गए 45 व्यावसायिक/पेशेवर समूहों के सदस्य हैं, को इस योजना के तहत बीमा कवर प्रदान किया जाता है।	सरकार को इस योजना के लिए समय-समय पर सामाजिक सुरक्षा निधि की पुनः पूर्ति करना अपेक्षित है।	157.50 करोड़ रु. जारी किए गए।
4.	मुख्य शीर्ष 2416- किसानों को अल्पावधि ऋण देने के लिए ब्याज सहायता।	अल्पावधि उत्पादन ऋण पर किसानों को ब्याज राहत।	6000.00	5400.00	किसानों को 3.00 लाख रुपए तक लघु अवधि उत्पाद ऋण 7% ब्याज दर पर उपलब्ध कराना	लघु अवधि ऋणों पर अत्यावश्यक ब्याज राहत से किसानों को लाभ होगा।	यह किसानों के लिए सब्सिडी है। इसमें कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।	4377.99 करोड़ रु. जारी किए गए।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
5.	मुख्य शीर्ष-2416 - दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे (एलटीसीसीएस) के पुनः सुदृढ़ीकरण के लिए अनुदान सहायता	देश में दीर्घावधिक सहकारी ऋण ढांचे का पुनः सुदृढ़ीकरण	500.00	0.01	दीर्घावधि ऋण संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए पुनरूज्जीवन पैकेज उपलब्ध कराना।	देश में दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना मजबूत होगी।	भारत सरकार ने कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस), 2008 और एसटीसीसीएस पैकेज को लागू करने से पूर्व एलटीसीसीएस की वित्तीय स्थिति के संबंध में एसटीसीसीएस के कार्यान्वयन के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इस पैकेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	-
6.	मुख्य शीर्ष 2416- वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ)	विशेष रूप से कमजोर वर्गो, अल्प आय समूहों और पिछड़े क्षेत्रों/अब तक बैंकिंग सुविधा रहित क्षेत्रों में अधिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकासात्मक तथा संवर्धनात्मक कार्यकलापों को सहायता प्रदान करना।	20.00	-	वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने की दृष्टि से व्यावसायिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कमजोर वर्गो, और अल्प आय समूहों को वहन करने योग्य लागत पर समय से और पर्याप्त ऋण तथा वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	वित्तीय रूप से अपवर्जित समूहों को बैंक सेवाएं प्रदान की जाएंगी।	भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा क्रमशः 40:40:20 के अनुपात में अंशदान से एक निधि का गठन किया गया है, जिसका रखरखाव नाबार्ड द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार के हिस्से के रूप में वर्ष 2007-08, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 में प्रत्येक वर्ष 10.00 करोड़ रुपये जारी किए गए।	नाबार्ड, जो इस निधि का प्रबंधन कर रहा है ने सूचित किया है कि भारत सरकार द्वारा और अंशदान की आवश्यकता नहीं है, अतः इस प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका।
7.	मुख्य शीर्ष 2416 - वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ)	वित्तीय सेवा प्रदाताओं/ उपयोगकर्ताओं की प्रौद्योगिकीय प्रयोक्ता आमेलन क्षमता बढ़ाते हुए, वित्तीय समावेशन में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के अंतरण को प्रोत्साहित करने वाले वित्तीय समावेशन के	30.00	-	वित्तीय समावेशन में अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी के अंतरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों को वहनीय लागत पर समय से और पर्याप्त ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए	आर्थिक रूप से अपवर्जित समूहों को बैंक सेवाएं प्रदान की जाएंगी।	भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा क्रमशः 40:40:20 के अनुपात में अंशदान से एक निधि का गठन किया गया है, जिसका रखरखाव नाबार्ड द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार के हिस्से के रूप में	नाबार्ड, जो इस निधि का प्रबंधन कर रहा है, ने सूचित किया है कि भारत सरकार द्वारा और अंशदान की आवश्यकता नहीं है, अतः इस प्रावधान का

1	2	3	4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान	5	6	7	8
		संवर्द्धन पर लक्षित सूचनाप्रसार प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाना।			प्रौद्योगिकीय विकास के अंतर्गत सुविधा देना।		वर्ष 2007-08, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 में प्रत्येक वर्ष 10.00 करोड़ रुपये जारी किए गए।	उपयोग नहीं किया जा सका।
8.	मुख्य शीर्ष 2416- महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि के लिए नाबार्ड को सहायता अनुदान	यह निधि महिला एसएचजी को असेवित तथा कम सेवा वाले क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।	200.00	-	यह देश के पिछड़े क्षेत्रों/जिलों में महिला एसएचजी के वित्त-पोषण को प्रोत्साहन देगा।	यह बैंकों को पिछड़े क्षेत्रों की निर्धन महिलाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए सक्षम बनाएगा। यह महिला एसएचजी को जीविका संबंधी क्रिया-कलापों को शुरू करने में सक्षम बनाएगा।	यह अनुदान सहायता है और यह परिणाम आधारित है। अतः कोई जोखिम शामिल नहीं है।	28.12.2012 तक की स्थिति के अनुसार इस निधि से 10.61 करोड़ रु. की अनुदान सहायता प्रदान की गई है। 23071 एसएचजी की स्थापना की गई है और 14969 एसएचजी ऋण सम्बद्ध हो गए हैं।
9.	मुख्य शीर्ष 2885 - नोडल एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक को आर्थिक सहायता का भुगतान	यह प्रावधान नोडल एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से 15 लाख रूपए तक के आवास ऋणों पर 1% की ब्याज सहायता देने के लिए है।	400.00	500.00	यह ब्याज सहायता अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से प्रदान की जाएगी।	आवास जनसंख्या की मूल आवश्यकता है। आवास क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से श्रमिक प्रधान क्रियाकलापों और अप्रत्यक्ष रूप से सीमेंट और स्टील जैसे उद्योगों के लिए अतिरिक्त मांग उत्पन्न कराकर रोजगार सृजन करने की वृहद क्षमता है।	कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।	200 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए।
10.	मुख्य शीर्ष - 3465 भारतीय स्टेट बैंक के अधिकार निर्गम में इक्विटी शेयर के अंशदान के लिए प्रतिभूति मोचन निधि में अंतरण	भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयर के अधिकार निर्गम, 2008 में विपणण्य प्रतिभूति परिदान हेतु प्रतिभूति परिदान निधि में अंशदान करना।	625.00	625.00	यह भारतीय स्टेट बैंक को उसके निर्गम, 2008 में अंशदान करने के लिए जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियां 2024-का मोचन करने के लिए सृजित की गई प्रतिभूति मोचन निधि में अंतरण के लिए है।	सरकार द्वारा इन प्रतिभूतियों के मोचन के लिए बनाई गई निधि में प्रतिवर्ष 625 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जानी है।	कोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं क्योंकि यह इस प्रयोजन के लिए पहले से गठित प्रतिभूति मोचन निधि में किया जाने वाला एक अंतरण है।	-
11.	मुख्य शीर्ष 4416- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का	आरआरबी की जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी अनुपात को समयबद्ध रूप में	200.00	535.00	40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से उनके सीआरएआर को कम से कम	आरआरबी की वित्तीय स्थिति में सुधार करना ताकि उनके घाटों को	यह सरकारी निवेश है। कोई भी जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।	200 करोड़ रु. जारी किए गए।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
	पुनर्पूंजीकरण	कम से कम 7 प्रतिशत करना तथा बाद में इसे बढ़ाकर 9 प्रतिशत करना।			7% तक लाने में मदद मिलेगी।	कम किया जा सके और उनकी उधार क्षमता बढ़ाई जा सके।		
12	मुख्य शीर्ष 4416-नाबार्ड की शेयर पूंजी में अंशदान।	3000 करोड़ रु. का इक्विटी निवेश करके राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की आधार पूंजी को बढ़ाना।	500.00	1000.00	नाबार्ड की आधार पूंजी को मजबूती देना और इसके साथ अपने विकासात्मक अधिदेश को पूरा करने के लिए अपनी उधार क्षमता को बढ़ाना।	अपने विकासात्मक अधिदेश को पूरा करने के लिए यह नाबार्ड की उधार क्षमता बढ़ाएगा।	यह नाबार्ड की आधार पूंजी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया अंशदान हैकोई जोखिम कारक अंतर्ग्रस्त नहीं है।	500.00 करोड़ रुपए जारी किए गए।
13	मुख्य शीर्ष 4885 - इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) की शेयर पूंजी के लिए अंशदान	वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घावधिक वित्त उपलब्ध कराने हेतु संपूर्ण करना।	400.00	400.00	आईआईएफसीएल दीर्घावधि अवसंरचना वित्त में जो कमी है, जिसे बैंक और अन्य संस्थाएं पूरा नहीं कर पाती है, उसे पूरा करेगी।	कंपनी की चुकता पूंजी को बढ़ाना। यह कंपनी को अपने ऋण पोर्टफोलियों का विस्तार करने अैर अपने मूल तत्वों को मजबूत करने की सुविधा देगा।	वित्तीय मध्यवर्ती संगठन के रुप में आईआईएफसीएल ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम का सामना करती है।	सम्पूर्ण प्रावधान (400 करोड़ रु.) जारी किया गया। आईआईएफसीएल ने संचयी रूप से 325 परियोजनाओं के लिए 72906 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की है।
14	मुख्य शीर्ष 4885 - एक्जिम बैंक की शेयर पूंजी के लिए अंशदान करना।	एक्जिम बैंक का इक्विटी आधार सुदृढ़ बनाना।	200.00	200.00	वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान निर्यात ऋण के (एलओसी) व्यवस्था के अंतर्गत बैंक का संवितरण बढ़ा कर 907 मिलियन यूएस डालर करना। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान (एलओसी के अंतर्गत संवितरित किए गए 756 मिलियन अनुमानित यूएस डालर की तुलना में लगभग 20% की बढ़ोत्तरी)	भारत द्वारा अन्य देशों को किए जाने वाले निर्यात को संवर्धन करने में सहायता देगा।	ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम एवं विदेशी मुद्रा जोखिम।	एक्जिम बैंक ने 62,964.61 करोड़ रु. का ऋण (भारत सरकार समर्थित एलओसी सहित) स्वीकृत किया।
15	मुख्य शीर्ष - 5465 सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी एसबी) का पुनर्पूंजीकरण	इक्विटी समर्थन के जरिए पीएसबी का पुनर्पूंजीकरण करना जिससे कि वे अपनी टीयर-I सीआरएआर 8% बनाए रख सकें और सभी पीएसबी में भारत सरकार की शेयरधारिता बढ़कर 58% हो सके।	14588.00	12517.00	सरकार क्षेत्र के बैंकों को टीयर-I सीआरएआर का सुविधाजनक स्तर रखने में समर्थ करना और सभी पीएसबी में भारत सरकार की शेयरधारिता को 58% तक बढ़ाना।	सीआरएआर का उचित स्तर अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को सहायता देने में पीएसबी को सक्षम बनाता है जिससे रोजगार अवसरों में और देश में कुल जीडीपी विकास में बढ़ोत्तरी होती है।	यह पीएसबी में सरकार द्वारा किया गया निवेश है जिससे कि वे देश की बढ़ती ऋण जरूरतों को सकारात्मक एवं प्रभावी रूप से पूरा कर सकें।	-

वित्तीय सेवाएं विभाग के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित निवल लाभ तथा अदा किए गए लाभांश का विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	बैंक/बीमा कंपनी का नाम	31.03.2012 के अनुसार कुल चुकता पूंजी	31.03.2012 के अनुसार चुकता पूंजी में सरकार का अंश	2011-12 में करोपरान्त लाभ	2011-12 में अदा किया गया लाभांश	2012-13 में लाभांश की अदायगी हेतु बजट अनुमान	2012-13 में लाभांश की अदायगी हेतु संशोधित अनुमान	2013-14 में लाभांश की अदायगी हेतु बजट अनुमान
1.	इलाहाबाद बैंक	500.03	276.21	1866.79	165.73	175.00	182.30	200.53
2.	आन्ध्रा बैंक	559.58	324.58	1344.67	178.52	190.00	196.37	216.01
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	411.12	223.28	5007.00	379.58	400.00	417.54	459.29
4.	बैंक ऑफ इंडिया	574.52	359.88	2677.52	251.92	270.00	277.11	304.82
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	589.59	465.50	430.83	158.27	85.00	174.10	191.51
6.	केनरा बैंक	443.00	300.00	3282.71	330.00	350.00	363.00	399.30
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	736.11	582.63	533.00	245.12	120.00	269.63	296.60
8.	कार्पोरेशन बैंक	148.12	86.69	1506.04	177.72	190.00	195.49	215.04
9.	देना बैंक	350.05	193.38	803.14	58.02	50.00	63.82	70.20
10.	इंडियन बैंक	429.77	343.82	1746.97	297.86	275.00	327.65	360.41
11.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	796.99	554.86	1050.13	249.69	220.00	274.66	302.12
12.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	291.76	169.22	1141.56	133.68	190.00	147.05	161.75
13.	पंजाब नैशनल बैंक	339.17	190.27	4884.00	418.61	440.00	460.47	506.52
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	234.20	183.05	451.28	36.61	60.00	40.27	44.30
15.	सिंडिकेट बैंक	601.94	398.28	1313.39	151.35	160.00	166.49	183.13
16.	यूको बैंक	664.71	433.34	1108.67	272.78	140.00	300.06	330.06
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	550.54	299.21	1787.00	249.92	150.00	274.91	302.40
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	360.99	294.42	633.00	146.66	70.00	161.33	177.46
19.	विजया बैंक	495.53	272.66	580.99	182.17	75.00	200.39	220.43
20.	भारतीय स्टेट बैंक	671.04	413.25	11707.29	1446.38	1150.00	1591.02	1750.12
21.	आईडीबीआई बैंक लि.	1278.38	901.53	2032.00	263.49	250.00	289.84	318.82
22.	एग्जिम बैंक	2299.99	2299.99	675.10	205.00	200.00	205.00	245.00
23.	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	100.00	100.00	25624.58	1281.23	1273.62	1417.64	1564.48
24.	भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी)	430.00	430.00	-2468.75	0.00	210.00	210.00	250.00
25.	नेशनल इंश्योरेंश कं. लि. (एनआईसीएल)	100.00	100.00	324.76	0.00	20.00	0.00	0.00
26.	न्यू इंडिया एश्योरेंश कं. लि. (एनआईएसीएल)	200.00	200.00	179.32	40.00	90.00	45.00	60.00
27.	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंश कं. लि. (यूआईआईसीएल)	150.00	150.00	386.79	78.00	100.00	80.00	120.00
28.	ओरियंटल इंश्योरेंश कं. लि. (ओआईसीएल)	100.00	100.00	253.39	50.67	30.00	46.50	56.80
	कुल	**14407.13**	**10646.05**	**70863.17**	**7448.98**	**6933.62**	**8377.64**	**9307.10**

मांग संख्या - 34 - वित्तीय सेवाएं विभाग के अन्तर्गत योजनाओं की संक्षिप्त स्थिति

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम	2011-12 बजट अनुमान	2011-12 संशोधित अनुमान	2011-12 वास्तविक	2012-13 बजट अनुमान	2012-13 संशोधित अनुमान	2012-13 वास्तविक (दिस. 2012 तक)	2013-14 बजट अनुमान
	गैर-योजना							
1	कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस), 2008- किसान ऋण राहत निधि का अंतरण (मुख्य शीर्ष - 2235)	2000.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
2	एडीडब्ल्यूडीआरएस, 2008 के प्रति ऋणदात्री संस्थाओं के जरिए ऋण राहत/माफी (मुख्य शीर्ष - 2235)	6000.00	1500.00	1176.39	0.01	0.00	0.00	0.00
3	एडीडब्ल्यूडीआरएस, 2008 के प्रति ऋणदात्री संस्थाओं को ब्याज का भुगतान (मुख्य शीर्ष - 2235)	287.00	287.00	178.46	0.01	0.01	0.00	0.00
4	समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को सब्सिडी (मुख्य शीर्ष - 2235)	20.00	20.00	13.60	0.01	0.01	0.00	0.00
5	वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना हेतु एलआईसी को ब्याज सब्सिडी (मुख्य शीर्ष - 2235)	199.61	190.38	182.04	182.25	140.00	0.00	134.23
6.	**असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों को नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्वावलंबन योजना**							
	6.1 स्वावलंबन योजना के अंतर्गत नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अभिदाताओं को सरकार का अंशदान (मुख्य शीर्ष - 2235)	200.00	100.00	30.00	200.00	110.00	15.00	150.00
	6.2 स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत नामांकन एवं अंशदान हेतु संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यकलापों हेतु निधीयन सहायता (मुख्य शीर्ष - 2235)	20.00	10.00	10.00	20.00	18.00	0.00	20.00
7	जनश्री बीमा योजना के लिए एलआईसी द्वारा प्रबंधित सामाजिक सुरक्षा निधि के संवर्धन हेतु सरकारी अंशदान (मुख्य शीर्ष - 2235)	0.00	100.00	100.00	175.00	175.00	157.50	0.00
8	आम आदमी बीमा योजना के प्रति सरकार का अंशदान (मुख्य शीर्ष - 2235)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
9	लघु अवधि सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) के सुदृढ़ीकरण के लिए नाबार्ड के जरिए अनुदान (मुख्य शीर्ष - 2416)	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
10	किसानों को लघु अवधि ऋण उपलब्ध कराने हेतु ब्याज सहायता (मुख्य शीर्ष - 2416)	4868.00	4000.00	3282.70	6000.00	5400.00	4377.99	6000.00
11	दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएसस) को नए सिरे से आरंभ करना (मुख्य शीर्ष - 2416)	1000.00	0.01	0.00	500.00	0.01	0.00	0.01
12	वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) में अंशदान (मुख्य शीर्ष - 2416)	10.00	10.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00
13	वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ) में अंशदान (मुख्य शीर्ष - 2416)	10.00	10.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00
14	आवास ऋण के लिए नोडल एजेंसी यथा राष्ट्रीय आवास बैंक को 1% सब्सिडी का भुगतान (मुख्य शीर्ष - 2885)	500.00	300.00	300.00	400.00	500.00	200.00	200.00
15	विदेशी सहायता संघटक हेतु आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान (मुख्य शीर्ष - 2885)	0.00	0.00	0.00	8.90	8.90	0.00	0.01

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम	2011-12 बजट अनुमान	2011-12 संशोधित अनुमान	2011-12 वास्तविक	2012-13 बजट अनुमान	2012-13 संशोधित अनुमान	2012-13 वास्तविक (दिस. 2012 तक)	2013-14 बजट अनुमान
16	दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) के लिए जारी प्रतिभूति का मोचन (मुख्य शीर्ष - 2885)	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
17	गोअन बैंक को ब्याज सब्सिडी (मुख्य शीर्ष - 2885)	0.08	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
18	भारतीय स्टेट बैंक के ईक्विटी शेयरों के अधिकार निर्गम में अभिदान हेतु प्रतिभूति मोचन निधि में अंतरण (मुख्य शीर्ष - 3465)	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	0.00	625.00
19	विनिमय भिन्नता हेतु आईसीआईसीआई बैंक को भुगतान (मुख्य शीर्ष - 3475)	0.00	0.00	0.00	69.09	69.09	0.00	0.00
20	डीआरटी, चंडीगढ़ के भवन के निर्माण हेतु भूमि की खरीद (मुख्य शीर्ष - 4059)	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21	विश्व बैक समर्थित सूक्ष्म वित्तीय परियोजना के अंतर्गत भारत में सूक्ष्म वित्त सुविधा में सुधार लाने हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को विश्व बैंक की सहायता (मुख्य शीर्ष - 6885)	14.00	14.00	14.00	14.00	1.00	0.52	12.40
	कुल गैर-योजना	**15753.70**	**7766.45**	**6232.23**	**8244.30**	**7347.04**	**4751.01**	**7146.67**
	योजना							
22	महिला स्व-सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि के गठन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष -2416)	0.00	100.00	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00
23	वित्तीय समावेशन योजना के भाग के रूप में स्वाभिमान योजना के अंतर्गत नोफ्रिल खाता खोलने हेतु बैंक को वित्तीय सहायता (मुख्य शीर्ष - 3465)	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	भारतीय सूक्ष्म वित्त इक्विटी निधि का सृजन करने के लिए लघु उघोग विकास बैंक (सिडबी) को वित्तीय सहायता (मुख्य शीर्ष - 3465)	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
25	भारतीय आयात निर्यात बैंक की शेयर पूंजी के लिए अभिदान (मुख्य शीर्ष - 4885)	300.00	300.00	300.00	200.00	200.00	200.00	700.00
26	भारत संरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को ईक्विटी सहायता (मुख्य शीर्ष - 4885)	1000.00	500.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00
27	नाबार्ड की शेयर पूंजी को अभिदान (मुख्य शीर्ष - 4416)	0.00	1000.00	1000.00	500.00	1000.00	500.00	700.00
28	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनर्पूंजीकरण के प्रति अंशदान (मुख्य शीर्ष - 4416)	500.00	200.00	402.43	200.00	535.00	200.00	88.00
29	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण (मुख्य शीर्ष - 5465)	6000.00	12000.00	12000.00	14588.00	12517.00	0.00	14000.00
30	भारतीय जीवन बीमा निगम की ईक्विटी पूंजी (मुख्य शीर्ष - 5465)	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योजना	**7850.00**	**14200.00**	**14497.43**	**16088.00**	**14652.00**	**1300.00**	**16088.00**
	सकल योग	**23603.70**	**21666.46**	**20729.66**	**24332.30**	**21999.04**	**6051.01**	**23234.67**

वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान में किए गए प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	मदों/योजनाओं का विवरण	मुख्य शीर्ष	2010-11			2011-12			2012-13		
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक दिस.12 तक
	भाग क - गैर-योजना मदें										
1	सचिवालय - सामान्य सेवाएं	2052	12.40	14.17	13.56	15.02	14.08	14.04	15.07	21.62	12.53
	अन्य राजकोषीय सेवाएं										
2	अन्य व्यय (विशेष न्यायालय और अभिरक्षक का कार्यालय)	2047	8.44	7.64	7.39	7.78	7.78	7.48	8.23	6.50	4.44
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
3	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर)	2070	2.20	2.45	2.27	2.57	2.38	2.23	2.53	2.32	1.71
4	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर)	2070	8.43	13.04	12.84	12.19	10.98	9.69	12.34	9.97	7.69
5	ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)	2070	38.78	41.05	38.43	48.06	43.67	43.44	44.25	51.50	37.71
6	पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)	2070	16.00	16.00	8.00	16.00	16.00	16.00	22.00	20.95	10.93
	कुल - अन्य प्रशासानिक सेवाएं		**65.41**	**72.54**	**61.54**	**78.82**	**73.03**	**71.36**	**81.12**	**84.74**	**58.04**
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
7	अन्य व्यय (न्यायालय परिसमापक का कार्यालय, कोलकाता)	3475	0.47	1.54	0.47	0.62	0.62	0.50	0.52	0.52	0.51
8	विनिमय भिन्नता हेतु आईसीआईसीआई बैंक को भुगतान	3475	...	...	...	...	...	...	69.09	69.09	...
	कुल - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		**0.47**	**1.54**	**0.47**	**0.62**	**0.62**	**0.50**	**69.61**	**69.61**	**0.51**
	लोक निर्माण संबंधी पूंजीगत परिव्यय										
9	ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)										
9.01	डीआरटी, चंडीगढ़ के लिए भवन निर्माण हेतु भूमि की खरीद	4059	...	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...
	कुल - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय		**...**	**...**	**...**	**...**	**0.01**	**...**	**0.01**	**...**	**...**
	औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं										
10	नोडल एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक को सब्सिडी का भुगतान	2885	700.00	100.00	38.54	500.00	300.00	300.00	400.00	500.00	200.00
11	एसएएसएफ को जारी की गई प्रतिभूतियों का प्रतिदान	2885	...	300.00	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00	...
12	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अनुदान	2885	154.33	154.33	154.33	...	...	...	...	...	...
13	भारतीय निर्यात-आयात बैंक को शेयर पूंजी के लिए अंशदान	4885	300.00	300.00	300.00	...	...	...	...	...	...

क्रम सं.	मदों/योजनाओं का विवरण	मुख्य शीर्ष	2010-11 बजट अनुमान	2010-11 संशोधित अनुमान	2010-11 वास्तविक	2011-12 बजट अनुमान	2011-12 संशोधित अनुमान	2011-12 वास्तविक	2012-13 बजट अनुमान	2012-13 संशोधित अनुमान	2012-13 वास्तविक दिस.12 तक
14	आईआईएफसीएल को इक्विटी सहायता	4885	500.00	500.00	200.00	...	...	...	...	...	...
15	विदेशी सहायता संघटक हेतु आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान	2885	...	...	82.33	...	...	...	8.90	8.90	...
	कुल औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं		**1654.33**	**1354.33**	**1075.20**	**500.00**	**600.00**	**600.00**	**408.90**	**808.90**	**200.00**
	कृषि वित्तीय संस्थाए										
16	अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) को सुदृढ़ बनाने के लिए नाबार्ड के जरिए अनुदान	2416	984.65	1014.65	1014.65	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...
17	किसानों को अल्पावधि ऋण देने के लिए ब्याज सहायता	2416	3000.00	4000.00	3531.19	4868.00	4000.00	3282.70	6000.00	5400.00	4377.99
18	दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे (एलटीसीसीएस) को पुनरुज्जीवन देना	2416	1000.00	500.00	...	1000.00	0.01	...	500.00	0.01	...
19	वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) के लिए योगदान	2416	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	...	...
20	वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ) के लिए अंशदान	2416	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	...	...
21	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनर्पुंजीकरण के लिए सरकार का अंशदान	4416	...	350.00	66.49	...	...	...	...	...	...
	कुल कृषि वित्तीय संस्थाएं		**5004.65**	**5884.65**	**4632.33**	**5888.01**	**4020.02**	**3302.70**	**6550.01**	**5400.02**	**4377.99**
	सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं										
22	भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयरों के अधिकार निर्गम अंशदान के प्रति प्रतिभूतियों के प्रतिदान के लिए प्रतिभूति मोचन निधि का अंतरण	3465	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	...
23	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण	5465	16500.00	14157.00	14117.23	...	...	...	...	...	...
24	एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक रजिस्ट्री की स्थापना हेतु पूंजी में सरकार का अंशदान	5465	25.00	25.00	25.00	...	...	...	...	...	...
25	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त सूक्ष्म वित्त परियोजना के तहत भारत में सूक्ष्म वित्त तक पहुंच में सुधार करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को विश्व बैंक सहायता	5465	0.00	420.12	411.90	14.00	...	...	...	...	...
		6885	...	...	...	...	14.00	14.00	14.00	1.00	0.52
26	गोअन बैंक को ब्याज सब्सिडी	2885	0.08	0.08	0.08	0.08	0.04	0.04	...	...	...
	कुल सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं		**17150.08**	**15227.20**	**15179.21**	**639.08**	**639.04**	**639.04**	**639.00**	**626.00**	**0.52**

क्रम सं.	मदों/योजनाओं का विवरण	मुख्य शीर्ष	2010-11 बजट अनुमान	2010-11 संशोधित अनुमान	2010-11 वास्तविक	2011-12 बजट अनुमान	2011-12 संशोधित अनुमान	2011-12 वास्तविक	2012-13 बजट अनुमान	2012-13 संशोधित अनुमान	2012-13 वास्तविक दिस.12 तक
	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण										
27	किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना										
27.01	किसान ऋण राहत निधि में अंतरण	2235	12000.00	16000.00	16000.00	2000.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
27.02	किसानों को ऋण माफी एवं ऋण राहत के प्रति ऋणदात्री संस्थाओं को भुगतान	2235	12000.00	12000.00	11340.47	6000.00	1500.00	1176.39	0.01	0.00	0.00
27.03	ऋणदात्री संस्थाओं को ब्याज का भुगतान	2235	1434.00	1434.00	1434.00	287.00	287.00	178.46	0.01	0.01	0.00
	कुल - किसानों के लिए ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना		**25434.00**	**29434.00**	**28774.47**	**8287.00**	**1787.01**	**1354.85**	**0.03**	**0.02**	**0.00**
28	समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (यूएचआईएस) के लिए सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को सब्सिडी	2235	20.00	25.00	22.00	20.00	20.00	13.60	0.01	0.01	0.00
29	वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना हेतु जीवन बीमा निगम को ब्याज सब्सिडी	2235	209.32	175.70	175.70	199.61	190.38	182.04	182.25	140.00	0.00
30	असंगठित क्षेत्र के लोगों को नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्वावलम्बन योजना										
30.01	स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अभिदाताओं को सरकार का अंशदान	2235	...	100.00	50.00	200.00	100.00	30.00	200.00	110.00	15.00
30.02	स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत नामांकन एवं अंशदान हेतु संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यकलापों हेतु निधीयन सहायता	2235	...	10.00	3.50	20.00	10.00	10.00	20.00	18.00	0.00
31	जनश्री बीमा योजना के लिए एलआईसी द्वारा अनुरक्षित सामाजिक सुरक्षा निधि के संवर्धन हेतु सरकार का अंशदान	2235	...	...	...	...	100.00	100.00	175.00	175.00	157.50
	कुल सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण		**25663.32**	**29744.70**	**29025.67**	**8726.61**	**2207.39**	**1690.49**	**577.29**	**443.03**	**172.50**
	कुल गैर-योजना		**49559.10**	**52306.77**	**49995.37**	**15855.94**	**7561.97**	**6325.61**	**8349.24**	**7460.42**	**4826.53**
	भाग ख - योजनागत मदें										
1	भारतीय निर्यात-आयात बैंक की शेयर पूंजी के लिए अंशदान	4885	...	...	...	300.00	300.00	300.00	200.00	200.00	200.00
2	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि.	4885	...	...	...	1000.00	500.00	500.00	400.00	400.00	400.00
3	महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि के निर्माण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को सहायता अनुदान	2416	...	...	...	...	100.00	100.00	200.00	0.00	0.00

क्रम सं.	मदों/योजनाओं का विवरण	मुख्य शीर्ष	2010-11			2011-12			2012-13		
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक दिस.12 तक
4	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की शेयर पूंजी के लिए अंशदान	4416	...	...	...	...	1000.00	1000.00	500.00	1000.00	500.00
5	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए सरकार का अंशदान	4416	...	...	...	500.00	200.00	402.43	200.00	535.00	200.00
6	नाबार्ड में भारतीय रिजर्व बैंक के पण की अधिग्रहण लागत	5465	...	1430.00	1430.00	...	...	...	...	...	...
7	राष्ट्रीय आवास बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के पण की लागत	5465	...	450.00	...	...	...	...	...	...	...
8	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण	5465	...	6000.00	6000.00	6000.00	12000.00	12000.00	14588.00	12517.00	...
9	भारतीय जीवन बीमा निगम की ईक्विटी पूंजी	5465	...	...	...	...	...	95.00			
10	बैंकों को स्वाभिमान योजना के अंतर्गत वित्तीय समावेशन योजना के भाग के रुप में 'नो फ्रिल्स खाते' खोलने के लिए वित्तीय सहायता	3465	...	...	...	50.00	...	...	...	...	...
11	बैंक रहित खण्डों में बैंक शाखाएं खोलने के लिए वित्तीय सहायता	3465	50.00	50.00	...	...	...	...	...	...	...
12	इंडिया माइक्रोफाइनेंस इक्विटी फंड के निर्माण के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को वित्तीय सहायता	3465	...	...	...	...	100.00	100.00	...	...	...
	कुल योजना		**50.00**	**7930.00**	**7430.00**	**7850.00**	**14200.00**	**14497.43**	**16088.00**	**14652.00**	**1300.00**
	कुल योग		**49609.10**	**60236.77**	**57425.37**	**23705.94**	**21761.97**	**20823.04**	**24437.24**	**22112.42**	**6126.53**
	संशोधित अनुमान के सन्दर्भ में प्रतिशत			**97.82%**			**95.69%**			**27.71%**	

वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान प्रावधानों की तुलना में वस्तु शीर्ष-वार वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	2010-11			2011-12			2012-13		
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक दिस.12तक
	राजस्व अनुभाग									
1	वेतन	43.12	48.14	47.08	51.51	46.06	47.78	49.75	53.41	44.80
2	मजदूरी	0.26	0.26	0.18	0.26	0.31	0.24	0.51	0.51	0.31
3	समयोपरि भत्ता	0.18	0.16	0.11	0.16	0.11	0.08	0.15	0.06	0.04
4	चिकित्सा उपचार	0.84	1.01	0.78	1.00	0.99	0.80	0.99	0.94	0.59
5	देशीय यात्रा व्यय	1.40	1.31	1.16	1.37	1.22	1.27	1.38	1.28	0.94
6	विदेश यात्रा व्यय	0.40	0.40	0.27	0.45	0.50	0.36	0.50	0.15	0.08
7	कार्यालय व्यय	8.31	8.45	7.62	9.04	7.97	7.79	8.38	14.47	6.55
8	किराया, दरें एवं कर	10.59	14.44	13.98	17.45	16.35	14.99	13.29	14.03	8.53
9	प्रकाशन	0.30	0.30	0.17	0.30	0.30	0.22	0.35	0.23	0.15
10	अन्य प्रशासनिक व्यय	0.25	0.25	0.19	0.25	0.25	0.24	0.25	0.25	0.16
11	विज्ञापन एवं प्रचार	0.23	0.35	0.30	0.26	0.46	0.31	0.38	0.21	0.15
12	गौण कार्य	0.27	0.26	0.25	0.26	0.36	0.35	0.31	0.30	0.26
13	वृत्तिक सेवाए	2.44	1.23	1.07	1.32	1.12	0.83	1.32	1.01	0.68
14	सहायता अनुदान (सामान्य)	1204.98	1244.98	1262.81	86.01	226.01	226.00	244.41	40.86	6.23
15	अंशदान	645.00	745.00	695.00	845.00	220.00	150.00	425.00	285.00	172.50
16	सब्सिडी	4929.40	4800.78	3767.51	6587.69	4510.43	3778.38	7082.26	6040.02	4577.99
17	सहायता अनुदान (वेतन)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	7.00	4.70
18	एकमुश्त	0.47	1.54	0.47	0.62	0.62	0.50	0.52	0.52	0.51
19	विनिमय विभिन्नता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.09	69.09	0.00
20	ब्याज	1434.00	1434.00	1434.00	287.00	287.00	178.46	0.01	0.01	0.00
21	अन्य प्रभार	12001.67	12301.80	11641.80	6001.99	1802.89	1478.01	4.87	305.06	0.84
22	अंतर लेखा अंतरण	12000.00	16000.00	16000.00	2000.00	625.01	625.00	625.01	625.01	0.00
	जोड़ राजस्व भाग	**32284.10**	**36604.65**	**34874.75**	**15891.94**	**7747.96**	**6511.61**	**8535.23**	**7459.42**	**4826.01**
	पूंजी खण्ड									
23	निवेश	17325.00	23632.12	22550.63	7814.00	14000.01	14297.43	15888.01	14652.00	1300.00
24	ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	1.00	0.52
	कुल पूंजी भाग	**17325.00**	**23632.12**	**22550.63**	**7814.00**	**14014.01**	**14311.43**	**15902.01**	**14653.00**	**1300.52**
	कुल योग (सकल)	**49609.10**	**60236.77**	**57425.38**	**23705.94**	**21761.97**	**20823.04**	**24437.24**	**22112.42**	**6126.53**

वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान बजट प्रावधान और वास्तविक व्यय का विश्लेषण

वर्ष 2010-11 के दौरान बजट अनुमान में 49,609.10 करोड़ रु. (राजस्व खण्ड के अतर्गत 32,284.10 करोड़ रु. और पूंजीगत खण्ड के अंतर्गत 17,325.00 करोड़ रु.) का प्रावधान किया गया था। संशोधित अनुमान में इसे बढ़ाकर 60236.77 करोड़ रु. (राजस्व खण्ड को बढ़ाकर 36,604.65 करोड़ रु. और पूंजी खण्ड को बढ़ाकर 23,632.12 करोड़ रु.) कर दिया गया था। वास्तविक व्यय 57,425.38 करोड़ रु. (राजस्व खण्ड के अंतर्गत 34,874.75 करोड़ रु. और पूंजीगत खण्ड के अंतर्गत 22,550.63 करोड़ रु.) था। वर्ष 2010-11 के दौरान, 99.80% से अधिक निधियों का प्रयोग औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, कृषि वित्तीय संस्थाओं, सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाओं और सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों पर किया गया और सचिवालय एवं अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर 0.20% से भी कम व्यय हुआ था।

वर्ष 2011-12 के दौरान बजट अनुमान में 23,705.94 करोड़ रु. (राजस्व खण्ड के अंतर्गत 15,891.94 करोड़ रु. और पूंजीगत खण्ड के अंतर्गत 7,814.00 करोड़ रु.) का प्रावधान किया गया था। संशोधित अनुमान 2011-12 में इसे कम करके 21,761.97 करोड़ रु. (राजस्व खण्ड को कम करके 7747.96 करोड़ रु. कर दिया गया जबकि पूंजीगत खण्ड को बढ़ाकर 14,014.01 करोड़ रु.) कर दिया गया। वास्तविक व्यय 20,823.04 करोड़ रु. (राजस्व खण्ड के अंतर्गत 6511.61 करोड़ रु. और पूंजीगत खण्ड के अंतर्गत 14,311.43 करोड़ रु.) था। वर्ष 2011-12 में भी 99% से भी अधिक निधियां औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, कृषि वित्तीय संस्थाओं, सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाओं, तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से संबंधित विभिन्न आर्थिक सहायता कार्यक्रमों तथा पूंजीकरण पहलों के लिए आबंटित की गई थी।

वर्ष 2012-13 के दौरान बजट अनुमान में 24,437.24 करोड़ रु. (राजस्व खण्ड के अंतर्गत 8535.23 करोड़ रु. और पूंजीगत खण्ड के अंतर्गत 15,902.01 करोड़ रु.) का प्रावधान किया गया था। संशोधित अनुमान 2012-13 में इसे कम करके 22,112.42 करोड़ रु. (राजस्व खण्ड 7459.42 करोड़ रु. और पूंजीगत खण्ड 14,653.00 करोड़ रु.) कर दिया गया। दिसम्बर, 2012 तक वास्तविक व्यय 6126.53 करोड़ रु. (राजस्व खण्ड के अंतर्गत 4826.01 करोड़ रु. और पूंजीगत खण्ड के अंतर्गत 1300.52 करोड़ रु.) था। चूंकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पूंजीकरण से संबंधित प्रस्ताव को वर्ष 2012-13 की अंतिम तिमाही में स्वीकार किया जाना संभावित है, अतः दिसम्बर, 2012 तक व्यय अनुपातिक रूप से कम था। वर्ष 2012-13 में भी 99% से भी अधिक निधियां औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, कृषि वित्तीय संस्थाओं, सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाओं तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से संबंधित विभिन्न आर्थिक सहायता कार्यक्रमों तथा पूंजीकरण पहलों के लिए आबंटित की गई थी।

विगत तीन वर्षों (2010-11 से 2012-13) के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित व्यय का समग्र रुझान निम्नवत बार-चार्ट में दर्शाया गया है:

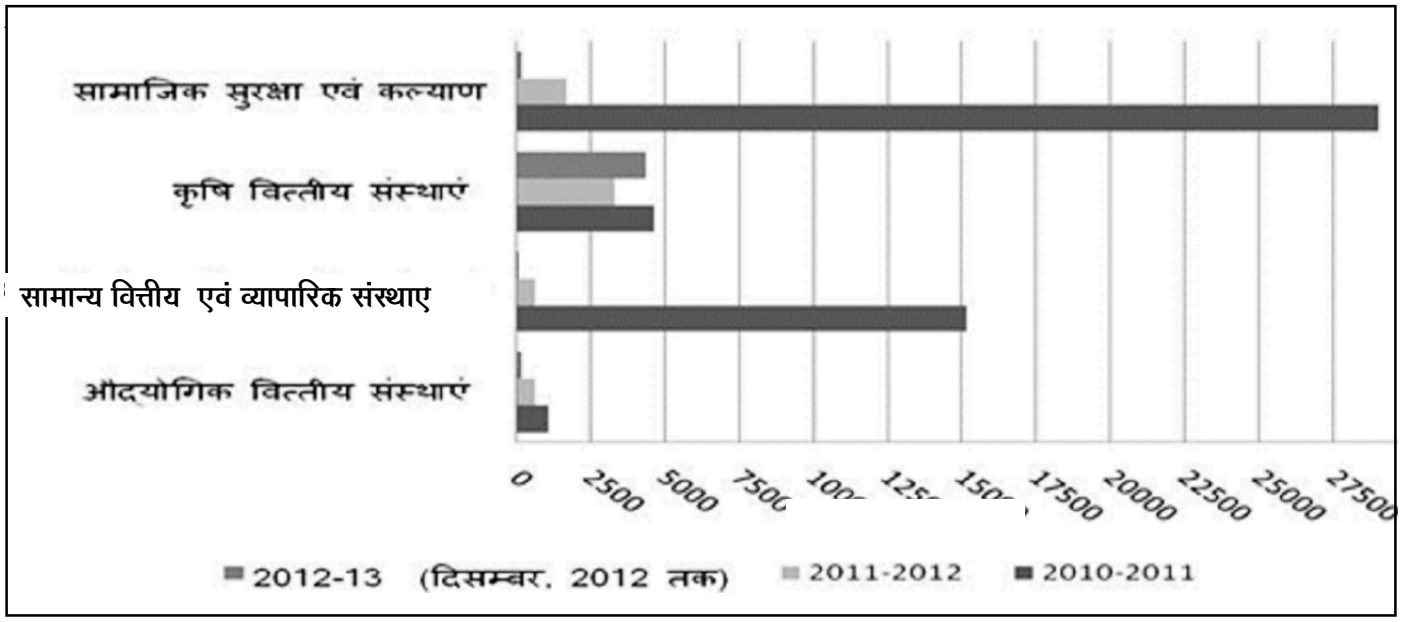

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान अभ्यर्पण तथा बचत संबंधी विवरण

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान 23,705.94 करोड़ रुपए (15,891.94 करोड़ रुपए राजस्व के तहत तथा 7814.00 करोड़ रुपए पूंजी खंड के तहत) का मूल प्रावधान किया गया था। 6997.46 करोड़ रुपए (500.02 करोड़ रुपए राजस्व के तहत तथा 6497.44 करोड़ रुपए पूंजी खंड के तहत) का अनुपूरक अनुदान प्राप्त करके इसे बढ़ाकर 30,703.40 करोड़ रुपए कर दिया गया था, इसकी तुलना में व्यय 20,823.04 करोड़ रुपए था। जिसके परिणामस्वरूप कुल बचत 9880.36 करोड़ रुपए की हुई। 9880.36 करोड़ रुपए की बचत के कारण कुल प्रभावी बचत 11,216.92 करोड़ रुपए तथा कुल अधिशेष 1336.56 करोड़ रुपए था। मुख्य बचतों (एक करोड़ रुपए से अधिक) की श्रेणियों को नीचे दर्शाया गया हैः-

(i) सामान्य बचतेः संसाधनों के मितव्ययी उपयोग के परिणामस्वरुप हुई बचतः

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	उपशीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचत	अभियुक्तियां/कारण
1.	औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर)	2.50	बचत निधियों की कम वास्तविक आवश्यकताओं के कारण हुई थी जिनकी पहले प्रत्याशा नहीं की जा सकती थी। बीआईएफआर तथा डीआरटी हेतु 'वेतन' के अंतर्गत बचत उन कुछ रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई थी जिनके भरे जाने की सम्भावना थी।
2.	ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)	4.62	
3.	भारत संरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	500.00	आईआईएफसीएल की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए 1000 करोड़ रुपए के मूल प्रावधान को संशोधित अनुमान की अवस्था में कम करके 500 करोड़ रुपए कर दिया गया था, इसके परिणामस्वरूप उक्त बचतें हुईं।

(ii) कम उपयोग/अनुपयोगः परियोजनाओं/योजनाओं के गैर-कार्यान्वयन/देरी के कारण हुई बचतः

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	उपशीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचत	अभियुक्तियां/कारण
1.	दीर्घावधिक सहकारी ऋण ढांचे का पुनरुज्जीवन (एलटीसीसीएस)	1000.00	दीर्घावधिक सहकारी ऋण ढ़ांचे का पुनरुज्जीवन (एलटीसीसीएस) संबंधी पैकेज को संशोधित किया जा रहा था तथा इसलिए सारा प्रावधान अनुपयोगी रहा।
2.	स्वाभिमान योजना के अंतर्गत 'नो फ्रिल्स' खाते खोलने हेतु बैंकों को वित्तीय सहायता	50.00	इस योजना को वित्तीय समावेशन के साथ समोकित कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरुप सम्पूर्ण प्रावधान की बचत हुई।
3.	असंगठित क्षेत्र के लोगों को नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) अपनाने के लिए बढ़ावा देने हेतु स्वावलंबन योजना	180.00	चूंकि स्वावलंबन योजना के अंतर्गत नामांकन अपेक्षित स्तर तक नहीं था, समग्र प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप बचतें हुई।
4.	वरिष्ठ नागरिकों के हेतु पेंशन योजना के लिए एलआईसी को भुगतान	17.57	वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन के लिए एलआईसी को दी जाने वाली आर्थिक सहायता निवेशक की 9% प्रभावी आय के लिए अपेक्षित आर्थिक सहायता के वास्तविक परिकलन पर आधारित है। चूंकि वास्तविक आवश्यकता कम थी, अतः बचत हुई।
5.	कृषकों को अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने हेतु ब्याज सहायता	1585.30	योजना के अंतर्गत दावे संभावित स्तर पर नहीं आ रहे थे, इसके परिणामस्वरूप बचतें हुई।
6.	आवास ऋण पर 1% ब्याज सहायता योजना के संबंध में आर्थिक सहायता का भुगतान	200.00	चूंकि नोडल एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक से प्राप्त दावे सम्पूर्ण प्रावधान के उपयोग के लिए पर्याप्त नहीं थे, इस खाते में बचत हुई।
7.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनर्पूंजीकरण हेतु सरकार के भाग का अंशदान	97.57	इस योजना के अतर्गत केन्द्र सरकार के भाग का जारी होना संबंधित राज्य सरकार/प्रायोजक बैंक द्वारा अपने अनुपातिक भाग के जारी करने पर निर्भर है। इस प्रकार इस निधि का प्रयोग उसी सीमा तक किया जा सका जिस सीमा तक संबंधित राज्य सरकार/प्रायोजक बैंक द्वारा राशि जारी की गई, परिणामस्वरूप उक्त बचतें हुई।

(iii) **अभ्यर्पणः अप्रचलित/समाप्त परियोजना/योजना अथवा परियोजना/योजना के पूरा हो जाने तथा निधियों की और आवश्यकता न होने के कारण बचतः**

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	उपशीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचत	अभियुक्तियां/कारण
1.	उधारदात्री संस्थाओं के माध्यम से कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008 हेतु ऋण राहत/ माफी	4823.61	चूंकि योजना की कार्यान्वयन अवधि समाप्त हो गयी थी, नोडल एजेन्सियों यथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) तथा नाबार्ड के केवल बचे हुए दावे देय थे। दावों की राशि प्रत्याशा से कम थी, इसलिए बचत हुई।
2.	कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008 हेतु उधारदाता संस्थाओं को ब्याज का भुगतान	108.54	
3.	ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008 के कार्यान्वयन हेतु कृषक ऋण राहत निधि	2000.00	वर्ष 2011-12 के दौरान उपयोग हेतु रु. 4000.00 करोड़ की राशि पहले से ही उपलब्ध थी (2010-11 के दौरान किसान ऋण राहत निधि में अंतरित)। चूंकि कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति हेतु सम्भावित दावे इस राशि से कम थे इसलिए वर्ष 2011-12 के दौरान उक्त निधि में और अंतरण की कोई आवश्यकता नहीं थी।
4.	समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (यूएचआईएस) हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के जीआईसी को भुगतान	6.40	यूएचआईएस के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों से प्राप्त सब्सिडी के वास्तविक दावों के अनुसार निधियों की आवश्यकता कम थी।

टिप्पणीः *यह अनुबंध वित्त संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में की गई अपेक्षा के अनुसार सामान्य बचत, वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान सुपुर्द की गई निधियों के कम उपयोग/उपयोग न किए जाने के कारण संचित बचतों के संबंध में बजट प्रभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.7 (1)-बी(एसी)/2011 के अनुसरण में शामिल किया गया है।*

सांविधिक और स्वायत्तशासी निकायों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)

हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वित्तीय क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाते है। उनके अधिदेश के भाग के रूप में, पीएसबी ने कृषि क्षेत्र, मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र, कमजोर वर्गों, स्वयं सहायता समूहों और सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों इत्यादि सहित विविध क्षेत्रों और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण दिया है।

कई पीएसबी के तुलन-पत्र के आकार में वर्ष 2011-12 के दौरान काफी वृद्धि हुई। कृषि तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों जैसे रोजगार गहन क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के साथ-साथ पीएसबी ने कारपोरेट क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को भी पूरा किया है। पिछले वर्ष के दौरान करीब-करीब सभी मोर्चों पर अच्छे प्रदर्शन के बावजूद, पीएसबी वर्ष 2012-13 के दौरान अनगिनत चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था के बड़े क्षेत्र दीर्घ क्षेत्रों में दबाव के कारण एनपीए हेतु उच्चतर अपेक्षाओं का प्रावधान करना शामिल है। पीएसबी से यह अपेक्षा है कि वे विनियमित निकाय तथा सूचीबद्ध निकाय के रूप में पूंजी को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखें और उनमें लोगों का विश्वास बनाए रखना भी अपेक्षित है। सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके लिए सभी पीएसबी में पर्याप्त पूंजी हो तथा सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को समुचित रूप से पूरा करने के साथ-साथ टीयर-I जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) को सुविधाजनक स्तर तक बनाए रखने हेतु सरकार ने वर्ष 2012-13 के दौरान पीएसबी में 12517 करोड़ रुपए की पूंजी लगाने का निर्णय लिया।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

नाबार्ड कृषि, लघु और कुटीर तथा ग्राम उद्योग और ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बद्ध गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराकर एकीकृत ग्रामीण विकास को समुन्नत करता है तथा राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी), राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी), अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा कृषि विकास के लिए प्रदत्त ऋण का पुनर्वित्तीयन करता है तथा भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित अनेक प्रकार की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, मौसमी कृषि कार्यों, फसलों का विपणन, कृषि निविष्टियों का विपणन एवं वितरण, उत्पादन, एकत्रीकरण, कुटीर, ग्राम और लघु पैमाने के औद्योगिक सहकारी समितियों की बाजार गतिविधियां, प्राथमिक और उच्च बुनकर समितियों और राज्य हैंडलूम और हस्तशिल्प विकास निगमों को प्रदत्त अल्पकालिक ऋण के लिए पुनर्वित्त प्रदान करता है। वाणिज्यिक बैंकों को भी राज्य हथकरघा विकास निगम की कार्यकारी पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अल्पकालिक पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त पुनर्वित्त निम्न प्रकार से थाः

(करोड़ रु में)

अभिकरण	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (31.12.2012 तक)	
	संसवीकृत	अधिकतम बकाया	संसवीकृत	अधिकतम बकाया	संसवीकृत	अधिकतम बकाया	संसवीकृत	अधिकतम बकाया
सहकारी बैंक	18286.59	17617.44	23975.09	23894.86	34410.15	34402.62	44589.69	32215.58
आरआरबी	7374.13	7098.03	10399.69	10301.03	14602.66	14578.66	21573.40	15093.15
कुल	**25660.72**	**24715.47**	**34374.78**	**34195.89**	**49012.81**	**48981.28**	**66163.09**	**47308.73**

उन किसानों को सहायता देने के लिए सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मध्यावधि पुनर्वित्त भी प्रदान किए जाते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण बैंकों को उत्पादन ऋण बकायों का भुगतान करने में असमर्थ हैं। किसानों और उद्यमियों को उत्पादन और आय में वृद्धि करने वाले कृषि और गैर-कृषि कार्यकलापों में निवेश के उद्देश्य से वाणिज्यिक बैंकों सहित सभी ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है। वित्तपोषित निवेश में लघु सिंचाई, भूमि विकास, कृषि यंत्रीकरण, पौध-रोपण तथा बागवानी, भंडारण तथा बाजार परिसर, डेयरी, मुर्गीपालन, भेड़/बकरी/सुअर/मत्स्य पालन जैसी कृषि संबधी गतिविधियां, ग्रामीण आवास, गैर-कृषि कार्यकलाप इत्यादि शामिल हैं। ये निवेश ग्रामीण क्षेत्रों में निजी पूंजी संरचना को बढ़ावा देते हैं । बैंक द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे उद्देश्यों के लिए प्रदान किए गए पुनर्वित्त (एसएचजी वित्त पोषण सहित) निम्न प्रकार से हैः-

(करोड़ रु में)

अभिकरण	2009-10 के दौरान संवितरण	2010-11 के दौरान संवितरण	2011-12 के दौरान संवितरण	2012 के दौरान लक्ष्य	2012-13 के दौरान संवितरण (1.2.13 तक)
एससीएआरडीबी	2221.30	2351.85	2444.93	2300.00	822.10
एससीबी	1251.95	1356.62	1192.29	2378.00	1643.39
वाणिज्यिक बैंक	6057.19	7348.49	8433.75	6524.00	1590.06
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2457.46	2287.84	3086.19	5138.00	3336.88
पीयूसीबी/एडीएफसी	21.18	141.07	264.53	650.00	331.20
अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**12009.08**	**13485.87**	**15421.70**	**16990.00**	**7723.63**

वर्ष 2009-10 के दौरान, 3,25,000 करोड़ रुपए के कृषि क्षेत्र लक्ष्य की तुलना में, वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 482.30 लाख किसानों को 3,84,514 करोड़ रुपए का ऋण दिए। वर्ष 2010-11 के दौरान, 3,75,000 करोड़ रुपए के कृषि क्षेत्र लक्ष्य की तुलना में उन्होंने 549.60 लाख किसानों को 4,68,291 करोड़ रुपए का ऋण दिया। वर्ष 2011-12 के दौरान 4,75,000 करोड़ रुपए के कृषि क्षेत्र लक्ष्य के मुकाबले उन्होंने 5,11,029 करोड़ रुपए का ऋण देकर 646.57 लाख लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा।

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)

पेंशन क्षेत्र के लिए एक विनियामक निकाय के रूप में स्थापित पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), पूरी एनपीएस संरचना के संबंध में अभी तक की गई पहलों को समेकित करने तथा एनपीएस संवितरण नेटवर्क की पहुंच बढ़ाने में लगा है। एनपीएस को सभी नागरिकों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में यह आवश्यक हो गया था कि उपस्थिति केन्द्रों (पीओपी) के रूप में ऐसी अट्ठाईस संस्थागत कंपनियां गठित की जाए, जो पेंशन खाता खोलने की सुविधा प्रदान करेगी और वसूली केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगीं। इसके अलावा एनपीएस बिचौलियों, केन्द्रीकृत रिकार्ड कीपिंग और लेखा एजेंसी (सीआरए) तथा निवेशकों की पेंशन संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए छः पेंशन निधि प्रबंधकों की नियुक्ति करने की भी आवश्यकता थी। पीएफआरडीए ने सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप एनपीएस बिचौलियों के चयन के लिए पारदर्शी, गैर-भेदकारी, प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया अपनाई, जिसने एनपीएस अभिदाताओं को इष्टतम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान किया जाना सुनिश्चित हुआ।

एनपीएस संरचना पारदर्शी और वेब समर्थ है। यह एक अभिदाता को अपने निवेश और प्रतिफल की निगरानी करने की अनुमति प्रदान करता है। आने वाले समय में अभिदाता के पास अपना निवेश विकल्प/निधि प्रबंधकों को परिवर्तित करने में सक्षम करने के अलावा अपने निधि प्रबंधक और निवेश विकल्पों को चुनने का विकल्प होगा, निर्विघ्न वहनीयता की सुविधा को इस प्रकार संरचित किया गया है कि अभिदाता अपनी पूरी बचत अवधि में एकल पेंशन खाता बनाए रख सकता है।

सभी नागरिकों के लिए एनपीएस के तहत, एक अभिदाता को पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त किए गए पचपन पीओपी की पंजीकृत शाखाओं (अब तक

26830 शाखाएं) से किसी भी शाखा में एनपीएस खाता खोलने की सुविधा प्राप्त है। प्रस्ताव पत्र, जिसमें एनपीएस का ब्यौरा, एनपीएस खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र होता है, पीएफआरडीए की वेबसाइट (www.pfrda.org.in) और अन्य एनपीएस बिचौलियों की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण

बीमा क्षेत्र को बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधिनियमन द्वारा गैर-सरकारी भागीदारी के लिए खोला गया था। वर्तमान में आईआरडीए अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्यों से बना है। यह प्राधिकरण हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश स्थित अपने मुख्यालय से कार्य कर रहा है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यों में (i) बीमाकर्ताओं तथा बीमा बिचौलियों को लाइसेंस प्रदान करना; (ii) वित्तीय तथा विनियामक पर्यवेक्षण; (iii) प्रीमियम दरों का नियंत्रण एवं विनियमन; और (iv) पालिसीधारकों के हितों की रक्षा करना इत्यादि सम्मिलित हैं। बीमा क्षेत्र के विकास को सुकर बनाने की दृष्टि से प्राधिकरण ने पालिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए; ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के संबंध में उत्तरदायित्वों; सूक्ष्म बीमा तथा एजेंटों, कारपोरेट एजेंटों, ब्रोकरों और तृतीय पक्ष प्रशासकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए विनियम जारी किए हैं। यह बीमा कंपनियों के पंजीकरण के लिए, शोधक्षमता अंतर को बनाए रखने के लिए निवेश तथा वित्तीय रिपोर्टिंग अपेक्षाओं इत्यादि के लिए विनियामक ढांचे संबंधी प्रावधान के अतिरिक्त है।

भारतीय आधारभूत ढांचा वित्त कंपनी लि. (आईआईएफसीएल)

भारतीय आधारभूत ढांचा वित्त कंपनी लि. (आईआईएफसीएल), भारत सरकार की पूर्ण स्वमित्व वाली कंपनी है, जिसकी स्थापना व्यवहार्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए योजना के अनुसार व्यवहार्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गयी है। कंपनी जनवरी 2006 में अधिनियमित हुई और इसने अप्रैल 2006 में अपना परिचालन शुरु किया। आईआईएफसीआईएल से वित्तीय सहायता हेतु पात्र क्षेत्रों में सड़कें तथा राजमार्ग, विद्युत, विमानपत्तन, बंदरगाह, रेलवे, शहरी अवसंरचना, गैर पाइपलाइन, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय सभा केन्द्र तथा अन्य पर्यटन अवसंरचना परियोजनाएं, शीत भंडारण श्रृंखला, वेयरहाउस तथा उर्वरक निर्माण शामिल हैं। आईआईएफसीएल को सरकार द्वारा अनुमोदित अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सुमेलित सूची के अनुसार अवसंरचना क्षेत्रों की परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु अनुमति दी गई थी। उसे अपनाने की प्रक्रिया आईआईएफसीएल द्वारा प्रारम्भ की गई है।

आईआईएफसीएल सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं को अधिभावी पूर्विकता प्रदान करती है। 31 दिसम्बर, 2012 को कंपनी की प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी क्रमशः 5000 करोड़ रुपए तथा 2900 करोड़ रुपए थी। अप्रैल 2006 में प्रचालन प्रारम्भ करने से ही कंपनी लाभ में है।

अपने प्रचालन के 7 वर्षों के भीतर 31 दिसम्बर, 2012 तक संचयी आधार पर आईआईएफसीएल ने प्रत्यक्ष ऋण के अंतर्गत 325 परियोजनाओं में संचयी रूप से 72,906 करोड़ रुपए की सकल स्वीकृतियां दी हैं तथा 28,214 करोड़ रुपए का संचयी संवितरण किया है (4,168 करोड़ रुपए के पुनर्वित्तीयन तथा 2,165 करोड़ रुपए जारी करने सहित)। प्रत्यक्ष ऋण के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में से 63 परियोजनाओं (आईआईएफसी (यू के) में 3 सहित) में वाणिज्यिक प्रचालन तिथि हासिल कर ली गई है।

आईआईएफसीएल ने अवसंरचना क्षेत्र को दीर्घावधि हेतु उधार देने के लिए सक्षम होने के लिए पहली बार सरकारी प्रत्याभूति के बिना 25 वर्षों तथा 30 वर्षों की अवधि के घरेलू बाण्डों के माध्यम से संसाधन जुटाए हैं। अपने प्रचालन से लेकर दिसम्बर 2012 तक आईआईएफसीएल ने घरेलू बाण्डों के माध्यम से 5200 करोड़ रुपए, कर-मुक्त बाण्डों के माध्यम से 10,785 करोड़ रुपए, भारतीय जीवन बीमा निगम से दीर्घावधि ऋण के रूप में 2000 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय लघु बचत निधि से 1500 करोड़ रुपए तथा कर-बचत अवसंरचना बाण्डों के माध्यम से 91 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसके बाद कर-मुक्त बाण्डों के सार्वजनिक निर्गम की पहली खेप से, सरकारी प्रत्याभूति के बिना, 2,883.87 करोड़ रुपए जुटाए। आईआईएफसीएल ने द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संस्थानों जैसे एडीबी, विश्व बैंक तथा केएफडब्ल्यू के साथ सशक्त संबंध भी कायम किए हैं तथा ऋण की प्रतिबद्ध व्यवस्था की गई है। दिसम्बर 2012 तक कंपनी ने एडीबी के 1200 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण व्यवस्था में से 1,041.45 मिलियन अमरीकी डालर, विश्व बैंक की 1,195 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण व्यवस्था में से 22.93 मिलियन अमरीकी डालर तथा केएफडब्ल्यू की 50 मिलियन यूरो ऋण व्यवस्था में से 29.51 मिलियन यूरो की सुविधा ली है।

बैंक के निवेश और आस्ति देयता विसंगति अवरोध का निवारण कर आधारभूत ढांचा क्षेत्र का वर्द्धनात्मक ऋण सुसाध्य कर आईआईएफसीएल ने अंतरण वित्तपोषण कार्यान्वित किया है। उचित आशोधनों के उपरांत आईआईएफसीएल में अपनी आशोधित अंतरण वित्तपोषण योजना लागू की थी। अंतरण अवसंरचना ऋणों हेतु आईआईएफसीएल ने गैर-भेदभाव तथा गैर-विवेकाधीन विदेशी रेटिंग आधारित मूल्य-निर्धारण तंत्र भी शुरू किया है। 31 दिसम्बर, 2012 तक अपनी अंतरण वित्तपोषण योजना के अंतर्गत आईआईएफसीएल ने 7,098 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं तथा 2,165 करोड़ रुपए का संवितरण किया है।

बीमा कंपनियों तथा पेंशन निधियों जैसे निवेशकों से दीर्घावधिक निधियां जुटाने हेतु आईआईएफसीएल ऋण वर्द्धनात्मक प्रयास के अंतर्गत आईआईएफसीएल प्रमुख लेन-देन कर रही है जिसमें आईआईएफसीएल अवसंरचना परियोजना कंपनियों द्वारा जारी परियोजना बाण्ड की रेटिंग बढ़ाने के लिए आंशिक ऋण गारंटी प्रदान करती है। प्रारंभिक चरण में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) 50% बैकस्टाप गारंटी सुविधा उपलब्ध कराते हुए इस प्रयास में भागीदारी करते हुए आईआईएफसीएल की मदद कर है। एनएचएआई टोल रोड परियोजना, एक पीपीपी द्वारा अधिकतम 320 करोड़ रुपए के बाण्ड जारी करने को सुसाध्य बनाने हेतु पहले प्रमुख लेन-देन के संबंध में गारंटी दस्तावेज 16 जनवरी, 2013 को हस्ताक्षरित हुआ था।

आईआईएफसीएल ने अपनी पूर्ण-स्वामित्व वाले अनुषंगी आईआईएफसी (यू.के.) लि. की स्थापना लंदन में भारतीय रिजर्व बैंक से 5 बिलियन यूएसडी उधार लेने तथा केवल भारत से बाहर पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए भारतीय कम्पनियों को उधार देने के लिए की थी। आईआईएफसीएल (यू.के.) ने अप्रैल 2008 से अपना कार्य करना आरंभ कर दिया है और दिसम्बर 2012 तक 40 अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए कुल 4.17 बिलियन यूएसडी स्वीकृत किया है। दिसम्बर 2012 के अंत तक कंपनी ने 262 मिलियन अमरीकी डालर के बकाया सहित 930 मिलियन अमरीकी डालर संवितरित कर दिए हैं। हाल ही में आईआईएफसी (यू के) ने अवसंरचना क्षेत्र में विदेशी मुद्रा ऋणों पर ब्याज दर को घटाकर लगभग लिबोर + 200 बीपीएस कर दिया है जबकि पिछली दर लिबोर + 450 बीपीएस के आस-पास थी। इससे अवसंरचना परियोजनाओं पर वित्तीय ऋण चुकौती भार कम होगा जिससे कई अवसंरचना परियोजनाओं की व्यवहार्यता में बढ़ोतरी होगी।

आईआईएफसीएल म्युचुअल फंड मार्ग के माध्यम से अवसंरचना ऋण निधि (आईडीएफ) शुरू करने वाली है। इस संबंध में सेबी ने आईआईएफसीएल म्युचुअल फंड को सेबी (म्युचुअल फंड) विनियमन, 1996 के अंतर्गत अवसंरचना ऋण निधि के अंतर्गत पंजीकरण प्रदान किया है। सेबी ने आईआईएफसीएल आस्ति प्रबंधन कंपनी (आईएएफसीएल) को आईआईएफसीएल म्युचुअल फंड हेतु आस्ति प्रबंधन कंपनी के रूप में कार्य करने हेतु भी अनुमोदन प्रदान किया

है। वर्तमान में, आईआईएफसीएल अवसंरचना ऋण निधि योजना प्रारम्भ करने हेतु अनुपालनों को पूरा करने में जुटा है।

फरवरी 2012 में आईआईएफसीएल ने आईआईएफसीएल परियोजना लि. नामक पूर्णतया स्वामित्व वाली अनुषंगी की स्थापना की जो कि अवसंरचना परियोजनाओं की पहचान तथा अवधारणा के समय से उनकी व्यवहार्यता का आकलन करना, विनियामक अनुमोदन प्राप्त करना, बोली विश्लेषण हेतु विभिन्न परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराएगी तथा परियोजनाएं प्रदान हो जाने के उपरांत उनकी निगरानी व पर्यवेक्षण सेवाएं प्रदान करेगी।

भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक)

भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की स्थापना भारतीय विदेशी व्यापार को वित्त पोषण सुविधा-सेवा देने, संवर्धन करने के उद्देश्य से, संसद के अधिनियम द्वारा, वर्ष 1982 में की गयी थी, जो निर्यात और आयात के वित्त पोषण में लगे संस्थानों के कार्यों के समन्वयन के लिए देश की प्रधान संस्था है। एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। एक्जिम बैंक विदेशी संस्थाओं, राष्ट्रीय सरकारों, क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं (एलओसी), और वाणिज्यिक बैंकों को ऋण व्यवस्था प्रदान करने पर विशेष जोर देता है।

वर्ष 2011-12 के दौरान एक्जिम बैंक ने भारत से परियोजनाओं, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को सहायता प्रदान करने के लिए 1.50 बिलियन अमेरिकी डालर की 18 ऋण व्यवस्थाएं कीं। इनमें से कई व्यवस्थाएं भारत सरकार की ओर से की गई। वर्ष 2010-11 के दौरान 47,798 करोड़ रु. की तुलना में वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने 44,412 करोड़ रूपए के ऋण का अनुमोदन किया है। पिछले वर्ष के 34,423 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष 37,045 करोड़ रुपए की राशि संवितरित हुई। 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार ऋण आस्ति 45,655 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार 53,890 करोड़ रु हो गई।

एक्ज़िम बैंक भारतीय कंपनियों द्वारा, उनके वैश्विक बाजारों में बढ़ी हुई पहुंच के प्रयास को विदेशों में निवेशों को सक्रिय सहायता और सुसाध्य करता है। वर्ष 2011-12 के दौरान 53 कंपनियों को 24 देशों में उनके विदेशी निवेश के अंश वित्तपोषण के लिए कुल 41.78 बिलियन रु की निधि आधारित और गैर निधि आधारित सहायता संस्वीकृत की गई। एक्जिम बैंक ने अब तक आस्ट्रिया, बंगलादेश, ब्राजील, कनाडा, चीन, क्रोएशिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इजराइल, इटली, मलेशिया, माल्टा, मारीशस, मोरक्को, नेपाल, नीदरलैंड, ओमान, रोमानिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, सुडान, यूएई, यूके, अमेरिका और वियतनाम सहित 69 देशों में 313 कंपनियों द्वारा शुरू किए गए 387 उद्यमों को वित्तपोषित किया है।

राष्ट्रीय आवास बैंक

आवास वित्त संस्थानों (एचएफसी) को बढ़ावा देने और ऐसे संस्थानों को अन्य सहायता देने वाली प्रधान एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) की स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के द्वारा की गई थी। एनएचबी की मुख्य गतिविधियों में एचएफसी का विनियमन तथा पर्यवेक्षण और प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं (पीएलआई) का पुनर्वित्तपोषण शामिल है। वर्तमान में, एनएचबी द्वारा 54 एचएफसी का विनियमन किया जा रहा है। भारत में आवास वित्त प्रणाली के विकास तथा संवर्धन की पहलों के साथ ही एनएचबी बैंकों तथा एचएफसी को पुनर्वित्तपोषण तथा सरकारी एजेंसियों तथा स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को परियोजना वित्त उपलब्ध कराता है। वर्तमान में एनएचबी की प्रदत्त पूंजी 450.00 करोड़ रुपए है जिसका स्वामित्व भारतीय रिजर्व बैंक के पास है।

निष्पादन मानदण्ड

(करोड़ रुपए)

30 जून को समाप्त वर्ष	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
पूंजी	450	450	450	450	450	450	450
आरक्षित	1,288	1,389	1,558	1,792	2,072	2,352	2739
निवल स्वाधिकृत निधियां	1,730	1,831	1,999	2,230	2,485	2,770	3154
स्वीकृतियां	9,076	9,101	13,362	15,729	12,715	14,293	23460
संवितरण	5,998	5,672	9,036	10,889	8,160	12,035	14454
ऋण तथा अग्रिम	16,241	19,572	17,671	16,851	19,837	22,581	28490
कुल आस्तियां	19,589	21,501	19,898	19,927	22,753	25,781	31332
सकल एनपीए	27	27	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3.56
निवल एनपी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3.03
कर उपरांत लाभ (पीएटी)	86	101	170	236	280	279	387
पीएटी प्रति कर्मचारी	1.05	1.59	2.12	2.62	3.15	3.21	4.07
सीआरएआर (%)	22.3	22.6	24.5	18.2	19.6	20.6	19.80

एनएचबी के क्रियाकलाप

विनियमन और पर्यवेक्षण की भूमिका

भारत में आवास वित्त बाजार में प्रमुख भागीदार बैंक तथा आवास वित्त कंपनियां हैं। जबकि बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमन और निगरानी में हैं तथा एचएफसी का विनियमन एवं निगरानी राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के प्रावधानों तथा समय-समय पर उसके अंतर्गत जारी निदेशों तथा दिशानिर्देशों के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा की जाती है। विनियामक उपायों में विवेकपूर्ण मानदण्ड, पारदर्शी तथा मानकीकृत लेखा तथा प्रकटन नीतियां, उचित व्यवहार कोड, आस्ति देयता प्रबंधन तथा अन्य जोखिम प्रबंधन प्रथाएं इत्यादि शामिल हैं। इन उपायों ने क्षेत्र की गुणकारी तथा सम्पोषणीय रूप से विकास सुनिश्चित करने में मदद की है।

वर्ष के दौरान 6 नई एचएफसी यथा श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लि., एयू हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लि., माइलस्टोन होम फाइनेंस कंपनी प्रा. लि., न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लि., हैबिटेट माइक्रो बिल्ड इंडिया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी प्रा. लि. तथा यूएसबी हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लि. को पंजीकरण प्रमाण-पत्र (सीओआर) जारी किया गया था। 30 जून, 2012 की स्थिति के अनुसार एनएचबी में पंजीकृत एचएफसी की कुल संख्या 56 थी जिसमें से 37 कंपनियों को सार्वजनिक जमा स्वीकार करने की अनुमति के बिना पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा जारी निदेशों/मार्गनिर्देशों का अनुपालन न करने पर बैंक ने 2 कंपनियों नामतः हवारेस हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लि. तथा इनारा हाउसिंग फाइनेंस लि. के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं।

एनएचबी एचएफसी के कार्य-पद्धति का निरीक्षण कार्यस्थल निरीक्षण, बाजार आसूचना तथा आफ-साइट निगरानी प्रणाली के माध्यम से करता है जिसके लिए आवधिक ब्यौरे विनिर्धारित हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने 48 कंपनियों का निरीक्षण किया जिसमें से 44 विनियामक निरीक्षण थे जो कि अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निदेशों/मार्गनिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु थे तथा 4 नई कंपनियों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में थे। एचएफसी द्वारा प्रस्तुत तिमाही, अर्ध-वार्षिक तथा वार्षिक ब्यौरों की सूक्ष्म निगरानी की गई थी।

एनएचबी द्वारा पुनर्वित्तपोषण तथा परियोजना वित्तपोषण

एनएचबी वित्तीय सहायता पुनर्वित्तपोषण तथा साथ ही परियोजना वित्तपोषण प्रणाली के माध्यम से करती है। विभिन्न प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों यथा बैंक, आवास वित्त कंपनियां, सहकारी क्षेत्र संस्थानों को उनके अपने आवास ऋणों हेतु पुनर्वित्तपोषण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आवास परियोजनाओं हेतु बैंक का परियोजना वित्तपोषण हस्तक्षेप सार्वजनिक तथा विकास एजेंसियों/ नगरपालिका निगमों/कल्याण एसोसिएशनों/सूक्ष्म वित्त् संस्थानों इत्यादि को प्रत्यक्ष वित्तपोषण प्रणाली के माध्यम से होता है।

वर्ष 2011-12 के दौरान पुनर्वित्तपोषण संवितरण ने 14389.91 करोड़ रुपए के अब तक के सर्वाधिक अंक को छू लिया जिसने वर्ष 2010-11 में हुए 11722.79 करोड़ रुपए के संवितरण से 22% से अधिक की वृद्धि दर्ज की। 14389.91 करोड़ रुपए के कुल पुनर्वित्तपोषण संवितरणों में से 38.97% (5607.54 करोड़ रुपए) ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ) तथा स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास पुनर्वित्तपोषण योजना (जीजेआरएचआरएस) के अंतर्गत ग्रामीण आवास ऋण हेतु किए गए थे।

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने 6 परियोजनाओं हेतु 314.30 करोड़ रुपए की परियोजना वित्त सहायता की स्वीकृति दी है तथा 63.72 करोड़ रुपए का संवितरण किया है। संवितरण आवास सूक्ष्म वित्त संस्थानों, सार्वजनिक एजेंसियों, कल्याण आवास संगठनों तथा सरकारी निजी भागीदारियों को किया गया था।

बैंक का आवास सूक्ष्म वित्त (एचएमएफ) कार्यक्रम 2004-2005 में शुरू किया गया था। आज की तारीख तक, बैंक ने 11 राज्यों में 30210 आवास यूनिटों का वित्तपोषण करने हेतु 31 सूक्ष्म वित्त संस्थानों को 97.42 करोड़ रुपए की ऋण राशि स्वीकृत की है। लाभार्थियों में किसान, छोटे व्यापारी, कारीगर, डेयरी कार्मिक तथा निम्न आय वाले परिवार शामिल हैं।

संचयी रूप से 30 जून, 2012 तक एनएचबी ने गरीबों हेतु निम्न आय आवास उपलब्ध कराने हेतु 6682.17 करोड़ रुपए परियोजना लागत तथा 4,842.66 करोड़ रुपए के ऋण अवयव वाली 440 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं तथा सार्वजनिक आवास एजेंसियों, एमएफआई, एनजीओ तथा सरकारी निजी भागीदारी सहित विभिन्न एजेंसियों का वित्तपोषण किया है। दिनांक 30.06.2012 तक एनएचबी ने परियोजना वित्त के रूप में 2106.39 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं।

पुनर्वित्तपोषण कार्य

वर्ष 2011-12 (जुलाई-जून) के दौरान कुल 14389.91 करोड़ रुपए का पुनर्वित्तपोषण संवितरित किया गया था, जिसमें से स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास पुनर्वित्तपोषण योजना तथा ग्रामीण आवास निधि के अंतर्गत ग्रामीण आवास हेतु 5607.54 करोड़ रुपए संवितरित किए गए थे।

वर्ष 2012-13 के लिए (जुलाई से दिसम्बर 2012) 9453.23 करोड़ रुपए का समग्र पुनर्वित्त संवितरित किया गया था जिसमें से गोल्डन जुबली ग्रामीण आवास पुनर्वित्त योजना और ग्रामीण आवास निधि के अंतर्गत ग्रामीण आवास के लिए 3747.22 करोड़ रुपए संवितरित किए गए थे। वर्ष 2011-12 (जुलाई-जून) के दौरान जारी की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

(रुपए करोड़ में)

संस्था की श्रेणी	नियमित योजना	आरएचएफ	जीजेआरएचआरएस	कुल
I	II	III	IV	V
एचएफसी	2772.37	2125.25	404.51	5302.13
बैंक (एसबी)	6010.00	877.78	2200.00	9087.78
कुल	**8782.37**	**3003.03**	**2604.51**	**14389.91**

वर्ष 2012-13 (जुलाई से दिसम्बर 2012) के दौरान जारी राशियों का विवरण निम्नानुसार है:-

(रुपए करोड़ में)

संस्था की श्रेणी	नियमित योजना	आरएचएफ	जीजेआरएचआरएस	कुल
I	II	III	IV	V
एचएफसी	1769.23	831.87	1836.72	4437.82
बैंक (एसबी)	3936.78	728.63	350.00	5015.41
कुल	**5706.01**	**1560.50**	**2186.72**	**9453.23**

ग्रामीण आवास के अंतर्गत निष्पादन

वर्ष 2011-12 के दौरान पुनर्वित्तपोषण हेतु जारी 14389.91 करोड़ रुपए की कुल राशि में से उसकी 38.97% राशि जो कि 5607.54 करोड़ रुपए बनती है ग्रामीण आवास निधि तथा स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास पुनर्वित्तपोषण योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक उधारदाता संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों के माध्यम से किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक ऋणदात्री संस्थान (पीएलआई) द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में ग्रामीण आवास निधि और गोल्डन जुबली ग्रामीण आवास पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के दौरान (जुलाई से दिसम्बर 2012 तक) 9453.23 करोड़ रुपए के कुल वितरण का 39.64% अर्थात 3747.22 करोड़ रुपए किए गए हैं।

ग्रामीण आवास हेतु (आरएचएफ तथा जीजेआरएचआरएस) किए गए संवितरणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

संस्था की श्रेणी	2011-12	2012-13 (जुलाई-दिसम्बर 2012)
आवास वित्तपोषण कंपनियां	2529.76	2668.59
अनुसूचित बैंक	3077.78	1078.63
कुल	**5607.54**	**3747.22**

ग्रामीण आवास निधि

केन्द्रीय बजट 2008-09 हेतु अपने भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों हेतु प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर आवास वित्त का दायरा बढ़ाने हेतु प्राथमिक उधारदाता संस्थानों को निधियों तक पहुंच संभव करने हेतु ग्रामीण आवास निधि की स्थापना करने की घोषणा की। 2008-09 हेतु निधि का कार्पस 1778.18 करोड़ रुपए था, जिसे 2009-10 में 2000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया था, 2010-11 हेतु और 2000 करोड़ रुपए, 2011-12 हेतु और 3000 करोड़ रुपए तथा 2012-13 हेतु और 4000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया था। जून 2012 तक निधि के अंतर्गत बैंक द्वारा 8778.18 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं तथा लक्षित समूहों हेतु ग्रामीण आवास के पुनर्वित्तपोषण हेतु पूरी राशि का उपयोग कर चुका है। वर्ष 2012-13 (जुलाई-दिसम्बर 2012) हेतु बैंक ने इस योजना के अंतर्गत 1560.50 करोड़ रुपए संवितरित कर दिए हैं।

आरएचएफ के अंतर्गत किए गए संवितरणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

संस्था की श्रेणी	2011-12	2012-13 (जुलाई-दिसम्बर 2012)
आवास वित्तपोषण कंपनियां	2125.25	831.87
अनुसूचित बैंक	877.78	728.63
कुल	**3003.03**	**1560.50**

1% ब्याज सहायता योजना

देश के मध्यम एवं निम्न आय वर्ग जनसंख्या में आवास ऋण की मांग बढ़ाने के लिए सरकार ने 01 अक्तूबर, 2009 से 30 सितम्बर, 2010 तक 10 लाख रुपए के व्यक्तिगत आवास ऋणों पर 1% ब्याज सहायता शुरू की है बशर्ते कि घर की कीमत 20 लाख रुपए से अधिक न हो। योजना को वित्त वर्ष 2011-12 के लिए बढ़ा दिया गया था तथा पिछले वर्षों के मुकाबले

आवास ऋण की सीमा तथा आवास की कीमत क्रमशः 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपए एवं 20 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई थी। वित्त वर्ष 2012-13 हेतु इसे और बढ़ा दिया गया है तथा ऋण हेतु संशोधित पात्रता मापदण्ड 15.00 लाख रुपए तक और आवास की कीमत 25.00 लाख रुपए तक है। देश के राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के सभी क्षेत्र योजना के अंतर्गत कवर किए जाएंगे। वर्तमान में योजना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आवास वित्त कंपनियों तथा अनुसूचित प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

योजना की प्रारंभिक अवधि के दौरान एससीबी तथा एसएफसी हेतु क्रमशः आरबीआई तथा एनएचबी को नोडल एजेंसी बनाया गया था। बाद में, वित्त वर्ष 2011-12 से एससीबी तथा एचएफसी हेतु अकेले एनएचबी को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

योजना के अंतर्गत 31.03.2012 तक किए गए संवितरणों का ब्यौरा

(राशि करोड़ में)

कार्यान्वित करने वाली एजेंसियां (आईए)	आईए को संवितरित राशि
एससीबी	170.00
एचएफसी	130.00
कुल	**300.00**

प्रतिगामी बंधक ऋण

राष्ट्रीय आवास बैंक ने केवल वरिष्ठ नागरिकों के आवास को शामिल करते हुए प्रतिगामी बंधक ऋण (आरएमएल) की अवधारणा को अंतिम रूप दिया था। 28 फरवरी, 2007 को माननीय वित्त मंत्री के केन्द्रीय बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसरण में एनएचबी ने आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) तथा बैंकों के साथ व्यापक परामर्श करने के पश्चात मई 2007 में प्रतिगामी बंधक ऋण के संचालन संबंधी दिशानिर्देशों को मई 2007 में अधिसूचित किया था। इसके अलावा, एनएचबी ने प्रसिद्ध विधिक फर्म के परामर्श से आरएमएल के अंतर्गत उधार देने के संबंध में एचएफसी तथा बैंकों द्वारा समुचित रूप से अपनाए जाने हेतु ऋण दस्तावेजों का मॉडल फार्मेट तैयार किया था एवं उसे परिचालित किया था।

माननीय वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट भाषण 2008-09 में आयकर अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में दो मुख्य घोषणाएं की थी। वे हैं (i) आयकर अधिनियम की धारा 47 में एक नई उप-धारा (xvi), जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि प्रतिगामी बंधक को 'अंतरण' के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा (ii) केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी योजना के अंतर्गत आरएमएल के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा प्राप्त भुगतान के स्रोत को 'आय' के रूप में शामिल न किए जाने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत एक नई उप-धारा (43) का अंतःस्थापन, क्योंकि यह आय पूंजी प्राप्ति स्वरूप का है। प्रतिगामी बंधक योजना को भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.09.2008 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। आयकर विभाग द्वारा इसमें अपेक्षित संशोधन भी किए गए हैं, जिनमें यह व्यवस्था की गई है कि आरएमएल के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक को प्राप्त धनराशि को आय के रूप में न माना जाए क्योंकि वे पूंजी प्राप्ति स्वरूप के हैं।

एनएचबी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 24 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा 2 आवास वित्त कंपनियों ने योजना को आरम्भ किया है। आरएमएल योजना के अंतर्गत (30 सितम्बर 2012 तक) 7354 खातों के संबंध में 1695 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

प्रतिगामी बंधक ऋण युक्त वार्षिकी (आरएमएलईए)

आरएमएल के अंतर्गत प्राप्त भुगतान को उधारकर्ता के जीवन के शेष काल में प्रदान करने के लिए एनएचबी द्वारा एक नया उत्पाद अर्थात प्रतिगामी बंधक ऋण युक्त वार्षिकी योजना तैयार की गई थी एवं इसे दिसम्बर 2009 में आरम्भ किया गया था।

आरएमएलईए भारत में पहली बार आवास वित्त बाजार तथा जीवन बीमा क्षेत्र का समेकित प्रत्यक्ष उत्पाद है। इस योजना में बैंकों/एचएफसी द्वारा उधारकर्ता वरिष्ठ नागरिकों को बीमा कंपनी के जरिए आजीवन सुनिश्चित आय प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। एनएचबी ने प्राथमिक उधारदात्री संस्था द्वारा लागू किए जाने हेतु आरएमएलईए के संचालन संबंधी दिशानिर्देश तैयार किया है। अभी तक आरएमएलईए योजना स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के सहयोग से सेन्ट्रल बैंक अफ इंडिया तथा यूनियन बैंक आफ इंडिया द्वारा कार्यान्वित किया है।

भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस उत्पाद में अपनी रुचि दिखाई है और कुछेक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सहयोग से वे अपना उत्पाद शीघ्र आरम्भ करेंगे।

एनएचबी रेसिडेक्स

एनएचबी रेसिडेक्स विभिन्न शहरों और लंबे समय में भारत में आवासीय मूल्यों का एक सूचकांक प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की एक पहल है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग की ओर से वर्ष 2005-06 में एक पहल शुरु की और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का एक सूचकांक तैयार करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक प्रायोगिक अध्ययन किया। एनएचबी ने जुलाई 2007 में, वर्ष 2001 को आधार वर्ष बनाते हुए वर्ष 2005 तक के आंकड़ों को कवर करते हुए भारत में आवासीय सम्पत्तियों के मूल्यों का अवलोकन करने के लिए रेसिडेक्स शुरु किया। इस प्रायोगिक अध्ययन ने 5 शहरों यथा बेंगलुरु, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई को कवर किया। तत्पश्चात्, एनएचबी रेसिडेक्स का, 10 और शहरों नामतः अहमदाबाद, फरीदाबाद, चेन्नई, कोच्ची, हैदराबाद, जयपुर, पटना, लखनऊ, पूणे और सूरत को कवर करने के लिए विस्तार किया गया।

जनवरी-मार्च, 2012 की तिमाही से, एनबीएच रेसिडेक्स को 5 और नगरों अर्थात् भुवनेश्वर, गुवाहाटी, लुधियाना, विजयवाड़ा, और इंदौर तक बढ़ाया गया है। एनएचबी रेसिडेक्स अब 20 शहरों को कवर कर रहा है। दिल्ली हेतु संसूचक को बढ़ाया गया है ताकि गुड़गांव, नोएडा ग्रेटर नोएडा तथा गाजियाबाद को कवर किया जा सके जिससे उसकी कवरेज को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक बढ़ाया गया है। अप्रैल-जून 2012 के बाद से दिल्ली का संसूचक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को कवर करता है। यह प्रस्तावित है कि जनवरी-मार्च 2013 के बाद से एनएचबी रेसिडेक्स को बढ़ाया जाएगा ताकि वह छः (6) और शहरों नामतः चण्डीगढ़, कोयम्बतूर, देहरादून, मेरठ, नागपुर तथा रायपुर को कवर कर सके। इस प्रकार एनएचबी रेसिडेक्स के अंतर्गत कवर होने वाले शहरों की कुल संख्या 26 तक पहुंच गई है।

वर्ष 2007 को आधार वर्ष के रूप में तिमाही आधार पर अद्यतित और जारी किया जाता है। सितम्बर 2012 (जुलाई-सितम्बर, 2012) तिमाही के अंत के दौरान मूल्यों में परिवर्तन के लिए अद्यतित और जारी किया गया है। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा ईडब्ल्यूएस/एलआईजी परिवारों की आय सीमा के निर्धारण हेतु एनएचबी रेसिडेक्स, संपत्ति मूल्य ट्रेकिंग संसूचक ने निर्माण लागत संसूचक का स्थान ले लिया है।

मूल्य परिवर्तन का विश्लेषण

वर्ष 2007 से सितम्बर 2012 तक लेन-देन आंकड़ों के आधार पर 20 शहरों में रिहायशी मूल्यों के रुझान का तिमाही तथा वार्षिक आधार पर विश्लेषण नीचे दिया गया है।

जुलाई-सितम्बर, 2012 तिमाही के दौरान मूल्यों मे परिवर्तन

जुलाई-सितम्बर 2012 तिमाही के दौरान रिहायशी आवास मूल्यों का रुझान 9 शहरों में रिहायशी आवास के मूल्यों में जून 2012 (अप्रैल-जून 2012) को समाप्त पिछली तिमाही के मुकाबले सितम्बर 2012 (जुलाई-सितम्बर 2012) को समाप्त इस तिमाही में मामूली वृद्धि दिखाई दी है। अधिकतम वृद्धि कोच्चि में दिखाई दी (10.1%), जिसके बाद जयपुर (9.0%), दिल्ली (3.8%), अहमदाबाद (3.0%), भुवनेश्वर (2.3%), लखनऊ (2.2%), चेन्नई (0.8%), पुणे (0.7%) तथा मुम्बई (0.5%) थे।

जबकि 11 शहरों में पिछली तिमाही के मुकाबले मूल्यों में मामूली गिरावट दिखाई दी तथा अधिकतम गिरावट सूरत (-4.8%) में दिखी, जिसके बाद इन्दौर (-3.54%), कोलकाता (-2.4%), विजयवाडा (-2.4%), पटना (-1.8%), लुधियाना (-1.7%), बेंगलुरु (-1.7%), हैदराबाद (-1.3%), गुवाहाटी (-0.7%), भोपाल (-0.5%), तथा फरीदाबाद (-0.4%) थे।

रुझान के प्रति समग्र निष्कर्षः

कुछ छोटे शहरों में मूल्य गिरने शुरु हो गए तथा कोच्चि व जयपुर को छोड़कर अन्य शहरों में वृद्धि अधिकतर मामूली है।

वर्षानुवर्ष आधार पर (जुलाई-सितम्बर 2011 पर जुलाई-सितम्बर 2012), 10 शहरों में मूल्य रुझानों में मूल्यों में वृद्धि दिखाई दी जबकि 5 शहरों में मूल्यों में गिरावट दिखाई दी है।

आवास बंधक समर्थित प्रतिभूतिकरण

एनएचबी ने अब तक 14 आवास बंधक समर्थित प्रतिभूतिकरण अंतरण पूरे किए हैं जिनमें 6 आवास वित्त कम्पनियों (एचएफसी) और एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के 862.20 करोड रुपये के 38,809 व्यक्तिगत आवास ऋण शामिल हैं। आरएमबीएस के निर्गमों की सफलता ने ऐसे अंतरणों और ऐसे निर्गमों के लिए सहायक वातावरण के लिए विभिन्न नीतिगत मुद्दों के विधिक, विनियामकीय, राजकोषीय, लेखा और अन्य पूंजीगत बाजार सम्बन्धी मसलों को बेहतर समझाने और निवारण के लिए महत्वपूर्ण रूप से एक साधन प्रदान किया है।

एनएचबी के आरएमबीएस निर्गमों की संरचना राष्ट्रीय आवास बैंक संशोधन अधिनियम 2000 की धारा 14 (ड. क.), 14(ड.ख) और 14(ड.ग.) के प्रावधानों के अन्तर्गत तैयार की गयी है जो बैंक को प्रतिभूतिकरण अंतरण करने और बंधक समर्थित प्रतिभूतियों को लाभकारी हित के न्यास प्रमाणपत्र के रूप में जारी करने तथा ऐसी प्रतिभूतियों के धारकों के लिए तथा न्यासी की भूमिका निभाने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

अप्रैल 2011 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान 1 आरएमबीएस अंतरण सहित अब तक 8 आरएमबी अंतरणें और उनसे संबंधित विशेष प्रयोजन निकाय न्यास बंद कर दिए गए हैं।

व्यय विभाग

परिचय

संगठन और कार्य

व्यय विभाग, केन्द्र सरकार में सार्वजनिक व्यय प्रबंधन प्रणाली और राज्य वित्त से संबंधित मामलों के निरीक्षण के लिए नोडल विभाग है। इस विभाग के प्रमुख क्रिया-कलापों में सभी प्रमुख स्कीमों/परियोजनाओं (योजना और गैर योजना व्यय दोनों) का संस्वीकृति-पूर्व मूल्यांकन; राज्यों को अंतरित अधिकांश केन्द्रीय बजट संसाधनों का प्रबंधन; वित्त और केन्द्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों को लागू करना; वित्त सलाहकारों के साथ इंटरफेस के माध्यम से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में व्यय प्रबंधन का निरीक्षण करना; वित्तीय नियमावली, नियमों/विनियमों/आदेशों को लागू करना तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों/आलोचना की मॉनिटरिंग के माध्यम से; केन्द्र सरकार के लेखे तैयार करना; केन्द्र सरकार में कार्मिक प्रबंधन के वित्तीय पहलुओं की व्यवस्था; सार्वजनिक सेवाओं की लागत एवं मूल्य नियंत्रण में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की सहायता करना; स्टाफिंग पद्धति एवं ओ एंड एम अध्ययनों की समीक्षा करके संगठनात्मक पुनर्संरचना में सहायता करना और सार्वजनिक व्यय के इष्टतम आउटपुट और परिणामों के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना शामिल है। यह विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित मामलों में समन्वय भी करता है जिसमें मंत्रालय का संसद से संबंधित कामकाज शामिल है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.एम.), फरीदाबाद इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

विभाग को आबंटित कार्य इसके स्थापना प्रभाग, प्रापण नीति प्रभाग (पीपीडी), योजना वित्त-I एवं II प्रभागों, वित्त आयोग प्रभाग, स्टाफ निरीक्षण एकक, लागत लेखा शाखा, महालेखा नियंत्रक और केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के माध्यम से किए जाते हैं:-

प्रशासन प्रभाग

- प्रशासन प्रभाग, विभाग का सचिवालयी कामकाज देखता है तथा इसमें वित्त मंत्री का कार्यालय, संवर्ग प्रशासन अनुभाग, लेखा एवं बजट, सामान्य तथा कार्मिक प्रशासन और राजभाषा अनुभाग शामिल हैं।

संस्थापना प्रभाग

- संस्थापना प्रभाग, संयुक्त सचिव (कार्मिक) के अधीन कार्य करता है और यह केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों की वेतन संरचना तथा सेवा-शर्तों के निर्धारण, वेतन नीति के निर्धारण, वेतनमानों के संशोधन, पदों के सृजन, वेतन निर्धारण के आधारभूत सिद्धांतों, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित मकान किराया भत्ते, यात्रा/दैनिक भत्ते, महंगाई भत्ते और विभिन्न अन्य प्रतिपूरक भत्तों, सामान्य वित्तीय नियमावली, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी नियमों, आर्थिक अनुदेशों आदि मामलों से संबंधित कार्य देखता है।

केंद्रीय लोक प्रापण पोर्टल एवं ई-प्रापण

- लोक प्रापण समिति की सिफारिशों के अनुसार, लोक प्रापण के संबंध में व्यापक सूचना तथा आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल की स्थापना की गई है और इसे www.eprocure.gov.in पर देखा जा सकता है। इस समय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, केन्द्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्वायत्त/सांविधिक निकायों द्वारा पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। पोर्टल पर निविदा पूछताछ, उनसे संबंधित शुद्धिपत्र तथा सौंपी गई निविदाओं के विवरण का ई-प्रकाशन दिनांक 01.01.2012 से चरणबद्ध रूप में अनिवार्य बनाया गया है।

2. इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में ई-प्रापण को लागू किए जाने का निर्णय भी लिया गया है और सभी मंत्रालयों/विभागों को 10 लाख रुपए अथवा इससे अधिक अनुमानित मूल्य के सभी प्रापणों के लिए चरणबद्ध रूप में ई-प्रापण शुरू किए जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। ई-प्रापण के प्रयोग से पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ेगी और प्रापण अधिक दक्ष बनेगा। इससे विलंब पर निगरानी रखने में और प्रापण चक्र में कमी लाने में सहायता मिलेगी।

राज्य वित्त प्रभाग

(योजना वित्त-I एवं वित्त आयोग प्रभाग)

- व्यय विभाग का राज्य वित्त (योजना वित्त-I) प्रभाग राज्य सरकारों के वित्त संबंधी सभी मामले देखता है जिनमें वित्त आयोगों की सिफारिशों पर राज्य क्षेत्र में योजना निधियां और गैर-योजना निधियां जारी किया जाना भी शामिल है। यह प्रभाग राज्य सरकार की ऋण आवश्यकताओं का मूल्यांकन भी करता है जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत ऋण सीमा का निर्धारण, ऋण के लिए अनुमति का जारी किया जाना, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निकट समन्वय कायम रखते हुए राज्यों की अर्थोपाय स्थिति पर निगरानी रखा जाना, ऋण माफी (12वें और 13वें वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार) आदि शामिल हैं। यह प्रभाग, वित्त मंत्रालय की मांग संख्या-36 का संचालन करता है जिसमें से योजना एवं गैर-योजना, दोनों प्रयोजनों के लिए निधियां जारी की जाती हैं।
- योजना वित्त-I प्रभाग एवं वित्त आयोग प्रभाग, योजना आयोग से निकट समन्वय कायम रखते हुए राज्यों के वित्त और योजना परिव्यय, राज्यों में विकास कार्यों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को निधियां जारी किए जाने से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करता है तथा राज्यों के वार्षिक ऋणों की गणना करता है और उस पर निगरानी रखता है। यह राज्यों के लिए लागू वित्त आयोगों के अधिनिर्णयों को लागू करता है तथा राज्यों के लिए आपदा राहत, केन्द्र-राज्य तथा अंतर-राज्यीय वित्तीय संबंधों से जुड़े मामलों पर भी कार्रवाई करता है।

योजना वित्त-II प्रभाग

- योजना वित्त-II प्रभाग मुख्यतः केन्द्रीय योजना से जुड़े मामलों से संबंधित है और वित्त मंत्रालय में एक खिड़की के रूप में कार्य करता है जिसके पास परियोजना स्तर तथा क्षेत्रीय नीति स्तर, दोनों पर केन्द्र सरकार के विकास कार्यों के समूचे विश्लेषण का विवरण होता है। इसका ध्यान, बेहतर परियोजना निरूपण, परिणामों एवं सेवाओं पर विशेष बल, प्रभाव मूल्यांकन, परियोजनाकरण (मिशन दृष्टिकोण) एवं समाभिरूपता के माध्यम से विकास व्यय की गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है। यह प्रभाग सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुनर्संरचना ब्यूरो (बीआरपीएसई) की सिफारिशों पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय पुनर्संरचना से संबंधित कार्य भी करता है। यह प्रभाग, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वित्तीय सहायता की कार्यविधि तैयार करने, बजट तैयार करने के लिए आई एंड ईबीआर उत्पादन के मात्रा निर्धारण, उत्पादन में अधिकाधिक दक्षता सुनिश्चित करने हेतु संयंत्रों एवं उपकरणों के आधुनिकीकरण को अंतिम रूप देने में भी सक्रिय रूप से शामिल है। सूक्ष्म

स्तर पर योजना वित्त-II प्रभाग खाद्य, उर्वरक एवं पेट्रोलियम सब्सिडी और उनकी मात्रा के निर्धारण तथा स्टेकहोल्डरों को सहायता देने से संबंधित मामलों पर भी कार्य करता है। सूक्ष्म स्तर पर यह प्रभाग संबंधित विभाग/मंत्रालय के साथ प्रभावी लक्ष्य सुनिश्चित किए जाने हेतु सरकार की भावी सब्सिडी नीति तैयार करने में सक्रिय रूप से शामिल है।

एकीकृत वित्त एकक

- एकीकृत वित्त एकक मांग संख्या 39-व्यय विभाग जिसमें सचिवालयी सामान्य सेवाएं और अन्य प्रशासनिक सेवाएं शामिल हैं तथा मांग संख्या-40-पेंशन जिसमें विभिन्न सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान शामिल है, के तहत व्यय और बजट संबंधी प्रस्तावों पर कार्य करता है। दो अन्य मांगों अर्थात् मांग संख्या-36-राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अंतरण तथा मांग संख्या-41-भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के संबंध में बजट प्राक्कलनों पर संबंधित प्रभागों द्वारा सीधे कार्रवाई की जाती है। तथापि, समग्र मॉनिटरिंग एकीकृत वित्त एकक द्वारा की जाती है। यह एकक विभाग के खर्च को मॉनिटर करने और उसे नियंत्रित करने तथा विभाग के विभिन्न संगठनों द्वारा अनुपालन हेतु मितव्ययिता अनुदेशों को लागू कराने के लिए भी जिम्मेदार है।

विविध विभाग प्रभाग

- राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के संबद्ध वित्त के रूप में वित्त सलाहकार (वित्त) के अधीन कार्य करता है।

वेतन अनुसंधान एकक

- वेतन अनुसंधान एकक मुख्यतः केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के कर्मचारियों के वेतन एवं विभिन्न प्रकार के भत्तों पर होने वाले वास्तविक व्यय तथा कर्मचारियों की संख्या से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण, समेकन और विश्लेषण के लिए उत्तरदायी है।

कर्मचारी निरीक्षण एकक

- कर्मचारी निरीक्षण एकक का गठन वर्ष 1964 में प्रशासनिक दक्षता के अनुरूप सरकारी संगठनों में स्टाफिंग में मितव्ययिता सुनिश्चित करने तथा निष्पादन मानदंड एवं कार्य मानक तैयार करने के उद्देश्य से किया गया था। वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगठन, एसआईयू के दायरे में नहीं आते किंतु विभागाध्यक्ष द्वारा गठित एक समिति जिसमें मुख्य सदस्य के रूप में एसआईयू का एक प्रतिनिधि होता है, ऐसे संगठनों के स्टाफिंग अध्ययन करता है।

- बदले हुए परिदृश्य में और सरकार के बेहतर शासन तथा सेवाओं की बेहतर डिलीवरी पर बल को ध्यान में रखते हुए एसआईयू की भूमिका को पुनः परिभाषित किया गया है। संबंधित मंत्रालयों और स्वायत्त संगठनों को अपनी संगठनात्मक कार्यसाधकता में सुधार करने में तथा आदर्श संगठनात्मक संरचना सुझाने, प्रक्रियाओं की पुनः ईंजीनियरी, संसाधनों के इष्टतम उपयोग और न्यूनतम व्यय के साथ अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कुछ कार्यों को बाह्य स्रोत से कराने की संभावना तलाशने के अतिरिक्त होने वाले विलंब को दूर करने में सहायता के लिए एसआईयू उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। नए अधिदेश के अनुसार, एसआईयू अब पांच अलग-अलग क्षेत्रों में अर्थात् संगठनात्मक प्रणाली, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, डिलीवरी प्रणाली, ग्राहक-क्रेता संतुष्टि तथा कर्मचारियों के सरोकारों आदि में संगठनात्मक विश्लेषण अध्ययन भी करेगा।

लागत लेखा शाखा

- उत्पादन लागत का सत्यापन करने और रक्षा-खरीद सहित सभी किस्म की सरकारी खरीद का उचित बिक्री मूल्य निर्धारित करने और प्रशासित मूल्य तंत्र (ए.पी.एम.) के तहत पेट्रोलियम, इस्पात, कोयला, सीमेंट आदि जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अनेक उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने के लिए गठित एक स्वतंत्र एजेंसी। यह विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों को लागत, प्रबंधन तथा सरकार में वित्तीय लेखांकन में विशेषज्ञ सहायता भी प्रदान करती है।

महालेखा नियंत्रक

- केन्द्र सरकार का शीर्षस्थ लेखांकन प्राधिकरण जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर केंद्र और राज्य सरकारों के लेखाओं का स्वरूप विनिर्दिष्ट करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करता है।

मॉनिटरिंग सेल

- मॉनिटरिंग सेल, महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के अधीन कार्य करता है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.एंड ए.जी.) की रिपोर्टों में निहित विभिन्न पैराओं पर की गई सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां प्रस्तुत करने पर निगरानी रखने और उनके समन्वय एवं संग्रहण के लिए जिम्मेदार है। यह लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) की रिपोर्टों में शामिल पैराओं/सिफारिशों के निपटान पर भी निगरानी रखता है।

केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय

- केन्द्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों के लिए प्राधिकृत बैंकों द्वारा पेंशन भुगतान स्कीम का संचालन करता है। यह मुख्यतः पेंशन अनुदान के लिए बजट तैयार करने और उसके लेखांकन; विशेष सील प्राधिकार (एस.एस.ए.) जारी करने तथा बैंकों द्वारा किए गए पेंशन भुगतान की लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है।

मुख्य लेखा नियंत्रक

- वेतन बिलों के भुगतान, अन्य सभी व्यक्तिगत भुगतानों, पेंशन संबंधी भुगतानों, विभाग द्वारा राज्य सरकारों के लिए संस्वीकृत ऋणों और अनुदानों के भुगतान तथा ऋणों की मूल एवं ब्याज राशि की प्राप्ति पर निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार है। यह विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा के तौर पर काम करता है तथा लेखांकन संबंधी मामलों में तकनीकी सलाह भी देता है। यह मासिक लेखों और विनियोजन लेखों का संकलन भी करता है।

शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान

- नई दिल्ली स्थित मुख्यालय और कोलकाता, चेन्नै, नवी मुंबई और आइजोल स्थित चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र वित्तीय प्रबंधन एवं शासकीय लेखा और वित्त की विविध विधाओं में लेखा कर्मियों और सिविल मंत्रालयों/विभागों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देते हैं। इसने वर्ष 1995 से अन्य देशों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किए हैं।

परिव्यय और परिणामों का विवरण 2013-14

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013-14 (करोड़ रुपए में)			परिमेय सेवाएं/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समय-सीमा	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईबीआर*				
1.	**मुख्य शीर्ष 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं।** राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय योजना स्कीम	(i) राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की प्रबंधन सोसाइटी द्वारा लेखा और वित्त संबंधी कामकाज देखने वाले अधिकारियों के लिए व्यवसाय प्रबंधन (वित्त) में स्नात्कोत्तर डिप्लोमा के मूलभूत तत्वों को शामिल करते हुए उच्च स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम।	-	3.00	-	केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के 60 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में छह तिमाही कार्यक्रम हैं और प्रत्येक की अवधि 12 से 14 सप्ताह है। यह क्लासरूम टीचिंग और परियोजना कार्य का संयोजन है।	वित्त प्रबंधन कौशल तथा वाणिज्यिक और शासकीय लेखांकन, सार्वजनिक वित्त, बजटिंग, वित्तीय नीति निरूपण/निर्णय लेने की क्षमता और परियोजना प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में क्षमता निर्माण। वर्ष 2013 में इस स्कीम के अंतर्गत 60 अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।	दो वर्ष	राजस्व खंड के तहत 3.00 करोड़ रुपए जिसमें इस कार्यक्रम का शुल्क घटक शामिल होगा।
		(ii) केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधिकारियों के लिए वित्तीय विपणन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम।	-	1.00	-	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से केंद्र/ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के 20 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कार्यक्रम एक वर्ष का है। यह क्लासरूम टीचिंग और परियोजना कार्य का संयोजन है।	वित्तीय बाजारों तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी के क्षेत्र में जानकारी देगा। वर्ष 2013 में 20 अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।	एक वर्ष	शुल्क घटक के लिए राजस्व खंड के अंतर्गत 1.00 करोड़ रुपए।

* *सीईबीआर पूरक बजटेतर संसाधन अर्थात् केन्द्र सरकार से भिन्न इकाइयों द्वारा इस प्रयोजन के लिए वचनबद्ध खर्चे।*

सुधार उपाय और नीतिगत पहल

व्यय विभाग

व्यय विभाग ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन की प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए और उससे बेहतर गवर्नेंस के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। प्रधानमंत्री के प्रमुख क्षेत्रों में 5 स्तरीय संस्थागत सुधार शामिल हैं यथा-विकेन्द्रीकरण, सरलीकरण, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं ई-गवर्नेंस। इसकी प्रतिध्वनि बजट 2005-06 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत तैयार की गई राजकोषीय नीति संबंधी कार्यनीति विवरण (एफ.पी.एस.एस.) में वित्त मंत्री द्वारा घोषित व्यय प्रबंधन संबंधी पहलों में देखी जा सकती थी तथा ये कार्य योजना स्थापित करने के मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए थे।

परिणाम बजट/कार्यनिष्पादन बजट के लिए दिशा-निर्देश

व्यय विभाग और योजना आयोग ने संयुक्त रूप से पहली बार वर्ष 2005-06 का परिणाम बजट तैयार किया था जिसे 25 अगस्त, 2005 को संसद में पेश किया गया था। तत्पश्चात् परिणाम बजट और कार्य निष्पादन बजट' दस्तावेजों को एकल दस्तावेज में शामिल करने के लिए नए दिशा निर्देश (का.ज्ञा.सं. 2(1)/कार्मिक/संस्था समन्वय/ओ.बी./ 2005 दिनांक 12 दिसंबर, 2006) जारी किए गए थे। परिणाम बजट वर्ष 2005-06 से बजट प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन चुका है। इस संबंध में नवीनतम दिशा-निर्देश दिनांक 01.01.2013 को जारी किए गए थे।

व्यय को युक्तिसंगत बनाना

वित्त मंत्रालय सरकार की प्रचालन संबंधी कुशलता को सीमित किए बगैर राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यय प्रबंधन/मितव्ययिता उपाय एवं व्यय को युक्तिसंगत बनाने के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता है। इन निर्देशों का पिछला सेट 31 मई, 2012 के का.ज्ञा.सं. 7(1)/ई कॉर्ड/2012 के तहत जारी किया गया था। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ गैर-योजना व्यय (ब्याज के भुगतान, ऋण अदायगी, रक्षा पूंजी, वेतन, पेंशन और राज्यों के लिए वित्त आयोग के अनुदानों को छोड़कर) में 10% की कटौती, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों के आयोजनों पर प्रतिबंध, विदेश यात्रा पर प्रतिबंध, पदों के सृजन पर प्रतिबंध और राज्यों आदि को राजकोषीय अंतरण में अनुशासन बरतना तथा व्यय की संतुलित गति संबंधी निर्देश शामिल हैं। वित्त सलाहकारों से उम्मीद की जाती है कि वे विभिन्न व्यय प्रस्तावों को अपनी सहमति प्रदान करते समय उचित किफायत बरतेंगे।

लोक प्रापण विधेयक, 2012

लोक प्रापण विधेयक, 2012 लोक सभा में 14 मई, 2012 को पेश किया गया था।

यह विधेयक प्रापण प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी सुनिश्चित करने, निविदाताओं के साथ उचित और निष्पक्ष बर्ताव सुनिश्चित करने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, कार्यकुशलता और किफायत बढ़ाने और लोक प्रापण प्रक्रिया और इससे संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों में सत्यनिष्ठा और जनता का विश्वास कायम रखने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन स्वायत्त और सांविधिक निकायों तथा अन्य प्रापण संस्थाओं के लोक प्रापण को विनियमित करता है। यह विधेयक लोक प्रापण के लिए एक सांविधिक रूपरेखा तैयार करेगा जो विनियामक रूपरेखा को अधिकाधिक जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रवर्तनीयता प्रदान करेगी।

यह विधेयक लोक प्रापण विधेयक पेश करने के संबंध में लोक प्रापण समिति की सिफारिशों और प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2011 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में की गई घोषणा के आधार पर भ्रष्टाचार से निपटने और पारदिर्शिता में सुधार के उपायों के संबंध में मंत्रियों के समूह द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में व्यापक विचार विमर्श के पश्चात् तैयार किया गया था।

लोक प्रापण विधेयक, 2012 माननीय अध्यक्ष द्वारा संसदीय स्थायी वित्त समिति को भेजा गया था। फिलहाल, समिति इस विधेयक की जांच कर रही है।

केंद्रीय लोक प्रापण पोर्टल एवं ई-प्रापण

लोक प्रापण समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, लोक प्रापण के संबंध में व्यापक सूचना और आंकड़े उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल की स्थापना की गई है और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्वायत्त/सांविधिक निकायों द्वारा इस पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। पोर्टल पर निविदा पूछताछ, उनसे संबंधित शुद्धिपत्र तथा सौंपी गई संविदाओं के विवरण का ई-प्रकाशन दिनांक 01.01.2012 से चरणबद्ध रूप में अनिवार्य बना दिया गया है। 10 लाख रुपए अथवा इससे अधिक अनुमानित मूल्य के सभी प्रापणों के संबंध में ई-प्रापण के कार्यान्वयन से पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ेगी और प्रापण अधिक दक्ष बनेगा। इससे विलंब पर निगरानी रखने और प्रापण चक्र में कमी लाने में भी सहायता मिलेगी।

राज्य योजना स्कीमों के तहत अनुदान

योजना पक्ष की स्कीमों के लिए निधियां, योजना आयोग/संबंधित नोडल मंत्रालय की सिफारिश पर जारी की जाती हैं। जिन महत्वपूर्ण फ्लैगशिप स्कीमों के लिए वर्ष 2012-13 में योजना शीर्ष के तहत निधियां प्रदान की जा रही हैं, उनमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि स्कीम आदि शामिल हैं। व्यय विभाग की मांग संख्या 35 में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता हेतु बजट प्राक्कलन 2012-13 में 99543.00 करोड़ रुपए के परिव्यय के मुकाबले में दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार 53099.335 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

गैर-योजना अनुदान

वर्ष 2012-13, तेरहवें वित्त आयोग (एफसी-XIII) 2010-15 की अधिनिर्णय अवधि का तृतीय वर्ष है। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वर्ष 2012-13 में विभिन्न अनुदानों जिनमें गैर-योजना राजस्व घाटा अनुदान और स्थानीय निकायों, प्राथमिक शिक्षा, आपदा राहत (क्षमता निर्माण सहित), वन, न्याय प्रणाली, यूआईडी, सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार, कर्मचारी और पेंशन डाटा बेस, जल क्षेत्र प्रबंधन, सड़कों और पुलों के रख-रखाव तथा राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं आदि के लिए 58,357.46 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान (बजट प्राक्कलन 2011-12 से 18.37 प्रतिशत अधिक) था। 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार, इन प्रयोजनों के लिए 28772.67 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत 4620.00 करोड़ रुपए का प्रावधान है जिसमें से 31.12.2012 तक 1002.50 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

उधार

वर्ष 2010-15 के दौरान राज्यों की वार्षिक उधार सीमा निर्धारित करने की कार्यविधि 13वें वित्त आयोग की रिपार्ट के अनुरूप तैयार की गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित राजकोषीय सुधार विधि के अनुसार राज्यों के लिए उधार की सीमा की गणना की जा रही है और उसे लागू किया जा रहा है। निर्धारित राजकोषीय मानदंडों के अनुपालन से राज्यों का समग्र ऋण वर्ष 2014-15 के अंत में कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 24.3 प्रतिशत रह जाने की संभावना है।

राज्यों का राजकोषीय समेकन (2010-15)

तेरहवें वित्त आयोग ने प्रत्येक राज्य के लिए राजकोषीय समेकन की रूपरेखा तैयार की है जिसमें राज्यों को वर्ष 2014-15 तक राजस्व घाटा समाप्त करना होगा और राजकोषीय घाटे को अपने-अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लाना होगा। तेरहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2008-09 के 27 प्रतिशत के मुकाबले में राज्यों के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 24.3 प्रतिशत के संयुक्त ऋण लक्ष्य की सिफारिश की है जिसे वर्ष 2014-15 तक प्राप्त किया जाना है। संयुक्त ऋण कटौती लक्ष्य को प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में बकाया ऋण के संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है।

27 राज्यों ने तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यथा-निर्धारित अपने राजकोषीय जिम्मेदारी एवं बजट प्रबंधन अधिनियम बना लिए हैं/संशोधित कर लिए हैं। शेष एक राज्य के संबंध में जिसने 2006 में अपना वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम बनाया था, राजकोषीय समेकन की रूपरेखा पहले से ही है और वह अधिनिर्णय अवधि के पहले तीन वर्षों (अर्थात् 2010-11 से 2012-13) के लिए तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है। राज्य सरकार को तेरहवें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि के अंतिम दो वर्षों के लक्ष्य शामिल करने हेतु अपने राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन करने के लिए कहा गया है।

बारहवें एवं तेरहवें वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार राज्यों के 1,22,348 करोड़ रुपए के केन्द्रीय ऋणों का समेकन किया गया है और इसके अलावा राज्यों को वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान 19725.72 करोड़ रुपए की ऋण राहत और 18,688.52 करोड़ रुपए की ब्याज राहत का लाभ दिया गया है। तेरहवें वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि राज्यों द्वारा अपने विशिष्ट राजकोषीय लक्ष्यों को शामिल करते हुए अपने एफआरबीएम अधिनियमों को बनाया जाना/संशोधन ऋण राहत उपायों (एनएसएसएफ ऋणों पर ब्याज दरों को पुनर्निर्धारित करना और मंत्रालय (वित्त मंत्रालय से इतर) के केन्द्रीय ऋणों की माफी और सभी राज्य विशिष्ट अनुदान जारी किए जाने) के लिए एक पूर्व अपेक्षा होगी।

एनएसएसएफ ऋणों पर राहत

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और उन पर लिए गए अनुवर्ती निर्णय निम्न प्रकार हैं:

राज्य तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार किसी राज्य को राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम के संशोधन/अधिनियमन की तारीख से एनएसएसएफ ऋणों पर ब्याज राहत के पात्र माना जाएगा।

वित्त वर्ष 2012-13 से एनएसएसएफ ऋणों के संबंध में ब्याज राहत पाने के लिए एफआरबीएम लक्ष्यों का अनुपालन एक पूर्व अपेक्षा होगी।

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निश्चित लक्ष्यों को शामिल करते हुए एफआरबीएमए में आवश्यक संशोधन (अधिकतर राज्यों द्वारा 2011-12 में) के पश्चात् राज्य एनएसएसएफ ऋणों पर ब्याज राहत के पात्र हो गए। वर्ष 2012-13 के लिए, उनके 2012-13 के बजट प्राक्कलनों के अनुसार सभी 28 राज्यों की राजकोषीय स्थिति का संबंधित राज्यों के एफआरबीएमए लक्ष्यों के संदर्भ में मूल्यांकन किया गया है। राज्यों के बजट प्राक्कलन यह दर्शाते हैं कि 20 राज्यों के संबंध में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे और ऋण के राजकोषीय मानदंड निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हैं। यह निर्णय लिया गया है कि 2012-13 (ब.प्रा.) में दर्शाए गए एफआरबीएम लक्ष्यों का अनुपालन करने वाले 20 राज्यों को 2012-13 (1.4.2012 से) के लिए अनंतिम आधार पर कम ब्याज दर का लाभ दिया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक से वर्ष 2012-13 के लिए एनएसएसएफ ऋणों पर ब्याज राहत देने का अनुरोध किया गया है।

केन्द्रीय ऋणों (सीएसएस/सीपीएस) को बट्टे खाते डालना

31 मार्च, 2010 को केन्द्रीय योजना स्कीमों के संबंध में 28 राज्यों पर 488.85 करोड़ रुपए और केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के संबंध में 1792.61 करोड़ रुपए अर्थात् कुल 2281.46 करोड़ रुपए के केन्द्रीय ऋण बकाया थे।

चूंकि सभी 28 राज्य ऋण माफी के पात्र पाए गए थे इसलिए संबद्ध मंत्रालयों की लेखा-बही में राज्यों पर बकाया सीएसएस/सीपीएस के लिए 2050.10 करोड़ रुपए के केन्द्रीय ऋणों को 2011-12 के दौरान माफ कर दिया गया है। माफी के लिए शेष सीएसएस/सीपीएस ऋणों को बट्टे खाते डालने के लिए मांग सं. 35 में मुख्य शीर्ष 2075 विविध सामान्य सेवाएं में 2012-13 (ब.प्रा.) में 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान उपलब्ध है।

योजना वित्त-II प्रभाग

ईएफसी और पीआईबी द्वारा परियोजनाओं की स्वीकृति

1 जनवरी और 31 दिसंबर, 2012 के बीच सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की 42 बैठकों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के 458,050 करोड़ रुपए के योजना निवेश प्रस्तावों/स्कीमों पर विचार किया गया। इस अवधि के दौरान सार्वजनिक निवेश बोर्ड की 07 बैठकें हुई जिनमें 19,314.55 करोड़ रुपए की 07 परियोजनाओं की सिफारिश की गईं:

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	परियोजनाओं की संख्या	धनराशि (करोड़ रु.)
1.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	1	594.00
2.	विद्युत मंत्रालय	1	2,656.95
3.	नागर विमानन मंत्रालय	1	2,325.00
4.	शहरी विकास मंत्रालय	1	4,944.00
5.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	2	8,115.60
6	भारी उद्योग विभाग	1	679.00
	जोड़	**7**	**19,314.55**

कर्मचारी निरीक्षण एकक

अध्ययनों का वार्षिक कार्यक्रम

वित्त वर्ष के दौरान किए जाने वाले अध्ययनों का वार्षिक कार्यक्रम संबंधित मंत्रालयों/विभागों के वित्त सलाहकारों के परामर्श से तैयार किया जाता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल से अगले वर्ष की 31 मार्च तक प्रभावी रहता है।

वर्ष 2012 के दौरान कार्यनिष्पादन

- वर्ष 2012 के दौरान (दिसंबर, 2012 तक) कर्मचारी निरीक्षण एकक ने 11116 पदों की स्वीकृत संख्या को शामिल करते हुए 04 अंतिम रिपोर्ट जारी की हैं। इन अध्ययनों में शामिल विभिन्न संगठनों में स्वीकृत 11116 पदों में से एसआईयू ने 4162 पदों को अधिशेष घोषित किया है।
- इस अवधि के दौरान एसआईयू ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के स्टोर कैडर, वित्त प्रभाग और प्रशासन स्कंध और गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लगभग 1300 पदों का अध्ययन किया और रिपोर्टें शीघ्र ही जारी कर दिए जाने की संभावना है।
- इस अवधि के दौरान एसआईयू के प्रमुख सदस्य केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अध्ययन को भी अंतिम रूप दिया गया है।

परिव्यय 2011-12 के परिणाम की स्थिति

क्र. सं.	स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2011-12 में परिव्यय (₹ करोड़ में)		परिमेय सेवाएं/ वास्तविक उत्पादन	प्रक्रियाएं/ समयावधि	31 मार्च, 2012 के अनुसार स्थिति
1	2	3	4		5	6	7
			4(i) ब.प्रा.	4(ii) सं.प्रा.			
1.	**मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं।** राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने और संस्थान के अवसंरचनात्मक विकास के लिए केन्द्रीय योजना स्कीम	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान सोसायटी द्वारा लेखा और वित्त संबंधी मामलों का कार्य देखने वाले अधिकारियों के लिए उच्च स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिसमें एमबीए (वित्त) के मूलभूत तत्व शामिल हैं।	5.00 (योजना) (राजस्व -3.00) (पूंजी-2.00)	3.48 (योजना) (राजस्व -2.45) (पूंजी-1.03)	केन्द्र/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के 50 अधिकारियों को प्रशिक्षण। यह कार्यक्रम त्रैमासिक है और इसके प्रत्येक सत्र की अवधि 12-14 सप्ताह है। यह कक्षा शिक्षण और परियोजना कार्य का एक संयोजन है।	2 वर्ष	(i) राजस्व खंड के अंतर्गत एन.आई.एफ.एम., फरीदाबाद में 39 अभ्यर्थियों ने पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। वास्तविक व्यय 2.45 करोड़ रुपए है। (ii) पूंजी खंड के अंतर्गत, संस्थान में अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए जारी की गई 1.03 करोड़ रुपए की धनराशि का पूर्णतः उपयोग किया गया।

परिव्यय 2012-13 के संदर्भ में परिणाम की स्थिति

क्र. सं.	स्कीम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	2012-13 में परिव्यय (₹ करोड़ में)		परिमेय सेवाएं/ वास्तविक उत्पादन	प्रक्रियाएं/ समयावधि	31 दिसम्बर, 2012 के अनुसार स्थिति
1	2	3	4		5	6	7
			4(i) ब.प्रा.	4(ii) सं.प्रा.			
1.	**मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं ।** राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने और संस्थान के अवसंरचनात्मक विकास के लिए केन्द्रीय योजना स्कीम	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान सोसायटी द्वारा लेखा और वित्त संबंधी मामलों का कार्य देखने वाले अधिकारियों के लिए उच्च स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिसमें एमबीए (वित्त) के आधारभूत तत्वों को शामिल किया गया है और संस्थान का विस्तार।	4.00 (योजना) (राजस्व -4.00) (पूंजी-शून्य)	2.88 (योजना) (राजस्व 2.88) (पूंजी-शून्य)	केन्द्र/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के 50 अधिकारियों को प्रशिक्षण। यह कार्यक्रम त्रैमासिक है और इसके प्रत्येक सत्र की अवधि 12-14 सप्ताह है। यह कक्षा शिक्षण और परियोजना कार्य का एक संयोजन है।	2 वर्ष	(i) राजस्व खंड के अंतर्गत, एन.आई.एफ.एम., फरीदाबाद में 47 अभ्यर्थियों ने पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। 31 दिसम्बर, 2012 तक वास्तविक व्यय 2.25 करोड़ रुपए है। (ii) पूंजी खंड के अंतर्गत, व्यय शून्य है।

वित्तीय समीक्षा

वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए बजट प्राक्कलन/संशोधित प्राक्कलन प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मुख्य शीर्ष	2010-11 बजट प्राक्कलन	2010-11 संशोधित प्राक्कलन	2010-11 वास्तविक	2011-12 बजट प्राक्कलन	2011-12 संशोधित प्राक्कलन	2011-12 वास्तविक	2012-13 बजट प्राक्कलन	2012-13 संशोधित प्राक्कलन	2012-13 वास्तविक (31.12.12)
1.	**सचिवालयी सामान्य सेवाएं**	**2052**	55.45	52.28	50.87	55.91	74.67	67.40	89.45	84.39	56.92
2.	**अन्य प्रशासनिक सेवाए**	**2070**	31.85	52.99	35.09	44.06	52.79	50.30	45.80	40.46	20.74
	i) सिविल लेखा संगठन (शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान (इनगैफ) में प्रशिक्षण केन्द्र		3.14	3.27	3.21	3.65	3.93	3.61	4.39	4.17	3.17
	ii) एन.आई.एफ.एम. सोसाइटी की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए स्कीम		4.70	3.71	3.71	4.40	3.85	3.85	5.40	4.28	3.30
	iii) अंशदान		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
	iv) नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड के लिए सेवा प्रभार		24.00	46.00	28.16	36.00	45.00	42.83	36.00	32.00	14.27
3.	**अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं**										
	i) राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का विकास	**4070**	7.20	7.20	7.20	2.00	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00
	(ii) महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के लिए नया स्थान	**4059**	26.35	—	—	—	—	—	—	—	—
	जोड़		**120.85**	**112.47**	**93.16**	**101.97**	**128.49**	**118.73**	**135.25**	**124.85**	**77.66**

वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए बजट प्राक्कलन/संशोधित प्राक्कलन के मुकाबले में मद शीर्षवार व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2010-11			2011-12			2012-13		
		बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक (दिसम्बर 2012 तक)
राजस्व खंड										
1	वेतन	36.45	37.51	36.76	40.14	45.37	41.79	55.15	54.97	42.15
2	मजदूरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	समयोपरि भत्ता	0.18	0.17	0.16	0.17	0.17	0.10	0.17	0.10	0.06
4	चिकित्सा उपचार	0.54	0.65	0.46	0.67	0.73	0.55	0.84	0.82	0.49
5	घरेलू यात्रा व्यय	0.78	0.81	0.68	0.92	1.06	0.96	1.60	1.49	0.99
6	विदेश यात्रा व्यय	0.60	0.58	0.36	0.95	0.94	0.73	1.08	0.97	0.70
7	कार्यालय व्यय	15.94	9.45	9.44	10.19	12.41	12.13	12.93	12.44	8.55
8	किराया, दरें एवं कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	प्रकाशन	0.23	0.44	0.42	0.25	0.38	0.30	0.33	0.30	0.27
10	अन्य प्रशासनिक खर्चे	24.38	46.32	28.50	36.39	45.87	43.60	37.20	33.10	14.96
11	विज्ञापन एवं प्रचार	0.05	0.01	0.01	0.01	3.73	3.48	2.25	0.55	0.33
12	लघु निर्माण कार्य	0.65	0.65	0.74	0.82	1.42	1.12	2.32	2.07	1.10
13	व्यावसायिक सेवाएं	0.84	1.57	1.57	1.65	2.58	1.93	3.25	2.30	1.00
14	सहायता अनुदान	4.70	3.71	3.71	4.40	3.85	3.85	5.40	4.28	3.30
15	अंशदान	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
16	सूचना प्रौद्योगिकी	1.95	3.39	3.14	3.40	8.94	7.15	12.72	11.45	3.76
	जोड़	**87.30**	**105.27**	**85.96**	**99.97**	**127.46**	**117.70**	**135.25**	**124.85**	**77.66**
पूंजी खंड										
17	प्रमुख निर्माण कार्य	33.55	7.20	7.20	2.00	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00
	कुल जोड़	**120.85**	**112.47**	**93.16**	**101.97**	**128.49**	**118.73**	**135.25**	**124.85**	**77.66**

अनुलग्नक

अनुदान सं. 39 (पहले अनुदान सं. 38)

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान अभ्यर्पण और बचत का विवरण

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान पूरक अनुदानों सहित 129.46 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के मुकाबले 118.73 करोड़ रुपए का व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप बचत हुई और 10.73 करोड़ रुपए अर्थात् अनुदानों के राजस्व खंड के अंतर्गत 9.76 करोड़ रुपए और पूंजी खंड के अंतर्गत 0.97 करोड़ रुपए का अभ्यर्पण किया गया।

इन बचतों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

i) **सामान्य बचत:** संसाधनों के किफायती उपयोग के परिणामस्वरूप हुई बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप शीर्ष/ स्कीम/कार्यक्रम	बचत (निवल)	टिप्पणी/ कारण
1.	व्यय विभाग	4.52	प्रशासनिक व्यय के लिए कम आवश्यकता
2.	सिविल लेखांकन विभाग (शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान) में प्रशिक्षण केन्द्र	0.37	आईटी हार्डवेयर परामर्शदाताओं की कम आवश्यकता एवं किफायत उपाय

ii) **अल्प/गैर-उपयोग:** परियोजनाओं/स्कीमों का कार्यान्वयन न किए जाने/निष्पादन में विलंब के कारण बचत

क्र. सं.	उप शीर्ष/ स्कीम/कार्यक्रम	बचत (निवल)	टिप्पणी/ कारण
1.	व्यय विभाग	3.31	रिक्त पदों का नहीं भरा जाना
2.	नई पेंशन स्कीम के लिए एनएसडीएल के सेवा प्रभार	1.56	कम दावों की प्राप्ति

(iii) **अभ्यर्पण:** पुरानी/निष्क्रिय परियोजना/स्कीम के कारण अथवा परियोजना/स्कीम के पूरा हो जाने के कारण हुई बचत और अब निधियों की कोई आवश्यकता नहीं है।

क्र. सं.	उप शीर्ष/ स्कीम/कार्यक्रम	बचत (निवल)	टिप्पणी/ कारण
1.	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन सोसायटी का अवसंरचना विकास	0.97	परियोजना के पूरा हो जाने के कारण निधियों की कम आवश्यकता

टिप्पणी: *यह अनुबंध वित्त संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में की गई अपेक्षा के अनुसार सामान्य बचत, वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान सुपुर्द की गई निधियों के कम उपयोग/उपयोग न किए जाने के कारण संचित बचतों के संबंध में बजट प्रभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.7 (1)-बी(एसी)/2011 के अनुसरण में शामिल किया गया है।*

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थानः कार्यनिष्पादन की समीक्षा

उद्देश्य

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय (सोसाइटी) है और केन्द्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। इस संस्थान की स्थापना वित्त, लेखा एवं लेखापरीक्षा, लोक अर्थशास्त्र, मानव संसाधन प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने, अनुसंधान करने और परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए देश में प्रमुख ज्ञान भागीदार के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से की गई है। इसे प्रतिभागी सेवाओं के समूह "क" के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण एवं सतत् व्यावसायिक शिक्षा देने का कार्य भी सौंपा गया है।

कार्यनिष्पादनः

यह संस्थान जनवरी, 1994 से कार्य कर रहा है तथा निम्नलिखित कार्यक्रमों का संचालन कर रहा हैः

व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमः

अब तक, विभिन्न लेखा, लेखापरीक्षा और वित्त सेवाओं के परिवीक्षार्थियों के उन्नीस बैचों को 44 सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया जा चुका है। 07 जनवरी, 2013 से शुरू हुए परिवीक्षार्थियों के 20वें बैच में 53 परिवीक्षार्थियों (लगभग) ने प्रवेश लिया है।

प्रबंधन विकास कार्यक्रम

एन.आई.एफ.एम. प्रतिवर्ष भिन्न-भिन्न अवधियों के प्रबंधन विकास कार्यक्रम संचालित करता है। इनमें से कुछ कार्यक्रम विभिन्न सरकारी विभागों, विदेशी सरकारों, विश्व बैंक आदि द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि संस्थान द्वारा संचालित विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थी प्रायोजित करते हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान, प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एम.डी.पी.) का ध्यान निम्नलिखित क्षेत्रों पर केन्द्रित हैः

(क) बजट व्यवस्था एवं लोक व्यय प्रबंधन

(ख) सरकार की लेखांकन प्रणाली एवं वित्तीय प्रबंधन

(ग) माल एवं सेवाओं का प्रापण

(घ) निविदा और संविदा प्रक्रिया

(ड़) लोक वित्तीय प्रबंधन

(च) माल, कार्यों और सेवाओं के प्रापण के लिए विश्व बैंक के मानक नियम एवं प्रक्रियाएं

(छ) साइबर अपराध एवं विधि चिकित्साशास्त्र

स्नातकोत्तर प्रबंधन (वित्तीय प्रबंधन) डिप्लोमाः

एन.आई.एफ.एम. वर्ष 2002 से स्नातकोत्तर प्रबंधन (वित्तीय प्रबंधन) डिप्लोमा का संचालन कर रहा है। पी.जी.डी.एम.(एफ.एम.) का मौजूदा बैच मई, 2012 में शुरू हुआ है जिसमें विभिन्न केन्द्र/राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के 47 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया। पी.जी.डी.एम. (एफ.एम.) का नया बैच मई, 2013 में शुरू होगा जिसमें 60 अभ्यर्थियों को प्रवेश देने का लक्ष्य है।

शासकीय लेखांकन एवं आंतरिक लेखापरीक्षा में डिप्लोमाः

एक वर्षीय लेखांकन एवं आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा, संघ सरकार की संगठित लेखा सेवाओं के अधिकारियों की तकनीकी योग्यता में सुधार के लिए है। यह पाठ्यक्रम, नव नियुक्त अधिकारियों को लोक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में अपेक्षाकृत बड़ी जिम्मेदारियों को वहन करने में समर्थ बनाने के लिए तैयार किया गया है। लेखांकन और आंतरिक लेखापरीक्षा में डिप्लोमा (डीजीए एंड आईए) का मौजूदा बैच मई, 2012 से शुरु हुआ जिसमें 39 उम्मीदवारों ने भाग लिया। डीजीए एंड आईए का नया बैच मई/जून, 2013 से आरंभ होगा जिसमें 35 प्रतिभागियों को प्रवेश देने का लक्ष्य है।

प्रबंधन में फेलो कार्यक्रमः

यह एक खुला कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य, सक्षम अनुसंधानकर्ता, शिक्षक तथा परामर्शदाता तैयार करने के लिए शोध कार्य करना है। यह ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा विधिवत अनुमोदित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का तीसरा बैच मई, 2012 में 2 प्रतिभागियों के साथ शुरू हुआ।

राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के साथ विशेष वित्तीय विपणन कार्यक्रम

एन.आई.एफ.एम. ने राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एन.एस.ई.) के सहयोग से एक वर्षीय सप्ताहांत विशेष कार्यक्रम (35 प्रतिभागियों के साथ) और एक वर्षीय नियमित कार्यक्रम (33 प्रतिभागियों के साथ) शुरू किया है जो नकद इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कोमोडिटीज़ तथा विदेशी मुद्रा जैसे सभी वित्तीय बाजारों को शामिल करते हुए स्टॉक एक्सचेंजों, कमोडिटी एक्सचेंजों, विनियामक निकायों, बाजार मध्यस्थों, बैंकों, म्युच्युअल फंडों तथा परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों और इसी तरह के अन्य संगठनों में जिम्मेदार पदों पर कार्य करने में सक्षम प्रशिक्षित विशेषज्ञों को तैयार करने पर ध्यान केन्द्रित करता है। इस कार्यक्रम का पहला बैच मई-जुलाई, 2012 में शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम का अगला बैच मई-जून, 2013 में शुरू होगा।

परामर्शी परियोजनाएं:

वर्ष 2012-13 के दौरान, एनआईएफएम को परामर्शी परियोजना सौंपी गई है। वर्ष के दौरान सौंपी गई/चल रही परामर्शी परियोजनाएं निम्न प्रकार थीं:-

(i) भारत के अंदर और बाहर बेहिसाबी आय/संपत्ति का अध्ययन।

(ii) केंद्रीय स्वायत्त निकायों के संबंध में अध्ययन।

(iii) झारखंड सरकार का जल एवं स्वच्छता के संबंध में अध्ययन।

वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय का लेखा निम्न प्रकार हैः

(राशि रुपए में)

आय	**31.03.2012**	**31.03.2011**
सेवाओं से आय	10,45,61,363	9,28,16,567
अनुदान	1,40,00,000	1,40,00,000
अर्जित ब्याज	1,21,25,324	61,62,604
अन्य आय	19,24,108	14,89,501
जोड़ (क)	**13,26,10,795**	**11,44,68,672**
व्यय		
संस्थापना व्यय	3,87,74,807	3,46,17,311
अन्य प्रशासनिक व्यय	6,06,58,933	5,99,08,731
मूल्य ह्रास	93,92,050	94,37,855
जोड़ (ख)	**10,85,25,790**	**10,39,63,897**
व्यय की तुलना में आय का अधिशेष/घाटे की शेष राशि (क – ख)	**2,40,85,005**	**1,05,04,775**
घटाएंः अवधि-पूर्व समायोजन (निवल)	**(13,11,995)**	**(2,10,412)**
जोड़ेंः पूंजीगत परिसंपत्ति निधि से अंतरित राशि जो सरकारी अनुदान से प्राप्त की गई संपत्तियों पर मूल्य ह्रास (वर्ष के लिए) दर्शाती है	**28,82,513**	**31,41,177**
तुलन-पत्र में आगे ले जाई गई अधिशेष/घाटे की शेष राशि	**2,56,55,523**	**1,34,35,540**

राजस्व विभाग

प्रस्तावना

1. राजस्व विभाग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित सभी मामलों का दो सांविधिक बोर्डों, नामतः केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से नियंत्रण करता है । प्रत्येक बोर्ड के प्रमुख अध्यक्ष होते है जो भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव भी होते हैं । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सभी प्रत्यक्ष करों के लगाने और संग्रहण का कार्य किया जाता है, जबकि सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर लगाने व संग्रहण का कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के कार्य क्षेत्र में आता है । ये दोनों बोर्ड, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित किए गए थे । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में 6 सदस्य और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में 6 सदस्य हैं । ये सदस्य भारत सरकार के पदेन अपर सचिव भी होते हैं ।

2. राजस्व विभाग मुख्यतया निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार है :-

- प्रत्यक्ष कर लगाने और संग्रहण से जुड़े सभी मामले ।
- अप्रत्यक्ष कर लगाने और संग्रहण से जुड़े सभी मामले ।
- आर्थिक अपराधों की जॉच और आर्थिक कानून का प्रवर्तन ।
- अफीम की खेती, निर्यात और मूल्य-निर्धारण के लिए नीति तैयार करना ।
- स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी द्रव्यों के दुरुपयोग तथा उनके अवैध व्यापार का मुकाबला करना एवं रोकथाम करना ।
- फेमा का प्रवर्तन एवं कोफेपोसा के तहत नज़र बन्दी हेतु सिफारिश ।
- तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति समपहृत) अधिनियम, 1976 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत सम्पत्ति को जब्त करने से संबंधित कार्य ।
- अन्तर राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री पर कर लगाना ।
- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत स्टाम्प शुल्क के भुगतान के संबंध में समेकन/कमी/छूट से संबंधित मामले ।
- स्वर्ण नियंत्रण से जुड़ा शेष कार्य ।

3. राजस्व विभाग निम्नलिखित अधिनियमों को प्रशासित करता है :-

— आयकर अधिनियम, 1961;
— धनकर अधिनियम, 1958;
— व्यय कर अधिनियम, 1987;*
— बेनामी कारोबार(प्रतिषेध) अधिनियम, 1988;
— अधिलाभ कर अधिनियम , 1963;*
— कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964;*
— अनिवार्य जमा (आयकर दाता) योजना अधिनियम, 1974;*
— वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2004 का अध्याय VII (प्रतिभूति, कारोबार कर लगाने से संबंधित)
— वित्त अधिनियम, 2005 का अध्याय VII (बैंकिंग, रोकड़ कारोबार कर से संबंधित)
— वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय V (सेवा कर से संबंधित)
— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और संबंधित मामले
— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और संबंधित मामले
— औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955;
— केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
— स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985;
— स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ का अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988; (सफेम)
— तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976;
— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जहां तक यह संघ के अधिकार क्षेत्र में आता हो)
— विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974;
— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999; और
— धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002;

* इन अधिनियमों का प्रशासन केवल उस अवधि के दौरान हुए मामलों के लिए सीमित है, जब ये लागू थे ।

4. यह विभाग उपर्युक्त अधिनियमों से संबंधित मामलों पर प्रभागों एवं सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है जिनके कार्य निम्न प्रकार हैं :-

- **केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड :**

  प्रत्यक्ष कर लगाने और वसूल करने से संबंधित सभी मामले

- **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड**

  अप्रत्यक्ष कर लगाने और वसूल करने से संबंधित सभी मामले

- **राज्य कर स्कन्ध :**

  बिक्री कर कानून (वैधीकरण) अधिनियम, 1956, केन्द्रीय बिक्री कर, राज्य स्तरीय मूल्यवर्धित कर (वैट), भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1989 आदि का प्रशासन ।

- **स्वापक नियंत्रण प्रभाग:**

  अफीम पोस्त की खेती, अफीम के उत्पादन और निर्यात के लिए लाइसेंस नीति तैयार करना तथा अफीम एवं क्षारोध का मूल्य निर्धारण । प्रबंध समिति के कार्य का समन्वय करना और संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंधित मुद्दे ।

प्रबंध समिति :

विभागीय उपक्रमों, नामतः सरकारी अफीम और क्षारोध कार्य नीमच (म0प्र0) और गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) का प्रशासन करता है जो निर्यात प्रयोजनों के लिए कच्ची अफीम का संसाधन और अफीम से क्षारोद निष्कर्षण का भी कार्य करते हैं, जिनका भेषज उद्योग द्वारा प्रयोग किया जाता है ।

- **प्रशासन प्रभाग:**

राजस्व विभाग के सभी प्रशासनिक मामले । भारतीय राजस्व सेवा (समूह-क), भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और के0उ0शु0) (समूह-क) विभाग के स्टाफ और अधिकारियों के गोपनीय रिपोर्ट डोजियरों का रख-रखाव । समन्वय कार्य और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं अनुवाद संबंधी कार्य ।

- **पुनरीक्षा आवेदन एकक:**

सीमा शुल्क आयुक्त (अपील) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुकत (अपील) के आदेशों के विरुद्ध दाखिल पुनरीक्षा याचिकाओं और के0उ0शु0 एवं सी0शु0 बोर्ड के समक्ष 11.10.1982 से पहले दाखिल मामलों से संबंधित कार्य ।

- **एकीकृत वित्त एकक :**

राजस्व विभाग और सी0बी0डी0टी0 एवं सी0बी0ई0सी0 के तहत इसके संघटक एककों और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित सभी वित्तीय मामलों में सलाह देना । व्यय और वित्तीय प्रस्तावों का कार्य करती है । राजस्व विभाग, प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित अनुदानों के लिए व्यय बजट तैयार करती है ।

- **सक्षम प्राधिकारी:**

तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के तहत सम्पत्ति के समपहरण और स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अध्याय-5 क से संबंधित कार्य ।

- **सम्पहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण:**

सफेम (एफओपी) अधिनियम, 1976 और एन0डी0पी0एस0 अधिनियम, 1985 के अध्याय 5 क के तहत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पारित सम्पत्तियों के समपहरण के आदेशों के विरुद्ध व्यक्तियों द्वारा दाखिल अपीलों का न्याय-निर्णयन ।

- **सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर अपील अधिकरण:**

कार्यकारी आयुक्तों और आयुक्त (अपील) के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई ।

- **सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति:**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सामाजिक और आर्थिक कल्याण की परियोजनाओं की सिफारिश करना।

- **अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण :**

आवेदक द्वारा किए गए है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है, ऐसे लेन-देन,के संबंध में अनिवासियों द्वारा दाखिल आवेदन में विनिर्दिष्ट कानून अथवा तथ्य के प्रश्न पर अग्रिम विनिर्णय देना ।

- **सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग :**

सीमा शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत निर्धारितियों द्वारा दाखिल आवेदनों का निपटान ।

- **समझौता आयोग (आयकर/धन कर):**

आयकर अधिनियम, 1961 और धन कर अधिनियम 1957 के तहत निर्धारितियों द्वारा दाखिल आवेदनों का निपटान ।

- **केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो:**

आसूचना एकत्रित करने की गतिविधियों, जांच-पड़ताल के प्रयासों और आर्थिक अपराधों की जांच से संबंधित विभिन्न एजेंसियां द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई और आर्थिक कानूनों के प्रवर्तन का समन्वय करना और उसे सुदृढ़ बनाना ।

- **प्रवर्तन निदेशालय:**

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण गतिविधि अधिनियम, 1974 के तहत नजरबंदी के लिए मामलों की सिफारिश करना । विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनयम, 1999 के तहत प्रवर्तन निदेशालय को मुख्यतः जांच और न्याय-निर्णयन एजेंसी के रूप में कार्य सौंपा गया है, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के संगत उपबंधों के तहत निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय को शक्तियां भी दी गई हैं ।

- **वित्तीय आसूचना एकक:**

धन शोधन और संबंधित अपराधों का मुकाबला करने के लिए प्रभावी राष्ट्रीय क्षेत्रीय और वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय आसूचना के एकत्रण और आदान-प्रदान को समन्वित और सुदृढ़ करना । निदेशक, भारत वित्त आसूचना एकक को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के संगत उपबंधों के तहत शक्तियां दी गई हैं ।

- **धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण**

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अथवा द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार शक्तियों व प्राधिकार का प्रयोग करना । प्राधिकरण को यह अधिकार है कि वह असंतुष्ट पक्षों को सुनने के बाद संपत्ति की अनंतिम कुर्की की पुष्टि करें ताकि यह सुनिश्चित करें नियत अपराध अथवा धन शोधन अपराध के लिए चल रहे मुक़दमे के लंबित रहने के दौरान संपत्ति को बेचा न जाए ।

- **आयकर लोकपाल** :

करदाताओं की शिकायतों की जांच करने के लिए सात शहरों में आयकर लोकपालों को तैनात किया गया है ।

- **अप्रत्यक्ष कर लोकपाल** : सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर विभाग के विरूद्ध लोक शिकायत से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए चार शहरों में अप्रत्यक्ष कर लोकपाल की नियुक्ति की गई है।

5. प्रत्यक्ष कर :

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड शीर्ष संस्था है जिसे भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों अर्थात आयकर, धनकर, बैक कारी नकद संव्यवहार कर, प्रतिभूति संव्यवहार कर, आदि के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा छः सदस्य हैं तथा यह आयकर विभाग का संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण है । दिल्ली में निम्नलिखित सम्बद्ध कार्यालय केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को उनके काम काज में सहायता करते हैं :

(i) आयकर महा निदेशालय (प्रशासन)

(क) आयकर निदेशालय (जनसम्पर्क, मुद्रण, प्रकाशन एवं राजभाषा)

(ख) आयकर निदेशालय (वसूली)

(ग) आयकर निदेशालय (आयकर एवं लेखा परीक्षा)

(ii) आयकर महानिदेशालय (प्रणाली)

(iii) आयकर महानिदेशालय (विधिक एवं अनुसंधान)

(iv) आयकर निदेशालय (संगठन एवं प्रबंधन सेवाएं)

(v) आयकर निदेशालय (अवसंरचना)

(vi) आयकर निदेशालय (कारोबार प्रक्रिया पुनर्निर्माण)

(vii) आयकर निदेशालय (मानव संसाधन विकास)

(viii) आयकर महानिदेशालय (छूट)

(ix) आयकर महानिदेशालय (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं अन्तरण मूल्य)

पूरे देश में तैनात विभिन्न मुख्य आयकर आयुक्त प्रत्यक्ष कर संग्रहण का पर्यवेक्षण करते हैं तथा करदाता सेवाएं प्रदान करते हैं । आयकर महानिदेशक (जांच) कर अपवंचन को रोकने और बेहिसाबी धन का पता लगाने के लिए जांच तंत्र का पर्यवेक्षण करते हैं । मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक की सहायता आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक अपने-अपने क्षेत्राधिकार में करते हैं। यहां प्रथम अपीलीय तंत्र भी है जिसमें आयकर आयुक्त (अपील) होते हैं जो कर निर्धारण अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों के निपटान का कार्य करते हैं । प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड स्थानीय वेतन एवं लेखा अधिकारियों की सहायता से विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण तथा किए गए व्यय के लेखांकन के लिए जिम्मेदार हैं ।

6. अप्रत्यक्ष कर

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का शीर्ष निकाय है। यह बोर्ड अपने क्षेत्रीय कार्यालयों, जिनमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के लिए 23 मुख्य आयुक्त के ज़ोन, सीमा शुल्क के लिए 11 मुख्य आयुक्त ज़ोन, 12 महानिदेशालय एवं 6 निदेशालय एवं सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीली अधिकरण के लिए एक मुख्य विभागीय प्रतिनिधि व्यवस्था शामिल है के माध्यम से अपने कार्यों का निवर्हन करता है। इसके प्रकार्यों में निम्नलिखित कार्यालयों द्वारा सहायता की जाती है:-

(i) राजस्व आसूचना निदेशालय

(ii) संरक्षोपाय महानिदेशालय

(iii) केन्द्रीय उत्पाद आसूचना महानिदेशालय

(iv) निरीक्षण महानिदेशालय

(v) सतर्कता महानिदेशालय

(vi) सेवाकर महानिदेशालय

(vii) लेखा महानिदेशालय

(viii) निर्यात संवर्धन महानिदेशालय

(ix) मूल्यांकन महानिदेशालय

(x) प्रणाली एवं डॉटा प्रबंधन महानिदेशालय

(xi) मानव संसाधन विकास महानिदेशालय

(xii) लॉजिस्टिक्स महानिदेशालय

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड स्थानीय वेतन एवं लेखा अधिकारियें की सहायता से विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण तथा किए गए व्यय के लेखांकन के लिए जिम्मेदार है ।

7. राजस्व विभाग में तीन अनुदान मांगे हैं:

मांग सं0 42 - राजस्व विभाग

मांग सं0 43 - प्रत्यक्ष कर और

मांग सं0 44 - अप्रत्यक्ष कर

2013-14 हेतु परिव्यय एवं परिणाम का विवरण

क्रम सं0	स्कीम /कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय 2013-14 (करोड़ रूपये में) गैर योजना	योजना	प्रमात्रात्मक प्रदाय / वास्तविक उपादान	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समयसीमा	टिप्पणी / जोखिम अवयव
			4		5	6	7	8
1	2	3	4(i)	4(ii)				
1.	**मुख्य शीर्ष -2052 कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली की स्थापना, आदि** (यह बजट प्रावधान अधिकार प्राप्त समिति (ई सी) को कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली परियोजना के कार्यान्वयन, जम्मू एवं कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में वैट कम्प्यूटरीकरण के लिए सहायता अनुदान तथा अधिकार प्राप्त समिति के प्रशासनिक खर्चों के लिए हैं।)	कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली के माध्यम से अन्तरराज्यीय संव्यवहारों का प्रभावी रूप से पता रखना एवं अधिकार प्राप्त समिति का व्यवस्थित रूप से कार्य संचालन और हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर में वैट का कम्प्यूटरीकरण ।	15.61	...	कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली परियोजना का कार्यान्वयन । अधिकार प्राप्त समिति का व्यवस्थित रूप से कार्य करना। जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में वैट कम्प्यूटरीकरण।	अन्तर-राज्यीय संव्यवहारों का प्रभावी रूप से पता रखना जिससे राजस्व के रिसाव को रोका जा सकेगा । जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आधुनिक वैट प्रशासन	कर सूचना आदान प्रदान परियोजना का कार्यान्वयन अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा एक सुविधा प्रदाता के माध्यम से बूट माडल पर किया जा रहा है । इस परियोजना को मार्च, 2013 तक बढ़ाया गया था तथा इसको 2013-14 में भी जारी रहने की संभावना है। जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में वैट कम्प्यूटरीकरण परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है और इस परियोजना की प्रगति की मॉनिटरिंग अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जा रही है ।	
2.	मुख्य शीर्ष 2047-माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जी एस टी एन) हेतु विशेष उद्देश्य वाहक (एस पी वी) (यह बजट प्रावधान माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जी एस टी एन) हेतु विशेष उद्देश्य वाहक (एस पी वी) को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए है)	माल एवं सेवा कर नेटवर्क हेतु विशेष उद्देश्य वाहक	100.00	...	माल एवं सेवा कर के निर्बाध आरंभ हेतु सामर्थकारी वातावरण तैयार करना । माल एवं सेवा कर नेटवर्कः विशेष उद्देश्य वाहक केंद्र एवं राज्यों सहित विभिन्न साझेदारों को सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना प्रदान करेगा ।	मंत्रिमंडल ने माल एवं सेवा कर सुचारु एवं प्रभावी रूप से लागू करने की परियोजना को मंजूरी दे दी है ।	मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है और विशेष उद्देश्य वाहक (एस पी वी) को निकट भविष्य में एक गैर-सरकारी सेक्शन 25 कंपनी के रूप में पंजीकृत करने की संभावना है ।	
3.	**मुख्य शीर्ष - 3601/3602 राज्यों /संघ शासित प्रदेशों को वैट के कार्यान्वयन के कारण हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति तथा वैट संबंधी अन्य खर्चे** (यह बजट प्रावधान राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को (i) वैट की क्षतिपूर्ति के लिए और (ii) अन्य	राज्य वैट का सुचारु एवं प्रभावी कार्यान्वयन	51.00	...	सभी राज्यों / संघ शासित राज्यों द्वारा वैट कार्यान्वयन	राज्य वैट का सुचारु एवं प्रभावी कार्यान्वयन	सहमत फार्मूले के अनुसार वैट क्षतिपूर्ति वर्ष 2005-06 (राजस्व हानि का 100 प्रतिशत), वर्ष 2006-07 (राजस्व हानि का 75 प्रतिशत) और वर्ष 2007-08 (राजस्व हानि का 50 प्रतिशत) के लिए उपलब्ध कराई जानी थी । सभी राज्यों	

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)				
	वैट संबंधी व्यय और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कराधान अध्ययन के लिए दो संस्थानों की स्थापना/उन्नयन के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए है)		80.00	...	राज्य कर प्रशासन का आधुनिकीकरण जिसमें राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों के कराधान अध्ययन के लिये दो संस्थानों की स्थापना /उन्नयन शामिल है।		के दावों का निपटान पहले ही किया जा चुका है । राज्य वैट प्रशासन की दक्षता और प्रदेय सेवा में सुधार लाने के लिए वाणिज्य कर प्रशासन के कम्प्यूटरीकरण हेतु मिशन मोड परियोजना के तहत 33 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में परियोजनाऑ को पहले ही स्वीकृति दे दी गई है । इन परियोजनाऑ को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को आगे शेष अनुदान जारी किए जाएंगे । कराधान अध्ययन केंद्र का राष्ट्रीय लोक वित्त संस्थान के रूप में उन्नयन हेतु प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है और राज्य सरकारों को निधियां जारी कर दी गई हैं । कोलकाता में सामाजिक विज्ञान अध्ययन केन्द्र में लोक वित्त के प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय बंदोबस्ती केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया है और इस केंद्र को निधियां जारी कर दी गई हैं ।	
4.	**मुख्य शीर्ष - 3601/3602- राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय बिक्री कर (के0बि0क0) को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के कारण होने वाली राजस्व हानि हेतु क्षतिपूर्ति**(यह बजट प्रावधान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए है)	माल एवं सेवा कर(जी एस टी) के प्रारंभ को सुकर बनाने के लिए राज्यों/संघ शासित राज्यों को केन्द्रीय बिक्री कर (सी एस टी) की क्षतिपूर्ति हेतु सहायता अनुदान	9300.00	...	सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन। केन्द्रीय बिक्री कर समाप्त करना।	केन्द्रीय बिक्री कर के चरणबद्ध समापन का सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन ।	केन्द्रीय बिक्री कर को 1-4-2007 से तीन वर्षों में चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की योजना थी । केन्द्रीय बिक्री कर की दर को वर्ष 2007-08 में 4 प्रतिशत से कम करके 3 प्रतिशत और वर्ष 2008-09 में 2 प्रतिशत किया गया। सहमत फार्मूले के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय बिक्री कर की क्षतिपूर्ति 2010-11 तक प्रदान की जानी थी।	

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)				
5.	**मुख्य शीर्ष 2875 सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य**	गाजीपुर और नीमच में सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरियां दो विभागीय उपक्रम हैं जो राजस्व विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं । इनमें से प्रत्येक उपक्रम की दो अलग-अलग इकाइयां, अर्थात अफीम फैक्टरी एवं क्षारोध संयंत्र हैं । अफीम फैक्टरियां अफीम की मांग को पूरा करने के कार्य में लगी हैं और खेती से प्राप्त कच्ची अफीम का एक बड़ा भाग निर्यात किया जाता है ।	260.14	...	299.14 मीट्रिक टन कच्चे अफीम की अधिप्राप्ति 20 मीट्रिक टन कोडीन फॉस्फेट का आयात, अफीम का निर्यात (378 मी0टन) तथा क्षारोद की बिक्री(67.05 मी0 टन)	347.73 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली	राजस्व वसूली की तुलना में व्यय की प्रगति की मासिक/ तिमाही रूप से समीक्षा की जाएगी ।	राजस्व वसूली एवं व्यय अनेक कारणों जैसे कि अन्तर-राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अफीम की मांग, विदेशी मुद्रा की दर में उतार चढ़ाव, क्षारोद का उत्पादन, अफीम की खरीद की मात्रा, काडीन फास्फेट का आयात आदि पर निर्भर करता है ।

सुधारात्मक उपाय एवं नीतिगत पहल

मूल्यवर्धित कर (वैट) योजना का कार्यान्वयन

1. राज्य स्तर पर राज्य वैट को लागू करना हाल के समय का एक अत्यधिक उल्लेखनीय कर सुधार उपाय है । राज्य वैट को कार्यान्वित करने का निर्णय 18-6-2004 को हुई राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में लिया गया था, जिसमें वैट को 1-4-2005 से लागू करने के लिए राज्यों के बीच व्यापक सहमति हुई थी । तदनुसार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को छोड़कर, जहां राज्य कर/ वैट नहीं है सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वैट को लागू कर दिया गया है, तथा वैट लागू करने से हुई हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को 31 दिसम्बर, 2012 तक 19002.82 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है ।

वैट संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए 2013-14 हेतु प्रावधान का प्रस्ताव राज्य स्तर पर वैट लागू करने में केन्द्रीय सरकार की सुसाध्यकर्ता की भूमिका को ध्यान में रखते हुए किया गया है ।

केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करना

यह राज्य वैट कार्यान्वयन का एक प्राकृतिक उप परिणाम है । केन्द्रीय बिक्री कर गैर छूट प्राप्त स्रोत-आधारित कर होने के कारण वैट के अनुरूप नहीं है तथा इसे चरणबद्ध रूप से समाप्त किए जाने की आवश्यकता है । केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना एक एकीकृत राष्ट्र स्तरीय माल एवं सेवा कर (जी एस टी) को 01.04.2010 से लागू करने की योजना के परिप्रेक्ष्य में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है । केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के स्तर पर राज्य सरकारों से चर्चा के दौरान राज्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण होने वाली राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति की जाए । केन्द्रीय बिक्री कर को 3 वर्षों अर्थात प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशत घटाकर समाप्त करने के लिए राज्यों के साथ एक व्यापक सहमति हुई थी ताकि 31-3-2010 तक इसे समाप्त किया जा सके । इसी क्रम में केन्द्रीय बिक्री कर की दर को 1.4.2007 से 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया तथा 1-6-2008 से 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया था ।

केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति पैकेज देने पर भी पारस्परिक रूप से सहमति हुई थी । इस पैकेज के तहत राज्यों को मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक उपायों के संयोजन से क्षतिपूर्ति की जा रही है । केन्द्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति के रूप में 31 दिसम्बर, 2012 तक राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को 30860.42 करोड़ रूपये जारी किये गये हैं । वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए 9300 करोड़ रूपये का एक प्रावधान प्रस्तावित किया गया है ।

वाणिज्यिक करों की मिशन मोड परियोजना

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना (एन ई जी पी) के अंतर्गत राजस्व विभाग 'वाणिज्यिक करों' पर एक मिशन मोड परियोजना (एम एम पी) का समन्वय कर रहा है जो कि राज्य करों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ई- प्रशासन पहल है । इसी का अनुसरण करते हुए सरकार ने एन ई जी पी के तहत राज्य सरकारों के वाणिज्यिक कर प्रशासनों के कम्प्यूटरीकरण हेतु मिशन मोड परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी थी । 1133 करोड़ रूपये की कुल लागत वाली इस परियोजना से राज्यों को उनके वाणिज्यिक कर प्रशासनों में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के विकास तथा उन्नयन में सहायता मिलेगी । इस परियोजना का उद्देश्य एक और डीलरों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करना है तथा दूसरी और राज्य सरकारों के वाणिज्यिक कर प्रशासनों की दक्षता में सुधार लाना है । इस परियोजना के तहत, केन्द्र और राज्य सरकारों को लगभग 70:30 के अनुपात में निधि की भागीदारी करनी होगी। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों की विशेष वर्ग स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उनके लिए यह अनुपात 90:10 (केन्द्रीय भाग:राज्य सरकार का भाग) पर निर्धारित किया गया है जबकि बिना विधायिका के केन्द्र शासित प्रदेशों को केन्द्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत निधि जारी की जाएगी ।

राज्यों के वाणिज्यिक कर विभागों के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने के लिए राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक परियोजना अधिकार प्राप्त समिति(पी ई सी) का गठन किया गया । पी ई सी ने सभी 33 राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है, जिनकी कुल लागत 1030 करोड़ रूपए है । 31 दिसम्बर, 2012 तक इन राज्यों को केन्द्रीय भाग के रूप में 501.94 करोड़ रूपए की राशि को जारी कर दिया गया है ।

अन्तर्राज्यीय संव्यवहार को सुसाध्य बनाने के लिए एक कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली (टी आई एन एक्स एस वाई एस) बनाई गई है ताकि राज्यों को फार्म-ग के निर्गम तथा अन्य अन्तर्राज्यीय बिक्री से संबंधित जानकारी मिल सके । इस परियोजना में केन्द्र सरकार परियोजना लागत की 50 प्रतिशत राशि लगा रही है जबकि राज्य शेष हिस्से को सामूहिक रूप से वहन करेंगे ।

माल एवं सेवा कर (जी एस टी)

एक राष्ट्रीय स्तर के माल एवं सेवा कर (जी एस टी) को 1 अप्रैल, 2010 से लागू करने के प्रस्ताव को तत्कालीन वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2006-07 के अपने बजट भाषण में पहली बार प्रस्तुत किया था । चूंकि इस प्रस्ताव में केवल केन्द्र द्वारा लगाया जाने वाले अप्रत्यक्ष कर ही नहीं बल्कि राज्यों द्वारा भी लगाए जाने वाले करों में सुधार/पुनर्संरचना शामिल थी इसलिए जी एस टी को लागू करने के लिए डिजाइन तथा रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री डा0 असीम के. दासगुप्ता की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को दी गई थी ।

अप्रैल, 2008 में अधिकार प्राप्त समिति ने केन्द्र सरकार को '' भारत में माल एवं सेवा कर के लिए मॉडल एवं रोड मैप'' शीर्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसके अंतर्गत जी एस टी की संरचना तथा डिजायन के विषय में व्यापक सिफारिशें शामिल हैं । इस पत्र में दोहरे जी एस टी मॉडल जिसमें एक केन्द्रीय जी एस टी तथा दूसरा राज्य जी एस टी होगा, का प्रस्ताव किया गया है । इस रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में, राजस्व विभाग ने प्रस्तावित जी एस टी के डिजाइन और संरचना में शामिल करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं ।

राजस्व विभाग, भारत सरकार और राज्यों से प्राप्त टिप्पणियों (इनपुट्स) के आधार पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने दिनांक 10 नवम्बर, 2009 को नई दिल्ली में अपना ''भारत में माल एवं सेवा कर पर प्रथम विचार-विमर्श पत्र'' जारी किया है । इस विचार विमर्श पत्र को इस उद्देश्य के साथ जारी किया गया था कि इस पर बहस कराई जाए तथा सभी दावाकर्ता-करदाताओं, उद्योग, व्यापार तथा कृषि के साथ-साथ उपभोक्ताओं से भी सुझाव प्राप्त किए जा सकें । राजस्व विभाग, भारत सरकार ने भी अधिकार-प्राप्त समिति के उक्त पत्र के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया भेज दी है ।

माल एवं सेवा कर (जी एस टी) को लागू करने के लिए संविधान में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए दिनांक 22-03-2011 को लोकसभा में विधेयक पुर:स्थापित किया गया है । अब लोक सभा सचिवालय द्वारा इस विधेयक को वित्त की स्थायी समिति को जांच तथा उस पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए भेज दिया गया है ।

इस विधेयक में एक जी एस टी परिषद की परिकल्पना की गई है, जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त मंत्री करेंगे तथा जिसमें हर राज्य से एक मंत्री शामिल होगा । यह परिषद प्रमुख जी एस टी मानदंडों जैसे- प्रारंभिक सीमा, छूटों, कर की दरों आदि के विषय में विचार-विमर्श करेगी तथा केन्द्र और राज्य सरकारों को अपनी सिफारिशें देगी । केन्द्र और राज्य से यह आशा है कि वे इन सिफारिशों का अनुसरण करेंगे । इस विधेयक में एक जी एस टी विवाद समझौता प्राधिकरण बनाए जाने की भी परिकल्पना की गई है, जिसे कोई भी राज्य या केन्द्र सम्पर्क कर सकता है, यदि वह राज्य या केन्द्र किसी अन्य राज्य या केन्द्र की किसी कार्रवाई से, जैसा भी मामला हो, प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हुआ हो, जोकि जी एस टी परिषद द्वारा की गई सिफारिशों से हटकर चलने के कारण हुई हो । इस पर व्यापक सहमति बनाए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सांविधानिक संशोधन विधेयक को अंतिम रूप प्रदान किया जा सके तथा जल्द से जल्द इसे संसद में पुरःस्थापित किया जा सके । इस प्रकार के विधेयक को संसद में पारित किए जाने के बाद इसे देश का कानून बनाने के लिए यह अपेक्षित होगा कि इसे कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों का समर्थन प्राप्त हो ।

इस विभाग ने जी एस टी के विभिन्न महत्वपूर्ण तत्वों पर कार्य करने के लिए अधिकारियों के तीन उप कार्यकारी ग्रुप बनाए हैं । एक उप-कार्यकारी ग्रुप रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, भुगतान आदि, जिनका अनुपालन जी एस टी के दायरे में किया जाना है, के संबंध में प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने पर कार्य कर रहा है । दूसरा उप कार्यकारी ग्रुप केन्द्रीय जी एस टी एवं मॉडल राज्य जी एस टी विधान का मसौदा तैयार करने पर कार्य कर रहा है। तीसरा उप कार्यकारी ग्रुप जी एस टी के संबंध में आई टी अवसंरचनात्मक संबंधी मामलों को अंतिम रूप देने का कार्य कर रहा है । माल एवं सेवा कर के लिए अपेक्षित आई टी प्रणाली के विकास हेतु डा0 नंदन नीलेकेणी की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त ग्रुप गठित किया गया है । इस अधिकार प्राप्त समूह ने एक रणनीति पत्र भी तैयार किया है, जिस पर राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अनुमोदन भी ले लिया गया है ।

माल एवं सेवा कर नेटवर्क के लिए विशेष उद्देश्य वाहक की स्थापना

माल एवं सेवा कर अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक ऐसे गंतव्य आधारित उपभोग कर के रूप में मान्यता प्राप्त है जिसमें कम से कम विकृतियां हैं। भारत में माल एवं सेवा कर लागू करने का प्रमुख उद्देश्य इसमें अधिक से अधिक आर्थिक गतिविधियों को शामिल करके कर आधार को बढ़ाना तथा छूटों में कमी लाना, प्रपाती और दोहरे कराधान को कम करना तथा माल एवं सेवाओं पर समग्र कर भार को कम करके बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करना है । प्रच्छन्न या अंतः स्थापित करों को हटाने से आयात की तुलना में तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बेहतर होगी । यह सुधार लाने से माल एवं सेवाओं के लिए एक राष्ट्रीय बाजार का विकास भी होगा ।

माल एवं सेवा कर की सफलता एक मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना पर भी निर्भर करेगी । माल एवं सेवा कर नेटवर्क के लिए सरकार ने एक विशेष उद्देश्य वाहक (एस पी वी) (जी एस टी एनः एस पी वी) की स्थापना को भी मंजूरी दी है जिससे माल एवं सेवा कर को सुचारु रूप से लागू करने के लिए समर्थकारी वातावरण तैयार हो सकेगा । जी एस टी एनः एस पी वी केंद्र तथा राज्यों सहित विभिन्न साझेदारों को सूचना प्रोद्योगिकी अवसंरचना एवं सेवाएं उपलब्ध कराएगा ।

जी एस टी एनः एस पी वी को धारा 25 (लाभ के लिए नहीं) गैर-सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया जाएगा जिसका रणनीतिक नियंत्रण सरकार के पास रहेगा । इसकी 10 करोड़ रुपए की ईक्विटी पूंजी होगी जिसमें केंद्र और राज्यों प्रत्येक की 24.5 प्रतिशत की बराबर साझेदारी होगी । गैर-सरकारी संस्थानों की 51 प्रतिशत ईक्विटी होगी । कोई भी अकेला संस्थान 10 प्रतिशत से अधिक ईक्विटी धारित नहीं कर सकेगा, जिससे किसी भी एक प्राइवेट संस्थान द्वारा अधिकतम 21 प्रतिशत ईक्विटी धारित करने की संभावना होगी ।

जी एस टी एनः एस पी वी का एक आत्मनिर्भर राजस्व मॉडल होगा जो कर दाताओं तथा इसकी सेवाओं का लाभ उठाने वाले कर प्राधिकरणों पर उपभोक्ता प्रभार लगाएगा यद्यपि एस पी वी की सेवाएं निकट भविष्य में जी एस टी के वास्तविक प्रारंभ के समय महत्वपूर्ण होगीं, यह भी आशा की जा रही है कि यह जी एस टी लागू करने से पहले केंद्र/राज्य कर प्रशासनों को मूल्यवान सेवाएं प्रदान करेगा ।

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के उन्नयन हेतु सहायता

सरकार ने कराधान अध्ययन केन्द्र, तिरूवनंतपुरम के एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में उन्नयन के लिए तथा पूर्वी भारत में इसी प्रकार का एक नया क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया था ।

कराधान अध्ययन केन्द्र का गुलाटी वित्त एवं कराधान संस्थान(जी आई एफ टी) के रूप में उन्नयन हेतु 33.13 करोड़ रूपये की कुल लागत का एक प्रस्ताव पहले ही सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है । राजस्व विभाग ने इसमें से 23.63 करोड़ रूपये तक का सहायता अनुदान प्रदान करने को अपनी सहमति दे दी है । केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं संस्थान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं तथा संस्थान को मदद के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 14 करोड़ रूपये की राशि 30 दिसम्बर, 2012 तक जारी कर दी गई है ।

सरकार द्वारा सामाजिक विज्ञान एवं अध्ययन केन्द्र (सी एस एस एस), कोलकाता को कार्पस सृजित करने तथा पहचान किए गए क्रियाकलापों को चलाने के लिए निधियां उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है । इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार तथा निदेशक, सी एस एस एस सी, कोलकाता के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं तथा दिसम्बर, 2012 तक पश्चिम बंगाल की सरकार को 14 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है ।

सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरियां

गाजीपुर(उ0प्र0) व नीमच (म0प्र0) स्थित सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरियां (जीऑएडब्ल्यू) निर्यात के लिए कच्ची अफीम के संसाधन, अफीम क्षारोद के विनिर्माण तथा अन्य संबंधित कार्यों को अपने गाजीपुर (उ0प्र0) व नीमच (म0प्र0) स्थित दोनों कारखानों के द्वारा पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं । सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरियां (जीऑएडब्ल्यू) द्वारा किये गये कुछ प्रमुख सुधार एवं पहल निम्न प्रकार से हैंः-

(क) अफीम पोस्त की अधिक पैदावार वाली किस्म के विकास व मौसम नियंत्रित कक्ष की स्थापना के लिए लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान में एक परियोजना आंरभ की जा रही है । इस परियोजना का उद्देश्य यह है कि अफीम पोस्त का उन क़िस्मों को वाणिज्यिक तौर पर विकास एवं खेती की जाए जिनमें उच्च एल्कालायड की मात्रा हो ताकि एल्कालायड का उच्च मात्रा में उत्पादन हो सके । इससे राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि होगी तथा आयात पर निर्भरता भी कम होगी । इससे अफीम खेतिहरों को अधिक आय होगी / मुआवजे में वृद्धि होगी ।

परिणामी बजट की निगरानी व्यवस्था

परिणामी बजट के अंतर्गत प्रशासनिक एवं समन्वयकारी यूनिटों द्वारा अपनी-अपनी मदों के संबंध में मासिक रिपोर्ट देने की एक प्रणाली आरंभ की गई है । परिणामी बजट के अंतर्गत व्यय के रूझानों व प्रगति की मासिक व त्रैमासिक समीक्षा विभाग/मंत्रालय के स्तर पर की जाती है । प्रमुख परियोजना संबंधी मदों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए परियोजना मॉनीटरिंग / कार्यान्वयन समिति स्थापित की गई है । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा किये जा रहे व्यापक स्तर पर कम्प्यूटरीकरण के उद्यमों के संबंध में समन्वित प्रयासों एवं शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति भी कार्य कर रही है जिसमें निजी क्षेत्र के प्रख्यात विशेषज्ञ भी सदस्य हैं ।

2011-12 हेतु परिव्यय एवं परिणाम के संबंध में परिणाम की स्थिति

क्रम सं0	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2011-12 (करोड़ रूपये) ब.अ.	सं.अ.	प्रमात्रात्मक प्रदाय	प्रक्रियाएं/ समय	31 मार्च, 2012 की स्थिति
1	2	3	4		5	6	7
1.	**मुख्य शीर्ष 2052- वैट योजना का कार्यान्वयन**	पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में आधुनिक वैट प्रशासन प्रणाली को स्थापित करना तथा अन्य राज्यों में तत्समान कार्रवाई को सुसाध्य बनाना	1.79	1.60	पूर्वोत्तर राज्यों, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम एवं मेघालय में वैट प्रशासन का कम्प्यूटरीकरण ।	परियोजना का टर्नकी आधार पर कार्यान्वयन का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया है ।	इस योजना के अंतर्गत अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एवं सिक्किम के पूर्वोत्तर राज्यों में वैट के कम्प्यूटरीकरण को और बढ़ाने के लिए एवं वैट संबंधी अन्य व्यय के लिए प्रावधान किया गया है । सिक्किम में वैट कम्प्यूटरीकरण का कार्य एन0आई0सी0 द्वारा तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में टी सी एस द्वारा (टर्नकी आधार पर) किया जा रहा है । इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया है। वर्ष 2009-10 के दौरान 6.21 करोड़ रुपये और 2010-11 में 5.56 करोड़ रूपये, तथा 2011-12 में 1.57 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है । 2004-05 से अब तक कुल 38.09 करोड रूपए का व्यय किया जा चुका है, जिसमें प्रचालन व रखरखाव का व्यय शामिल है ।
2.	**मुख्य शीर्ष 2052 कर सूचना विनिमय प्रणाली (टी आई एन एक्स एस वाई एस) की स्थापना ।**	कर सूचना विनिमय प्रणाली के माध्यम से अन्तर राज्यीय संव्यवहारों का प्रभावी रूप से पता लगाना एवं अधिकार प्राप्त समिति का सुचारू रूप से कार्य करना तथा हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में वैट का कम्प्यूटरीकण ।	11.08	10.87	अन्तर राज्यीय संव्यवहारों की प्रभावी खोज के लिए कर सूचना विनिमय प्रणाली परियोजना का कार्यान्वयन।	कर सूचना विनिमय प्रणाली परियोजना को एक सेवा प्रदाता के माध्यम से बूट मॉडल के आधार पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आरंभिक कार्यान्वयन कार्य 2009-10 के दौरान पूरा किया जाना था। इसके बाद अधिकार प्राप्त समिति को अंतरित किये जाने से पूर्व इसे सेवा प्रदाता द्वारा लगभग 2 वर्षों तक चलाया जाना है ।	कर सूचना विनिमय प्रणाली परियोजना का कार्यान्वयन केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच 50 : 50 के अनुपात की भागीदारी के आधार पर 5 वर्षों की अवधि में कुल 30 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से किया जा रहा है । कर सूचना विनिमय प्रणाली परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी कार्य में अच्छी प्रगति हो रही है । अधिकार प्राप्त समिति द्वारा परियोजना की समीक्षा एवं मॉनिटरिंग की गई है । अधिकार प्राप्त समिति के अनुरोध पर अब अपर सचिव (राजस्व) एवं सदस्य सचिव, अधिकार प्राप्त समिति की संयुक्त अध्यक्षता में परियोजना विशेष की समीक्षा/ मानिटरिंग बैठकें की जा रही हैं । इस परियोजना को 31-3-2013 तक बढ़ा दिया गया है । वित्तीय वर्ष 2010-11 में अधिकार प्राप्त समिति को 2.31 करोड़ रूपए की राशि तथा दिसम्बर, 2011-12 में 2.04 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है ।

1	2	3	4	5	6	7
					जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वार्धित कर कम्प्यूटरीकरण परियोजना: परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 3.7.2009 को मंजूरी आदेश जारी कर दिया गया है । अधिकार प्राप्त समिति इस परियोजना को कार्यान्वित करेगी ।	2009-10 में केन्द्रीय हिस्से के रूप में 7 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई थी । अधिकार प्राप्त समिति ने चयनित विक्रेताओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं । इन दोनों राज्यों में कार्य प्रारंभ हो गया है । दोनों राज्यों में वेबसाइट शुरू कर दी गई है। नियमित अंतरालों पर समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं । 2010-11 में 2.99 करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी गई थी तथापि, 2011-12 में कोई राशि जारी नहीं की गई है ।
3.	**मुख्य शीर्ष 3601/ 3602 वैट कार्यान्वयन और अन्य वैट संबंधी व्यय के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति**	राज्यों को (i) वैट क्षतिपूर्ति और (ii) अन्य वैट संबंधित व्ययों के लिए सहायता अनुदान	734.00	500.00	सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में वैट कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से वैट लागू करने के कारण राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को होने वाली राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति करने और साथ ही राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों के वैट से संबंधित अन्य खर्च को पूरा करने के लिए ।	सहमत फार्मूले के अनुसार, वैट की क्षतिपूर्ति 2005-2006, 2006-07 तथा 2007-08 के लिए की जानी है । 2007-08 के अंतिम भाग के लंबित दावों का निपटारा किये जाने की आवश्यकता है ।	इस स्कीम के तहत, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता अनुदान मूल्य वर्धित कर लागू करने के कारण उनको होने वाली राजस्व हानि की भरपाई के लिए जारी किया जाता है । अब तक इन्हें 19002.82 करोड़ रुपये की कुल राशि जारी की गई है, जिसमें से 2005-06 के दौरान 2471.27 करोड़ रुपये, 2006-07 के दौरान 4092.13 करोड़ रुपए तथा 2007-08 के दौरान 3880.48 करोड़ रुपये, 2008-09 में 4361.95 करोड़ रूपये तथा 2009-10 में 3002 करोड़ रूपए, 2010-11 के दौरान 879.17 करोड़ रूपए तथा 2011-12 में 315.82 करोड़ रूपये जारी किये गये थे ।
					राज्य वैट प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए सहायता।	राज्य वैट प्रशासनों के आधुनिकीकरण हेतु वाणिज्यिक कराधान संबंधी मिशन मोड परियोजना (एम एम पी - सी टी) को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था । 33 राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों के परियोजना प्रस्तावों को पहले ही 1133 करोड़ रूपये की समग्र लागत के साथ अनुमोदित कर दिया गया है, जिनमें से केन्द्रीय भाग करीबन 800 करोड़ रूपये हैं । केंद्रीय भाग के रूप में 454.15 करोड़ रूपये की राशि (2009-10 में 145 करोड़ रुपए,2010-11 में 206.32 करोड़ रुपए तथा 2011-12 में 102.83 करोड़ रूपए) जारी की गई है ।
					राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में कराधान के अध्ययन के लिए दो संस्थानों की स्थापना/ उन्नयन करना	कराधान अध्ययन केन्द्र को 23.63 करोड़ रूपये की कुल लागत से गुलाटी वित्त एवं कराधान संस्थान(जी आई एफ टी) के रूप में उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है तथा 4 करोड़ रूपये तथा 10

1	2	3	4	5	6	7
						करोड़ रुपए की अनुदान की दो किश्त संस्थान को जारी कर दी गई हैं । कराधान अध्ययन केंद्र, केरल के उन्नयन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं । सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र (सी एस एस एस) कोलकाता को कार्पस निधि उपलब्ध कराने के एक ऑर प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है । केंद्रीय सरकार एवं केंद्र के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं । सी एस एस एस को अंतरित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 14 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है ।
4.	**मुख्य शीर्ष 3601/3602- राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण होने वाली राजस्व हानि हेतु क्षतिपूर्ति**	केन्द्रीय बिक्री कर हेतु क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान	12000.00	4172.58	केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानि हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को क्षतिपूर्ति करना।	केन्द्रीय बिक्री कर को तीन वर्ष के समय में समाप्त किया जा रहा है । सहमत हुए फ़ार्मूले के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था 2009-10 तक किया जाने की आवश्यकता थी। अब यह सहमति हुई है कि राज्यों को केंद्रीय बिक्री कर की क्षतिपूर्ति वर्ष 2010-11 के लिए भी दी जाएगी ।	इस योजना के अंतर्गत, केन्द्रीय बिक्री कर समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता अनुदान राशि जारी की गयी है । दिसम्बर, 2011 तक राज्य सरकारों को 30860.42 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है जिसमें 2007-08 में जारी किये गये 2168.88 करोड़ रूपये की राशि, 2008-09 में जारी किये गये 1950 करोड़ रूपये की राशि, 2009-10 में जारी 8735.18 करोड़ रूपये की राशि, वर्ष 2010-11 में जारी की गई 13833.78 करोड़ रूपये की राशि तथा 2011-12 में 4172.58 करोड़ रुपए की राशि शामिल है । वर्ष 2010-11 के लिए दावों के अंतिम रूप से निपटान के लिए फार्मूला अभी निर्धारित किया जाना शेष है ।
5.	**मुख्य शीर्ष 2875 सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरी**	अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के साथ-साथ घरेलू खपत के लिए अफ़ीम एवं क्षारोद की मांग को पूरा करना।	364.08	449.62	अफ़ीम की अधिप्राप्ति (796 मीट्रिक टन) 66 मीट्रिक टन कोडीन फास्फेट की अधिप्राप्ति अफीम का निर्यात (498 मी0 टन) और क्षारोद की बिक्री (97 मीट्रिक टन) इसके परिणामस्वरूप 432.47 करोड़ रुपये की राजस्व की प्राप्ति हुई थी।	राजस्व की वसूली की तुलना में व्यय की प्रगति की मासिक/ तिमाही रूप से समीक्षा की जानी थी ।	पूर्वानुमानित मात्रा के मुकाबले 2011-12 में 811 मीट्रिक टन अफीम और 53.4 मीट्रिक टन कोडीन फोस्फेट की खरीद की गई थी । 498 मीट्रिक टन निर्यात के लक्ष्य के मुकाबले में 2011-12 में 455.59 मीट्रिक टन अफीम निर्यात की गई थी। 97 मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 84.13 मीट्रिक टन क्षारोद की बिक्री हुई थी । संशोधित अनुमान स्तर पर 432.47 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्ति के अनुमान के मुकाबले में 2011-12 में राजस्व प्राप्ति 383.54 करोड़ रूपये थी । 2011-12 में सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य पर व्यय 422.29 करोड़ रूपये था।

2012-13 हेतु परिव्यय एवं परिणाम के संबंध में परिणाम की स्थिति

क्रम सं0	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 12-13 (करोड़ रूपये) ब.अ.	सं.अ.	प्रमात्रात्मक प्रदाय	प्रक्रियाएं/ समय	31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति
1	2	3	4		5	6	7
1.	**मुख्य शीर्ष 2052- वैट योजना का कार्यान्वयन**	पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में आधुनिक वैट प्रशासन प्रणाली को स्थापित करना तथा अन्य राज्यों में तत्समान कार्रवाई को सुसाध्य बनाना ।	0.19	0.14	पूर्वोत्तर राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा सिक्किम एवं मेघालय में वैट प्रशासन का कम्प्यूटरीकरण ।	परियोजना का टर्नकी आधार पर कार्यान्वयन का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया है ।	इस योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में वैट के कम्प्यूटरीकरण को आगे ले जाने और वैट संबंधी अन्य व्ययों के लिए प्रावधान किया गया था । यह परियोजना 31.3.2011 को समाप्त हो गई है तथा अब राज्यों को एम एम पी-सी टी योजना के माध्यम से निधियॉ उपलब्ध कराई जा रही हैं ।
2.	**मुख्य शीर्ष 2052 कर सूचना विनिमय प्रणाली (टी आई एन एक्स एस वाई एस) की स्थापना ।**	कर सूचना विनिमय प्रणाली के माध्यम से अन्तर राज्यीय संव्यवहारों का प्रभावी रूप से पता लगाना एवं अधिकार प्राप्त समिति का सुचारू रूप से कार्य करना तथा हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में वैट का कम्प्यूटरीकण।	10.51	6.38	अन्तर राज्यीय संव्यवहारों की प्रभावी खोज के लिए कर सूचना विनिमय प्रणाली परियोजना का कार्यान्वयन।	कर सूचना विनिमय प्रणाली परियोजना को एक सेवा प्रदाता के माध्यम से बूट मॉडल के आधार पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर मूल्य वर्धित कर कम्प्यूटरीकरण : 40.49 करोड़ रुपए की कुल लागत की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है जिसमें केंद्रीय हिस्सा 25.33 करोड़ रुपए है । अधिकार प्राप्त समिति इस परियोजना को कार्यान्वित करेगी ।	कर सूचना विनिमय प्रणाली परियोजना का कार्यान्वयन केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच 50 : 50 के अनुपात की भागीदारी के आधार पर किया जा रहा है । अब अपर सचिव (राजस्व) एवं सदस्य सचिव, अधिकार प्राप्त समिति की संयुक्त अध्यक्षता में परियोजना विशेष की समीक्षा/मॉनिटरिंग बैठकें की जा रही हैं । इस परियोजना को 31-3-2013 तक बढ़ा दिया गया है । दोनों राज्यों में परियोजना पर कार्य प्रारंभ हो चुका है । राज्यों ने अपने-अपने डीलरों के लिए ई-पंजीकरण, ई-रिटर्न, ई-भुगतान, ई-बिलटी की सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं । परियोजना संबंधी कार्यों की नियमित अंतराल में समीक्षा की जा रही है । 31.3.2011 तक 9.99 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी तथा इस वित्तीय वर्ष में अब तक कोई राशि जारी नहीं की गई है ।
3.	**मुख्य शीर्ष 3601/ 3602 वैट के कार्यान्वयन के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिपूर्ति तथा वैट संबंधी अन्य खर्चों के लिए ।**	राज्यों को (i) वैट क्षतिपूर्ति और (ii) अन्य वैट संबंधित व्ययों के लिए सहायता अनुदान	200.00	109.71	सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में वैट कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से वैट लागू करने के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को होने वाली राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति करना और साथ ही राज्य/	सहमत फार्मूले के अनुसार, वैट की क्षतिपूर्ति 2005-2006, 2006-07 तथा 2007-08 के लिए की जानी है ।	इस स्कीम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान मूल्य वर्धित कर लागू करने के कारण उनको होने वाली राजस्व हानि की भरपाई के लिए दिया जाता है । अब तक 19002.82 करोड़ रुपये की कुल राशि जारी की गई है, जिसमें से 2005-06 के दौरान 2471.27 करोड़

1	2	3	4	5	6	7
				संघ शासित क्षेत्रों के वैट से संबंधित अन्य व्यय को पूरा करने के लिए ।		रुपये, 2006-07 के दौरान 4092.13 करोड़ रुपए तथा 2007-08 के दौरान 3880.48 करोड़ रुपये, 2008-09 के दौरान 4361.95 करोड़ रूपये, 2009-10 में 3002 करोड़ रूपए, 2010-11 के दौरान 879.17 करोड़ रूपए तथा 2011-12 के दौरान 315.82 करोड़ रूपये जारी किये गये थे । सभी राज्यों के दावों का निपटान कर दिया गया है । जारी की गई राशियों का राज्य-वार ब्यौरा अध्याय V में दिया गया है ।
					राज्य वैट प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए सहायता।	राज्य वैट प्रशासनों के आधुनिकीकरण के लिए वाणिज्यिक कर संबंधी मिशन मोड परियोजना (एम एम पी- सी टी) को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया । 33 राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों के परियोजना प्रस्तावों को पहले ही 1029.70 करोड़ रूपये की समग्र लागत के साथ अनुमोदित कर दिया गया है जिनमें से केन्द्रीय भाग करीबन 725 करोड़ रूपये है । अब तक 501.94 करोड़ रूपये की राशि (2009-10 में 145 करोड़ रुपए तथा 2010-11 में 206.32 करोड़ रुपए, 2011-12 में 102.83 करोड़ रूपए तथा 2012-13 में 47.79 करोड़ रुपए) केन्द्रीय भाग के रूप में जारी किए गए हैं ।
					राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में कराधान के अध्ययन के लिए दो संस्थानों की स्थापना/ उन्नयन	कराधान अध्ययन केन्द्र को 23.63 करोड़ रूपये की कुल लागत से गुलाटी वित्त एवं कराधान संस्थान (जी आई एफ टी) के रूप में उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है तथा अनुदान की 4 करोड़ रूपये तथा 10 करोड़ रुपए की दो किश्तें संस्थान को जारी कर दी गई हैं । कराधान अध्ययन केंद्र, केरल के उन्नयन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं । सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र (सी एस एस एस) कोलकाता को कार्पास निधि उपलब्ध कराने के एक अन्य प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है । केंद्र सरकार तथा राज्य के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं । सी

1	2	3	4	5	6	7
						एस एस एस को अंतरण के लिए पश्चिम बंगाल को 14 करोड़ रुपए की एक राशि जारी की गई है ।
4.	**मुख्य शीर्ष 3601/3602- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध रूप से समाप्त किए जाने के कारण होने वाली राजस्व हानि हेतु क्षतिपूर्ति ।**	केन्द्रीय बिक्री कर हेतु क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	300.00	10.00 केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानि हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति करना ।		इस योजना के अंतर्गत, केन्द्रीय बिक्री कर समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान राशि जारी की गयी है । दिसम्बर, 2011 तक राज्य सरकारों को 30860.42 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है जिसमें 2007-08 में जारी किये गये 2168.88 करोड़ रूपये की राशि , 2008-09 में जारी किये गये 1950 करोड़ रूपये की राशि, 2009-10 में 8735.18 करोड़ रूपये की राशि, वर्ष 2010-11 में जारी की गई 13833.78 करोड़ रूपये की राशि तथा 2011-12 में 4172.58 करोड़ रुपए की राशियॉ शामिल हैं । चालू वित्तीय वर्ष में राज्यों को कोई राशि जारी नहीं की गई है । जारी की गई राशियों के राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरे अध्याय-V में दिए गए हैं । वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए दावों को जिस फार्मूले के आधार पर अंतिम रूप से निपटान किया जाना है, उस पर कार्य अभी जारी है ।
5.	**मुख्य शीर्ष 2875 सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरी**	अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के साथ-साथ घरेलू खपत के लिए अफ़ीम एवं क्षारोद की मांग को पूरा करना।	380.19	460.35 अफ़ीम की अधिप्राप्ति (1143 मीट्रिक टन) 50 मीट्रिक टन कोडीन फास्फेट की अधिप्राप्ति अफीम का निर्यात (438 मी0 टन) और क्षारोद की बिक्री (86.6 मीट्रिक टन) इसके परिणामस्वरूप 440.03 करोड़ रुपये की राजस्व की प्राप्ति होगी ।	राजस्व की वसूली की तुलना में व्यय की प्रगति की मासिक/तिमाही रूप से समीक्षा की जानी थी।	पूर्वानुमानित मात्रा के मुकाबले दिसम्बर, 2012 तक 602 मीट्रिक टन अफीम और 43 मीट्रिक टन कोडीन फोस्फेट की खरीद की गई है । 438 मीट्रिक टन अफीम के निर्यात के लक्ष्य के मुकाबले दिसम्बर, 2012 तक 281 मीट्रिक टन अफीम निर्यात की गई है । क्षारोद की बिक्री हेतु 86.6 मैट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 44 मीट्रिक टन क्षारोद की बिक्री हुई है । संशोधित अनुमान स्तर पर 440.03 करोड़ रूपये की अनुमानित राजस्व प्राप्ति के मुकाबले 2012-13 (दिसम्बर, 2012 तक) में 265.79 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्ति हुई है । सरकारी अफीम एवं क्षरोद कार्य पर दिसम्बर, 2012 तक व्यय 287.57 करोड़ रूपये है ।

वित्तीय समीक्षा – बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय के समग्र रूझानों का विश्लेषण

(रूपये करोड़ों में)

	मुख्य शीर्ष	2010-11			2011-12			2012-13		
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ..	सं.अ.	वास्तविक व्यय (31.12.12तक)
सचिवालय सामान्य सेवा	2052	144.50	132.03	119.96	128.05	140.55	120.62	161.76	145.05	92.96
कुल	**2052**	**144.50**	**132.03**	**119.96**	**128.05**	**140.55**	**120.62**	**161.76**	**145.05**	**92.96**
अन्य राजकोषीय सेवाएं										
प्रर्वतन निदेशालय	2047	34.51	38.40	38.14	39.41	41.43	41.49	53.80	49.50	32.92
राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान	2047	6.94	7.30	7.08	7.84	7.66	7.66	8.50	18.65	8.30
अंतरराष्ट्रीय सहयोग	2047	0.72	0.76	0.70	0.72	1.05	1.01	0.78	1.00	0.89
अन्य व्यय (ए टी एफ पी/सीस्टेट)	2047	18.55	19.91	17.21	19.00	19.67	18.30	19.16	18.85	13.61
जी एस टी एनःएस पी वी	2047	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
कुल	**2047**	**60.72**	**66.37**	**63.13**	**66.97**	**69.81**	**68.46**	**82.24**	**89.00**	**55.72**
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
स्वापक नियंत्रण	2070	34.18	41.97	35.45	39.61	40.63	33.14	37.92	36.62	24.84
अन्तरराष्ट्रीय सहयोग इत्यादि	2070	1.46	3.55	2.40	3.55	3.49	3.38	3.54	2.94	0.47
नशीले पदार्थ को रोकने के लिए राष्ट्रीय अनुदान को अंतरण	2070	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
कुल	**2070**	**37.64**	**47.52**	**37.85**	**45.16**	**44.12**	**36.52**	**42.46**	**40.56**	**25.31**
अफीम और क्षारोद फैक्टरी										
राजस्व व्यय	2875	476.87	349.60	301.08	363.50	449.06	421.78	379.63	460.01	287.21
मुख्य नियंत्रक सरकारी अफीम और क्षारोद फैक्टरी	2875	0.57	0.72	0.74	0.58	0.56	0.51	0.56	0.55	0.39
कुल	**2875**	**477.44**	**350.32**	**301.82**	**364.08**	**449.62**	**422.29**	**380.19**	**460.56**	**287.60**
अन्य कर और वस्तुओं और सेवाओं पर शुल्क										
अन्तरदेशीय वायु यात्रा पर कर संग्रहण	2045	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विदेशी यात्रा पर कर संग्रहण	2045	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**2045**	**0.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
आय पर कर संग्रहण एवं व्यय										
अन्य प्रभार	2020	0.45	0.40	0.29	0.40	0.40	0.30	0.40	0.36	0.11
कुल	**2020**	**0.45**	**0.40**	**0.29**	**0.40**	**0.40**	**0.30**	**0.40**	**0.36**	**0.11**

(रूपये करोड़ों में)

	मुख्य शीर्ष	2010-11			2011-12			2012-13		
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ..	सं.अ.	वास्तविक व्यय (31.12.12तक)
राज्यों को अनुदान (वैट)	3601	376.00	874.95	1083.16	724.00	495.00	436.18	195.00	108.71	47.04
के0शा0 रा0 को अनुदान (वैट)	3602	25.00	10.00	8.80	10.00	5.00	0.00	5.00	1.00	0.74
राज्यों को अनुदान (सी एस टी)	3601	10000.00	14000.00	13833.78	12000.00	4172.58	4172.58	300.00	10.00	0.00
के0शा0 रा0 को अनुदान (सी एस टी)	3602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		**10401.00**	**14884.95**	**14925.7**	**12734.00**	**4672.58**	**4608.76**	**500.00**	**119.71**	**47.78**
सहायता सामग्री एवं उपस्कर	**3606**	**0.35**	**0.35**	**0.00**	**0.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
कुल (राजस्व विभाग)		**11122.12**	**15481.94**	**15448.79**	**13339.01**	**5377.08**	**5256.95**	**1167.05**	**855.24**	**509.48**
पूंजी भाग										
जी एस टी एनः एस पी वी हेतु पूंजीगत परिव्यय	**4047**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.45**	**0.00**
जी ऑ ए डब्ल्यू पर पूंजीगत व्यय	**4875**	**0.77**	**1.77**	**0.17**	**0.84**	**0.70**	**0.50**	**1.53**	**0.30**	**0.02**
बने बनाए आवास की खरीद										
आवासीय भवन	**4216**	**0.00**	**0.10**	**0.10**	**7.05**	**0.01**	**0.01**	**0.01**	**0.00**	**0.00**
लो0नि0कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	**4059**	**0.00**	**26.00**	**24.84**	**10.00**	**5.00**	**3.06**	**10.00**	**6.16**	**2.03**
कुल (पूंजी भाग)		**0.77**	**27.87**	**25.11**	**17.89**	**5.71**	**3.57**	**11.54**	**8.91**	**2.05**
महायोग		**11122.89**	**15509.81**	**15473.90**	**13356.90**	**5382.79**	**5260.52**	**1178.59**	**864.15**	**511.53**
घटा										
(i) राजस्व प्राप्तियां		308.00	285.60	237.21	312.00	432.47	383.54	366.73	440.03	265.79
(ii) वसूलियां		54.89	58.82	46.27	53.97	42.60	34.18	42.22	52.34	0.00
निवल		**10760.00**	**15165.39**	**15190.42**	**12990.93**	**4907.72**	**4842.80**	**769.64**	**371.78**	**245.74**

वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 हेतु बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण

(रूपये करोड़ो में)

शीर्ष	2010-11			2011-12			2012-13		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय (31.12.12 तक)
राजस्व विभाग									
वेतन	143.45	143.46	150.22	152.44	158.87	153.16	187.58	177.29	137.10
मजदूरी	0.50	0.49	0.40	0.51	0.50	0.35	1.12	0.48	0.25
समयोपरि भत्ता	1.89	1.58	1.23	0.69	1.77	1.32	1.75	1.57	0.84
पेंशन प्रभार	1.25	1.23	1.11	1.29	1.03	0.92	0.99	0.96	0.00
पुरस्कार	0.32	0.32	0.13	0.32	0.30	0.28	0.32	0.07	0.00
चिकित्सा उपचार	2.61	3.03	2.61	2.98	3.29	2.52	3.42	3.09	1.61
घरेलू यात्रा व्यय	5.46	6.77	6.41	6.52	7.13	7.79	6.81	6.81	4.74
विदेश यात्रा व्यय	3.46	4.59	4.36	4.79	4.96	5.01	7.27	5.06	2.49
कार्यालय व्यय	23.87	30.38	28.27	26.5	27.54	26.15	28.85	25.91	26.28
किराया, दर एवं कर	7.19	8.91	6.00	8.71	13.41	12.52	16.78	16.95	7.14
प्रकाशन	0.39	0.50	0.53	0.51	0.64	0.59	0.60	0.60	0.12
बैंक संव्यवहार कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1.89	2.43	2.34	4.41	4.28	4.38	2.62	3.16	1.96
आपूर्ति और सामग्री (दत्तमत)	371.64	252.59	205.67	265.58	353.57	335.11	285.39	355.68	255.32
आपूर्ति और सामग्री (प्रभारित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विज्ञापन एवं प्रचार	0.24	0.57	0.40	0.49	0.48	0.22	0.38	0.29	0.06
लघु निर्माण कार्य	1.20	1.75	1.48	1.21	1.45	1.30	1.24	1.45	0.41
पेशेवर सेवाएं	11.58	12.38	13.08	12.41	21.57	18.38	16.55	18.70	11.27
अन्य संविदागत सेवाएं	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सहायता अनुदान सामान्य	10426.07	14912.44	14941.45	12758.31	4687.13	4618.95	514.7	140.63	56.74
पूंजीगत सम्पदा के सृजन हेतु अनुदान	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
वेतन सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38	0.00	6.92	7.21	0.00
अन्तरराष्ट्रीय योगदान	2.18	4.31	3.10	4.27	4.54	4.39	4.32	3.95	1.34
गुप्त सेवा व्यय	1.92	1.90	1.68	2.18	2.25	1.92	4.01	2.16	1.43
पूंजी पर ब्याज	12.41	11.21	8.41	11.2	11.36	11.36	12.75	10.20	0.00
अन्य प्रभार									
प्रभारित	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00
दत्तमत	21.76	7.42	7.02	3.25	2.69	2.17	1.22	0.88	0.39

(रूपये करोड़ो में)

	2010-11			2011-12			2012-13		
	ब.अ.	**सं.अ.**	**वास्तविक व्यय**	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वास्तविक व्यय**	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वास्तविक व्यय (31.12.12 तक)**
मशीनरी एवं उपस्कर	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00
अन्तर खाता अन्तरण	56.3	55.15	46.29	48.69	42.41	35.86	43.04	53.13	0.00
सूचना प्रौद्योगिकी	24.12	18.11	16.55	21.33	19.47	12.26	18.36	18.45	
कुल-राजस्व भाग	**11122.12**	**15481.94**	**15448.78**	**13339.01**	**5377.08**	**5256.95**	**1167.05**	**855.24**	**509.49**
प्रभारित	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00
दत्तमत	11122.10	15481.92	15448.78	13338.99	5377.06	5256.95	1167.03	855.22	509.49
पूंजी भाग									
मशीनरी एवं उपस्कर	0.37	1.37	0.05	0.69	0.65	0.48	1.12	0.00	0.00
मुख्य कार्य	0.40	26.40	24.97	10.15	5.05	3.08	10.41	6.46	2.04
निवेश	0.00	0.10	0.10	7.05	0.01	0.01	0.01	2.45	0.00
कुल-पूंजी भाग	**0.77**	**27.87**	**25.12**	**17.89**	**5.71**	**3.57**	**11.54**	**8.91**	**2.04**
महायोग	**11122.89**	**15509.81**	**15473.90**	**13356.90**	**5382.79**	**5260.52**	**1178.59**	**864.15**	**511.53**
प्रभारित	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00
दत्तमत	11122.87	15509.81	15473.90	13356.88	5382.77	5260.52	1178.57	864.13	511.53

वित्तीय समीक्षा- बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की तुलना में व्यय के समग्र रूझानों का विश्लेषण

मांग सं0 41 के संबंध में तीन वर्षों में व्यय की स्थिति - संक्षेप में राजस्व विभाग निम्नानुसार हैः-

(रूपये करोड़ों में)

	2010-11			2011-12			2012-13		
	ब.अ.	**सं.अ.**	**वास्तविक**	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वास्तविक**	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वास्तविक (31.12.12 तक)**
वैट* - मुख्य शीर्ष 2052	35.84	18.77	11.71	12.87	12.47	3.61	10.70	6.52	0.11
वैट/सी एस टी ** - 3601/3602	10401.00	14884.95	14925.74	12734.00	4672.58	4608.76	500.00	119.71	47.78
गैर-वैट/सी एस टी	686.05	606.09	536.45	610.03	697.74	648.15	667.89	737.92	463.64
कुल	**11122.89**	**15509.81**	**15473.90**	**13356.90**	**5382.79**	**5260.52**	**1178.59**	**864.15**	**511.53**
गैर-वैट/सी एस टी	686.05	606.09	536.45	610.03	697.74	648.15	667.89	737.92	463.64
सी सी एफ (स0अ0क्षा0का0)28754875	477.44	350.32	301.82	364.08	449.62	422.29	380.19	460.56	287.60
	0.77	1.77	0.17	0.84	0.70	0.50	1.53	0.30	0.02
अन्य *** - गैर-वैट/सी एस टी और गैर स0अ0क्षा0का0	207.84	254.00	234.46	245.11	247.42	225.36	286.17	277.06	176.02
कुल वेतन	**143.45**	**150.46**	**150.22**	**152.44**	**158.87**	**153.16**	**187.58**	**177.29**	**137.10**
गैर-वेतन	**10979.44**	**15359.35**	**15323.68**	**13204.46**	**5223.92**	**5107.36**	**991.01**	**686.86**	**374.43**

* मूल्यवर्धित कर स्कीम और टी आई एन एस एक्स वाई एस परियोजना कार्यान्वयन और राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को इसके स्थापना व्यय हेतु अनुदानों के लिए बजट प्रावधान है।

** ये बजट प्रावधान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के वैट लागू करने और केन्द्रीय बिक्री कर की समाप्ति एवं वैट संबंधी व्यय के कारण होने वाली राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए है । .

***केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो सहित राजस्व विभाग के विभिन्न घटकों पर स्थापना के लिए बजट प्रावधान है ।

व्यय में रूझान

वेतन व्यय 2011-12 में 2010-11 की तुलना में 1.96 प्रतिशत अधिक हुआ क्योंकि अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, वेतन वृद्धियां इत्यादि का भुगतान किया गया। गैर वेतन व्यय इसी अवधि के दौरान 66.67 प्रतिशत कम हुआ जो कि राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को वैट / सी एस टी की कम क्षतिपूर्ति दिए जाने के कारण है । वर्ष 2011-12 के दौरान, वैट/के0बि0कर प्रतिपूर्ति के लिए राज्यों को अनुदान एवं वैट/के0बि0कर संबंधी हुए व्यय का एक बड़ा हिस्सा है, अर्थात अनुदान सं0 41- राजस्व विभाग के अंतर्गत कुल व्यय का 87.61 प्रतिशत है ।

यह देखा जा सकता है कि संस्वीकृत अनुदान की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान हुए वास्तविक व्यय में काफी गिरावट आई थी। 13356.90 करोड़ रू0 के आवंटन की तुलना में वास्तविक व्यय केवल 5260.52 करोड़ रू0 था। जो कि केंद्रीय बिक्री कर समाप्त करने के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति दिए जाने के लिए रखे गए प्रावधान के एक बड़े हिस्से के अभ्यर्पण के कारण था। इस उद्देश्य के लिए, वर्ष 2011-12 के लिए 12000 करोड़ रू0 का बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें से केवल 4172.58 करोड़ रू0 की राशि को ही राज्यों को जारी किया गया था और शेष प्रावधान को अभ्यर्पित कर दिया गया था क्योंकि अनुवर्ती वर्षों के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति प्रदान करने का सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। इसी तरह, वैट और वैट संबंधी व्यय के लिए 234 करोड़ रू0 का प्रावधान किया गया था जिसमें से राज्यों को परियोजनाओं के क्रियान्वयन की धीमी प्रगति के कारण केवल 120.36 करोड़ रू0 की राशि ही जारी की जा सकी।

वर्ष 2012-13 के लिए भी बजट में भारी कमी हुई है, क्योंकि राज्यों को आगे वैट के लिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं दी जानी है। सीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधान राशि जो कि प्रारंभ में 300 करोड़ रू0 रखी गई थी, भी घटकर 10 करोड़ रू0 रह गई है क्योंकि वर्ष 2010-11 के लिए प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए सूत्र (फार्मूला) को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जबकि वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में वेतन संबंधी व्यय 15.75 प्रतिशत बढ़ा है, और गैर-वेतन संबंधी व्यय 86.55 प्रतिशत कम हुआ है।

अब तक, राज्य सरकारों को 19002.82 करोड़ रू0 की कुल वैट प्रतिपूर्ति और 30,860.42 करोड़ रू0 की सीएसटी प्रतिपूर्ति प्रदान की गई है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

वैट प्रतिपूर्ति

(रूपये करोड़ो में)

क्रम सं0	राज्य सरकार का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	404.06	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	405.94
2.	असम	0.00	0.00	30.06	38.73	150.10	78.12	0.00	297.01
3.	बिहार	165.87	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.10
4.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	75.00	281.59	31.91	0.00	0.00	388.50
5.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	362.81	855.07	37.70	0.00	1255.58
6.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	27.84	59.85	0.00	0.00	87.69
7.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	104.73	86.45	0.00	0.00	191.18
8.	कर्नाटक	1038.92	625.36	354.71	369.05	180.30	0.00	0.00	2568.34
9.	केरल	456.47	426.23	123.19	243.46	0.00	0.00	0.00	1249.35
10.	मध्यप्रदेश	0.00	0.00	46.24	0.00	0.00	40.74	0.00	86.98
11.	महाराष्ट्र	259.89	2814.72	1203.83	1895.00	1475.00	277.40	261.33	8187.17
12.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.42	0.00	167.42
13.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	18.93	163.32	0.00	0.00	182.25
14.	सिक्किम	1.84	4.03	0.00	0.00	0.00	10.92	0.00	16.79
15.	त्रिपुरा	5.12	3.81	5.57	19.81	0.00	0.00	0.00	34.31
16.	तमिलनाडु	0.00	0.00	2040.00	1000.00	0.00	266.87	54.49	3362.36
17.	पश्चिम बंगाल	139.10	139.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.85
	कुल	**2471.27**	**4092.13**	**3880.48**	**4361.95**	**3002.00**	**879.17**	**315.82**	**19002.82**

सी एस टी प्रतिपूर्ति

(रूपये करोड़ो में)

क्रम सं0 का नाम	राज्य सरकार गया प्रतिपूर्ति भुगतान	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1.	आन्ध्रपद्रेश	0	905.24	1095.50	2221.86	986.09	5208.69
2.	असम	70.89	0	228.79	150.90	34.99	485.57
3.	छत्तीसगढ़	101.37	48.64	794.95	682.97	415.02	2042.95
4.	दिल्ली	183.70	154.76	1052.00	1622.80	653.85	3667.31
5.	गुजरात	338.14	156.57	796.04	1787.84	0.00	3078.59
6.	हरियाणा	150.00	400.00	1177.12	1597.90	780.16	4105.18
7.	झारखंड	69.47	35.55	394.58	511.76	242.88	1254.24
8.	कर्नाटक	350.00	155.00	710.30	1333.87	374.36	2923.53
9.	उड़ीसा	131.53	5.49	483.90	543.99	138.17	1303.08
10.	पंजाब	0	24.32	9.95	324.55	0.00	358.82
11.	राजस्थान	126.24	18.56	311.78	421.39	34.47	912.44
12.	तमिलनाडु	647.54	0	759.00	1171.04	58.92	2636.50
13.	उत्तराखंड	0	0	131.00	235.10	141.55	507.65
14.	पं0 बंगाल	0	45.87	464.77	496.11	190.14	1196.89
15.	महाराष्ट्र	0	0	123.00	306.49	29.86	459.35
16.	मध्यप्रदेश	0	0	110.96	106.56	0.00	217.02
17.	नागालैंड	0	0	4.43	0.00	1.63	6.06
18.	पुडुचेरी	0	0	86.91	199.78	90.19	376.88
19.	उत्तरप्रदेश	0	0	0.00	118.87	0.00	118.87
कुल		**2168.88**	**1950.00**	**8735.18**	**13833.78**	**4172.58**	**30860.42**

2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान समग्र वित्तीय निष्पादन नीचे दिए गए हैं :-

(रूपये करोड़ो में)

	2010-11			2011-12			2012-13		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (31.12.12 तक)
वैट योजना का कार्यान्वयन	20.00	5.97	5.91	1.79	1.60	1.57	0.19	0.14	0.11
कर सूचना विनिमय प्रणाली की स्थापना इत्यादि	15.84	12.80	5.80	11.08	10.87	2.04	10.51	6.38	0
राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को वैट को लागू करने और अन्य वैट संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति	401.00	884.95	1091.96	734.00	500.00	436.18	200.00	109.71	47.78
राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को सी एस टी को खत्म करने के लिए प्रतिपूर्ति	10000.00	14000.00	13833.78	12000.00	4172.58	4172.58	300.00	10.00	0
कुल	**10436.84**	**14903.72**	**14937.45**	**12746.87**	**4685.05**	**4612.37**	**510.70**	**126.23**	**47.89**

सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य :

2010-11, 2011-12 और 2012-13 सकल व्यय और राजस्व प्राप्तियों पर वास्तविक व्यय की स्थिति नीचे दिए अनुसार है :

(रूपये करोड़ो में)

	व्यय			प्राप्तियां		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक
2010-11	477.44	350.32	301.82	308.00	285.60	237.54
2011-12	364.08	449.62	422.29	312.00	432.47	383.54
2012-13	380.19	460.56	287.57 (31 दिसम्बर, 12 तक)	366.73	440.03	265.79 (31 दिसम्बर, 12 तक)

वैट के पश्चात, व्यय का द्तीय मुख्य घटक सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य है जो कि वर्ष 2011-12 में कुल व्यय का 8.03 प्रतिशत है । कोडीन फोस्फेट के अतिरिक्त आयात के कारण वर्ष 2011-12 में संशोधित अनुमान स्तर पर वृद्धि हुई है । वर्ष 2011-12 के लिए 312 करोड़ रूपये की अनुमानित राजस्व प्राप्तियों की तुलना में 383.54 करोड़ रूपये का राजस्व एकत्रित किया गया । चालू वित्त वर्ष 2012-13 में लगभग 440.03 करोड़ रू0 की राजस्व प्राप्तियों की उम्मीद है।

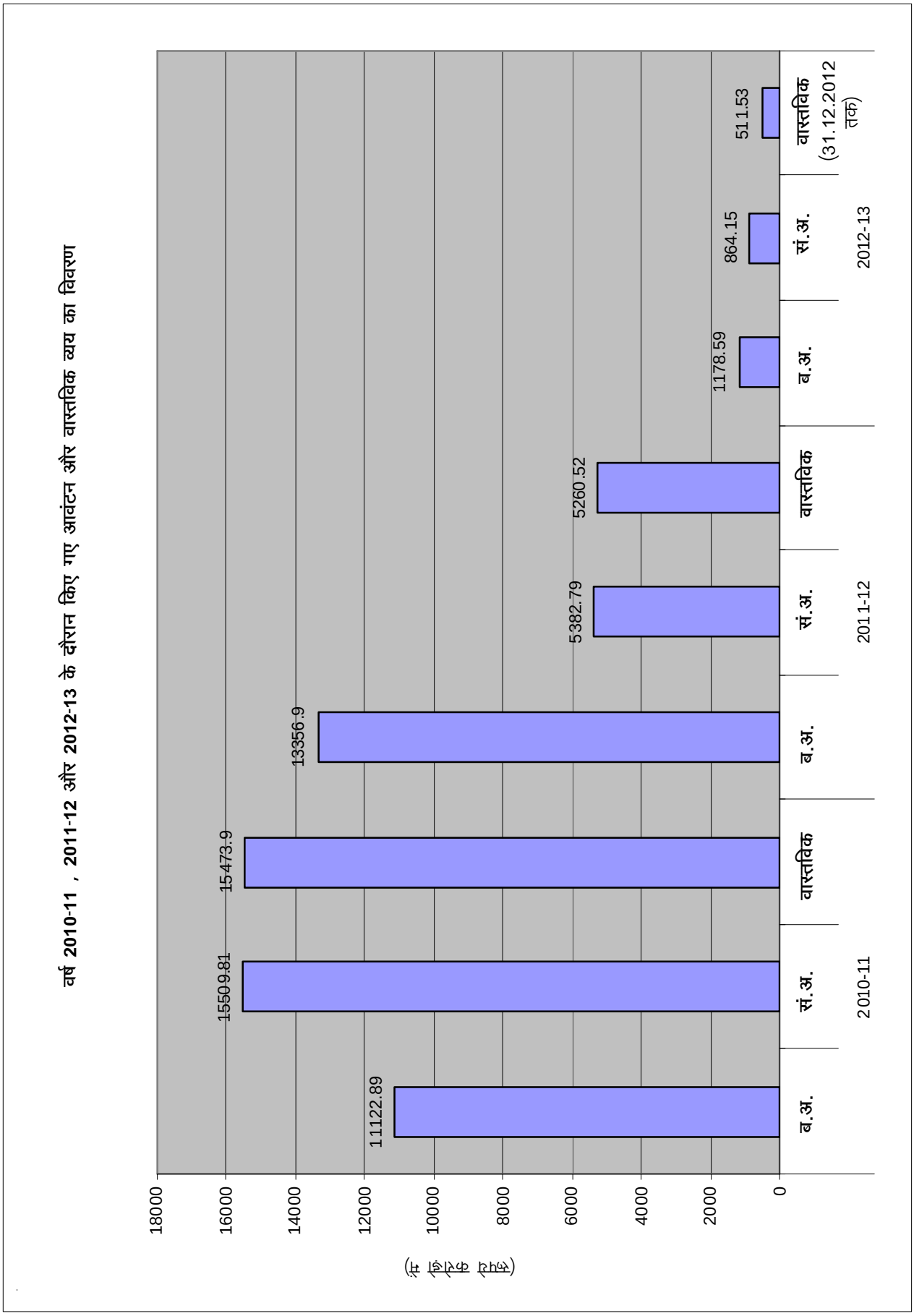
वर्ष 2010-11 , 2011-12 और 2012-13 के दौरान किए गए आवंटन और वास्तविक व्यय का विवरण
(करोड़ रुपये में)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
11122.89
15509.81
15473.9
13356.9
5382.79
5260.52
1178.59
864.15
511.53
ब.अ.
सं.अ.
वास्तविक
ब.अ.
सं.अ.
वास्तविक
ब.अ.
सं.अ.
वास्तविक (31.12.2012 तक)
2010-11
2011-12
2012-13

वास्तविक आंकड़े 2011-12 (रुपए करोड़ में)

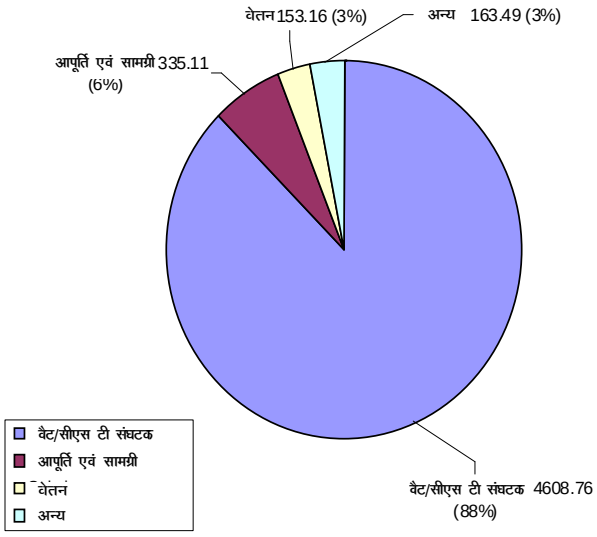

संशोधित अनुमान 2012-13 (रुपए करोड़ में)

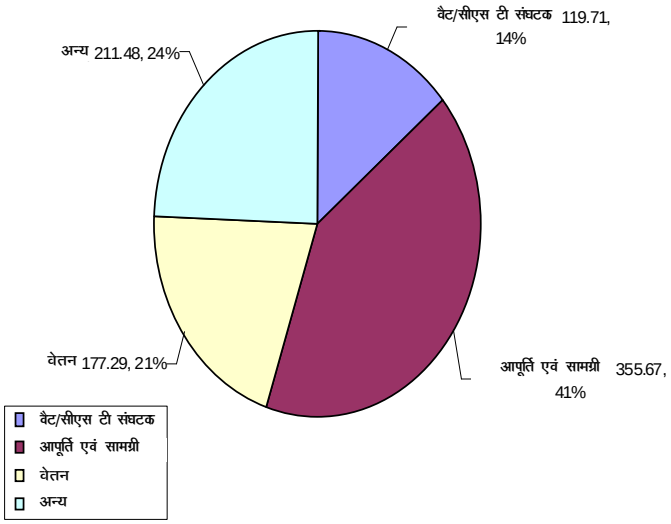

वर्ष 2011-12 की अनुदान के तहत वास्तविक व्यय 5260.52 करोड रूपये है। वैट को लागू करने और केन्द्रीय बिक्री कर समाप्त करने और वैट से संबंधित व्यय के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्य सरकारों को दी गई प्रतिपूर्ति की राशि 4608.76 करोड़ रूपये है जो व्यय का 87.61 प्रतिशत है । आपूर्ति और सामग्री पर 335.11 करोड़ रूपये का व्यय किया गया था जो कुल व्यय का 6.38 प्रतिशत है । यह व्यय मुख्यतः अफीम की खरीद और कोडीन फास्फेट के आयात के कारण हुआ है । वेतन पर व्यय कुल व्यय का 2.91 प्रतिशत है जबकि अन्य मदों पर होने वाला व्यय कुल व्यय का 3.11 प्रतिशत है ।

संशोधित अनुमान 2012-13 में केन्द्रीय बिक्रीकर /वैट प्रतिपूर्ति और वैट संबंधित व्यय 119.71 करोड़ रूपये का रह गया है जो कुल व्यय का 13.85 प्रतिशत है । अगला मुख्य संघटक आपूर्ति एवं सामग्री है जिसमें 355.67 करोड़ रूपये की राशि है तथा कुल व्यय का 41.16 प्रतिशत है। वेतन पर व्यय की रशि 177.29 करोड़ रूपये है जो कि कुल व्यय का 20.52 प्रतिशत के लगभग है तथा अन्य मदों पर व्यय कुल व्यय का 24.47 प्रतिशत है ।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान अभ्यर्पण और बचत का विवरण-पत्र

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान अनुपूरक अनुदानों सहित 13356.90 करोड़ रूपए के बजटीय प्रावधान के मुकाबले में 5260.52 करोड़ रूपए का व्यय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 8096.39 करोड़ की बचत और अभ्यर्पण हुआ। ये बचतें अनुदान के राजस्व और पूंजीगत भाग के विभिन्न उप-शीर्षों के तहत 8211.90 करोड़ रूपये की कुल बचत और 115.51 कराड़ रूपए के कुल आधिक्य का निवल प्रभाव है।

इन बचतों को निम्नलिखित श्रेणियों में अलग-अलग किया गया है:-

(i) संसाधनों के मितव्ययी उपयोग के कारण हुई सामान्य बचतें

वर्ष के दौरान, कुल 11.66 करोड़ रूपए की बचत हुई, जोकि संसाधनों के बेहतर और सक्षम रूप से उपयोग और प्रशासनिक खर्चों की कम आवश्यकता के कारण हुई। इस श्रेणी में कुछ योजनाए/कार्यक्रम हैं, जो इस प्रकार हैं:-

(रूपए करोड़ में)

क्र0 सं0	उप शीर्ष/योजना/ कार्यक्रम	बचतें (निवल)	टिप्पणी/कारण
1.	गाजीपुर क्षारोद कार्य-अन्य व्यय	9.08	क्षारोद के उत्पादन हेतु गाजीपुर में कम अफीम को प्रभारित किया गया था।
2.	पीएमएलए के अंतर्गत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण	0.50	प्रशासनिक खर्चों हेतु कम व्यय
3.	नशीली औषधियों के दुरूपयोग पर नियंत्रण हेतु यू एन निधि	0.96	निधि के अंशदान में कटौती
4.	नीमच अफीम फैक्ट्री-प्रबंधन	1.12	प्रशासनिक खर्चों हेतु सीबीएन के द्वारा निधियों की कम मांग

(ii) परियोजनाओं/योजनाओं के निष्पादन में गैर-कार्यान्वयन/विलंब के कारण बचतें

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान कुछ योजनाओं/परियोजनाओं के निष्पादन/ कार्यान्वयन में विलंब हुआ था, जिसके कारण 161.04 करोड़ रूपए की बचत हुई। उनमें से कुछ योजनाएं जिनमें से बचतें हुई उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रूपए करोड़ में)

क्र0 सं0	उप शीर्ष/योजना/ कार्यक्रम	बचतें (निवल)	टिप्पणी/कारण
1.	प्रवर्तन निदेशालय	1.13	कुछ पदों का भरा न जाना, चिकित्सा-दावों का प्राप्त न होना और आचंलिक कार्यालयों हेतु कार्यालयी आवास किराए पर लेने को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण ।
2.	राजस्व विभाग-सचिवालय (भारत वित्त आसूचना एकक)	5.64	भारत वित्त आसूचना एकक की फिननेट परियोजना के कार्यान्वयन, कम्प्यूटरों के प्रापण और स्थायी अभियोजकों की फीस के लिए निधियों की कम मांग
3.	आयकर विदेशी यूनिटें	1.78	रिक्त पदों को भरा न जाना तथा आई टी ओ यू की स्थापना में विलंब
4.	राजस्व भवन का निर्माण	6.94	काम की धीमी प्रगति के कारण निधियों की मांग कम हुई
5.	केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो	1.47	प्रशासनिक खर्चों हेतु कम आवश्यकता
6.	बने-बनाए तैयार फ्लैटों का अधिग्रहण (प्रवर्तन निदेशालय)	7.04	प्रवर्तन निदेशालय के आंचलिक कार्यालयों के अधिग्रहण हेतु प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिया जाना
7.	गाजीपुर क्षारोद कार्य-प्रबंधन	1.07	निर्यातकों द्वारा कोडीन फॉस्फेट की आपूर्ति में विलंब हुआ था
8.	गाजीपुर क्षारोद कार्य-अन्य खर्च	9.08	क्षारोद का कम उत्पादन
9.	नीमच क्षारोद कार्य-प्रबंधन	12.69	निर्यातकों द्वारा कोडीन फास्फेट की आपूर्ति में विलंब हुआ
10.	नीमच क्षारोद कार्य-अन्य खर्चे	0.56	क्षारोद का कम उत्पादन
11.	वैट संबंधी व्यय हेतु राज्यों को अनुदान	103.64	राज्य सरकारों द्वारा एक एम पी-सी टी परियोजना में धीमी प्रगति की गई
12.	वैट संबंधी व्यय हेतु संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	10.00	यू टी प्रशासकों से प्रस्तावों का प्राप्त न होना तथा संघ राज्य-क्षेत्रों के पास पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता का भी होना

(iii) परियोजना/योजना के पुराने/निष्क्रिय हो जाने के कारण अथवा परियोजना/योजना के पूरे होने के कारण अभ्यर्पण/बचतें

कुछ मामलों में धन को वापस करने की आवश्यकता थी, जहां आपूर्तिकर्ता द्वारा विलंब हुआ था अथवा योजना पूर्ण होने के कगार पर थी, जिसके कारण राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा निधियों की मांग कम की गई। केन्द्रीय बिक्री कर प्रतिपूर्ति के मामले में, वित्तीय वर्ष के दौरान इसके लिए फार्मूले को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता जिसके कारण शेष निधि को वापस लौटाना पड़ा। 8019.46 करोड़ रूपए की समग्र राशि को वापस लौटाया गया। इन योजनाओं को संक्षेप में नीचे दिया गया हैः-

(रूपए करोड़ में)

क्र0 सं0	उप शीर्ष/योजना/ कार्यक्रम	बचतें (निवल)	टिप्पणी/कारण
1.	केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानि हेतु राज्यों को अनुदान	7827.42	वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसटी प्रतिपूर्ति हेतु फार्मूले को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।
2.	वैट को लागू करने के कारण हुई राजस्व हानि हेतु राज्यों को अनुदान	184.18	निधियां वापस कर दी गई चूंकि राज्य सरकारों के अधिकांश दावों का निपटान कर दिया गया।
3.	नीमच अफीम फैक्ट्री-अफीम की खरीद	0.86	अफीम की कम खरीद के कारण
4.	नशीली औषधियों के दुरूपयोग के नियंत्रण पर व्यय	5.00	एन जी ओ/ अन्य विभागों से निधि हेतु किसी प्रस्ताव का प्राप्त न होना
5.	नशीली औषधियों के दुरूपयोग के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय निधि का अंतरण	2.00	चूंकि निधि से कोई खर्च नहीं किया गया, इसलिए और वृद्धि की आवश्यकता नहीं थी।

टिप्पणी: *यह अनुबंध वित्त संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में की गई अपेक्षा के अनुसरण में सामान्य बचत, वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान सुपुर्द नहीं गई निधियों के कम उपयोग/उपयोग न किए जाने के कारण संचित बचतों के संबंध में बजट प्रभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.7 (1) बी(एसी)/2011 के अनुसरण में शामिल किया गया है।*

वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत सांविधिक और स्वायतशासी निकायों के कामकाज की समीक्षा

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

परिणामी बजट

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली को वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, विभिन्न मुख्य राज्य सरकारों, विशिष्ट विद्याविदों एवं स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्तियों, गैर-लाभकारी संगठनों की संयुक्त पहल से 1976 में स्थापित किया गया था और इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। यह एक स्वतंत्र अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संगठन है।

वर्ष 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के विभिन्न स्रोतों से अनुदान/आय और व्यय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

क्रम सं0	निधि का स्रोत	अनुदान/आय (रुपए करोड़ में)	व्यय (रुपए करोड़ में)
1.	वित्त मंत्रालय	7.66	7.66
2.	अन्य स्रोत	11.38	7.95
3.	**कुल**	**19.04**	**15.61**

वर्ष 2007-08 से वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अनुदान का ब्यौरा -

	(रुपए करोड़ में)
वास्तविक 2007-08	5.58
वास्तविक 2008-09	8.67
वास्तविक 2009-10	10.17
वास्तविक 2010-11	7.10
वास्तविक 2011-12	7.66
बजट अनुमान 2012-13	8.50
2012-13 के लिए संशोधित अनुमान	18.85*
वास्तविक 2012-13 (31-10-2012 तक)	8.30

* दस करोड़ रू0 का कार्पस अनुदान सहित

अनुदान के संघटक और उसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

(क) संस्थान ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ 2 मई, 2012 को एक नया समझौता ज्ञापन किया है जोकि मंत्रालय द्वारा कराई गई समकक्ष समीक्षा पर आधारित है। नए समझौता ज्ञापन के अनुसार एनआईपीएफपी को अतिरिक्त सदस्य-क्षमता और स्वतंत्र अनुसंधान कार्य करने के लिए और अधिक समय दिया जाएगा ताकि उन्हें संदर्भित अंतरराष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित कराने में सक्षम बनाया जा सके। यह वैश्विक कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट संस्थानों की लीग में शामिल होने के लिए प्रयास करने का अच्छा अवसर है।

(ख) समझौता ज्ञापन के अनुसार वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी वेतन संशोधन या महंगाई भत्ते की किश्त के अवमुक्त किए जाने के फलस्वरूप संस्थान के मूल स्टाफ के वेतन में संशोधन या अन्य किसी भत्ते या वाहन भत्ते या महंगाई भत्ते, मकान किराया जैसे वेतन भत्ते पर होने वाले 90 प्रतिशत व्यय को पूरा करने के लिए वेतन अनुदान प्रदान किया जाता है। इस आवर्ती अनुदान से पूरा होने वाले वेतन का 90 प्रतिशत परिकलन वेतन एवं भत्ते के कुल व्यय पर निर्भर करेगा, जिसकी अनुलग्नक I से IV में यथाइंगित मूल स्टाफ से संबद्ध वेतनमान के मध्य बिन्दु पर गणना की जाएगी और यह संस्थान की भिन्न प्रायोजित परियोजनाओं के कार्य प्रभारित मूल स्टाफ के वेतन व भत्तों का बिना हवाला देते हुए किया जाएगा ।

(ग) वित्त वर्ष के अंत में, वास्तविक वेतन व्यय के 90 प्रतिशत से अधिक के वेतन अनुदान की किसी अतिशयता/कमी को आगामी वित्तीय वर्षों की अनुदान में समायोजित किया जा सकता है।

(घ) मूल अनुदान जो संस्थान के गैर-वेतन व्यय पूरा को करने के लिए यथा आकलित किए गए वेतन अनुदान के 20 प्रतिशत के बराबर है, भी दिया गया है।

(ड.) वित्त मंत्रालय की प्रतिवर्ष 20.00 लाख रूपये की वित्तीय सहायता से 9 जून, 2005 से संस्थान में एक कर अनुसंधान एकक(टी आर सी) स्थापित किया गया है ।

संस्थान में कुछ पूर्ण/चल रहे अध्ययन / आधार पत्र इस प्रकार हैं-

पूर्ण किए गए अध्ययन/अनुसंधान कार्यक्रम(2011-12)

1. राज्यों/एजेन्सियों द्वारा चयन कार्यक्रमों के तहत निर्मुक्ति के समय निर्धारण और पैटर्न में उपयुक्त परिवर्तनों के द्वारा निधियों की प्रभावकारिता और उपयोग बढ़ाने के उपाय।
2. भारत में दूरसंचार क्षेत्र पर कर और उद्ग्रहण (लेवी)
3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में माल और सेवा कर
4. गोवा के लिए मध्यावधिक राजकोषीय नीति
5. एन आई पी एफ पी-आर्थिक कार्य विभाग अनुसंधान कार्यक्रम
6. मेक्रो आर्थिक नीति मॉडलिंग चरण-III
7. तेल कीमत आघात और भारत पर इसका प्रभाव
8. सिक्किम के लिए 12 वीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी
9. मेघालय दर्शन 2030 का सतत विकास

10. महाराष्ट्र में यू आई डी एस एस एम टी सुधारों की निगरानी और क्रियान्वयन का मूल्यांकन।

11. भारत में केन्द्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य देखभाल व्यय : चरण स्तर पर संवितरण

12. स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सार्वजनिक खर्चों का संवितरणः कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और असम का अध्ययन

13. फर्मा नवोद्यम पूंजी निधि

जारी अध्ययन/अनुसंधान कार्यक्रम (दिसम्बर, 2012 तक की स्थिति)

1. देश के अन्दर और बाहर दोनों जगह बेहिसाबी आय/धन पर अध्ययन

2. हिमाचल प्रदेश के लिए राजस्व संभावना : सुधार के लिए मूल्यांकन और सुझाव

3. राज्य स्तर पर राजस्व तटस्थ दर का अनुमान

4. मेक्रो -आर्थिक नीति मॉडलिंग चरण - III

5. भारत के लिए अग्र-संकेतक आधारित पूर्वानुमान मॉडल

6. एन आई पी एफ पी-डी ई ए अनुसंधान कार्यक्रम संबंधी कार्य, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

7. बिजनेस आवर्तन संबंधी अनुसंधान

8. एन आई पी एफ पी- वित्तीय अंतर्वेशन संबंधी यू आई डी ए आई कार्यक्रम

9. वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफ एस एल आर सी)

10. पूंजी खाते के खुलेपन के गहराने की प्रक्रिया का नीति विश्लेषण

11. राज्यों में वृद्धि का अभाव और मानव विकास : चुने हुए मुद्दे

12 मेघालय के लिए 12 वीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी

13. शहरी स्थानीय सरकारों का निष्पादन मूल्यांकन : भारतीय शहरों के लिए एक मामला

14. चुनावों में अपराधी : भारत से साक्ष्य

15. सेवा निर्यातों के निर्धारक

16. सेवाओं का निर्यात : भारतीय अनुभव

17. भारत में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय का अनुमान

18. राज्य स्तर पर एन आर एच एम व्यय : राजस्थान और कर्नाटक का अध्ययन

19. लोक वित्त सूचना प्रणाली

20. एयरपोर्ट क्षेत्र की जोखिमपूर्णता के मूल्यांकन और इक्विटी पर रिटर्न की निष्पक्ष दर के अनुमान का कार्य

21. मेवातः पिछड़ेपन के तहत विकास की गति

22. भारत में डीजल मूल्य के लिए सुधार

23. भारत में जिंक-लैड खनन की प्रतिस्पर्द्धात्मकता : स्वामित्व (रायल्टी) की भूमिका

24. संवर्धित ऊर्जा दक्षता हेतु राष्ट्रीय मिशन के ऊर्जा दक्ष आर्थिक विकास तंत्र के ढांच के तहत राजकोषीय और मौद्रिक नीति के पहलुओं का अध्ययन

प्रशिक्षण कार्यक्रम /कार्यशालाएं (दिसम्बर, 2012 तक की स्थिति)

1. 3 जनवरी, 2012 को आईआईसी, नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान केन्द्र, (सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च), यूनिवर्सिटी ऑफ टोरोंटो की भागीदारी में आयोजित तंबाकू संबंधी अर्थव्यवस्था पर सम्मेलन

2. जनवरी 12-17, 2012 के दौरान अफगानिस्तान कर प्रशासन के कर्मचारियों के लिए राजस्व रिपोर्टिंग, पूर्वानुमान और लक्ष्य-निर्धारण पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम

3. 9 फरवरी 2012 को आईआईसी, नई दिल्ली में "भारत में जीएसटी के लिए सबकों के साथ, वर्तमान वैट मुद्दे" विषय पर डॉ0 माइकल कीन, वरिष्ठ सलाहकार, राजकोषीय कार्य विभाग, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक निधि द्वारा दिया गया तीसरा डॉ0 राजा जे. चेल्लैया मेमोरियल लेक्चर

4. 8-9 फरवरी, 2012 के दौरान, पब्लिक इकॉनोमिक्स, एनआईपीएफपी में कागजातों पर वार्षिक सम्मेलन

5. 6-17 फरवरी के दौरान एनआईपीएफपी, नई दिल्ली में भारत लेखा परीक्षा और लेखा सेवा(आईएएसएएस) परिवीक्षार्थियों के लिए सार्वजनिक वित्त पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम

6. 25 मार्च, 2012 को एनआईपीएफपी में जीवाश्म ईंधन सब्सिडी सुधार : स्थिति और अवसर पर एक दिन की कार्यशाला

7. 14-18 जून, 2012 के दौरान एनआईपीएफपी, नई दिल्ली में भारतीय आर्थिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए लोक वित्त पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम

8 7-11 मई, 2012 के दौरान एनआईपीएफपी, नई दिल्ली में भारतीय सांख्यिकी सेवा परिवीक्षार्थियों के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीति पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम

9. 14-18 मई, 2012 के दौरान एनआईपीएफपी में सिद्धांत और व्यवहार में लोक वित्त पर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अध्यापकों के लिए चार-सप्ताह का पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम

10. 21-25 मई, 2012 के दौरान, लेखा महानियंत्रक (सीजीए) एनआईपीएफपी, नई दिल्ली के वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम

11. 4 मई, 2012 को एनआईपीएफपी में सामाजिक कार्यक्रमों में यूआईडी समाकलित करने और सेवा सुपुर्दगी में सुधार लाने पर कार्यशाला

12 10-14 सितंबर, 2012 के दौरान, एनआईपीएफपी में "राजकोषीय नीति और मैक्रो इकॉनोमिक प्रबंधन" विषय पर आईएएस अधिकारियों के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम

13. 7-8 अगस्त, 2012 के दौरान आईआईसी में भारतीय आर्थिक नीतियां: निशुल्क व्यापार, लोकतंत्र और उद्यमशील विकास पर सम्मेलन

14. 10-14 सितंबर, 2012 के दौरान एनआईपीएफपी में "सतत विकास में पर्यावरणीय अर्थशास्त्र की भूमिका और क्षेत्र" विषय पर भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए एक सप्ताह का पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम

15. 8-12 अक्तूबर, 2012 के दौरान "राजकोषीय विकेंद्रीकरण और संघबाद" विषय पर आईएएस अधिकारियों के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम

16. 8 नवंबर, 2012 को आईआईसी, नई दिल्ली में, अर्थशास्त्र के प्राध्यापक और,एंड्रयू यंग स्कूल ऑफ पोलिसी स्टडीज,ज्योर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी, ज्योर्जिया (यूएसएस) के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक डॉ0 जोर्ज मार्टिन वैज्क्वेस रिजेन्ट्स द्वारा "कर नीति निर्धारण में वृद्धि-इक्विटी समझौताकारी समन्वय : देशों के एक बड़े पैनल से साक्ष्य" पर चौथा डॉ0 राजा जे0 चेल्लैया मेमोरियल लेक्चर दिया गया।

17. 7-8 नवम्बर, 2012 के दौरान एनआईपीएफपी मे लोक अर्थशास्त्र में कागजात पर वार्षिक सम्मेलन

18. 3-8 दिसम्बर, 2012 के दौरान राजस्व आवंटन के केन्यन चयन आयोग का दौरा

19. 14-15 दिसम्बर, 2012 के दौरान दिल्ली इकॉनोमिक्स कॉनक्लेव 2012

20. दिसम्बर 17-21, 2012 के दौरान आईईएस परिवीक्षार्थियों के लिए लोक वित्त पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रत्यक्ष कर

प्रस्तावना

1.1 केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 द्वारा सृजित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) भारत में प्रत्यक्ष करों अर्थात आयकर, निगम कर, धनकर आदि के प्रशासन में लगा शीर्ष निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष एवं 6 सदस्य हैं। यह आयकर विभाग का संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण है। इसमें 41684 अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात हैं जिसमें से तकरीबन 27.35 प्रतिशत समूह क एवं ख के राजपत्रित अधिकारी हैं तथा शेष समूह ग एवं घ के अराजपत्रित कर्मचारी हैं।

1.2.1 सीबीडीटी के कामकाज में निम्नलिखित निदेशालय उसकी सहायता करते हैं :

(i) आयकर निदेशालय (सार्वजनिक संपर्क, मुद्रण, प्रकाशन एवं राजभाषा)
(ii) आयकर निदेशालय (वसूली)
(iii) आयकर निदेशालय (लेखा परीक्षा)
(iv) आयकर निदेशालय (आयकर)
(v) आयकर निदेशालय (संगठन एवं प्रबंधन सेवाएं)
(vi) आयकर निदेशालय (प्रणाली)
(vii) आयकर निदेशालय (जांच)
(viii) आयकर निदेशालय (सतर्कता)
(ix) आयकर निदेशालय (छूट)
(x) आयकर निदेशालय (विधि एवं अनुसंधान)
(xi) आयकर निदेशालय (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)
(xii) आयकर निदेशालय (अवसंरचना)
(xiii) आयकर निदेशालय (स्रोत पर कर कटौती)
(xiv) आयकर निदेशालय (मानव संसाधन विकास)
(xv) आयकर निदेशालय (व्यवसाय प्रक्रिया रिइंजीनियरिंग)
(xvi) आयकर निदेशालय (आसूचना एवं आपराधिक जांच)
(xvii) आयकर निदेशालय (व्यय बजट)

1.3 आयकर के 18 संवर्ग नियंत्रक मुख्य आयुक्त हैं जो पूरे देश में तैनात हैं जो क्षेत्रीय स्तरों पर प्रत्यक्ष करों के निर्धारण एवं संग्रहण तथा अपने-अपने क्षेत्र में कर प्रशासन के समग्र प्रभारी हैं। आयकर महानिदेशक (जांच) क्षेत्रीय स्तर पर जांच मशीनरी के समग्र प्रभारी होते हैं, जिसका उद्देश्य कर अपवंचन पर रोक लगाना एवं बेहिसाबी धन का पर्दाफाश करना है। अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में आयकर आयुक्तों/आयकर निदेशकों द्वारा मुख्य आयकर आयुक्तों/आयकर महानिदेशकों की सहायता की जाती है। पहली अपीली मशीनरी में आयकर आयुक्त (अपील) शामिल होते हैं जो कर निर्धारण अधिकारियों के आरोपों के विरुद्ध अपीलों के निर्धारण के लिए अर्द्ध न्यायिक कार्य करते हैं।

1.4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के साथ नागपुर में स्थित राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आयकर महानिदेशक के समग्र पर्यवेक्षण में काम करती है।

1.5 वेतन एवं लेखा कार्यालयों की सहायता से प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी राजस्व संग्रहण के लेखाकरण के लिए तथा विभाग द्वारा किए गए व्यय के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013-14 (करोड़ रु. में)		परिमाणनीय व्युत्पत्तियां/ भौतिक उत्पाद	निरूपित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां/जोखिम कारक
2		3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत				
1.	**मुख्य शीर्ष 2020 – आयकर संग्रहण; सूचना प्रौद्योगिकी**		**421.00**	-				
I.	व्यापक कम्प्यूटरीकरण के चरण 3 के लिए संदर्शी योजना	क) सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति के साथ प्रणाली समाकलन। विक्रेता की संविदा जून, 2014 में समाप्त हो रही है।			• 2014-15 तक निरूपित कार्यभार को संभालने के लिए संगणन क्षमता • प्रत्यक्ष करों से संबंधित सभी संव्यवहारों को निपटाने के लिए एकल राष्ट्रीय डाटाबेस • आयकर विभाग के कार्यालयों में सुविधा प्रबंधन	राष्ट्रीय डाटा केन्द्र की स्थापना और अनुरक्षण, क्षेत्रीय डाटाबेसों का एकल राष्ट्रीय डाटाबेस में समेकन।	जारी है । कोई संव्यवहार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है । कार्यलय आयकर विवरणियों को उनकी लंबिता के अनुसार संसाधित करता है।	डाटाबेस के समेकन का काम पूरा हो गया है । वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान अनुमानित व्यय लगभग 45.00 करोड़ रूपये होगी।
		ख) अखिल भारतीय कर नेटवर्क की स्थापना, मानीटरिंग एवं कार्यान्वयन			पूरे देश के आयकर कार्यालयों का नेटवर्क	515 शहरों के अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए "टैक्सनेट" पर केन्द्रीय डाटा केन्द्र को एक्सेस करने में समर्थ हैं। डाटा के त्वरित एवं विश्वसनीय स्थानान्तरण से करदाताओं को सेवाओं की समय पर सुपुर्दगी का सुनिश्चयन होगा।	जारी गतिविधि, कोई लक्ष्य नहीं है।	संविदा का 31.12.2013 तक विस्तार किया गया। खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से नए एमएसपी के चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान इस परियोजना हेतु अनुमानित व्यय 31.80 करोड़ होगा।
		ग) बीसीपी एवं डीआर के लिए डाटा केन्द्रों को किराए पर लेना।			• उद्योग के मानकों को पूरा करते हुए डाटा केन्द्रों में हार्डवेयर उपकरणों की सह-अवस्थिति। • परियोजना 2014 तक पूरी हो जाएगी।	प्रबंधन नियत्रणों के लिए सुरक्षित डाटा राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध होगा।	जारी गतिविधि कोई लक्ष्य नहीं है।	तीनों डाटा केन्द्र अर्थात पीडीसी, बीसीपी एवं डीआर क्रियाशील हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत			
							दो विक्रेता हैं, एक बीसीपी एवं पीडीसी के लिए और दूसरा डीआर स्थल के लिए।संविदा की विस्तारित अवधि क्रमशः जुलाई, 2014 और सितम्बर, 2014 में समाप्त हो रही है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए इस परियोजना पर अनुमानित व्यय 7.00 करोड़ रूपए है।
		घ) 2003-09 की अवधि के बकाया पैन फार्मों का भौतिक रूप से भण्डारण		सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अब तक 2003-09 की अवधि के 5.53 करोड़ बकाया पैन फार्मों का भौतिक रूप से भण्डारण किया गया।			वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए इस पर संभावित व्यय 12.79 करोड़ रू. होगी।
		ङ) ई-भण्डारण सहित 2003-09 की अवधि के बकाया पैन फार्मों की स्कैनिंग		सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अब तक 2003-09 की अवधि के 5.53 करोड़ बकाया पैन फार्मों के ई-भण्डारण सहित स्कैनिंग की गई।			वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए इस पर संभावित व्यय 17.64 करोड़ रू. होगी।
II.	कर सूचना नेटवर्क (टिन)	निम्नलिखित से संबंधित सूचना के आधान के रूप में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा पोषित किया जा रहा है: • ऑन लाइन कर लेखा प्रणाली (ओल्टास), • बही समंजन के संबंध में सरकारी ओल्टास, • टी डी एस विवरणियों से आने वाली कर कटौतियां		• टी डी एस कटौतियों की सटीक एवं त्वरित क्रेडिट, विवरणी न जमा करने वालों/ बंद कर देने वालों तथा अल्प कटौतियों के मामलों की पहचान • करदाताओं द्वारा या उनकी ओर से कर कटौतीकर्ताओं द्वारा किए गए कर भुगतान को देखने की सुविधाएं।	जांच के लिए कंप्यूटर आधारित चयन (सीएएसएस) को सुगम बनाने हेतु एआईआर से व्यवसाय आसूचना डाटाबेस।	कोई विशेष उपलब्धि नहीं।	नए सेवा प्रदाता की पहचान और चयन की प्रक्रिया चल रही है। अनुमानित व्यय 10.37 करोड़ रुपए है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत				
		• वार्षिक सूचना विवरणियों के माध्यम से आने वाले उच्च मूल्य के वित्तीय संव्यवहार।			• करों की प्रभावी निगरानी एवं संग्रहण हेतु विभाग के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए डैशबोर्ड की सुविधाएं।			
III	करदाता सेवाएं	हेल्पलाइन (आयकर सम्पर्क केन्द्र), के जरिए सूचना के प्रसार के लिए करदाताओं के साथ, सरल, पारदर्शी, प्रत्यक्ष एवं प्रयोक्ता अनुकूल बातचीत करने के लिए। - करदाताओं को आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग के लिए आनलाइन सुविधाओं में सहायता करने हुते। - करों का ई-भुगतान। - प्रतिदाय स्थिति का आनलाइन पता लगाना।			• आयकर सम्पर्क केन्द्रों (एएसके) से व्युत्पत्तियां इस प्रकार हैं ➢ डिजिटल हस्ताक्षर के साथ या उसके बिना आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग में सहायता और चालान एवं विवरणी तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर से संबंधित सूचना के लिए देशव्यापी सुविधा। ➢ विभिन्न फार्मों: आयकर विवरणी फार्म, धनकर विवरणी फार्म को डाउनलोड करने में सहायता। ➢ ई- मेल से फार्म भेजने की सुविधा ➢ ई-भुगतान और एटीएम के माध्यम से भुगतान सहित कर का भुगतान करने की पद्धति। • पैन और टैल आवेदनों की स्थिति एवं संबंधित कार्यप्रणालियों के संबंध में प्रश्नों का उत्तर देना। • प्रतिदाय की स्थिति • कर-निर्धारण क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना। • कर क्रेडिट विवरण एवं कर क्रेडिट विवरणों हेतु पंजीकरण की प्रक्रिया • कर सूचना नेटवर्क सुविधा केन्द्रों और पेन सेवा केन्द्रों की सूची। • विविध प्रश्नों का निपटारा।	• सूचना का आसान एवं सुविधाजनक प्रसार • सुविधा में वृद्धि जिससे मैनुअल इंटरफेस घटेगा तथा कर-दाताओं की संतुष्टि में वृद्धि होगी ।	- जारी गतिविधियां	विभाग ने गुड़गांव में एक सुदृढ़ राष्ट्रीय कॉल सेंटर और जम्मू , शिलांग, जंगीपुर एवं कोच्चि में चार कॉल सेंटरों की स्थापना की है। वास्तविक दूरभाष व्यय की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त आयकर संपर्क केन्द्र परियोजना पर वित्त वर्ष 2012-13 के के लिए अनुमानित व्यय 5.50 करोड़ होगी।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत				
IV.	प्रतिदाय बैंकर	(क) आयकर प्रतिदायों का निर्धारण, सृजन, निर्गमन, प्रेषण, क्रेडिट तथा सुरक्षित सुपुर्दगी करना। (ख) प्रतिदाय प्रक्रिया को पूर्णतः स्वचालित, त्वरित एवं पारदर्शी बनाना तथा एक शीघ्रतर 'प्रतिवर्तन काल' हासिल करना।			आयकर प्रतिदायों के निर्धारण, सृजन, निर्गमन, प्रेषण, क्रेडिट तथा सुरक्षित सुपुर्दगी के लिए एक प्रणाली चालित प्रक्रिया। प्रक्रिया को पूर्णतः स्वचालित, त्वरित एवं पारदर्शी बनाने तथा एक शीघ्रतर प्रतिवर्तन काल हासिल करने के लिए प्रतिदायों को भौतिक रूप से निर्गमित अथवा क्रेडिट करने में तीसरे पक्ष को व्यवहार में लाता है। • प्रतिदायों की सुपुर्दगी के लिए एक वेब आधारित स्टेटस ट्रैकिंग सुविधा।	प्रतिदाय बैंकर योजना के तहत प्रतिदाय विभाग के अभिकरण के रूप में मनोनीत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा इलेक्ट्रानिक समाशोधन योजना (ईसीएस) के माध्यम से सीधे करदाताओं को भेजा गया। • इन मॉडलों में, प्रतिदायों को एसबीआई को आंकड़ों की सुपुर्दगी के 1 से 3 दिनों के भीतर करदाताओं के खातों में क्रेडिट किया गया। • प्रतिदायों के निर्गमन में कर-निर्धारण अधिकारी की भूमिका कम्प्यूटर पर आय की विवरणी संसाधित करने तक सीमित है।	जारी ।	i) अगस्त-सितम्बर, 2012 से, इस योजना को चरणबद्ध तरीके से देश भर में सभी गैर-निगमित प्रभारों तक विस्तारित किया गया है। ii) 19.12.2011 से प्रतिदाय बैंकर योजना को देश भर में निगमित, छूट, केन्द्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कराधान प्रभारों तक विस्तारित किया गया है। (iii) प्रतिदाय बैंकर योजना के माध्यम से वित्त वर्ष 2012-13 में (31.11.2012 तक) भेजे गए प्रतिदायों की संख्या लगभग 2.57 करोड़ रू. है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में 38.20 करोड़ रू. की राशि स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए राशि प्रतिदायों की संख्या पर निर्भर है जो निश्चित तौर पर पिछले वित्त वर्ष से अधिक होगी। अनुमानित व्यय 40.00 करोड़ रू. है।
V.	केन्द्रीकृत संसाधन प्रकोष्ठ (सीपीसी) टीडीएस	कटौतीकर्ताओं/समाहर्ताओं को टीडीएस/टीसीएस संशोधन विवरण सरलता से दाखिल करने में समर्थ बनाने हेतु स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के लिए केन्द्रीकृत संसाधन प्रकोष्ठ (सीपीसी) आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई एक परिवर्तनकारी पहल है। सीपीसी करदाताओं			प्रथम चरण में, एनएसडीएल द्वारा पूर्व में प्रबंधित निम्नलिखित कार्यात्मकताओं को सीपीसी टीडीएस में प्रचालनीय बनाया गया: क) कटौतीकर्ता के मामले में- • फार्म 16/16क डाउनलोड करना • समेकित फाइल डाउनलोड करना	द्वितीय चरण शीघ्र ही जीवंत होने की संभावना है। द्वितीय चरण की मुख्य विशेषताएं हैं: • पैन संशोधन • कारण बताओं नोटिस उत्पन्न करना • विवरण का संसाधन और सूचनाओं का निर्गमन	परियोजना का प्रथम चरण 19 नवम्बर 2012 को जीवंत हुआ। परियोजना का दूसरा चरण वित्तीय वर्ष 2012-13 में पूरा होगा।	अनुमानित से 40.00 करोड़ रू. है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत				
		के लिए संपूर्ण सेवा स्तर में सुधार का प्रयास करता है। कटौतीकर्ता/ समाहर्ता ट्रेसेस में पंजीकरण के बाद आनलाइन संशोधन विवरण दाखिल कर सकते हैं। करदाता/कर संग्रहीत किए गए व्यक्ति भी अपने फार्म26कध को देखने और डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण कर सकते है और टीडीएस/ टीसीएस से संबंधित शिकायतें, समाधान के लिए सूचित कर सकते हैं। सीपीसी, विवरणों के समय पर दाखिल और संसाधन करने और टीडीएस/ टीसीएस की सही रिर्पोटिंग को समर्थ बनाने के लिए चूक के परिशोधन हेतु कटौतीकर्ता/ समाहर्ता के साथ अनुवर्ती कार्रवाई को सुगम बनाएगा। इस प्रणाली को कराधान प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए निर्मित किया गया है।			• वित्तीय वर्ष 2011-12 तक प्रामाणिकता रिपोर्ट डाउनलोड करना । ख) जिनकी कटौती की गई है, उनके मामले में- • फार्म 26कध देखना और डाउनलोड करना			
VI.	केन्द्रीकृत संसाधन केन्द्र (सीपीसी) बंगलौर	(क) कागज आधारित एवं इलेक्ट्रानिक रूप में दाखिल आयकर विवरणियों (आईटीआर) का केन्द्रीकृत संसाधन। (ख) सीपीसी विभाग को करदाताओं की संख्या में तीव्र			(i) सी पी सी के स्थिरीकरण के साथ, कर्नाटक एवं गोवा तथा समीपवर्ती राज्यों के भौतिक आईटीआर भी इस वित्तीय वर्ष के दौरान सीपीसी को दिए जाएंगे।	• बेहतर करदाता सेवाएं तथा शिकायतों में कमी। • करदाताओं के लिए अनुपालन लागत में कमी। • विभाग के लिए प्रशासनिक लागत में कमी।		सीपीसी सितम्बर 2009 में जीवंत हुआ और सीपीसी ने अब तक 3.2 करोड़ से अधिक इलेक्ट्रानिक रूप से दाखिल विवरणियों का संसाधन किया। 2013-14 के लिए विवरणियों के संसाधन की अनुमानित मात्रा

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत				
		वृद्धि से निपटने और परिणामतः कर्मचारियों को कार्य की मात्रा से निपटने में समर्थ बनाएगा। (ग) यह विभाग को अधिक दक्ष प्रक्रियाएं लाने और पूरे विश्व में बेहतरीन कर प्रशासनों द्वारा पेश की जा रही आधुनिक नागरिक सेवाएं शुरू करने में समर्थ बनाएगा।			(iii) बंगलौर स्थित सीपीसी में क्षेत्र के 20 लाख कागजी विवरणियों एवं 60 लाख इलेक्ट्रानिक विवरणियों को प्रोसेस करने की है।	• त्वरित संसाधन जिससे प्रतिदायों की शीघ्रता से सुपुर्दगी होती है और ब्याज व्यय में कमी होती है। मानवशक्ति और कार्यालय स्थान का दक्षतापूर्ण उपयोग। • सीपीसी ने कर-निर्धारण वर्ष 2012-13 के इलेक्ट्रानिक रूप से दाखिल विवरणियों का संसाधन अगस्त 2012 से शुरू किया गया और तिमाही के दौरान इसने गति पकड़ी। • कर-निर्धारण वर्ष 2011-12 के अग्रानीत इलेक्ट्रानिक रूप से दाखिल विवरणियों को निम्नलिखित में परिसमाप्त किया जाना है। • कर्नाटक और गोवा के कागजी विवरणियों का संसाधन पूरा किया जाना है।		लगभग 2 करोड़ है। अनुमानित व्यय 161.00 करोड़ रू. है।
VII	डाटा भण्डार एवं व्यवसाय आसूचना (डीडब्ल्यू एण्ड बीआई) समाधान	आयकर विभाग के पास उपलब्ध सूचना का उपयोग निम्नलिखित के लिए करनाः क) कर आधार को विस्तृत और गहरा करने के लिए ख) कर कानूनों के अनुपालन को बढ़ाना ग) विभागीय कार्य-निष्पादन की निगरानी			व्युत्पत्तियों को परियोजना के क्षेत्र के अनुमोदन के बाद परिमाणित की जाएगी। व्युत्पत्तियों में मोटे तौर पर निम्नलिखित शामिल होंगेः i) सलाहकार के लिए कार्य दस्तावेज का क्षेत्र ii) प्रस्तावित समाधान का नमूना	अनुमानित परिणाम को परियोजना के क्षेत्र के अनुमोदन के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।	विशिष्ट उपलब्धियों को परियोजना प्लान के अनुमोदन के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।	परियोजना के क्षेत्र और सलाहकार की भूमिका की समीक्षा की जा रही है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत				
		घ) नीतियां बनाने के लिए निविष्टियां उपलब्ध करना			iii) समाधान प्रदाता के चयन के लिए आरएफपी iv) डाटा भण्डार तैयार करना v) व्यवसाय आसूचना टूल का एकीकरण vi) कार्यान्वयन और रोल आउट			
VIII	नया आईटीडी अनुप्रयोग	नए हार्डवेयर के साथ नवीनतम प्रौद्योगिकी वाले नए आईटीडी अनुप्रयोग का पुनर्लेखन एवं पुराने अनुप्रयोग का भी अनुरक्षण।			1. नए आईटीडी अनुप्रयोग का पुनर्लेखन। 2. अनुप्रयोग के लिए डाटा केन्द्र का विकास। 3. प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्र का विकास। 4. वैशाली में परीक्षण परिवेश का विकास। 5. 20,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण। 6. एचआरएमएस माड्यूल का विकास। 7.पुराने अनुप्रयोग का अनुप्रयोग 8. विभाग के सभी प्रक्रियाओं (मुख्य कार्यों के अलावा) के लिए सॉफटवेयर। 9. यूटीआई/एनएसडीएल/सीपीसी बेंगलुरू/सीपीसी टीडीएस/प्रतिदाय बैंकर के साथ बातचीत।	विभाग के सभी कार्यात्मकताओं को शामिल करते हुए सभी प्रकार के प्रयोक्ताओं हेतु नया आईटीडी अनुप्रयोग।	विक्रेता के चयन के वित्तीय वर्ष के लिए लिए प्रक्रिया चल रही है।	कुल परिव्यय 10.51 करोड़ रू. है।
IX	राजस्व लेखांकन प्रबंधन सॉफ्टवेयर	राजस्व खातों का संकलन, एनआईसी, हैदराबाद में केन्द्रीकृत डाटाबेस सर्वर को डाटा का हस्तांतरण एवं 20 नए सृजित जेडएओ में विभिन्न एमआईएस उत्पन्न करने हेतु बी.आई अनुप्रयोग को प्रचालनीय बनाना।			एक बी.आई अनुप्रयोग की खरीद, इसका अनुकूलन और इस अनुप्रयोग पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण।	प्रत्यक्ष कर के राजस्व खातों पर विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों का सृजन एवं पूरी प्रक्रिया को स्वचालित बनाना।	एक वर्ष	बी.आई अनुप्रयोग के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप राजस्व संग्रहण की विभिन्न रिपोर्टों और विभिन्न अन्य अनुकूलित रिपोर्टों का सृजन होगा। अनुमानित व्यय 0.70 करोड़ रू. होगी।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत				
X	सभी नए सृजित 28 जेडएओ में वित्त मंत्री के आदेशानुसार ई-भुगतान का कार्यान्वयन।	सभी 28 नए सृजित जेडएओं में ई-भुगतान का कार्यान्वयन।			नए सृजित 28 जेडएओं के भुगतान क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सभी विक्रेताओं एवं लाभार्थियों के लिए ई-भुगतान को समर्थ करना।	सरकारी इलेक्ट्रानिक भुगतान मार्ग के माध्यम से विक्रेताओं एवं लाभार्थियों को सीधे उनके खातों को इलेक्ट्रानिक भुगतान में समर्थ बनाना।	एक वर्ष (विभिन्न जेडएओ में चरणवार)	सरकारी इलेक्ट्रानिक भुगतान मार्ग के माध्यम से विक्रेताओं एवं लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में इलेक्ट्रानिक भुगतान को समर्थ बनाना। अनुमानित व्यय 0.70 करोड़ रू. होगी।
2	**मुख्य शीर्ष 4059-सार्वजनिक कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-कार्यालय भवन**		**546.98**	-				
1	नोएडा में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करना			नोएडा में 1935 वर्गमी. के फर्श क्षेत्र वाले कार्यालय भवन का निर्माण	यह कार्यालय स्थान की कमी को दूर करेगा और विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य परिवेश उपलब्ध करेगा जिसके फलस्वरूप बेहतर करदाता सेवा मुहैया होगी।	31.3.2013	निर्माण कार्य प्रगति पर है। मार्च 2013 तक पूरा होने की संभावना है। परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2013-14 में परिव्यय 1.00 करोड़ रू. है।
2	एनएडीटी, नागपुर में उन्नत प्राशिक्षण केन्द्र, मेस/ छात्रावास का निर्माण	बढ़ती हुई सहभागिता और पाठ्यक्रमों के कारण राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर में उत्पन्न हो रही आवास की बढ़ती जरूरत तथा विदेशी अधिकारियों को प्रशिक्षण सहित उन्नत पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरा करने हेतु।			एनएडीटी, नागपुर में एटीसी और मेस सहित छात्रावास का निर्माण	कॉलम 3 में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए।	10.6.2013	वित्त वर्ष 2013-14-14 वर्ष 2013-14 में अपेक्षित निधि 26.40 करोड़ रू. है। परियोजना के समय पर पूरा होने की संभावना है।
3	फिरोजाबाद में आयकर विभाग के लिए कार्यालय भवन और अतिथि गृह सह पारगमन आवास का निर्माण	कार्यालय भवन और अतिथि गृह की कमी को दूर करने हेतु			4342 वर्गमी. के कार्यालय स्थान का निमार्ण प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय संस्वीकृति प्रदान करने के बाद 18 माह के भीतर निर्मित	यह कार्यालय स्थान की कमी को दूर करेगा और विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य परिवेश उपलब्ध	संस्वीकृति आदेश की प्राप्ति की तारीख से 18 माह ।	कुल प्रस्तावित परिव्यय 8.19 करोड़ रू. है और वित्त वर्ष 2013-14 में इस कार्य के लिए परिव्यय 2.19 करोड़ रू. है।

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) योजनेतर 4(ii) योजना गत				
				किए जाने का प्रस्ताव है।	करेगा जिसके फलस्वरूप बेहतर करदाता सेवा मुहैया होगी।		परियोजना के वित्त वर्ष 2013-14 में पूरा होने की संभावना है।
4	आरटीआई भवन, मोहाली का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने हेतु		आरटीआई भवन, मोहाली का निर्माण	कॉलम 3 में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु		प्रस्ताव जांच के अधीन है। वित्त वर्ष 2013-14 में परियोजना के लिए परिव्यय 15.00 करोड़ रू. है।
5	गोल्फ लिंक, नई दिल्ली में अतिथि गृह का निर्माण	अतिथि गृह की कमी को दूर करने हेतु		गोल्फ लिंक, नई दिल्ली में अतिथि गृह का निर्माण	यह कार्यालय स्थान की कमी को दूर करेगा और विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य परिवेश उपलब्ध करेगा जिसके फलस्वरूप बेहतर करदाता सेवा मुहैया होगी।	संस्वीकृति आदेश की प्राप्ति की तारीख से 18 माह।	प्रस्ताव जांच के अधीन है। वित्त वर्ष 2013-14 में परियोजना के लिए परिव्यय 8.69 करोड़ रू. है।
6	4-5 इंफैंट्री रोड, बंगलौर में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने हेतु		बंगलौर में कार्यालय भवन का निर्माण	कालम 3 में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु		प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। वित्त वर्ष में 2013-14 में परियोजना के लिए परिव्यय 1.00 करोड़ रू. है।
7	लखनऊ में कार्यालय सह रिहायशी भवन का निर्माण	कार्यालय एवं आवास स्थान की कमी को दूर करने हेतु		16138 वर्गमी. के कार्यालय स्थान का निमार्ण प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय संस्वीकृति प्रदान करने के बाद 24 माह के भीतर निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है।	यह कार्यालय स्थान की कमी को दूर करेगा और विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य परिवेश उपलब्ध करेगा जिसके फलस्वरूप बेहतर करदाता सेवा मुहैया होगी।	संस्वीकृति आदेश की प्राप्ति की तारीख से 24 माह।	कुल प्रस्तावित परिव्यय 88.02 करोड़ रुपए है और इस कार्य के लिए वित्त वर्ष 2013-14 में परिव्यय 20 करोड़ रू. है। प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
8	श्रीनगर में कार्यालय सह रिहायशी भवन का निर्माण	कार्यालय एवं आवास स्थान की कमी को दूर करने हेतु		11031 वर्गमी. के कार्यालय स्थान का निर्माण प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय संस्वीकृति प्रदान करने के बाद 46 माह के भीतर निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है।	यह कार्यालय स्थान की कमी को दूर करेगा और विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य परिवेश उपलब्ध करेगा जिसके फलस्वरूप बेहतर करदाता सेवा मुहैया होगी।	संस्वीकृति आदेश की प्राप्ति की तारीख से 46 माह।	कुल प्रस्तावित परिव्यय 42.09 करोड़ रुपए है और इस कार्य के लिए वित्त वर्ष 2013-14 में परिव्यय 10 करोड़ रू. है। प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

1	2	3	4	5	6	7	8
			4(i) योजनेतर 4(ii) योजना गत				
9	नरीमन पॉइंट मुंबई में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने हेतु		नरीमन पॉइंट मुंबई में कार्यालय भवन का निर्माण	कालम 3 में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु		प्रस्ताव जांच के अधीन है। वित्त वर्ष 2013-14 में परियोजना के लिए परिव्यय 10.00 करोड़ रुपए है।
10	एम.पी. हाउसिंग बोर्ड, भोपाल से निर्मित कार्यालय स्थान की खरीद	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने हेतु		कार्यालय स्थान का अधिग्रहण	कालम 3 में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु		अनुमोदन प्राप्त हो गया है। वित्त वर्ष 2013-14 में संभावित व्यय 3.00 करोड़ रू. है।
11	बेलगांव में भूमि की खरीद और कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने हेतु		बेलगांव में कार्यालय भवन का निर्माण	कालम 3 में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु		प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। इसके स्वीकृत होने की संभावना है और वित्त वर्ष 2013-14 में परियोजना के लिए परिव्यय 7.50 करोड़ रुपए है।
12	बरेली, शाहजहांपुर में कार्यालय सह रिहायशी भवन का निर्माण	कार्यालय एवं आवास स्थान की कमी को दूर करने हेतु		1080.71 वर्गमी. के कार्यालय स्थान का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है।	यह कार्यालय स्थान की कमी को दूर करेगा और विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य परिवेश उपलब्ध करेगा जिसके फलस्वरूप बेहतर करदाता सेवा मुहैया होगी।		कुल प्रस्तावित परिव्यय 3.87 करोड़ रुपए है और इस कार्य के लिए वित्त वर्ष 2013-14 में परिव्यय 1.00 करोड़ रू. है।
13	अहमदाबाद में आरटीआई भवन के लिए भूमि की खरीद	कार्यालय एवं प्रशिक्षण स्थान की कमी को दूर करने हेतु		अहमदाबाद में आरटीआई भवन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद	कालम 3 में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु		प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। वित्त वर्ष 2013-14 में परियोजना के लिए परिव्यय 60.00 करोड़ रुपए है।
14	इरोड में कार्यालय के निर्माण हेतु भूमि की खरीद	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने हेतु		इरोड में कार्यालय के निर्माण हेतु भूमि की खरीद	कालम 3 में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु		प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान पूरा होने की संभावना है। वित्त वर्ष 2013-14 में परियोजना के लिए परिव्यय 12.00 करोड़ रुपए है।
15	पुणे में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने हेतु		कर्वे रोड, पुणे में कार्यालय आवास	कालम 3 में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु		वित्त वर्ष 2013-14 में परियोजना के लिए परिव्यय 10.00 करोड़ रू. है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत				
16	सूरत में कार्यालय भवन के उपभवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने हेतु			सूरत में कार्यालय आवास	कालम 3 में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु		वित्त वर्ष 2013-14 में परियोजना के लिए परिव्यय 1.00 करोड़ रू. है।
17	नवसारी में कार्यालय भवन (बेसमैंट + 5वें तल) का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने हेतु			नवसारी में कार्यालय एवं रिहायशी आवास	कालम 3 में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु		प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। वित्त वर्ष 2013-14 में परियोजना के लिए परिव्यय 1.00 करोड़ रू. है।
18	दमन में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने हेतु			दमन में कार्यालय भवन का निर्माण	कालम 3 में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु		वित्त वर्ष 2013-14 में परियोजना के लिए परिव्यय 1.00 करोड़ रू. है।
19	ऐटा में निर्मित कार्यालय आवास की खरीद	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने हेतु			ऐटा में निर्मित कार्यालय आवास की खरीद	यह कार्यालय स्थान की कमी को दूर करेगा और विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य परिवेश उपलब्ध करेगा जिसके फलस्वरूप बेहतर करदाता सेवा मुहैया होगी।		वित्त वर्ष 2013-14 में परियोजना के लिए परिव्यय 1.00 करोड़ रू. है।
20	कोच्ची कार्यालय भवन के लिए निर्मित भवन/भूमि की खरीद	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने हेतु			कोच्चि कार्यालय भवन के लिए निर्मित भवन/भूमि की खरीद	कालम 3 में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु		वित्त वर्ष 2013-14 में परियोजना के लिए परिव्यय 1.00 करोड़ रू. है।
21	एनबीसीसी प्लाजा, साकेत, दिल्ली की खरीद	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने हेतु			एलटीयू के लिए एनबीसीसी प्लाजा, साकेत, दिल्ली की खरीद	यह कार्यालय स्थान की कमी को दूर करेगा और विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य परिवेश उपलब्ध करेगा जिसके फलस्वरूप बेहतर करदाता सेवा मुहैया होगी।	करार के निष्पादन की तारीख से 36 माह	यह एनबीसीसी से मूलधन के देरी से भुगतान के लिए ब्याज प्रभार हेतु प्राप्त बिलों से संबंधित है। वित्त वर्ष 2013-14 में इस देयता के लिए परिव्यय 43.20 करोड़ रू. है।
22	सिविक सेंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली में कार्यालय स्थान का क्रय	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने हेतु				दिल्ली में कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने के लिए तकरीबन 51,768 वर्गमी. का सुपर निर्मित क्षेत्र के कार्यालय स्थान का अधिग्रहण।	31.9.2013	वित्त वर्ष 2013-14 में इस देयता के लिए परिव्यय 300.00 करोड़ रू. है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजना गत				
	मुख्य शीर्ष 4216-लोक कार्य में पूंजीगत परिव्यय-आवास		**41.00**	-				
1	हदापसर, पुणे में रिहायशी कॉम्प्लेक्स का निर्माण	रिहायशी स्थान की कमी को दूर करना			हदापसर, पुणे में अतिथि गृह सहित रिहायशी कॉम्प्लेक्स	कालम 3 में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु		वित्त वर्ष 2013-14 में परियोजना के लिए परिव्यय 25.00 करोड़ रू. है।
2	जम्मू में रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण	रिहायशी क्वार्टरों की कमी को दूर करना			प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय संस्वीकृति प्रदान करने के बाद 46 माह के भीतर निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है।	यह कार्यालय स्थान की कमी को दूर करेगा और विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य परिवेश उपलब्ध करेगा जिसके फलस्वरूप बेहतर करदाता सेवा मुहैया होगी।	संस्वीकृति आदेश की प्राप्ति की तारीख से 26 माह।	कुल प्रस्तावित परिव्यय 11.37 करोड़ रू. है और इस कार्य के लिए वित्त वर्ष 2013-14वर्ष 2013-14 में परिव्यय 3 करोड़ रू. है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।
3	सीआर कालोनी, अन्नानगर में टाइप-IV एवं III क्वार्टरों का निर्माण	रिहायशी क्वार्टरों की कमी को दूर करना			अन्नानगर में क्वार्टरों का निर्माण	कालम 3 में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु		वित्त वर्ष 2013-14 में परियोजना के लिए परिव्यय 4.00 करोड़ रू. है।
4	एमजी रोड, चेन्नई में टाइप-V एवं VI क्वार्टरों का निर्माण	रिहायशी क्वार्टरों की कमी को दूर करना			एमजी रोड, चेन्नई में क्वार्टरों का निर्माण	कालम 3 में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु		वित्त वर्ष 2013-14 में परियोजना के लिए परिव्यय 1.00 करोड़ रू. है।
5	सूरत में टाइप-III और टाइप IV एवं क्वार्टरों का निर्माण	रिहायशी क्वार्टरों की कमी को दूर करना			सूरत में रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण	कालम 3 में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु		वित्त वर्ष 2013-14 में परियोजना के लिए परिव्यय 1.00 करोड़ रू. है।
6	भोपाल में रिहायशी क्वार्टरों का उन्नयन/नवीकरण	भोपाल में पर्याप्त रिहायशी सुविधाएं प्रदान करना			भोपाल में क्वार्टरों का उन्नयन/ नवीकरण	कालम 3 में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु		वित्त वर्ष 2013-14 में परियोजना के लिए परिव्यय 5.00 करोड़ रू. है।

सुधार के उपाय एवं नीतिगत पहलें

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आयकर विभाग में सुधार की पहलें

पिछले कुछ वर्षों में विभाग में प्रणाली चालित व्यावसायिक परिवेश को समर्थ बनाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अनेक पहलें की गई हैं। इन उपायों ने करदाता सेवाओं में गुणात्मक सुधार का सुनिश्चय किया है तथा इनसे वस्तुनिष्ठता भी आई है जिनसे शिकायत न्यूनतम करने के लिए करदाता एवं विभाग के बीच संपर्क में कमी का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

I. विवरणियों की ई-फाइलिंग

माननीय वर्तमान वित्त मंत्री के मार्गदर्शन में यह परियोजना जुलाई, 2006 में शुरू की गई। वित्त वर्ष 2006-07 में, 3.72 लाख विवरणियां इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त हुई जिनमें से केवल 5000 विवरणियों को कारपोरेट से भिन्न करदाताओं द्वारा स्वेच्छा से दाखिल किया गया। इस योजना की सफलता को दर्शाने वाली ई-रिटर्न की वृद्धि नीचे दी गई सारणी से स्पष्ट है:

वित्त वर्ष	इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल विवरणियों की संख्या, लाख में
2009-10	50.75
2010-11	93.01
2011-12	164.33
2012-13 (दिसम्बर-2012 तक)	147.51

भावी कदम

ई-फाइलिंग का चरण-II पहले से ही चल रहा है। इससे 60 फर्मों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने की सुविधा प्राप्त होगी जिसमें सनदी लेखाकारों द्वारा उनकी कर लेखा परीक्षा प्रक्रिया के अनुसार प्रयुक्त गैर आयकर फार्म, अंतरण मूल्य फार्म आदि शामिल हैं। इससे सभी फार्मों को कागज रहित दाखिल करने का मार्ग प्रशस्त होगा जिससे सभी फार्मों की त्वरित प्रोसेसिंग तथा संवीक्षा चयन के लिए इन फार्मों में सूचना का व्यापक उपयोग संभव होगा।

II. केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (सीपीसी), बंगलौर

यह परियोजना माननीय वित्त मंत्री द्वारा सितम्बर, 2008 में अनुमोदित की गई। यह परियोजना एक व्यापक सरकारी प्रक्रिया रिइंजीनियरिंग कवायद है जिसे थोक में आयकर विवरणियों की प्रोसेसिंग के लिए प्रौद्योगिकी के नवाचारी एवं व्यापक प्रयोग द्वारा समर्थ बनाया गया है।

2-3 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में सीपीसी ने आयकर विवरणियों की प्रोसेसिंग में प्राथमिक भूमिका ग्रहण कर ली है जिसे नीचे सारणी से देखा जा सकता है :

	वित्त वर्ष 2009-10	**वित्त वर्ष 2010-11**	**वित्त वर्ष 2011-12**	**वित्त वर्ष 2012-13 (अप्रैल-दिसम्बर)**
कुल संसाधित विवरणियां	403,141	8,820,652	13,285,521	1,12,87,911

- सीपीसी ने प्रतिदिन 1.79 लाख विवरणी की पीक प्रौसेसिंग क्षमता प्राप्त की है।
- प्रौसेसिंग का औसत समय घटकर 47 दिन हो गया है जो नागरिक चार्टर में निर्दिष्ट समय (6 माह) से कम है।
- 497 लाख से अधिक डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित पीडीएफ आधारित सूचना ई-मेल से भेजी गई ; 29.37 लाख से अधिक एसएमएस अलर्ट भेजे गए; पूरे देश में पूर्ववर्ती वर्षों के लिए स्पीड पोस्ट से 111 लाख से अधिक सूचना भेजी गई।
- 60 काल सेंटर के एजेंट अब 3 भाषाओं में रोज 4000 से अधिक काल अटेंड करते हैं तथा आज की तिथि तक 9.36 लाख से अधिक काल अटेंड की गई।
- करदाताओं से सुधार के लिए प्राप्त अनुरोधों को सांविधिक समय सीमा के अंदर प्रोसेस किया गया तथा दाखिल किए गए 9.25 लाख अनुरोधों में से 8.52 लाख से अधिक अनुरोधों को प्रोसेस किया गया (92 प्रतिशत पूर्णता)।
- विभाग की वेबसाइट से प्रतिदाय की प्रोसेसिंग की स्थिति के बारे में आनलाइन ट्रैकिंग।
- प्रत्येक पृष्ठ पर एंकर प्वाइंट, कलर ड्राप आउट जैसी विशेषताओं के साथ अंकीयकरण अनुकूल फार्मों का श्रीगणेश- सीपीसी में कागजी विवरणियों के अंकीयकरण से प्राप्त सब के आधार पर सीबीडीटी के लिए सीपीसी के अधिकारियों द्वारा अभिकल्पित कर निर्धारण वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के लिए आरटीआई I सहज और आईटीआर 4एस - सुगम।

III. प्रतिदाय बैंकर योजना

- प्रतिदाय बैंकर योजना को शुरू में दिल्ली एवं पटना में 24 जनवरी, 2007 को मार्गदर्शी परियोजना के रूप में शुरू किया गया। चरणों में इसका विस्तार किया गया तथा आज बड़ी करदाता यूनिट (एलटीयू) एवं छूट प्रभारों को छोड़कर समूचा देश इसके तहत शामिल है। प्रतिदाय बैंकर योजना के माध्यम से जारी प्रतिदाय कुल जारी प्रतिदाय का 98.93 प्रतिशत है। प्रतिदाय बैंकर योजना के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2012 तक जारी प्रतिदाय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

कागजी	ईसीएस
1,78,99,564	88,09,670
62,221.30 करोड़ रू.	33,113.20 करोड़ रू.

- भारतीय डाक तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लि0 (एनएसडीएल) के सहयोग से एक वेब आधारित स्टेटस ट्रैकिंग सुविधा शुरू की गई है। आयकर विभाग की वेबसाइट के माध्यम से प्रतिदाय स्टेटस भी उपलब्ध है। संदत्त प्रतिदायों पर सूचना भी कर क्रेडिट विवरण (फार्म संख्या 26एएस) में उपलब्ध है जिसे करदाताओं को दिया जा रहा है।

IV. राष्ट्रीय काल सेंटर तथा क्षेत्रीय काल सेंटर

- विभाग द्वारा शुरू की गई एक अन्य नागरिक केंद्रित पहल गुड़गांव में राष्ट्रीय काल सेंटर तथा जम्मू, शिलांग, जांगीपुर एवं कोच्चि में चार क्षेत्रीय काल सेंटर की स्थापना है।
- काल सेंटरों में एक अखिल भारतीय टोल फ्री नं. (1800-180-1961/1961) है तथा कॉलकर्ताओं को विभिन्न सूचनाओं/सेवाओं के

लिए अंतःक्रियात्मक ध्वनि प्रत्युत्तर प्रणाली (आईवीआरएस) के माध्यम से मार्गदर्शित किया जा रहा है जिसमें विवरणी फार्म, करदाता प्रक्रिया, पैन, टिन आवेदन, कर भुगतान की स्थिति, प्रतिदाय, ई-रिटर्न मध्यवर्ती की भूमिका , जिम्मेदारियां तथा क्षेत्राधिकार आदि शामिल है।

V एटीएम के माध्यम से प्रत्यक्ष करों का भुगतान

- सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के 13 चुनिंदा बैंकों के माध्यम से यह सुविधा शुरू की गई है।

VI. फार्म 26एएस

- करदाताओं के लिए 26 ए एस विवरणों को ऑनलाइन देखने की सुविधा उपलब्ध है। 26एएस योजना में अंतर को कम करने की क्षमता है क्योंकि अब करदाताओं को कर क्रेडिट में अंतर की जानकारी होती है और इसलिए वे अनुपालन करने के लिए कटौतीकर्ताओं से आग्रह करके विभाग की सहायता करते हैं।
- टीडीएस में अंतर को दूर करने के लिए, सीबीडीटी ने एक परिपत्र जारी किया है जिसके माध्यम से सभी कटौतीकर्ताओं को अनिवार्य रूप से टिन पोर्टल से फार्म 16ए डाउनलोड करना है।
- यह संदत्त प्रतिदाय, एआईआर सूचना जैसे कि शेयर, म्यूचुअल फंड में निवेश के बारे में सूचना तथा काटे गए एवं जमा किए गए टीडीएस का ब्यौरा भी प्रदान करता है। इस तरह कर निर्धारिती अपने ब्यौरों को सत्यापित कर सकता है।

VII. सेवोत्तम

- सेवोत्तम के अंतर्गत आयकर सेवा केन्द्र (एएसके) डाक की कम्प्यूटरीकृत प्राप्ति, पंजीकरण एवं वितरण के लिए एकल खिड़की कम्प्यूटरीकृत सेवा तंत्र है।
- विभाग ने आज की तिथि तक संशोधित सेंट्रल सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन के रूप में 112 केन्द्रों पर आयकर सेवा केन्द्र (एएसके) खोला है।

VIII. टीडीएस - सीपीसी

टीडीएस विवरणियों की प्रोसिसिंग के लिए वैशाली, गाजियाबाद में एक केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। सीपीसी टीडीएस अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगाः

- अधिकृत बिचौलियों एवं कटौतीकर्ताओं के लिए ई-टीडीएस/टीसीएस सुधार विवरण दाखिल करने की सेवाएं
- टीडीएस विवरणों में पैन संबंधी त्रुटियों का सुधार
- टीडीएस/टीसीएस 24जी विवरणों में चूक की हैंडलिंग
- पोर्टल के माध्यम से कटौतीकर्ताओं/पीएओं/बिचौलियों के साथ संचार
- हेल्प डेस्क/काल सेंटर के माध्यम से कटौतीकर्ताओं को सूचित करना।
- कटौतीकर्ताओं/पीएओं द्वारा सूचित शिकायतों का समाधान
- टीडीएस के लिए व्यवसाय विश्लेषण

IX. आयकर विभाग की व्यवसाय प्रक्रिया के लिए नया अप्लीकेशन

- विद्यमान सूचना का बेहतर प्रयोग करने तथा करदाता सेवा एवं कर प्रशासन दोनों में सुधार के लिए विभाग ने नवीनतम प्रौद्योगिकी एवं नए उपकरणों के साथ आयकर विभाग के विद्यमान अप्लीकेशन को रि-राइट करने की परियोजना शुरू की है।

X कर विवरणी तैयारकर्ता (टीआरपी)

- मझोले एवं छोटे करदताओं द्वारा विवरणी दाखिल करने में सुविधा प्रदान करने के विचार से, 2007 में कर विवरणी तैयारकर्ता योजना (टीआरपीएस) शुरू की गई।
- टीआरपीएस अब ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने में सहायता कर रही है।

XI ई-रिटर्न मध्यवर्ती (ईआरआई)

- ई-रिटर्न मध्यवर्ती की योजना 2006 में अधिसूचित की गई।
- ईआरआई भुगतान के आधार पर विवरणी की ई-फाइलिंग में करदाताओं की सहायता करते हैं।
- विभिन्न श्रेणी के व्यक्ति जैसे कि कर प्रैक्टिसनर्स, सनदी लेखाकार, वित्तीय कंपनियां, टीआरपी आदि ईआरआई बन सकते हैं।

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीसीसीए), सीबीडीटी के कार्यालय में सूचना प्रोद्योगिकी की पहलें

1. आरएएमएस परियोजनाः प्रधान सीसीए के कार्यालय ने एक प्रक्रिया की संकल्पना तैयार की है जिसके द्वारा चालान की सभी सूचना नोडल शाखाओं से डिजीटल रूप में जेडएओं को उपलब्ध कराई जा सकती हैं। एनआईसी की सहायता से आरएएमएस (राजस्व लेखा प्रबंधन साफ्टवेयर) नामक एक कंप्यूटरीकृत राजस्व लेखा प्रणाली विकसित की गई है। बैंक इस कार्यालय के पोर्टल पर चालान अपलोड करते हैं जिसे चालान फाइल प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमए) कहा जाता है जहां से इसे जेएडओं द्वारा डाउनलोड किया जाता है तथा वे दैनिक आधार पर इन फाइलों को आरएएमएस में समाविष्ट करते हैं तथा लेखा महानियंत्रक के ई-लेखा पोर्टल पर प्रत्यक्ष करों के लिए विस्तृत राजस्व लेखा अपलोड करते हैं। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से पुट थ्रो भी स्वाचालित है। इस कार्यालय के 24 आंचलिक लेखा कार्यालयों में प्राप्ती लेखा प्रबंधन साफ्टवेयर को कार्यान्वित किया गया है। अब दूसरे चरण में, इसे 28 नवगठित आंचलिक लेखा कार्यालयों में कार्यान्वित करने की योजना है।

2. ई-पेमेंट परियोजनाः वित्त मंत्री के अधिदेश के अनुसार प्रधान सीसीए, सीबीडीटी के कार्यालय तथा इसके 24 आंचलिक लेखा कार्यालयों में ई-पेमेंट प्रणाली इलैक्ट्रानिक भुगतान के कार्यान्वयन में परिणत हुई है और इस प्रकार सीधे बैंकों को इलैक्ट्रानिक सलाह का सृजन हो रहा है तथा चेक जारी करने की वर्तमान प्रथा काफी हद तक समाप्त हो गई है।

2011-12 के परिव्यय के संदर्भ में परिणाम की स्थिति

क्र.स.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12 (करोड़ रु. में)		मात्रात्मक प्रदेय/ भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	31 मार्च, 2012 को मौजूद स्थिति
1	2	3	4		5	6	7
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान			
1.	**मुख्य शीर्ष 2020 – आयकर संग्रहण; सूचना प्रौद्योगिकी**		**225.00**	**270.00**			**31.03.2012 के अनुसार वास्तिवक व्यय - ₹307.14 करोड़**
I.	व्यापक कम्प्यूटरीकरण के चरण III के लिए संदर्शी योजना	क) सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति के साथ प्रणाली समाकलन।			• 2014-15 तक अनुमानित कार्यभार के प्रबंधन के लिए संगणन क्षमता • प्रत्यक्ष करों से संबंधी सभी संव्यवहारों के प्रबंधन के लिए एकल राष्ट्रीय डाटाबेस • आयकर विभाग के कार्यालयों में सुविधा प्रबंधन	जारी है।	डाटा बेस का एकीकरण पूरा हो गया है। **31.3.2012 तक किया गया व्यय 70.39 करोड़ रुपए है।**
		ख) आयकर भवन, वैशाली का एक सुरक्षित सूचना प्रौद्योगिकी हब में परिवर्तित करना तथा इसका अनुरक्षण			वैशाली भवन में परिवर्तन करने के बाद राष्ट्रीय कंप्यूटर केन्द्र की स्थापना की जाएगी।	परियोजना पूरी हो चुकी है।	सुविधा प्रबंधन सेवाओं अर्थात् हाउस कीपिंग, सुरक्षा और संबद्ध सेवाओं पर 20.00 करोड़ रुपए का व्यय होने का अनुमान है।
		ग) अखिल भारतीय कर नेटवर्क की स्थापना, निगरानी एवं कार्यान्वयन			पूरे देश में आयकर कार्यालयों का नेटवर्क	सतत प्रक्रिया। कोई लक्ष्य नहीं।	सभी भवनों में लैन/वैन कनेक्टिविटी का कार्य पूरा हो चुका है। **31.3.2012 तक किया गया व्यय 42.10 करोड़ रुपए है।**
		घ) प्राथमिक, बीसीपी एवं डीआर स्थलों के लिए डाटा केन्द्रों को किराए पर लेना।			• उद्योग के मानकों को पूरा करते हुए डाटा केन्द्रों में हार्डवेयर उपकरणों की सह-अवस्थिति। • उपकरण एवं डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बीएस 7799 सुरक्षा प्रमाणन।	सतत प्रक्रिया। कोई लक्ष्य नहीं।	तीनों डाटा केन्द्र अर्थात पीडीसी, बीसीपी एवं डीआर क्रियाशील हैं । **31.3.2012 तक किया गया व्यय 8.04 करोड़ रुपए है।**

1	2	3	4		5	6	7
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान			
II.	कर सूचना नेटवर्क (टिन)	निम्नलिखित से संबंधित सूचना के निक्षेपागार के रूप में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है: • ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली (ऑल्टास), • टीडीएस विवरणियों से आने वाली कर कटौतियां • इलेक्ट्रानिक टीडीएस खातों के सृजन की सुविधा • वार्षिक सूचना विवरणियों के माध्यम से आने वाले उच्च मूल्य के वित्तीय संव्यवहार।			• अधिक जोखिम वाले कर अपवंचन के संभावित मामलों की पहचान • टी डी एस कटौतियों की सटीक एवं त्वरित क्रेडिट, विवरणी न जमा करने वालों/ बंद करने वालों की पहचान तथा अल्प कटौतियों के मामले • टीडीएस विवरणियों का संसाधन • करदाताओं द्वारा या कर कटौतीकर्ताओं द्वारा उनकी ऑर से किए गए कर भुगतान को देखने की सुविधाएं। • कर के संग्रहण और प्रभावी निगरानी के लिए विभाग के वरिष्ठ प्रबंधन को डैशबोर्ड सुविधा	सतत प्रक्रिया। कोई विशिष्ट उपलब्धि नहीं।	वित्त 2011-12 के दौरान, 31.12.2011 तक, 3,94,207.78 करोड़ रू. के कर संग्रहण के लिए ऑल्टास में 2,29,84,327 चालान प्राप्त हुए। **31.3.2012 तक किया गया व्यय 45.30 करोड़ रू. है।**
III.	व्यवसाय प्रक्रिया रिइंजीनिरिग (बीपीआर)	पणधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यमान कारोबार प्रक्रियाऑ का पूर्ण सुधार			• परामर्शदाता की रिपोर्ट प्रस्तुत करना एवं बीपीआर रोलआउट प्लान • ''शासन में नैतिकता'' पर प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट में यथा निहित सुसंगत सिफारिशों का कार्यान्वयन		बीपीआर पर रिपोर्ट जनवरी 2008 में सीबीडीटी को सौंपी गई तथा 18/19 एवं 24 मार्च 2008 को पूरे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड के आईटीसीसी अनुभाग द्वारा अप्रैल 2008 में औपचारिक कार्यवृत्त जारी किया गया। 64 सिफारिशों में से 13 को संशोधन के बाद स्वीकार किया गया, 47 को उसी रूप में स्वीकार किया गया तथा 4 को अस्वीकार किया गया ।
IV.	करदाता सेवाएं	आयकर विभाग की वेबसाइट हेल्पलाइन (आयकर सम्पर्क केन्द्र), तथा ई-अनुकूल सेवाऑ के जरिए सूचना के प्रसार के लिए करदाताऑ के साथ सरल, पारदर्शी, प्रत्यक्ष एवं प्रयोक्ता अनुकूल बातचीत करना			• आयकर सम्पर्क केन्द्र (एएसके) से व्युत्पत्तियां निम्नवत हैं:- ➢ पैन, चालान, विवरणी फार्म तथा संबद्ध जानकारी का प्रावधान ➢ ई-मेल से फार्म भेजने की सुविधा		विभाग ने आयकर संपर्क केन्द्र, गुड़गॉव में राष्ट्रीय कम्प्यूटर केन्द्र (एनसीसी) तथा जम्मू, जंगीपुर, शिलांग और कोच्ची में चार क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्रों (आरसीसी) की स्थापना की है। **31.3.2012 तक किया गया व्यय 1.45 करोड़ रू. है।**

1	2	3	4		5	6	7
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान			
		- करदाताओं को आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग के लिए आनलाइन सुविधाएं प्रदान करना, - करों का ई-भुगतान, - प्रतिदाय स्थिति का आनलाइन पता लगाना			➢ पैन संबंधी शिकायतों का निपटान • विभिन्न फार्मों/चालानों तथा विवरणी तैयार करने वाला साफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कर संबंधी सूचना का प्रावधान • आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग की देशव्यापी सुविधा। • निर्दिष्ट प्रतिदाय बैंकर के माध्यम से केन्द्रीकृत प्रतिदाय जारी करना। • प्रत्यक्ष करों के ई-भुगतान की सुविधा।	जारी गतिविधि कोई लक्ष्य नहीं। संव्यवहारों की मात्रा अंतिम प्रयोक्ता एवं करदाताओं पर आधारित	
V.	प्रतिदाय बैंकर	(क) आयकर प्रतिदायों का निर्धारण, सृजन, निर्गमन, प्रेषण, क्रेडिट एवं सुरक्षित सुपुर्दगी। (ख) प्रतिदाय प्रक्रिया को पूर्णतया स्वचालित, त्वरित एवं पारदर्शी बनाना तथा एक तीव्र प्रतिवर्तन काल हासिल करना।			प्रतिदायों के निर्धारण, सृजन, निर्गमन, प्रेषण एवं क्रेडिट तथा आयकर प्रतिदायों की प्रभावी एवं सुरक्षित सुपुर्दगी के लिए एक प्रणाली चालित प्रक्रिया। यह प्रक्रिया को पूर्णतया स्वचालित, त्वरित एवं पारदर्शी बनाने तथा एक तीव्र प्रतिवर्तन काल हासिल करने के लिए प्रतिदायों का भौतिक रूप से निर्गमन अथवा क्रेडिट में तीसरे पक्ष को शामिल करता है। प्रतिदायों की सुपुर्दगी के लिए एक वेब आधारित स्थिति का पता लगाने की सुविधा।	जारी	वित्तीय वर्ष 2011-12 (31.12.2011 तक) में प्रतिदाय बैंकर योजना के माध्यम से भेजे गए प्रतिदायों की संख्या 81 लाख (लगभग) है और यह इस अवधि के दौरान पूरे भारत में निर्गमित कुल प्रतिदायों का 96 प्रतिशत है। **31.3.2012 तक किया गया व्यय 31.93 करोड़ रू. है।**
VI.	केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (सी पी सी) परियोजना	(क) कागजी एवं इलेक्ट्रानिक रूप से दाखिल आयकर विवरणियों (आईटीआर) की केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग			(i) सीपीसी शुरू में देश भर के इलेक्ट्रानिक रूप से दाखिल आयकर विवरणियों (आईटीआर) और बंगलौर के काग़जी रूप से दाखिल आईटीआर के संव्यवहारों का प्रोसेसिंग करेगा।		**31.3.2012 तक किया गया व्यय 89.64 करोड़ रू. है।**

1	2	3	4		5	6	7
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान			
		(ख) सीपीसी विभाग को करदाताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि तथा परिणामस्वरूप कर्मचारियों के लिए कार्य की मात्रा से निपटने में समर्थ बनाएगा। (ग) यह विभाग को पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ कर प्रशासनों द्वारा पेश किए जाने वाले और अधिक दक्ष प्रक्रियाएं एवं आधुनिक सेवाएं लाने में समर्थ बनाएगा।			(ii) सीपीसी के मजबूत होने पर, कर्नाटक एवं गोवा तथा किसी समीपवर्ती राज्य की कागजी आयकर विवरणियां भी सीपीसी को प्रदान की जाएगी ताकि प्रचालन में विस्तार हो । (iii) बंगलौर स्थित सीपीसी में क्षेत्र में दाखिल 20 लाख कागजी विवरणियों एवं 60 लाख इलेक्ट्रानिक विवरणियों के प्रोसेसिंग की क्षमता होगी। (iv) अंततः, बंगलौर स्थित सीपीसी से अनुभव एवं सबक हासिल करने के बाद सीपीसी मॉडल की पूरे देश में पुनरावृत्ति की परिकल्पना की गई है।	बंगलौर में चालू है	
VII	बायोमीट्रिक पैन परियोजना	(क) एक बायोमीट्रिक उपाय शुरू करना ताकि डुप्लीकेट पैन का निर्गमन न होना सुनिश्चित हो, अर्थात, एक ही व्यक्ति एक से अधिक पैन नम्बर प्राप्त न कर सके। (ख) समय के साथ अधिक टिकाऊ तथा परिवर्तित करने में कठिन होने के कारण बायोमीट्रिक सूचना अधिक सटीकता से पैन के डुप्लीकेट आवेदन का पता लगाने में समर्थ होगी।			• डुप्लीकेट पैन का आवंटन रोकने के लिए पैन आवेदकों के बायोमीट्रिक विशेषताओ (चेहरा+4 अंगुलियां) को लेना। • कार्ड के पुनर्मुद्रण या पैन डाटा में परिवर्तन के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के बायोमीट्रिक विशेषताओं का सत्यापन करना। • विक्रेता लॉक-इन के बिना संयुक्त एवं परिमाणनीय साधन की खरीद। • नए पैन आवेदन तथा विद्यमान पैन धारकों के लिए संदर्शी प्रयोग के लिए भी साधन को उनके साथ एकीकृत किया जाएगा।		यूआईडीएआई से स्पष्टीकरण लंबित होने के कारण परियोजना को आस्थगित रखा गया।

1	2	3	4		5	6	7
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान			
2	**मुख्य शीर्ष 4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय - कार्यालय भवन**		**877.70**	**317.51**			**31.3.2013 के अनुसार वास्तविक व्यय ₹ 256.53 करोड़ रूपए**
I.	सिविक सेंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली में कार्यालय स्थान का क्रय				दिल्ली में कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने के लिए लगभग 51,768 वर्गमी. का सुपर निर्मित क्षेत्रफल का कार्यालय स्थान उपलब्ध होगा ।	31.3.2012	एमसीडी को अंतिम भाग के भुगतान के लिए बजट अनुमान में प्रदान किया गया 600 करोड़ रू. परियोजना के समापन के चरण को ध्यान में रखते हुए संशोधित अनुमान में परित्याग करना पड़ा।
II.	साकेत, नई दिल्ली में कार्यालय भवन का निर्माण एवं साज-सज्जा	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करना।			कार्यालय भवन का निर्माण	31.3.2012	परियोजना को स्थगित किया गया।
III	राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी), नागपुर में उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र, मेस/ छात्रावास का निर्माण	विदेशी अधिकारियों को प्रशिक्षण सहित उन्नत पाठ्यक्रम संचालित करने एवं एनएडीटी में आवास की बढ़ती जरूरत को पूरा करने हेतु।			एनएडीटी, नागपुर में उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र, मेस सहित छात्रावास-II का निर्माण	31.3.2013	लगभग 30 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।
IV	एनएडीटी, नागपुर में नए छात्रावास का निर्माण	एनएडीटी में प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना का विस्तार			कालम 3 में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु	30.6.2011	परियोजना पूरी हो चुकी है
V	गोल्फ लिंक, नई दिल्ली में अतिथि गृह का निर्माण	दौरे पर आने वाले अधिकारियों के लिए अतिथि गृह सुविधा में कमी को दूर करना ।			गोल्फ लिंक, नई दिल्ली में अतिथि गृह	30.9.2012	कार्य अभी शुरू होना है क्योंकि एनबीसीसी के साथ करारा पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुआ है।
VI	नोएडा में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करना			नोएडा में कार्यालय भवन का निर्माण	31.3.2013	बजट अनुमान में 10.00 करोड़ रू. प्रदान किया गया जिसे संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 16.20 करोड़ रू. किया गया। निर्माण कार्य प्रगति पर है।
VII	फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करना			4342 वर्गमी. के कार्यालय स्थान का निर्माण प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय संस्वीकृति प्रदान करने के बाद 10 माह के भीतर निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है।	31.3.2013	वर्ष के दौरान 5.00 करोड़ रू. उपलब्ध किया गया। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4		5	6	7
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान			
VIII	ठाणे, महाराष्ट्र में निर्मित कार्यालय स्थान का क्रय	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करना			कार्यालय भवन का निर्माण	30.9.2011	परियोजना (परियोजना मूल्य 49.53 करोड़ रू.) की स्वीकृति 24.5.2011 को दी गई। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान खर्च किया गया।
IX	मोहाली, चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (डीटीआरटीआई) का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करना			डीटी आरटीआई का निर्माण		प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है
	मुख्य शीर्ष 4216- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय - आवास		**27.00**	**5.00**			**31.3.2012 के अनुसार वास्तविक व्यय - 3.18 करोड़ रू.**
I.	नरीमन पॉइंट, मुंबई में आवासीय सह कार्यालय भवन का निर्माण	मुंबई में आवासीय तथा कार्यालय स्थान की कमी को दूर करना।			नरीमन पॉइंट, मुंबई में रिहायशी क्वार्टरों और कार्यालय आवास		बजट अनुमान में 15.00 करोड़ रू. प्रदान किया गया जिसे संशोधित अनुमान में कम करके शून्य किया गया क्योंकि प्रस्ताव के लिए अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
II.	हदापसर, पुणे में एक सामुदायिक हॉल सहित आवासीय कॉम्प्लेक्स का निर्माण	आवासीय स्थान की कमी को दूर करना			आवासीय कॉम्प्लेक्स का निर्माण		प्रस्ताव जांच के अधीन है।
III.	जम्मू में टाईप-V एवं टाईप-VI क्वार्टरों का निर्माण	आवासीय स्थान की कमी को दूर करना			आवासीय कॉम्प्लेक्स का निर्माण		निर्माण कार्य प्रगति पर है।

परिव्यय 2012-13 के संदर्भ में परिणाम की स्थिति

क्र.स.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13 (करोड़ रु. में)		मात्रात्मक प्रदेय/ भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	31 दिसम्बर, 2012 को मौजूद स्थिति
1	2	3	4		5	6	7
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान			
I	**मुख्य शीर्ष 2020- आयकर संग्रहण; सूचना प्रौद्योगिकी**		**225.00**	**270.00**			**31.12.12 के अनुसार वास्तविक व्यय ₹ 203.37 करोड़ रू.**
I.	व्यापक कम्प्यूटरीकरण के चरण III के लिए संदर्शी योजना	क) सॉफ्टवेयर अधिप्राप्ति के साथ प्रणाली समाकलन।			• 2014-15 तक निरूपित कार्यभार के प्रबंधन के लिए संगणन क्षमता • प्रत्यक्ष करों से संबंधित सभी संव्यवहारों के प्रबंधन के लिए एकल राष्ट्रीय डाटाबेस • आयकर विभाग के कार्यालयों में सुविधा प्रबंधन	जारी है।	डाटा बेस का एकीकरण पूरा हो गया है। क्रेता द्वारा संविदा की शर्तों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन के बाद परियोजना की मंजूरी मई 2009 में दी गई। वित्त वर्ष 2009-10 में प्रणाली समाकलन पूरा होने के बाद, 2.54 करोड़ से अधिक विवरणियों का संसाधन किया गया। **31.12.2012 तक किया गया व्यय 49.62 करोड़ रू. है।**
		ख) अखिल भारतीय कर नेटवर्क की स्थापना, निगरानी एवं कार्यान्वयन			पूरे देश के आयकर कार्यालयों का नेटवर्क	परियोजना पूरी हो चुकी है।	सभी भवनों में लैन/वैन कनेक्टिविटी का कार्य पूरा हो चुका है। **31.12.2012 तक किया गया व्यय 32.93 करोड़ रू. है।**
		ग) प्राथमिक, बीसीपी एवं डीआर स्थलों के लिए डाटा केन्द्रों को किराए पर लेना।			• उद्योग के मानकों को पूरा करते हुए डाटा केन्द्रों में हार्डवेयर उपकरणों की सह-अवस्थिति। • उपकरण एवं डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बीएस 7799 सुरक्षा प्रमाणन।	सतत प्रक्रिया, कोई लक्ष्य नहीं।	तीनों डाटा केन्द्र, पीडीसी, बीसीपी एवं डीआर क्रियाशील हैं। **31.12.2012 तक किया गया व्यय 4.67 करोड़ रू. है।**
II.	कर सूचना नेटवर्क (टिन)	निम्नलिखित से संबंधित सूचना के निक्षेपागार के रूप में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजटरी			• अधिक जोखिम वाले कर अपवंचन के संभावित मामलों की पहचान	सतत प्रक्रिया। कोई लक्ष्य नहीं।	वित्त 2011-12 के दौरान, 31.12.2011 तक, 3,94,207.78 करोड़ रू. के कर संग्रहण के लिए ऑल्टास में 2,29,84,327 चालान प्राप्त हुए।

1	2	3	4		5	6	7
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान			
		लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है: • ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली (ऑल्टास), • टीडीएस विवरणियों से आने वाली कर कटौतियां • इलेक्ट्रानिक टीडीएस खातों के सृजन की सुविधा • वार्षिक सूचना विवरणियों के माध्यम से आने वाले उच्च मूल्य के वित्तीय संव्यवहार।			• टी डी एस कटौतियों की सटीक एवं त्वरित क्रेडिट, विवरणी न जमा करने वालों/ बंद करने वालों की पहचान तथा अल्प कटौतियों के मामले • टीडीएस विवरणियों का संसाधन • करदाताओं द्वारा या कर कटौतीकर्ताओं द्वारा उनकी ओर से किए गए कर भुगतान को देखने की सुविधाएं • कर के संग्रहण और प्रभावी निगरानी के लिए विभाग के वरिष्ठ प्रबंधन को डैशबोर्ड सुविधा		वित्त 2010-11 के दौरान, 31.12.2010 तक, 3,44,834.00 करोड़ रू. के कर संग्रहण के लिए ऑल्टास में 2,02,16,560 चालान प्राप्त हुए। **31.12.2012 तक किया गया व्यय 33.27 करोड़ रू. है।**
III.	कारोबार प्रक्रिया पुनःइंजीनियरिंग (बीपीआर)	पणधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यमान कारोबार प्रक्रियाओं का पूर्ण सुधार			• परामर्शदाता की रिपोर्ट प्रस्तुत करना एवं बीपीआर रोलआउट प्लान • ''शासन में नैतिकता'' पर प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट में यथा निहित सुसंगत सिफारिशों का कार्यान्वयन	31.10.2007	बीपीआर पर रिपोर्ट जनवरी 2008 में सीबीडीटी को सौंपी गई तथा 18/19 एवं 24 मार्च 2008 को पूरे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड के आईटीसीसी अनुभाग द्वारा अप्रैल 2008 में औपचारिक कार्यवृत्त जारी किया गया। 64 सिफारिशों में से 13 को संशोधन के पश्चात् स्वीकार किया गया, 47 को उसी रूप में स्वीकार किया गया तथा 4 को अस्वीकार किया गया ।
IV.	करदाता सेवाएं	आयकर विभाग की वेबसाइट हेल्पलाइन (आयकर सम्पर्क केन्द्र), तथा ई-अनुकूल सेवाओं के जरिए सूचना के प्रसार के लिए करदाताओं के साथ सरल, पारदर्शी, प्रत्यक्ष एवं प्रयोक्ता अनुकूल बातचीत करना			• आयकर सम्पर्क केन्द्र (एएसके) से व्युत्पत्तियां निम्नवत हैं:- ➢ पैन, चालान, विवरणी फार्म तथा संबद्ध जानकारी का प्रावधान ➢ ई-मेल से फार्म भेजने की सुविधा		विभाग ने गुड़गॉव में आयकर संपर्क केन्द्र तथा जम्मू, जंगीपुर, शिलांग और कोच्ची में चार क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्रों (आरसीसी) की स्थापना की है। **31.12.2012 तक किया गया व्यय 5.80 करोड़ रू. है।**

1	2	3	4		5	6	7
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान			
		- करदाताओं को आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग के लिए आनलाइन सुविधाएं प्रदान करना, - करों का ई-भुगतान, - प्रतिदाय स्थिति का आनलाइन पता लगाना			➢ पैन संबंधी शिकायतों का निपटान • विभिन्न फार्मों/चालानों तथा विवरणी तैयार करने वाला साफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कर संबंधी सूचना का प्रावधान • आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग की देशव्यापी सुविधा। • निर्दिष्ट प्रतिदाय बैंकर के माध्यम से केन्द्रीकृत प्रतिदाय जारी करना। • प्रत्यक्ष करों के ई-भुगतान की सुविधा।		
V.	प्रतिदाय बैंकर	(क) आयकर प्रतिदायों का निर्धारण, सृजन, निर्गमन, प्रेषण, क्रेडिट एवं सुरक्षित सुपुर्दगी। (ख) प्रतिदाय प्रक्रिया को पूर्णतया स्वचालित, त्वरित एवं पारदर्शी बनाना तथा एक तीव्र प्रतिवर्तन काल हासिल करना।			प्रतिदायों के निर्धारण, सृजन, निर्गमन, प्रेषण एवं क्रेडिट तथा आयकर प्रतिदायों की प्रभावी एवं सुरक्षित सुपुर्दगी के लिए एक प्रणाली चालित प्रक्रिया। यह प्रक्रिया को पूर्णतया स्वचालित, त्वरित एवं पारदर्शी बनाने तथा एक तीव्र प्रतिवर्तन काल हासिल करने के लिए प्रतिदायों का भौतिक रूप से निर्गमन अथवा क्रेडिट में तीसरे पक्ष को शामिल करता है। प्रतिदायों की सुपुर्दगी के लिए एक वेब आधारित स्थिति का पता लगाने की सुविधा।	जारी	वित्तीय वर्ष 2011-12 (31.12.2011 तक) में प्रतिदाय बैंकर योजना के माध्यम से भेजे गए प्रतिदायों की संख्या 81 लाख (लगभग) है और यह इस अवधि के दौरान पूरे भारत में निर्गमित कुल प्रतिदायों का 96 प्रतिशत है। **31.12.2012 तक किया गया व्यय 17.45 करोड़ रू. है।**
VI	केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (सीपीसी) परियोजना	(क) कागजी एवं इलेक्ट्रानिक रूप से दाखिल आयकर विवरणियों (आईटीआर) का केन्द्रीकृत संसाधन (ख) सीपीसी विभाग को करदाताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि तथा परिणामस्वरूप कर्मचारियों के लिए कार्य की मात्रा से निपटने में समर्थ बनाएगा।			• बेहतर करदाता सेवाएं तथा शिकायतों में कमी। • करदाताओं के लिए अनुपालन लागत में कमी। • विभाग के लिए प्रशासनिक लागत में कमी। • त्वरित संसाधन जिससे प्रतिदायों की शीघ्रता से सुपुर्दगी होती है और ब्याज व्यय में कमी होती है।		(i) कर-निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए इलेक्ट्रानिक रूप से दाखिल विवरणियों की प्रोसेसिंग शुरू किया की गई और 57.79 लाख विवरणियों का प्रोसेसिंग किया गया। (ii) अब तक, कर-निर्धारण वर्ष 2010-11 के 77.37 लाख विवरणियों का संसाधन किया गया। केवल 1.02 लाख विवरणियां ऐसी थी जिसमें या तो आईटीआर V प्राप्त नहीं हुए थे या फिर वे थे जिसमें मांगे गए कतिपय स्पष्टीकरण लंबित थे।

1	2	3	4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान	5	6	7
		(ग) यह विभाग को पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ कर प्रशासनों द्वारा पेश किए जाने वाले और अधिक दक्ष प्रक्रियाएं एवं आधुनिक सेवाएं लाने में समर्थ बनाएगा।			• मानवशक्ति और कार्यालय स्थान का दक्षतापूर्ण उपयोग।		(iii) कर्नाटक और गोवा के कागजी विवरणियों के संसाधन के लिए व्यवस्था है। (iv) नवम्बर 2011 तक प्राप्त सभी संशोधनों को निपटाया गया। **31.12.2012 तक किया गया व्यय 46.66 करोड़ रू. है।**
VII	टीडीएस विवरणों के संसाधन के लिए केन्द्रीकृत संसाधन केन्द्र (सीपीसी)	i. दाखिल किए गए टीडीएस विवरणों के संसाधन, लेखांकन एवं मिलान में आयकर विभाग में दक्षता एवं प्रभावकारिता को बढ़ाने हेतु एक समग्र प्रणाली का विकास एवं कार्यान्वयन। ii. आयकर विभाग की गैर-मुख्य गतिविधियों के निष्पादन हेतु केन्द्रीकृत संसाधन केन्द्र की स्थापना करना और बहिस्रोतित नमूने पर बैक ऑफिस स्वचालन प्राप्त करना। iii. उद्योग में बेहतरीन प्रथाऑं के समान बैक-एंड प्रक्रियाऑं के लिए प्रौद्योगिकी समर्थ बनाना एवं उसका लाभ उठाना। iv. टीडीएस विवरणों से संबंधित आंकड़ों की प्राप्ति, ऑल्टास से सूचना के साथ मिलान, पैन का सत्यापन और अवैध/कोई पैन नहीं, देर से दाखिल करने, दाखिल नहीं करने, चूक मामलों आदि वाले मामलों की पहचान जैसे कर प्रशासन गतिविधियों का प्रबंध तथा मांग नोटिसों और/या प्रतिदायों का संसाधन, निर्गमन एवं टीडीएस विवरणों का केन्द्रीकृत तरीके से भंडारण।			‹◦€ परियोजना (सीपीसी टीडीएस) द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान लगभग 33 करोड़ संव्यवहारों का प्रबंध किए जाने की आशा है।		वित्त वर्ष 2012-13 में 31.12.2012 तक कोई व्यय नहीं किया गया।

1	2	3	4		5	6	7
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान			
VIII	नया आईटीडी अनुप्रयोग	नई प्रकृति एवं नए हार्डवेयर के साथ नवीनतम प्रौद्योगिकी वाले नए आईटीडी अनुप्रयोग का पुनर्लेखन एवं पुराने अनुप्रयोग का भी अनुरक्षण।			• सभी आईटीडी अनुप्रयोगों का पुनर्लेखन। • उद्योग के मानकों को पूरा करते हुए डाटा केन्द्रों (प्राथमिक, बीसीपी और डीआर) में हार्डवेयर उपकरणों की सह-अवस्थिति।		**31.12.2012 के अनुसार किया गया व्यय 0.68 करोड़ रू. है**
IX	राजस्व लेखांकन प्रबंधन सॉफ्टवेयर	राजस्व खातों का संकलन, एनआईसी, हैदराबाद में केन्द्रीकृत डाटाबेस सर्वर को डाटा का हस्तांतरण एवं विभिन्न एमआईएस उत्पन्न करने हेतु बी.आई अनुप्रयोग को प्रचालनीय बनाना।			एक बी.आई अनुप्रयोग की खरीद, इसका अनुकूलन और कर्मचारियों को इस अनुप्रयोग पर प्रशिक्षण देना।		जेडएओ में रैम्स के कार्यान्वयन के लिए सर्वरों, कम्प्यूटरों एवं प्रिंटरों की खरीद की जा चुकीं है और 24 जेडएओ में संस्थापित की जा चुकीं है। 24 जेडएओ में रैम्स सॉफ्टवेयर का रूपान्तरण/उन्नयन/ अनुकूलन सफलतापूर्वक कायान्वित किया गया।
X	सभी 24 जेडएओ में वित्त मंत्री के आदेशानुसार ई-भुगतान का कार्यान्वयन।	सभी 24 जेडएओ में इलेक्ट्रानिक भुगतान का कार्यान्वयन।			24 जेडएओ के भुगतान क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सभी विक्रेताओं एवं लाभार्थियों के लिए ई-भुगतान को समर्थ करना।		जेडएओ में ई-भुगतान के कार्यान्वयन के लिए सर्वरों, कम्प्यूटरों एवं प्रिंटरों की खरीद के लिए निधि का उपयोग किया जा चुका है और 24 जेडएओ में संस्थापित किया जा चुका है। 24 जेडएओ में रैम्स सॉफ्टवेयर का रूपान्तरण/उन्नयन/ अनुकूलन सफलतापूर्वक कायान्वित किया गया।
2	**मुख्य शीर्ष 4059- लोक कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- कार्यालय भवन**						**31.12.2011 के अनुसार वास्तविक व्यय द्व 41.66 करोड़ रू.**
I.	सिविक सेंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली में कार्यालय स्थान का क्रय	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने हेतु			दिल्ली में कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने के लिए तकरीबन 51,768 वर्ग मी. का सुपर निर्मित क्षेत्र के कार्यालय स्थान का अधिग्रहण।	31.9.2013	बजट अनुमान में 600 करोड़ रू. प्रदान किया गया। बजट प्रावधान को संशोधित अनुमान 2012-13 में कम करके 339 करोड़ रू. किया गया।
II.	एनएडीटी, नागपुर में उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र,	बढ़ती हुई सहभागिता और पाठ्यक्रमों के कारण राष्ट्रीय			एनएडीटी, नागपुर में उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र, मेस सहित	10.6.2013	31.12.2012 तक लगभग 61 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग

1	2	3	4		5	6	7
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान			
	छात्रावास, एवं मेस का निर्माण	प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर में उत्पन्न हो रही आवास की बढ़ती जरूरत तथा विदेशी अधिकारियों को प्रशिक्षण सहित उन्नत पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरा करने हेतु।			छात्रावास-II का निर्माण		किया जा चुका है।
III	एनबीसीसी प्लाजा, साकेत, दिल्ली की खरीद	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने हेतु			कार्यालय भवन का निर्माण		5.00 करोड़ रू. का अंतिम भुगतान 12.6.2012 को जारी किया गया।
IV	नोएडा में आयकर विभाग के लिए कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करना			नोएडा में कार्यालय भवन का निर्माण	31.3.2012	निर्माण कार्य प्रगति पर है और वित्त वर्ष 2012-13 में संभावित व्यय 7.70 करोड़ रू. है।
V.	गोल्फ लिंक, नई दिल्ली में अतिथि गृह का निर्माण	अतिथि गृह की कमी को दूर करने हेतु			गोल्फ लिंक, नई दिल्ली में अतिथि गृह का निर्माण		कार्य-निष्पादन एजेंसी के साथ मतभेदों के कारण प्रस्ताव शुरू किया हुआ।
VI.	आरटीआई भवन, मोहाली का निर्माण	प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि हेतु			क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण	31.3.2013	प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
VII.	फिरोजाबाद कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने हेतु			कार्यालय का निर्माण	31.3.2013	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
VIII	बंगलौर में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने हेतु			कार्यालय का निर्माण	संस्वीकृति आदेश की प्राप्ति के दिन से 18 माह	माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में हकदारी के मुकदमें को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सका। तथापि, अब स्थगन रद्द हो गया है और प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
IX	लखनऊ में कार्यालय सह रिहायशी भवन का निर्माण	कार्यालय/रिहायशी स्थान की कमी को दूर करने हेतु			कार्यालय सह रिहायशी भवन का निर्माण	संस्वीकृति आदेश की प्राप्ति के दिन से 24 माह	बजट अनुमान में 44.00 करोड़ रू. स्वीकृत किया गया जिसे संशोधित अनुमान के चरण में प्रस्ताव की प्रगति को ध्यान में रखते हुए शून्य किया गया।
X	श्रीनगर में कार्यालय सह रिहायशी भवन का निर्माण	कार्यालय एवं रिहायशी स्थान की कमी को दूर करने हेतु			कार्यालय सह रिहायशी भवन का निर्माण	संस्वीकृति आदेश की प्राप्ति के दिन से 24 माह	बजट अनुमान में 10.00 करोड़ रू. स्वीकृत किया गया जिसे संशोधित अनुमान के चरण में प्रस्ताव

1	2	3	4		5	6	7
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान			
							की प्रगति को ध्यान में रखते हुए शून्य किया गया। प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
XI	शाहजंहापुर में कार्यालय सह रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण	कार्यालय एवं रिहायशी स्थान की कमी को दूर करने हेतु			कार्यालय सह रिहायशी भवन का निर्माण		प्रस्ताव जांच के अधीन है।
XII	नरीमन पॉइंट मुंबई में कार्यालय सह रिहायशी भवन का निर्माण	कार्यालय एवं रिहायशी स्थान की कमी को दूर करने हेतु			नरीमन पॉइंट मुंबई में रिहायशी क्वार्टरों एवं कार्यालय भवन का निर्माण		प्रस्ताव जांच के अधीन है।
3.	**मुख्य शीर्ष 4216- लोक कार्य में पूंजीगत परिव्यय-आवास।**		**30.00**	**6.00**			**31.12.2012 के अनुसार वास्तविक व्यय 0.46 करोड़ रू. है**
I.	पुणे में रिहायशी कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए प्रस्ताव	रिहायशी स्थान की कमी को दूर करना			रिहायशी कॉम्प्लेक्स का निर्माण		बजट अनुमान में 25.00 करोड़ रू. स्वीकृत किया गया जिसे संशोधित अनुमान के चरण में प्रस्ताव की प्रगति को ध्यान में रखते हुए घटाकर 1 करोड़ रू. किया गया। प्रस्ताव जांच के अधीन है।
II.	जम्मू में रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण	रिहायशी आवासों की कमी को दूर करने और अधिकारियों को लिए बेहतर कार्य परिवेश प्रदान करने हेतु (विभाग के कर्मचारियों को, जिसके फलस्वरूप बेहतर करदाता सेवा मुहैया होगी)			कार्यालय सह रिहायशी भवन के निर्माण की शुरूआत		निर्माण कार्य प्रगति पर है।

पिछले निष्पादन की समीक्षा-योजनावार वास्तविक निष्पादन

सीबीडीटी प्रत्यक्ष करों के समग्र प्रशासन एवं संग्रहण में लगा है। विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में से संपूर्ण रूप में आयकर विभाग का निष्पादन नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(i) प्रत्यक्ष करों का संग्रहण 19.16 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2006-07 में 230181 करोड़ रू से दोगुना से भी अधिक बढ़कर वित्त वर्ष 2011-12 में 494799 करोड़ रू (अंनतिम) हो गया है। वित्त वर्ष 2007-08 में, पहली बार प्रत्यक्ष करों का योगदान अप्रत्यक्ष करों से अधिक हुआ तथा इसने केंद्रीय करों में 52.6% का योगदान किया। यह रूझान अब तक जारी है। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान केंद्रीय करों के कुल संग्रहण में प्रत्यक्ष करों का योगदान 55.78% था (संघ राज्य क्षेत्रों पर करों को छोड़कर)।

(ii) प्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 2006-07 में 5.36 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2011-12 में 5.59 प्रतिशत हो गया है। तथापि सृजित राजस्व की तुलना में कुल प्रशासनिक लागत की दृष्टि से संग्रहण की लागत 2006-07 से 2010-11 की अवधि में थोड़ा सा बढ़कर 0.59 प्रतिशत से 0.64 प्रतिशत हो गई। तथापि, वित्त वर्ष 2011-12 के लिए यह घटकर 0.60 प्रतिशत पर आ गई है। यह विश्व में न्यूनतम में से एक है।

(iii) वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान, विभाग ने बकाया मांग से 21882 करोड़ रू का संग्रहण किया जो पिछले वित्त वर्ष के संग्रहण की तुलना में 82.8 प्रतिशत अधिक है। जहां तक वर्तमान मांग का संबंध है वित्त वर्ष 2011-12 के लिए संग्रहण वित्त वर्ष 2010-11 में 41704 करोड़ रू से घटकर वित्त वर्ष 2011-12 में 33138 करोड़ रह गया।

(iv) विभाग द्वारा टीडीएस प्रशासन पिछले कुछ वर्षों में प्रभावोत्पादक निष्पादन का प्रदर्शन कर रहा है। वित्त वर्ष 2011-12 के लिए टीडीएस से कुछ संग्रहण 193887 करोड़ रू (अंनतिम) था जो कुल प्रत्यक्ष कर संग्रहण का 39.19 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान टीडीएस से कुल संग्रहण 168669.69 करोड़ रू था। इस प्रकार टीडीएस संग्रहण में वृद्धि काफी अधिक है।

(v) आयकर विभाग की ई-अभिशासन संबंधी पहलों से किसी सरकारी विभाग द्वारा नागरिकों को सेवाओं की कुछ सर्वोत्तम सुपुर्दगी का प्रावधान हुआ है। विवरणियों की ई-फाइलिंग, टीडीएस/टीसीएस विवरणियों की ई-फाइलिंग, करों के ई-पेमेंट तथा करदाताओं के बैंक खाते में सीधे प्रतिदाय की इलैक्ट्रानिक क्रेडिट की सुविधा कुछ निदर्शनात्मक पहलें हैं जिसे सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने सराहा है। बंगलूरू स्थित केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीसी) इलैक्ट्रानिक रूप से दाखिल आयकर विवरणियों की प्रोसेसिंग में लगने वाले समय को कम करने में समर्थ हुआ है। प्रतिदाय बैंकर योजना की शुरूआत से प्रतिदाय से जुड़ी शिकायतों में भारी गिरावट आई है, क्योंकि इसे तुरंत जारी किया जाता है। बेहतर करदाता सेवाओं के लिए पैन से संबंधित सेवाओं को भी आउटसोर्स किया गया है। फार्म 26एएस, जिसमें करदाता द्वारा भुगतान किए गए कर का ब्यौरा होता है, के स्थिरीकरण से आय विवरणियों की त्वरित प्रोसेसिंग संभव हुई है। अब फार्म 16ए को कटौतीकर्ता द्वारा दाखिल टीडीएस विवरणी के आधार पर अनिवार्य रूप से आनलाइन सृजित किया जाना होता है। इसी तरह, वित्त वर्ष 2013-14 से, फार्म 16 को भी इलैक्ट्रानिक रूप से सृजित करना अनिवार्य होगा। इससे डाटा की स्थिरता का सुनिश्चय होगा तथा टीडीएस में अंतर घटेगा। गाजियाबाद स्थित सीपीसी-टीडीएस के इस वित्त वर्ष तक चालू हो जाने की उम्मीद है तथा यह आयकर विभाग की दक्षता बढ़ाने में एक बड़ा कदम होगा।

वित्तीय समीक्षा

वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान के प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़)

विवरण		2010-11			2011-12			2012-13		
	मुख्य शीर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	31.12.2012 तक वास्तविक
राजस्व खंड										
आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण	**2020**	2773.88	2666.93	2630.50	2901.45	2916.78	2904.45	2994.40	3218.97	2444.32
सम्पदा शुल्क, धन पर कर तथा उपहार कर का संग्रहण*	**2031**	71.12	68.38	67.45	74.40	74.79	74.40	...	...	...
धन कर, प्रतिभूति संव्यवहार कर एवं अन्य करों का संग्रहण		...	...	...	...	...	...	76.78	82.54	...
कुल राजस्व खंड		**2845.00**	**2735.31**	**2697.95**	**2975.85**	**2991.57**	**2978.85**	**3071.18**	**3301.51**	**2444.32**
पूंजीगत खंड										
निर्मित कार्यालय भवन का क्रय	**4059**	1663.00	1561.59	1527.23	877.70	317.51	256.53	777.48	426.20	41.65
निर्मित आवासीय भवन का क्रय	**4216**	15.00	47.41	43.41	27.00	5.00	3.18	30.00	6.00	0.46
आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अचल सम्पति का अधिग्रहण	**4075**	1.00	1.00	1.65	1.00	1.70	1.29	1.80	1.80	0.65
कुल पूंजीगत खंड		**1679.00**	**1610.00**	**1572.29**	**905.70**	**324.21**	**261.00**	**809.28**	**434.00**	**42.76**
कुल योग		**4524.00**	**4345.31**	**4270.24**	**3881.55**	**3315.78**	**3239.85**	**3880.46**	**3735.51**	**2487.08**

* सम्पदा शुल्क कर (उपहार कर - समाप्त किया गया) को अन्य करों के साथ मिलाया गया और 1.4.2012 से लागू नहीं है।

वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान के मुकाबले में लक्ष्य शीर्ष-वार व्यय

(₹ करोड़)

विवरण	2010-11			2011-12			2012-13		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	31.12.2012 तक वास्तविक
राजस्व खंड									
वेतन	1700.00	1710.25	1689.62	1831.55	1781.17	1779.98	1923.67	2002.09	1652.60
मजदूरी	18.00	17.00	16.72	17.00	17.00	17.17	18.36	18.15	13.38
समयोपरि भत्ता	1.00	0.80	0.65	0.80	0.80	0.56	0.80	0.50	0.30
चिकित्सा उपचार	21.00	21.00	20.35	22.00	25.00	23.36	22.00	21.00	13.58
घरेलू यात्रा व्यय	35.00	35.00	35.91	35.00	45.00	43.77	40.00	44.00	30.68
विदेश यात्रा व्यय	1.10	1.10	0.66	1.10	2.10	1.17	2.10	1.80	0.70
कार्यालय व्यय (प्रभारित)	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कार्यालय व्यय (पारित)	499.98	450.94	464.49	513.90	522.80	534.83	514.00	516.30	354.95
किराया, दरें एवं कर	200.00	160.00	142.77	180.00	147.00	116.62	160.00	130.00	85.99
प्रकाशन	2.80	2.50	2.38	2.80	2.80	2.74	2.80	2.52	1.62
बैंककारी नकद संव्यवहार कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	10.30	17.42	17.62	23.30	29.40	26.22	34.15	34.37	25.25
विज्ञापन एवं प्रचार	40.00	80.00	78.36	80.00	100.00	78.35	80.00	79.00	38.33
लघु कार्य	9.00	7.50	6.14	8.00	8.00	6.61	8.00	8.00	1.85
व्यावसायिक सेवाएं	23.00	23.00	21.98	26.00	30.00	31.30	26.00	30.96	16.39
अनुदान-सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अंशदान	0.30	0.30	0.19	0.40	0.40	0.37	0.40	0.40	0.24
गुप्त सेवा व्यय	4.00	4.25	4.54	4.50	5.60	5.55	9.40	8.46	4.03
अन्य प्रभार	4.50	4.25	3.34	4.50	4.50	3.11	4.50	3.96	1.06
सूचना प्रौद्योगिकी	275.00	200.00	192.21	225.00	270.00	307.14	225.00	400.00	203.37
कुल राजस्व खंड	**2845.00**	**2735.31**	**2697.95**	**2975.85**	**2991.57**	**2978.85**	**3071.18**	**3301.51**	**2444.32**

(₹ करोड़)

विवरण	2010-11			2011-12			2012-13		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	31.12.2012 तक वास्तविक
पूंजीगत खंड									
एम एच - 4059 निर्मित कार्यालय भवन की खरीद	1663.00	1561.59	1527.23	877.70	317.51	256.53	777.48	426.20	41.65
एम एच - 4216 निर्मित रिहायशी भवन का खरीद	15.00	47.41	43.41	27.00	5.00	3.18	30.00	6.00	0.46
एम एच - 4075 आयकर अधिनियम के अंतर्गत अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण	1.00	1.00	1.65	1.00	1.70	1.29	1.80	1.80	0.65
कुल पूंजीगत खंड	**1679.00**	**1610.00**	**1572.29**	**905.70**	**324.21**	**261.00**	**809.28**	**434.00**	**42.78**
कुल योग	**4524.00**	**4345.31**	**4270.24**	**3881.55**	**3315.78**	**3239.85**	**3880.46**	**3735.51**	**2487.08**

परिणाम बजट 2013-14 के अन्तर्गत योजनाओं की संक्षिप्त स्थिति
मांग संख्या 42 - प्रत्यक्ष कर

(₹ करोड़)

क्रम सं.	योजना	2010-11			2011-12			2012-13		
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	31.12.2012 तक वास्तविक
1.	**मुख्य शीर्ष 2020 आयकर संग्रहण - गैर योजनागत के संबंध में "सूचना प्रौद्योगिकी" के अन्तर्गत स्कीम**	275.00	200.00	192.21	225.00	270.00	307.14	225.00	400.00	203.37
2.	कार्यालय स्थान की खरीद	1663.00	1561.59	1527.23	877.70	317.51	256.53	777.48	426.20	41.65
3.	निर्मित फ्लैटों की खरीद	15.00	47.41	43.41	27.00	5.00	3.18	30.00	6.00	0.46
	कुल	**1953.00**	**1809.00**	**1762.85**	**1129.70**	**592.51**	**566.85**	**1032.48**	**832.20**	**245.48**
	संशोधित अनुमान के संदर्भ में प्रतिशतता			97.45			95.67			

अनुदान संख्या 42 - प्रत्यक्ष कर में व्यय प्रवृत्तियों का विश्लेषण

वर्ष 2012-13 के दौरान 31 दिसम्बर, 2012 तक किया गया कुल व्यय 2487.08 करोड़ रूपये है जो कुल बजट अनुमान प्रावधान 2012-13 का 64.09 प्रतिशत है। इसमें से, राजस्व खंड के अंतर्गत व्यय 2444.32 करोड़ रूपये है जो इस खंड के अन्तर्गत बजट अनुमान प्रावधान 2012-13 का 79.59 प्रतिशत है। "वेतन" के लिए प्रावधान 1923.67 करोड़ रूपए है जिसकी तुलना में 31 दिसम्बर, 2012 तक व्यय 1652.60 करोड़ रूपए है। राजस्व खंड के अन्तर्गत व्यय का अन्य मुख्य घटक 543.00 करोड़ रूपए के बजट अनुमान प्रावधान के साथ "कार्यालय व्यय" है जिसकी तुलना में 31 दिसम्बर 2012 तक किया गया व्यय 354.95 करोड़ रूपए है।"सूचना प्रौद्योगिकी (ओ.ई.) अन्य महत्वपूर्ण घटक है जिसके लिए बजट अनुमान में 225 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया जिसकी तुलना में 31 दिसम्बर, 2012 तक व्यय 203.37 करोड़ रूपए है। "पूंजीगत खंड" के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2012 तक व्यय 42.76 करोड़ रूपए है जो इस खंड के अन्तर्गत बजट अनुमान प्रावधान का 5.28 प्रतिशत है। "पूंजीगत खंड" के अन्तर्गत व्यय काफी अधिक दिखाई देगा जब इस खंड के तहत प्रदान किए गए 300.00 करोड़ रू. का एक बड़ा हिस्सा सिविक सेंटर परियोजना के लिए एमसीडी, दिल्ली को भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान वर्ष की अंतिम तिमाही में किया जाएगा। बजट अनुमान 2012-13 के मुख्य घटकों का वर्णन नीचे किया गया है-

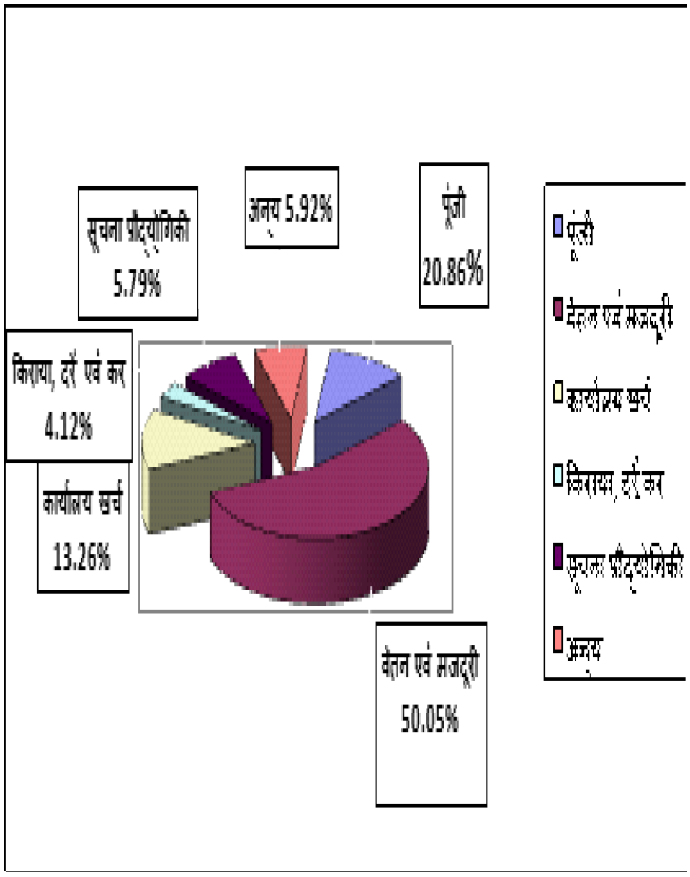

(करोड़ रू. में)

विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान के आवंटन की प्रतिशतता निम्नवत है

ब्यौरा	बजट अनुमान 2012-13	प्रतिशतता
पूंजी	809.28	20.86
वेतन एवं मजदूरी	1942.03	50.05
कार्यालय खर्च	516.30	13.26
किराया, दरें एवं कर	160.00	4.12
सूचना प्रौद्योगिकी	225.00	5.79
अन्य	227.85	5.92
कुल	3880.46	100

: व्यय की वर्तमान प्रवृत्ति तथा कार्य की वास्तविक प्रगति को भी ध्यान में रखते हुए संशोधित अनुमान 2012-13 में 3735.51 करोड़ रू. (सकल) का प्रावधान रखा गया है।

अनुबंध

अनुदान सं. 43- प्रत्यक्ष कर (पूर्व में 42)

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान अभ्यर्पण एवं बचत पर विवरण

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान पूरक अनुदान सहित 3897.27 करोड़ रूपए के बजटीय प्रावधान में 3239.85 करोड़ रुपए का व्यय हुआ तथा इसके फलस्वरूप 657.42 करोड़ रुपए की बचत हुई। ये बचत राजस्व के विभिन्न उप-शीर्षों एवं अनुदान के पूंजी भाग के तहत 900.62 करोड़ रुपए की कुल बचतों एवं 243.20 करोड़ रुपए की कुल अधिकता का निवल प्रभाव है।

इन बचतों को निम्नलिखित वर्गों में पृथक किया गया है:

i) सामान्य बचत : संसाधनों के आर्थिक प्रयोग के फलस्वरूप हुए बचतें

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	उप-शीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचत (निवल)	अभ्युक्तियां/कारण
1	अनुसंधान, सांख्यिकी एवं प्रकाशन	7.06	प्रशासनिक व्ययों की कम आवश्यकता। इसमें से 6.24 करोड़ अन्य शीर्षों में पुनर्विनियोजित किए गए।
2.	संगठन एवं प्रबंधन सेवा	2.26	प्रशासनिक व्ययों की कम आवश्यकता।
3	आसूचना	5.53	प्रशासनिक व्ययों की कम आवश्यकता। यह राशि अन्य शीर्षों में पुनर्विनियोजित की गई।
4.	आयुक्त एवं उनके कार्यालय	238.32	प्रशासनिक व्ययों की कम आवश्यकता। इसमें से 237.08 करोड़ अन्य शीर्षों में पुनर्विनियोजित किए गए।
5.	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के क्षेत्रीय लेखा कार्यालय	3.12	प्रशासनिक व्ययों की कम आवश्यकता।

(ii) उपयोग कम/नहीं होना: परियोजनाओं एवं योजनाओं के निष्पादन का कार्यान्वयन नहीं होने अथवा उसमें विलम्ब होने के कारण हुई बचतें;

क्रम सं.	उप-शीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचत (निवल)	अभ्युक्तियां/कारण
1	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय (कार्यालय भवन)	604.00	सिविक केन्द्र, मिंटो रोड, नई दिल्ली में कार्यालय स्थान के क्रय हेतु बजट अनुमान में 600.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया ताकि दिल्ली नगर निगम को भुगतान का आखिरी एवं अंतिम भाग का भुगतान किया जा सके परन्तु परियोजना के पूरा होने की स्थिति पर विचार करते हुए संशोधित अनुमान (आरई) में इसे छोड़ना पड़ा। गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली में अतिथि गृह के निर्माण हेतु 4.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। एनबीसीसी के साथ समझौता नहीं हो पाने के कारण कार्य शुरू नहीं हुआ।
	गृह निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	23.82	नरीमन प्वाइंट, मुम्बई में आवासीय व कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 15.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। हतपसर, पुणे में एक समुदाय भवन सहित आवासीय कॉम्प्लैक्स के निर्माण हेतु 8.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। दोनों ही परियोजना अन्तिम रूप नहीं ले सकी।

(iii) अभ्यर्पण: पुरानी/निष्क्रिय परियोजना/योजना के कारण अथवा किसी परियोजना/योजना के पूर्ण होने के कारण एवं निधि की और आवश्यकता न होने के कारण होने वाली बचत।

क्रम सं.	उप-शीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचत (निवल)	अभ्युक्तियां/कारण
1	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय (कार्यालय भवन)	17.17	साकेत, नई दिल्ली में कार्यालय भवन का निर्माण एवं सुसज्जा। परियोजना को अभी आस्थगित कर दिया गया है।

टिप्पणी: *यह अनुबंध वित्त संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में की गई अपेक्षा के अनुसार सामान्य बचत, वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान सुपुर्द की गई निधियों के कम उपयोग/उपयोग न किए जाने के कारण संचित बचतों के संबंध में बजट प्रभाग के दिनांक 23-02-2012 के कार्यालय ज्ञापन सं.7 (1)-बी(एसी)/2011 के अनुसरण में शामिल किया गया है।*

अप्रत्यक्ष कर

प्रस्तावना

यह मांग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना से संबंधित है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर की उगाही एवं संग्रहण से संबंधित नीतियों के सूत्रपात के लिए तथा तस्करी एवं शुल्क अपवंचन की रोकथाम के लिए जिम्मेदार है। यह आबंटित कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 94 आयुक्तालयों, सीमा शुल्क के 35 आयुक्तालयों तथा सेवा कर के 6 आयुक्तालयों की सहायता से किया जाता है। आयुक्त से नीचे के रैंक के अधिकारियों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील का निर्णय करने के अर्धन्यायिक कार्य निष्पादन के लिए अपीलीय एवं कर वसूली की मशीनरी है। इसके कामकाज में बोर्ड की सहायता के लिए निम्नलिखित संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय कार्य करते हैं:-

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय

(ii) राजस्व आसूचना निदेशालय

(iii) निरीक्षण निदेशालय

(iv) मानव संसाधन विकास निदेशालय

(v) राष्ट्रीय सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं स्वापक अकादमी

(vi) सर्तकता निदेशालय

(vii) प्रणाली निदेशालय

(viii) आंकड़ा प्रबंधन निदेशालय

(ix) लेखा परीक्षा निदेशालय

(x) रक्षोपाय निदेशालय

(xi) निर्यात संवर्धन निदेशालय

(xii) सेवा कर निदेशालय

(xiii) मूल्यांकन निदेशालय

(xiv) प्रचार एवं जन संपर्क निदेशालय

(xv) संभारतंत्र निदेशालय

(xvi) विधायी कार्य निदेशालय

(xvii) मुख्य विभागीय प्रतिनिधि का कार्यालय

(xviii) केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड का प्रधान, मुख्य लेखा नियंत्रक राजस्व संग्रहण एवं विभाग द्वारा किए गए व्यय के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है।

इस मांग में 53,458 अधिकारियों और स्टाफ के कार्यबल के प्रावधान सम्मिलित हैं जिसमें से 30.97% राजपत्रित तथा शेष गैर-राज पत्रित अधिकारी होते हैं।

वित्तीय वर्ष 2013-14 का परिव्यय एवं परिणाम दर्शाने वाले गतिविधियों को आगामी विवरण में दिया गया है।

परिव्ययों एवं परिणामों का विवरण 2013-14

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ परिणाम	परिव्यय 2013-14 (करोड़ रु. में)		परिमाणात्मक वितरण/ भौतिक उत्पादन	परिलक्षित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	टिप्पणी/ जोखिम कारक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
1	**मुख्य शीर्ष 2037 और 2038 - सूचना प्रौद्योगिकी**	ई-गवर्नेन्स के लिए आईटी क्षमता का सुदृढ़ीकरण	152.00	शून्य	- एक अखिल भारतीय व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क की स्थापना	सी बी ई सी के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों को देश व्यापी स्तर पर राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्रों, बिजनेस कान्टीन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी साइट्स से जोड़ना	वाइड एरिया नेटवर्क को 528 सी बी ई सी साइटों पर बीएसएनएल द्वारा चालू कर दिया गया है। वाइड एरिया नेटवर्क परियोजना का कार्यान्वयन साइटों के स्थान परिवर्तन अथवा अन्य अनिवार्य बड़े मामलों की साइटों के अलावा पूरा कर लिया गया है। हेल्प डेस्क द्वारा वाइड एरिया नेटवर्क मामलों के समाधान के लिए व्यवस्था की गई है। वाइड एरिया नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त स्थलों को लाया जा रहा है।	वाइड एरिया नेटवर्क प्रक्रियात्मक - समर्थन के अन्तर्गत है और इसकी देख-रेख की जा रही है। इन्टरनेट बैंड की चौड़ाई डी सी एंड डी आर पर बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है जिससे कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर रिटर्न को भरा जा सके क्योंकि इसको भरा जाना अनिवार्य बना दिया गया है। आंकड़ा केन्द्रों और आपदा वसूली साइट्स के बीच गहन सम्पर्क कायम किया जा रहा है जिससे कि बड़े स्थानों पर बैंड की चौड़ाई में डी आर वृद्धि के लिए आंकड़ा की शीघ्र पुनरावृत्ति को सुनिश्चित किया जा सके। इसमें

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
								बढ़ती मांग के प्रबंधन की व्यवस्था की जा रही है।
					- केन्द्रीय सर्वर्स (हार्डवेयर, भंडारण और सुरक्षा अवसंरचना) जैसे सिस्टम्स इन्टीग्रेशन, को स्थापित करना	नये उत्पादित सर्वरों और भंडारण उपकरणों को प्राप्त करना जिससे कि सभी विभागीय और बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए केन्द्रीयकृत कम्प्यूटिंग, आंकड़ा भण्डारण, सुरक्षा अवसंरचना, सुविधा प्रबंधन और संबंधित कार्यप्रणाली सुविधा उपलब्ध कराई जा सके जिससे सी बी ई सी प्रणाली तक उनकी पहुंच हो सके। सभी सुसंगत आवेदनों को केन्द्रीयकृत अवसंरचना पर दर्ज किया जायेगा।	परियोजना लागू हो गई है। उपकरणों को लगाकर चालू कर दिया गया है और प्रणाली स्वीकृति का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है, जैसे कि सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर प्रणाली के लिए अनुप्रयोगों को भेज दिया गया है और यह तीन राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्रों पर चालू है। सुविधा प्रबंधन के विस्तार के लिए पांच वर्षों से कर्मचारी तैनात कर दिये गये हैं।	पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र। जुलाई, 2011 में आई एस ऑ 27001 प्रमाणपत्र- यह परियोजना एसटीक्यूसी (जोआईटी विभाग के भीतर एक निकाय है) के द्वारा सूचना प्रतिभूति के आईएसऑ 27001 मानकों के अनुपालन के लिए प्रमाणित की गई। भारतीय डाटा प्रतिभूति परिषद द्वारा दिसम्बर, 2012 में 'पुरस्कार के ई-आभेशासन' की सुरक्षा।
					- सभी विभागीय उपयोगकर्त्ताओं के लिए स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्क की व्यवस्था	सभी विभागीय उपयोगकर्ताओं के लिए स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्क की व्यवस्था	सीबीईसी के उपयोगकर्ताओं के लिए लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी की सुविधा 1166 भवनों में आवश्यक आई टी हार्डवेयर जैसे थिन क्लाइन्ट्स, नेटवर्क प्रिन्टर्स, प्रिंट सर्वर्स और स्कैनर्स आदि सहित पहले ही प्रदान की गई हैं।	लोकल एरिया नेटवर्क को क्रियान्वित कर दिया गया है और अब इसके तकनीकी समर्थन और देखभाल का काम चल रहा है। सुविधाओं का संवर्द्धन किया जा रहा है जिससे कि अतिरिक्त नोडस और लाइन प्रिन्टर्स जैसे उपकरणों की बढ़ती मांग को पूराकिया जा सके।
					- डाटा वेयर हाउस की स्थापना	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड सभी सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा	डाटा वेयर हाऊस को चालू कर दिया गया है और अब इसकी देखरेख की जा रही है। सीमा शुल्क, केन्द्रीय	डाटा वेयर हाऊस के तकनीकी समर्थन और देखभाल का काम चल रहा है। सी बी ई सी

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
						कर आंकड़ों का संग्रह केन्द्र है यह सभी उपयोगकर्ता समूहों के लिए एमपीएलएस नेटवर्क (सीबीएसई डब्लू ए एन) पर उपलबध होगा जिसमें उपयोगकर्ता के अनुकूल इन्टरफेस की सुविधा होगी जिसका उपयोग डाटा माइनिंग समेत विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग में होता है।	उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर पर विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्टें (दोनों रिटर्न और भुगतान आंकड़ा) विकसित की गई हैं तथा अच्छी प्रकार के कारबार आसूचना सॉफटवेयर टूल्स का उपयोग करते हुए ईडीडब्ल्यू पोर्टल पर दर्ज की गई हैं। सांख्यिकी सेवा केंद्र जो डीडीडब्ल्यू परियोजना के भाग के रुप में स्थापित हो गया है, द्वारा परिष्कृत डाटा विश्लेषण किया गया है।	के अधिकारियों के लिए अतिरिक्त लाइसेंस प्राप्त किये जा रहे हैं जिससे कि वे डाटा वेयर हाउस का लाभ प्राप्त कर सकें तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया बोर्ड से डाटा प्राप्त करने के लिए टी आर यू तथा अन्य अधिकारी भी दिन प्रतिदिन के आधार पर प्रगति कर रहे हैं।
					- केन्द्रीय सेवाकर उत्पाद शुल्क एवं (एसीईएस) का स्वचालन	सभी कार्य व्यापार की प्रक्रियाओं में स्वचालित कार्य संवहन के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर निर्धारितियों के लिए बड़ी हद तक पारदर्शिता सुनिश्चित करना और इंटरफेस को कम करना।	104 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर आयुक्तालयों में एसीईएस सुविधा चालू हो गई है।	एसीईएस की सुविधा चालू हो गई है और इसके तकनीकी समर्थन और देखभाल का काम चल रहा है। अतिरिक्त सुविधाओं की योजना बनाई जा रही है जैसे कि विस्तृत एम आई एस रिर्पोटें जिनमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर पंजीकरण, रिटर्न आडिट और रिफंड की व्यवस्था है। इसके अलावा, एसीईएस की वेबसाइट को द्विभाषी किया जा रहा है और एसीईएस को वाणिज्य और उद्योग विभाग की ई-बिज परियोजना से जोड़ कर कार्यान्वित किया जा रहा है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
					- सीमा शुल्क स्तरोन्नयन के लिए गेटवे परियोजना	गेटवे परियोजना का उद्देश्य एक सिंगल नेटवर्क के माध्यम से सीमा शुल्क समुदाय को जोड़ना है। इस परियोजना के माध्यम से सीमा शुल्क कागजात की ई-फाइलिंग किये जाने तथा सीमा शुल्क का ई- भुगतान किए जाने से आन लाइन आकलन, शुल्क का भुगतान और क्लियरेंस आदि की सीमा शुल्क व्यापार प्रक्रिया की दक्षता में सुधार आया है। गेटवे परियोजना का स्तरोन्नयन किये जाने का उद्देश्य ऐसी क्षमता का विकास करना है जिससे कि समेकित परिवेश में इलेक्ट्रानिक संव्यवहार किया जा सके और सीमा शुल्क व्यापार भागीदारों को संवर्द्धित व गुणवत्ता प्रद सेवा प्रदान की जा सके। इसमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच असीमित डाटा पारेषण स्थापित की गई है।	आईसीईएस 1.0 के स्थान पर ईडीआई सिस्टम (आईसीईएस 1.5) के उन्नत रुपांतरण को लागू करने का काम सभी 41 सीमा शुल्क स्थलों पर अप्रैल, 2011 तक पूरा हो गया है। कस्टम ईडीआई सिस्टम (आई सी एस रुपांतरण 1.5) के उन्नत संस्करण को 111 सीमा शुल्क स्थलो पर लागू कर दिया गया है। इस समय 111 सीमा शुल्क स्थलों पर भी आई सी ई एस 1.5 के स्थान पर आइसगेट काम कर रहा है। यह विभिन्न व्यापार साझेदारों एवं अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ विनिमयित 127 से अधिक संदेशों की सहायता से भारी मात्रा में आंकड़ों को बांटता है।	आईसीईएस 1.5 को इस समय 111 सीमा शुल्क स्थलों पर चालू कर दिया गया है। नये कार्यों में शामिल हैं-सेवाकर की आन लाइन वापसी, डीएफआईए लाइसेंसों का आन लाइन पंजीकरण, किसी भी प्राधिकृत बैंक से केन्द्रीयकृत बाण्ड प्रबंधन और सीमा शुल्क का ई-पेमेंट। अन्य माड्यूल्स जैसे कि बहुमूल्य कार्गो का स्वचालन, एसीईएस एवं आर एमएस के साथ वृहत समेकन तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र के साथ आन लाइन इंटरफेस पर काम चल रहा है। इस समय आई सीईजीएटीई के माध्यम से सीमा शुल्क और इसके व्यापारिक साझीदारों के बीच विनियमित 127 मैसेजेस काम कर रहे हैं। नई ई- भुगतान व्यवस्था के अंतर्गत अनिवार्य ई- भुगतान बहुचालान सुविधा चालू कर दी गई है जिसकी व्यापार एवं उद्योग द्वारा व्यापक रुप से प्रशंसा की गई है। ई

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
								वेतन एवं लेखा अधिकारी के साथ डाटा पारेषण को पहले ही स्थापित किया जा चुका है। सीमा शुल्क एवं विदेश व्यापार महानिदेशालय के मध्य अध्याय-3 पुरस्कार योजना के अंतर्गत दस्तावेजों एवं लाइसेंसों का ऑन लाइन पारेषण शुरु होने वाला है। उनके साथ परामर्श करके अंतिम रुप दिए गए व्यापार साझेदारों के साथ शेष संदेशों को कार्यान्वित करने का भी प्रस्ताव है। विशेष आर्थिक जोन के साथ विचार-विमर्श करके ऑनलाइन वार्तालाप किया जा रहा है।
					- जोखिम प्रबंधन प्रणाली की स्थापना (आरएमएस)	आरएम एस के अंतर्गत अच्छा रिकार्ड रखने वाले तथा सीमा शुल्क द्वारा अभिनिर्धारित विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले विशेष ग्राहकों के लिए सुनिश्चित सीमा शुल्क निकासी प्रक्रिया के साथ सीमा शुल्क के लिए ऊंचे जोखिम वाले कार्यों को बुद्धिमतापूर्ण निषेध के माध्यम से व्यापार सूचना एवं सुविधा तथा प्रभावी कारबार प्रवर्तन प्रदान करने की अपेक्षा की गई है।	जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस 3.1) का एक नया रुपांतरण जो कि आई सी ई एस 1.5 रुपांतरण के अनुरुप है, को चालू कर दिया गया है। 79 सीमा शुल्क केन्द्रों में नया रुपांतरण (आरएमएस 3.1) काम करने लगा है जिनमें 23 वे स्थान हैं जहां (आर एम एस 2.7) रुपांतरण पहले से ही काम कर रहा था।	जोखिम प्रबंधन प्रणाली के एक उन्नत रुपांतरण (आर एम एस 3.1) जो कि आईसीईएस 1.5 के अनुरुप है, को 79 सीमा शुल्क स्थलों में क्रियान्वित कर दिया गया है। योजना है कि इस आर एम एस का अतिरिक्ति स्थलों तक विस्तार किया जायेगा और प्रदान की जा रही व्यापार सुविधा

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
								का संवर्द्धन किया जायेगा निर्यात कार्गो के लिए भी जोखिम प्रबंधन प्रणाली की योजना है।
					- करदाताओं की सुविधा के लिए बड़ी करदाता यूनिटों हेतु पोर्टल का गठन	- पोर्टल करदाताओं का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर तथा आयकर/ कारपोरेट कर के साथ पत्राचार को सुकर बनाता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड/ केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कर प्रशासन और बड़े कर दाताओं के बीच एकल बिन्दु इंटरफेस की सुविधा होगी।	- एक एल टी यू विशिष्ट वेबसाईट विकसित किया गया है। वर्तमान समय में यह एल टी यू बंगलोर, चेन्नई, मुम्बई और दिल्ली में चल रही है।	एल टी यू की वेबसाइट स्थापित कर दी गई है।
					आई सी ई एस का विकास/ आई सी ई एस 1.0तथा 1.5 रुपांतरण कर रखा रखाव।	आई सी एस 1.0 को चरण बद्ध तरीके से हटा दिया गया है तथा आई सी ई एस 1-5 को विकसित करके 109 सीमा शुल्क स्थानों पर स्थापित किया गया है। अतिरिक्त माड्यूलों के विकास के साथ-साथ परियोजना रख रखाव के चरण में है।	आई सी ई एस 1.5 का रख रखाव किया जा रहा है क्रियाशीलता को बढ़ाने तथा नीतियों में उचित बदलाव करने के लिए नए माड्यूलों को निरंतर विकसित किया जा रहा है तथा आई सी ई एस 1.5 के साथ जोड़ा जा रहा है।	
					संकल्पना का उद्देश्य पूर्ण सीमित साक्ष्य/माल एवं सेवाक (जी एस टी) के लिए समान पोर्टल की रूथापना हेतु प्रायोगिक प्रणाली।	मौजूदा आई टी अवसरंचना का अध्ययन करना तथा सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्र के लिए प्रक्रियाएं/ सीटीडी एवं केन्द्र, पंजीयन, विवरणी तथा प्रायोजित पोर्टल के भुगतान माड्यलों का विकास; माल एवं सेवा	प्रायोगिक पोर्टल के माड्यूलों के लिए विकास चरण को समाप्त कर दिया गया है और एस आई रिपोर्टों तथा विकासचरण के मॉडयूलों की सुपुर्दगी को विभिन्न केन्द्र फोरम तथा राज्यों के समक्ष प्रस्तुत/ विचार विमर्श किए गए हैं।	प्रायोगिक प्रणाली चालू समय में रख रखाव चरण में है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
						कर लागू करने के लिए डी पी आर की तैयारी तथा विकसित अनुप्रयोगों के लिए छः माह के रख-रखाव चरण एवं माल एवं सेवाकर को लागू करना।		
2.	**मुख्य शीर्ष 4047 — निवारक कार्य-जहाजों एवं बेड़ो की अधिप्राप्ति**	तस्कर रोधी क्षमता का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धित तटीय सुरक्षा	17.95	शून्य	श्रेणी-II में भी सभी जलयानों को प्राप्त कर लिया गया है। इसके 109 जलयानों को खरीद लिया गया है।	आधुनिक फास्ट जलयानों से सीमा शुल्क विभाग की तस्कर रोधी क्षमता सुदृढ़ होगी। संवर्धित तटीय सुरक्षा से घातक/निषिद्ध माल की तस्करी को रोकने, पर्यावरणीय खतरों का निवारण करने तथा खतरे में पड़ी प्रजातियों का संरक्षण करने में मदद मिलेगी ।	संवर्ग I,III क और IIIख के कुल 87 जलयानों को प्राप्त करने के आदेश मार्च, 2007 में नाव निर्माताओं को दे दिए गए थे। सवंर्ग II के 22 जलयानों की आपूर्ति का आदेश दिसम्बर, 2008 में नाव निर्माताओं को दे दिया गया था । संवर्ग-IIIक और III ख में सभी जलयान 33 IIIक में और IIIख में 33) नाव निर्माता द्वारा जून, 2009 में सुपुर्द कर दिये गये थे। संवर्ग-I में सभी 24 जलयानों की अगस्त 2010 तक सुपुर्दगी पूरी कर दी गई थी संवर्ग-II में सभी 22 जलयानों की दिसम्बर, 2012 तक सुपुर्दगी पूरी कर दी गई थी। श्रेणी-I एवं II जलयानों के लिए स्पेयर्स की लागत का भुगतान किया जाना जैसा कि स्पेयर्स तथा पूर्ति की सूची के अनुसार अपेक्षित है जिसे अगले वित्तीय वर्ष 2013-14 में अंतिम रुप दिया जाना है।	

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
3.	**मुख्य शीर्ष 4047 तस्करीरोधी उपस्करों का अधिग्रहण**	कार्गो क्लीयरेंस, कंटेनर ट्रेफिक की अधिकता के प्रभावी निपटान, नान-इंट्रूसिव जांच के माध्यम से संबंधित सीमा शुल्क नियंत्रण में सुधार	82.00	शून्य	172.94 करोड़ रू. (अनुवर्ती) और 18.61 करोड़ रू. प्रतिवर्ष (अनुवर्ती)की कुल परियोजना लागत से 3 मोबाईल गामा रे स्कैनरों को लगाना, आदेश देना और 4 फिक्स्ड एक्स रे स्कैनरों के लिए सिविल निर्माण की शुरुआत ।	कंटेनरों की नन-इंट्रूसिव स्कैनिंग तूती कोरिन,चेन्नई और कांडला पोर्टों पर शुरु होगी। फिक्स्ड स्कैनरों को तूती कोरिन, चेन्नई, कांडला और मुम्बई पोर्टों पर लगाया जाएगा। स्कैनिंग सिस्टम अनियमितता के बड़ी संख्या में मामलों का पता लगाने में इससे मदद मिलेगी और अधिक राजस्व संग्रहीत होगा और कार्गो के क्लियरेंस आदि में तेजी आयेगी।	3 मोबाइल स्कैनर तथा 4 फिक्स्ड स्कैनर 2013-14 में लगाए जाने हैं। 3 मोबाइल स्कैनरों और 4 फिक्स्ड स्कैनरों को लगाने के लिए भूमि की अधिप्राप्ति के लिए पत्तन प्राधिकारियों के साथ एक पट्टा करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं। सभी 07 स्कैनरों की आपूर्ति करने और उनको लगाये जाने के लिए पात्र बोली लगाने वालों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गये हैं।	परियोजना कार्यान्वयन समिति द्वारा प्रगति की मानीटरिंग की जा रही है।
4.	**मुख्य शीर्ष 4059 - कार्यालय गृह का अधिग्रहण**	कार्यालय के लिए जगह की कमी को पूरा करने के लिए	47.91	शून्य	कार्यालय के लिये जगह की खरीद/ अधिग्रहण से कार्यालय की स्थान संबंधी कमी पूरी हो जायेगी ।	कार्यालय के लिए अपने पास पर्याप्त जगह रहने से विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी	–राष्ट्रीय सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं स्वापक अकादमी बंगलौर के लिए एक नए कार्यालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु, यूटीआई मुंबई से भवन का क्रय, एनबीसीसी प्लाजा के संबंध में भुगतान तथा गुवाहाटी एवं संभावित छोटे-2 प्रस्तावों के लिए कार्यालय भवन का क्रय किया जाना है। स्टाप शुल्क तथा स्थानीय अधिकरण अर्थात् यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के विनिर्दिष्ट उपक्रम से नवम्बर, 2006 में मुंबई में खरीदे गए भवन के संबंध में वृहत मुंबई नगर निगम को किए जाने वाले प्रभारों का भुगतान।	ऐसे मामलों में भुगतान विभिन्न औपचारिकताओं पर निर्भर करता है जिसमें संबंधित प्राधिकारियों से परामर्श करना भी शामिल है।
5.	**मुख्य शीर्ष 4216 -- रिहायशी आवासों का अधिग्रहण**	रिहायशी आवास संबंधी कमी को पूरा करना	1.34	शून्य	रिहायशी आवासों की खरीद से आवास संबंधी कमी पूरी हो जायेगी	रिहायशी आवासीय सुविधाओं की उपलब्धता से कर्मचारियों में संतोष पैदा होगा और इससे प्रेरणा और परिणाम में बढ़ोत्तरी होगी ।	अन्य जारी परियोजनाओं के संबंध में संभावित अन्य राष्ट्रीय क्रीड़ा आवास काम्प्लेक्स रांची में 67 फ्लेटों के क्रय तथा दो किश्तों में किए जाने वाले 12.04 करोड़ रूपये के भुगतान तथा 1.24 करोड़ रूपये के भुगतान कब्जा लेते समय किए जाएंगे।	विकासकर्ता को कब्जा एवं पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना है।

सुधारात्मक उपाय और नीतिगत कदम
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

कम्प्यूटरीकरण और आटोमेशन के क्षेत्र में उठाये गये कदम

कम्प्यूटरीकरण की एक भावी और महत्वाकांक्षी परियोजना शुरु की गई है जिससे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर सेवाओं को समेकित किया जा सके, सभी प्रणाली को एक ही नेटवर्क/फ्लेटफार्म पर लाया जा सके और डाटा वेयर हाउस तथा डिजास्टर रिकवरी साइट को स्थापित किया जा सके । यह योजना अभी चल रही है। ड्यूटी का अपवंचन करने वाले बड़े-बड़े लोगों, तस्करों का पता लगाने और अनुपालन सहित व्यापार को सुकर बनाने की दृष्टि से एक रिस्क एसेसमेण्ट/ मैनेजमेण्ट साफ्टवेयर विकसित किया गया है। एक जोखिम प्रबंधन प्रभाग स्थापित किया गया है जिससे कि इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा सके ।

विभाग और क्लाइन्ट्स दोनों को लाभ पहुंचाने की की दृष्टि से किये गये उपर्युक्त उपायों का उद्देश्य आंकलन कार्य में और शुल्क के संग्रहण में सहायता पहुंचाना है और निम्नलिखित तरीके से विभाग की क्षमता में और अधिक वृद्धि करना है यथाः-

(क) कार्गो के क्लियरेन्स में तेजी लाना

(ख) प्रक्रिया के चरणों की सं. संव्यवहार के समय और खर्च में कमी लाना

(ग) गेटवे के माध्यम से सीमा शुल्क दस्तावेजों की ई-फाइलिंग आन लाइन मूल्यांकन, शुल्क भुगतान और क्लियरेंस प्रक्रिया

(घ) कोर बैंकिंग समाधान के तहत् राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से सीमा शुल्क का ई-भुगतान

(ड.) बैंक में प्रति अदायगी की इलेक्ट्रानिक क्रेडिट

(च) टेली इन्क्वायरी, टच स्क्रीन कियोस्क, एस एम एस आदि जैसे इन्टेरेक्टिव वायस रिस्पान्स सिस्टम्स

(छ) स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना

(ज) प्रक्रिया का सरलीकरण

(झ) विभिन्न कर प्रणालियों के बीच सहवर्ती प्रक्रिया

(ञ) पारदर्शिता

(ट) मैन्युअल इन्टरफेस को न्यूनतम करना

598.97 करोड़ रूपये के खर्च वाली-समेकित कम्प्यूटरीकरण परियोजना को मंत्रिमंडल ने नवम्बर, 2007 में मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के विभिन्न घटकों को पूरा करने के लिये ठेका देने का काम पूरा हो गया है और इस समय कार्य प्रगति पर है।

बड़ी करदाता ईकाईयां (एल टी यू)

व्यापार में सुविधा प्रदान करने के महत्वपूर्ण उपाय के रूप में, उत्पाद शुल्क, आयकर/निगमकर और सेवाकर का भुगतान करने वाले बड़े-बड़े करदाताओं के लिये एक सिंगल विण्डों सर्विस की अवधारणा की शुरुआत की गई है इस प्रकार की पहली एल टी यू 2006-07 में बेंगालुरु में स्थापित की गई है। दूसरी एल टी यू ने वर्ष 2007-08 से चेन्नै में अपना कार्य शुरु कर दिया है। वर्ष 2008-09 में मुम्बई और दिल्ली में भी एल टी यू ने कार्य करना आरंभ कर दिया है।

सहायता केन्द्र

जुलाई, 2005 से सभी सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोनों में सहायता केन्द्र खोले गये हैं जो कि कर संग्रहण के सम्प्रभुता सम्पन्न कार्य में सार्वजनिक और निजी भागीदारी के क्षेत्र में एक अग्रणी उद्यम है। ये केन्द्र छोटे करदाताओं, निर्धारितियों, आयातकों, निर्यातकों और सेवा प्रदाताओं को दिशा-निर्देश और जानकारी देने के मामले में एक संस्थागत तंत्र का काम करते हैं।

कन्टेनर स्कैनर

जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, न्हावा शेवा, मुम्बई में एक मोबाइल गामा रे कन्टेनर स्कैनर और एक फिक्स्ड एक्स रे कन्टेनर स्कैनर लगाने से एक प्रायोगिक परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो गई है जिससे कार्गो क्लियरेन्स, बहुत बड़ी तादात् में कन्टेनर ट्रैफिक की देखभाल, गैर हस्तक्षेप जांच के माध्यम से उन्नत सीमा शुल्क नियंत्रण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम हासिल हुआ है। उत्साहवर्द्धक परिमाणों को देखते हुए अक्तूबर, 2006 में मंत्रिमण्डल की मंजूरी मिल जाने के बाद अन्य प्रमुख पत्तनों पर भी लगाने के लिए 172.94 करोड़ रूपये (अनावर्ती) और 18.61 करोड़ रूपये (आवर्ती) के खर्च से 3 मोबाइल गामा रे स्कैनर और 4 फिक्स्ड एक्स रे स्कैनर को खरीदने की प्रक्रिया जारी है। कान्डला, चेन्नै और तूतीकोरिन में लगाये जाने के लिए 3 मोबाइल स्कैनरों की खरीद के लिए जनवरी, 2009 में दुबारा निविदा जारी कर दी गई थी और काण्डला, चेन्नै, तूतीकोरिन और मुम्बई में स्थापित किये जाने के लिए 9 एमईवी फिक्स्ड एक्स रे स्कैनरों की खरीद के लिए नवम्बर, 2008 में निविदायें जारी कर दी गई थी। मोबाइल स्कैनरों की खरीद की लिये 6 अगस्त, 2010 को और फिक्स्ड स्कैनरों की खरीद के लिये 24 सितम्बर, 2010 को स्वीकृति जारी कर दी गई है। 3 मोबाइल स्कैनरों और 4 फिक्स्ड स्कैनरों को लगाने के लिए भूमि की अधिप्राप्ति के लिए पत्तन प्राधिकारियों के साथ एक पट्टा करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं। इन सभी 07 स्कैनरों की आपूर्ति करने और उनको लगाये जाने के लिए पात्र बोली लगाने वालों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 में क्रमशः 3 मोबाइल स्कैनर और 4 फिक्स्ड स्कैनर लगाये जाने की योजना है।

समुद्री बेड़ा

देश के समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने और सीमा शुल्क अधिनियम के आयात/ निर्यात संबंधी प्रावधानों को लागू करने की दृष्टि से विभाग के एक प्रतिरोधात्मक अस्त्र के रूप में तथा समुद्रीतट के साथ-साथ काम करने वाले सीमा शुल्क समुद्री बेड़े के रणनीतिक महत्व के विधिवत स्वीकार किया गया है, विशेषकर उस परिस्थिति में जब आतंकवाद के अस्त्रों और शस्त्रों की तस्करी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और नशीली दवाओं के व्यापार से खतरा बढ़ता जा रहा है। वर्तमान बेड़े और भविष्य में इनकी आवयकता की समीक्षा की गयी है और बेकार, पुराने, टूटे फूटे यानों के स्थान पर 277.27 करोड़ रूपये के खर्च से चरणवद्ध तरीके से आधुनिक और तेज चलने वाले यानों को खरीदने के एक प्रस्ताव को मंत्रिमण्डल ने फरवरी, 2007 में मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सीमा शुल्क संगठन विभिन्न वर्ग के 109 आधुनिक यानों की खरीद कर रहा है जिसकी विशेषतायें और उद्देय निम्न प्रकार हैः-

यानों का संवर्ग	विशेषतायें	उद्देश्य
संवर्ग-I (24 यान)	चाल-25 नाट, लम्बाई 20 मीटर तथा उच्च सहिष्णुता	तटीय गश्ती और निगरानी
संवर्ग-II (22 यान)	उच्च चाल-40 नाट, लम्बाई-12 मीटर, कम सहिष्णुता	संदिग्ध यानों में तत्कालिक हस्तक्षेप
संवर्ग-IIIक (30यान)	चाल-30 नाट, लम्बाई 9 मीटर, कम सहिष्णुता	छिछले पानी, क्रीक और बंदरगाओं में उपयोगी
संवर्ग-IIIख (33यान)	चाल-35 नाट, लम्बाई 6 मीटर, कम सहिष्णुता	

वर्ग-I, वर्ग-II, वर्ग- III क और IIIख के सभी यान भी प्राप्त हो गये हैं और इन्हें तस्करी रोधी कार्यों के लिए आयुक्तालयों के अंतर्गत लगाया गया है।

1% राजस्व वृद्धि का उपयोग प्रोत्साहन प्रावधान के रूप में करना

व्यय प्रबंधन के बारे में व्यय विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसरण में, जिनसे राजस्व पैदा करने वाले विभागों को यह अनुमति मिलती है कि वे ऐसी योजना तैयार कर सकें जिससे कि 1% राजस्व वृद्धि का उपयोग ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहन देने में हो सके जिनसे राजस्व का संकलन अधिकाधिक हो, संगठनात्मक क्षमता, बुनियादी सुविधाऑ में वृद्धि हो सके, सी बी ई सी ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए 31.01.2003 तक 160.44 करोड़ रू. संस्वीकृत/आबंटित किया गय हैं अर्थात्:-

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क दायरों में क्षमता- सृजन/ अवसंरचना सुधार
- नासेन में प्रशिक्षण सुविधाऑ में क्षमता-सृजन
- पी ए ऑ में क्षमता- संवर्द्धन
- क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए लैपटाप की व्यवस्था जिससे कि वे कर संग्रहण, जांच और आसूचना कार्य की मानीटरिंग में सुधार ला सकें।
- संगठनात्मक कार्यक्षमता में सुधार लाने और बाहर की निवारक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए वाहनों को किराये पर लेना ।

परिव्ययों एवं परिणामों का विवरण 2011-12

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2011-12 (करोड़ रु. में)		परिमाणात्मक विवरण/ भौतिक उत्पादन	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	जोखिम कारक	31 मार्च 2012 की स्थिति
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
1.	मुख्य शीर्ष 2037 और 2038 सूचना प्रौद्योगिकी	ई-गवर्नेन्स के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता को सुदृढ़ करना	150.00	150.00				वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान उपगत व्यय 144.31 करोड़ रुपए था।
					- आल इंडिया वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना	सीबीईसी के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों को राष्ट्रीय डाटा केन्द्र से जोड़ना। व्यापार निरंतरता तथा आपदा रिक्वरी साइटस	आल इंडिया वाइड नेटवर्क का कार्यान्वयन	एक आल इंडिया वाइट नेटवर्क स्थापित किया गया है जिससे राष्ट्रीय डाटा केन्द्र, डाटा रिपिलेशन तथा डी आर साइट से 500 भवनों को जोड़ा गया ताकि सी वी ई सी के कार्यालयों को राष्ट्रीय डाटा केन्द्र तथा आपदा रिक्वरी साइटो से जोड़ा जा सके। मुख्य मसलों का सामना करने वाली साइटो को छोड़कर वाइड ऐरिया नेटवर्क को कार्यान्वित कर दिया गया है। हेल्प डेस्कों में एम पी एल एस वाइड ऐरिया नेटवर्क पर प्रयोक्ताओं की शिकायते संबोधित करने हेतु प्रावधान कर दिए गए है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
					- सेन्ट्रल सर्वर्स हार्डवेयर स्टोरेज एण्ड सेक्यूरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर) अर्थात् सेस्टम इन्टेग्रेशन की स्थापना	विभाग केन्द्रीय कम्प्यूटिग, डाटा स्टोरज, सिक्योरटी बुनियादी ढांचा तथा फेसिलिटी प्रबंधन तथा संबंधित कार्यों हेतु नए जनरेशन सर्वर प्राप्त करेगा ताकि सभी प्रयोक्ताओं तथा विभाग सीबीईसी की प्रणाली का लाभ प्राप्त कर सके। सभी संगत अपलिकेशन केन्द्रीय बुनियादी ढांचे पर उपलब्ध होगी।	परियोजना कार्यान्वित कर दी गई है। उपकरण लगा दिए गए है तथा चालू कर दिए गए है। तथा सिस्टम स्वीकृति माईल स्टोन प्राप्त कर लिए गए है अर्थात कस्टम तथा केन्द्रीय उत्पाद और सेवा कर के लिए सॉफ्ट वेयर अपलिकेशन पोर्ट कर दी है ऑर यह तीन राष्ट्रीय केन्द्रों से संचालित है। पांच वर्षों के लिए फेसलेटी प्रबंधन सहायता हेतु कार्मिक तैनात कर दिए गए है।	परियोजना कार्यान्वित कर दी गई है। उपकरण लगा दिए गए है तथा चालू कर दिए गए है। तथा सिस्टम स्वीकृति माईल स्टोन प्राप्त कर लिए गए है अर्थात कस्टम तथा केन्द्रीय उत्पाद और सेवा कर के लिए सॉफ्ट वेयर अपलिकेशन पोर्ट कर दी है ऑर यह तीन राष्ट्रीय केन्द्रों से संचालित है। पांच वर्षों के लिए फेसलेटी प्रबंधन सहायता हेतु कार्मिक तैनात कर दिए गए है। परियोजना संबंधी अतिरिक्त सूचना निम्नानुसार है: अपेलिकेशन प्रयोक्ताओं हेतु बुनियादी ढांचे की सक्रिय मोनिटरिंग हेतु एक नेटवर्क ऑपरेशन केन्द्र स्थापित कर दिया गया है। प्रयोक्ताओं की समस्याओं के समाधान हेतु एक इन्फ्रास्टेकचर तथा अपलिकेशन सपोर्ट हेल्प डेस्क संचालित है। सीबीईसी अधिकारियों द्वारा विभिन्न अपलिकेशनों के उपयोग हेतु एक सिंगल साइन ऑन

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
								अपलिकेशन बना ली गई है। लगभग 19,000 अधिकारियों हेतु यह (एस ऑ एस) आई डी सृजित कर ली गई है। मेल संदेशात्मक समाधानों को आन लाईन कर दिया गया है ताकि लगभग 20,000 अधिकारियों को मेल संदेश दिए जा सके।
					विभाग के सभी प्रयोक्ताओं हेतु लोकल एरिया नेटवर्क का प्रावधान ।	विभाग के सभी प्रयोक्ताओं हेतु लोकल एरिया नेटवर्क का प्रावधान ।	थिन क्लाईट, नेटवर्क प्रिटर्स, प्रिंट सर्वर तथा स्केनर आदि अपेक्षित हार्डवेयर वाले लगभग 1166 भवनों में सीबीईसी के प्रयोक्ताओं हेतु स्थानीय ऐरिया नेटवर्क पहले ही संचालित है।	थिन क्लाईट, नेटवर्क प्रिटर्स, प्रिंट सर्वर तथा स्केनर आदि अपेक्षित हार्डवेयर वाले लगभग 1180 भवनों में सीबीईसी के प्रयोक्ताओं हेतु स्थानीय ऐरिया नेटवर्क पहले ही संचालित है। इस प्रणाली के प्रयोग से आयुक्तालय, कस्टम हाऊस, निदेशालय प्रभाग, आई सीडी, लैंड कस्टम स्टेशन तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क /सेवा कर रैंजर्स सुरक्षित रूप से केन्द्रीय कम्प्यूरिंग सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही, स्थानांतरण अथवा मुख्य अन्य मसलों का सामना करने वाली साइटों को छोड़कर एलएएन परियोजना

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
								पूरी कर ली गई है। एल एन एन मसलों पर प्रयोक्ताओं की शिकायतों के निपटान हेतु हेल्प डेस्क में प्रावधान कर दिया गया है।
					- डाटा वेयर हाउस की स्थापना	सीबीईसी, सभी सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद कर तथा सेवा कर डाटा के लिए एक केन्द्रीकृत रिपोजिटरी बन जाएगा। यह एम पीएलएस सिस्टम पर (सीबीईसी, वेन) पर डाटा माईनिंग सहित विश्लेषणात्मक उद्देश्यों हेतु सभी यूजर फ्रेंड प्रयोक्ताओं हेतु उपलब्ध होगा।	डाटा वेयर हाऊस कार्यान्वित कर दिया गया है।	स्मार्ट व्यिू नामक सीबीईसी एन्टरप्राईज विभागीय प्रयोक्ताओं हेतु कार्यान्वित कर दिया गया है तथा अधिकारियों की बड़ी संख्या हेतु व्यापक एंड यूज प्रशिक्षण दिया गया है। इससे सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर के सभी दायरों में करदाताओं पर नजर रखी जा सकती है। स्मार्ट व्यिू तदर्थ प्रश्नावली सहित पूर्व पारिभाषित रिपोर्टों तथा बहुआयामी विश्लेषणों हेतु यूजर फ्रन्डली इन्टरफेस हैं। इसमें डाटा माईनिंग तथा टेक्सट माइनिंग क्षमता भी है जिन्हें आयात निर्यात में शामिल व्यक्तियों की आरएमडी में सहायता करने हेतु उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त डाटा वेयर हाऊस सीबीईसी से बाहर के अभिकरणों अर्थात (वाणिज्य मंत्रालय सी ए जी प्रतिस्पर्धा

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
								आयोग) के अनुरोधों के भी काम आता है। विभिन्न फील्ड कार्यालयों, निदेशालयों (जैसे डी आर आई, डीजी ऑ वी, डीजीसीईआई) टी आर यू बोर्ड आदि की आवश्यकताओं के आधार पर अब तक लगभग 75 सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर संबंधी डाटा वेयर हाऊस आधारित प्री डिफाइंड रिपोर्ट विकसित की गई है। ये रिपोर्ट सीबीईसी अपलिकेशन द्वारा क्लिक आफ ए माऊस पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त सी बी ई सी द्वारा वेयर हाउस के एक्सटेंशन के रूप में टेक्स 360 डिग्री परियोजनाएं कार्यान्वित की गई है। इससे सीबीईसी, सीबीडीटी तथा महाराष्ट्र के सेल टेक्स प्रशासन के बीच डाटा विनिमय होता है तथा करदाताओं के संबंध में आय कर, सेवा कर, केन्द्रीय उत्पाद कर सीमा शुल्क तथा राज्य के वैट पर 360 डिग्री व्यू प्राप्त होता है। गुजरात जैसे अन्य राज्यों ने भी इस प्रकार की एसीईएस को परियोजना हेतु अनुरोध किया है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
					- केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर का आटोमेशन (एसीईएस)	सभी कार्यों की प्रक्रिया को आटोमेटिड करके केन्द्रीय उत्पाद कर तथा सेवा कर मूल्यांकनकर्त्ताओं के साथ इंटरफेस में कमी तथा ब?ी संख्या में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु।	केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर के सभी 104 आयुक्तालयों में कार्यान्वित कर दिया गया है।	एसीई एस के सभी मॉडयूल का केन्द्रीय उत्पाद कर तथा सेवा कर के सभी 104 आयुक्तालयों में दिनांक 23.12.2009 को पूरा कर लिया गया।
					- कस्टम उन्नयन हेतु गेटवे परियोजना	गेटवे परियोजना एक सिंगल नेटवर्क के माध्यम से सीमा शुल्क समुदाय को जोड़ने का लक्ष्य रखती है। इस परियोजना के माध्यम से सीमा शुल्क दस्तावेजों की ई-फाइलिंग से आन लाइन मूल्यांकन ड्यूटी भुगतान, अनापत्ति प्रक्रिया में सुधार आया है। गेटवे परियोजना एक समेकित परिवेश तथा कस्टम ट्रेडिग पार्टनरों को प्रदेश सेवा की गुणवत्ता में इलैक्ट्रोनिकी लेन देन क्षमता का विकास करती है।	कस्टम ई डी आई प्रणाली/ आईसी ई एस वर्जन 1.5) का एक बेहतर वर्जन 103 कस्टम लोकेशनों में कार्यान्वित कर दिया गया है।	कस्टम ई डी आई प्रणाली का उन्नयन वर्जन (आई सी ई एस 1.5) कार्यान्वित हो गया है। कस्टम ई डी आई प्रणाली/ आईसी ई एस वर्जन 1.5) का एक बेहतर वर्जन 103 कस्टम लोकेशनों में कार्यान्वित कर दिया गया है।
					- जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना (आरएमएस)	आरएमएस का लक्ष्य व्यापार को सुलभ बनाना तथा बेहतर ट्रेक रिकार्ड वाले विशेष क्लाईटों के लिए जो सीमा शुल्क द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हो के लिए सुनिश्चित सीमा शुल्क अनापत्ति के साथ सीमा शुल्क की दृष्टि से जोखिम वाले समान का आसूचना	आर एम एस (आर एस एस 3.1) का एक नया वर्जन जो आईसीईएस 1.5 वर्जन से मेल खाता है, कार्यान्वित कर दिया गया है। यह नया वर्जन (आर एम एस 3.1) पुराने 23 स्थानों जहां (आर एम एस 2.7) मौजूद था के साथ-साथ 69 सीमा शुल्क लोकशनों में संचालित कर दिया गया।	आई सीईएस के वर्जन 1.0 से 1.5 में परिवर्तन जोखिम प्रबंधन प्रणाली का एक नया वर्जन है जो आई सी ई एस 1.5 वर्जन से मेल खाता है। यह नया वर्जन (आर एम एस 3.1) पुराने 23 स्थानों जहां (आर एम एस 2.7) मौजूद था के साथ-साथ 69

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
						द्वारा प्रभावी प्रवर्तन करना है।		सीमा शुल्क लोकशनों में संचालित कर दिया गया।
					- कर भुगतान को सुलभ बनाने हेतु एक ब? करदाता एकक (एलटीयू) की स्थापना	- एक एलटी यू विनिर्दिष्ट वेबसाइट विकसित की गई है। ये एल टी यू बंगलौर, चेन्नई, दिल्ली तथा मुम्बई में कार्यात्मक है। कलकत्ता में अन्य एलटीयू 2010 के दौरान कार्यात्मक करने की योजना है।		एलटीयू वेबसाइट स्थापित कर ली गई है। इस समय बंगलौर, चेन्नई, दिल्ली तथा मुम्बई में एल टी यू कार्यात्मक है।
2.	**मुख्य शीर्ष 4047 – निवारक कार्य-जहाजों और बेड़ों की अधिप्राप्ति**	तस्करी विरोधी क्षमता और उन्नत तटीय सुरक्षा को मजबूत बनाना	13.50	38.27	2011-12 के दौरान वर्ग-II के 08 यान विभाग को सौपे जाने की उम्मीद है।	आधुनिक द्रुत गति के यानो से सीमा शुल्क विभाग की क्षमता सदृढ़ होगी। कोस्टल सुरक्षा में सुधार से खतरनाक/ निषेधात्मक समान की तस्करी पर तथा इससे पर्यावरण तथा लुप्त होती प्रजाति को होने वाली हानि को रोका जा सकेगा।	———	वर्ग I, III क और IIIख के 87 यानों की खरीद के लिये मार्च, 2007 में बोट बिल्डर्स को आर्डर दे दिये गये हैं। वर्ग II के 22,यानों की आपूर्ति के लिये, जिसके लिए फिर से टेन्डर, 2008 में जारी किया गया था वर्ग-IIIक तथा IIIख, में सभी यान (IIIक में 30 तथा III-ख में 33) की डिलेवरी यान निर्माता ने जून, 2009 में कर दी थी। वर्ग-I के सभी 24 यान की डिलेवरी अगस्त, 2010 में पूरी हो गई थी। वर्ग-II में सभी 22 यान दिसम्बर, 2012 में प्राप्त किए गए हैं।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
3.	**मुख्य शीर्ष 4047 तस्करीरोधी उपकरणों का प्रापण**	अभेद्य परीक्षण के माध्यम से माल की निकासी, कंटेनर ट्रैफिक की बढ़ी तादात की कुशल हैंडलिंग, संवर्धित सीमा शुल्क नियंत्रण को सुकर बनाना।	70.00	43.65	कुल 172.94 करोड़ (आवर्ती) तथा 18.61 करोड़ प्रति वर्ष (गैर आवर्ती) परियोजना लागत से 3 सचल गामा रे स्कैनरों का संस्थापन, 4 स्थिर एक्स-रे का आर्डर देना तथा सिविल निर्माण की शुरूआत।	तुतीकोर्न, चेननई तथा कांडला पोर्ट पर कंटनरों की नान इन्ट्रूयूसिव स्केनिंग आरंभ की जाएगी। तुतीकोर्न, चेन्नई, कांडला तथा मुम्बई पोर्ट पर फिक्सड स्केनर लगाए जाएंगे। इस स्केनिंग प्रणाली से अनियमितऑ के कई मामलों के परीक्षण में सहायता मिलेगी। इसके परिणामस्वरुप राजस्व में भी बढ़ौतरी होगी तथा कार्गो के लिए त्वरित अनापत्ति प्राप्त हो सकेगी।	3 सचल स्कैनर तथा 4 स्थिर स्कैनर क्रमशः 2011-12 तथा 2012-13 में लगाए जाने संभावित है। कांट्रेक्ट अवार्ड हेतु पात्र बिडरों को 6 अगस्त, 2010 को सचल स्कैनरों के संबंध में तथा 24 सितम्बर, 2010 को स्थिर स्कैनरों के संबंध में मंजूरी प्रदान कर दी गई है। संबंधित पोर्ट प्राधिकरण द्वारा सीमा शुल्क विभाग को स्कनैर लगाने हेतु भूमि नही सौंपे जाने के कारण चुने गए बिडरों को आपूर्ति आदेश जारी नही किए जा सके है।	चेन्नै और तूतीकोरिन में फिक्स्ड एक्स-रे स्कैनरों को लगाये जाने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गये हैं। इस परियोजना की प्रगति पत्तन प्राधिकारियों से भूमि की अधिप्राप्ति और विधिक प्राधिकारियों से समयपूर्वक प्राप्त अनुमोदन पर निर्भर करती है। परियोजना क्रियान्वयन समिति इसकी प्रगति की मानीटरिंग कर रही है।
4.	**मुख्य शीर्ष 4059 -- कार्यालय आवास का अधिग्रहण**	कार्यालय आवास की कमी को पूरा करने के लिए	40.00	7.00	कार्यालय आवास की खरीद, कार्यालय आवास की जरुरतों में कमी को {ूरा करेगा ।	- मार्च, 2008 में एन बी सी सी भवन, साकेत, नई दिल्ली के अधिग्रहण के लिए आगे का भुगतान।- नवंबर,2006 में, मुंबई में यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की विनिर्दिष्ट इकाई से भवन की खरीद के संबंध में स्थानीय प्राधिकरण अर्थात मुंबई नगर निगम को स्टाप शुल्क एवं अन्य प्रभारों का भुगतान। -चेन्नै में टी एन एस सी बी से कार्यालय आवास की खरीद के लिए, कोलकाता में एल टी यू के लिए कार्यालय आवास तथा अन्य छेटे संभावित प्रस्तावों के लिए भुगतान।	ऐसे मामलों में भुगतान कई औपचारिकताऑ पर निर्भर करती है जिसमें विभिन्न संबंधित प्राधिकारणों से परामर्श शामिल है।	सी बी ई सी द्वारा प्रयोग के लिए नई दिल्ली में एन बी सी सी से कार्यालय स्थान की खरीद के लिए मार्च, 2008 में 30 करोड़ रू. का अग्रिम भुगतान किया गया। कार्यालय आवास के आंतिरक सज्जा का 75S काम पूरा हो जाने पर कार्य 2010 तक एन बी सी सी तक एन बी सी सी का 7.95 करोड़ रू. का खंड भुगतान भी किया गया। अन्य भुगतान नहीं किए गए क्यों कि एन बी सी सी द्वारा समापन प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया

1	2	3	4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.	5	6	7	8
								है जो एन बी सी सी और सीबीईसी के बीच उप पट्टा अनुबंध के लिए आवश्यक है। एस यू यू टी आई से मुंबई में खरीदे गए भवन के संदर्भ में स्थानीय प्राधिकरण अर्थात वृहत मुंबई नगर निगम को स्टाप शुल्क एवं अन्य प्रभारों की अदायगी अभी तक लंबित है क्योंकि स्टाप शुल्क की दर से संबंधित विवाद का अभी निपटारा नहीं हुआ है। चेन्नै में टी एन एस सी बी से और कोलकाता में एल टी यू कार्यालय आवास खरीदने के अन्य प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
5.	**मुख्य शीर्ष 4216 -- आवासीय स्थान का अधिग्रहण**	आवासीय स्थान की कमी को पूरा करने के लिए	4.00	4.00	आवासीय स्थान की खरीद से आवश्यकता की पूर्ति होगी ।	शिलांग में आवासीय परिसर की खरीद तथा चल रही अन्य परियोजनाओं के संबंध में भुगतान किए जाने की संभावना है।	इस प्रस्ताव में जीएफआर में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सी पी डब्ल्यूडी, शहरी विकास मंत्रालय एसएफसी आदि से अनापत्ति प्राप्त करनी होती है।	नेशनल गेम्स हाउसिंग काम्प्लैक्स रांची में 67 फ्लैट की खरीद हेतु 12.04 करोड़ का दो किस्तों में भुगतान किया जाना था। अधिग्रहण के समय 1.24 करोड़ का बकाया भुगतान किया जाएगा। शिलांग में आवासीय परिसर की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप नही दिया जा सका। 4.00 करोड़ के संशोधित अनुमान के प्रति, वास्तविक व्यय 0.82 करोड़ रू. था।

2012-13 के परिव्यय के सन्दर्भ में परिणाम की स्थिति

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2012-13 (करोड़ रु. में)		परिमाणात्मक वितरण/ भौतिक उत्पादन	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	जोखिम कारक	31 दिसम्बर 2012 की स्थिति
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
1.	**मुख्य शीर्ष 2037 और 2038 -सूचना प्रौद्योगिकी**	ई-गवर्नेन्स के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता को सुदृढ़ करना	150.00	178.00	- आल इंडिया वाइड एरिया नेटवर्क (वेन) की स्थापना।	सी बी ई सी के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों को देश व्यापी स्तर पर राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्रों, बिजनेस कान्टीन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी साइट्स से जोड़ना।	वाइड एरिया नेटवर्क को चालू कर दिया गया है।	178 करोड़ रु. के संशोधित अनुमान की तुलना में, दिसम्बर, 2012 तक 77.21 करोड़ रुपये का व्यय हुआ वाइडएरिया नेटवर्क के क्रियान्वयन में सहायता दी जा रही है और इसकी देख-रेख की जा रही है। इसके बैंड की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके इन्टरनेट बैंड की चौड़ाई बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है जिससे कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर रिटर्न को भरा जा सके क्योंकि इसको भरा जाना अनिवार्य बना दिया गया है। आंकड़ा केन्द्रों और डाटा रिकवरी साइट्स के बीच वैकल्पिक सम्पर्क कायम किया जा रहा है जिससे कि रिडन्डैन्सी सुनिश्चित की जा सके।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
					- केन्द्रीय सर्वर्स (हार्डवेयर, स्टोरेज और सुरक्षा अवसंरचना) जैसे कि सेस्टम्स इन्टीग्रेशन, को स्थापित करना	नये सर्वरों और भंडारण उपकरणों की व्यवस्था करना जिससे कि सभी विभागीय और बाहरी उपयोकर्त्ताओं के लिये केन्द्रीयकृत कम्प्यूटिंग आकड़ा भण्डारण सुरक्षा अवसंरचना सुविधा प्रबंधन और कार्यप्रणाली सुविधा उपलब्ध कराना जिससे सी बी ई सी प्रणाली तक उनकी पहुंच हो सके। सभी सुसंगत आवेदनों को केन्द्रीयकृत अवसंरचना पर दर्ज किया जायेगा।	परियोजना लागू हो गई है। उपकरणों को लगाकर चालू कर दिया गया है और प्रणाली स्वीकृति का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है, जैसे कि सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर प्रणाली स्थापित हो गई है और यह तीन राष्ट्रीय आकड़ा केन्द्रों पर चालू है। सुविधा प्रबंधन के लिए पांच वर्षों से कर्मचारी तैनात कर दिये गये है।	इस परियोजना को चालू कर दिया गयाऔर इसे सुविधा प्रबंधन के अंतर्गत रखा गया है।
					- सभी विभागीय उपयोगकर्त्ताओं के लिए स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्क की व्यवस्था	सभी विभागीय उपयोगकर्त्ताओं के लिए स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्क की व्यवस्था	1166 भवनों में सीबीईसी के उपयोगकर्त्ताओं के लिए लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की गई है जिनको आवश्यक आई टी हार्डवेयर जैसे कि थिन क्लाइन्ट्स, नेटवर्क प्रिन्टर्स, प्रिंट सर्वर्स और स्कैनर्स आदि प्रदान किये गये हैं।	लोकल एरिया नेटवर्क को क्रियान्वित कर दिया गया है और अब इसके तकनीकी समर्थन और देखभाल का काम चल रहा है। सुविधाओं का संवर्द्धन किया जा रहा है जिससे कि अतिरिक्त नोडस और लाइन प्रिन्टर्स जैसे उपकरणों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।
					- डाटा वेयर हाउस की स्थापना -	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड सभी सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आंकड़ों का संग्रह केन्द्र है यह सभी उपयोगकर्त्ता समूहों के लिए एमपीएलएस नेटवर्क (सीबीएसई डब्लू ए एन) पर उपलबध होगा जिसमें उपयोगकर्त्ता के अनुकूल	डाटा वेयर हाऊस को चालू कर दिया गया है।	डाटा वेयर हाऊस के तकनीकी समर्थन और देखभाल का काम चल रहा है। सी बी ई सी के अधिकारियों के लिए अतिरिक्त लाइसेंसिंग प्राप्त किये जा रहे हैं जिससे कि वे डाटा वेयर हाउस का लाभ प्राप्त

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
						इन्टरफेस की सुविधा होगी जिसका उपयोग डाटा खोज समेत विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग में होता है।		कर सवेंक्ष टैक्स 360 पाइलट परियोजना के क्रियान्वयन की योजना तैयार है जिससे कि सी बी ई सी, सी बी डी टी और महाराष्ट्र राज्य के बिक्री कर प्रशासनों के बीच 'सीमलेस डाटा एक्सचेंज' की व्यवस्था अन्य राज्यों में भी कायम हो सके।
					केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर (एसीईएस) का स्वचालन	सभी कार्य व्यापार की प्रक्रियाओं में स्वचालित कार्य संवहन के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर निर्धारितियों के लिए काफी हद तक पारदर्शिता सुनिश्चित करना और इंटरफेस को कम करना।	104 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर आयुक्तालयों में एसीईएस सुविधा चालू हो गई है।	एसीईएस की सुविधा चालू हो गई है और इसके तकनीकी समर्थन और देखभाल का काम चल रहा है। अतिरिक्त सुविधायें लगाई जा रही है जैसे कि एम आई एस रिपोर्ट्स जिसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर पंजीकरण, रिटर्न आडिट और रिफंड की व्यवस्था है। इसके अलावा, एसीईएस की बेवसाइट को द्विभाषी किया जा रहा है और एसीईएस को वाणिज्य और उद्योग विभाग को ई-बिज परियोजना से जोड़ा जा रहा है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
					- सीमा शुल्क स्तरोन्नयन के लिए गेटवे परियोजना	गेटवे परियोजना का उद्देश्य एक सिंगल नेटवर्क के माध्यम से सीमा शुल्क समुदाय को जोड़ना है। इस परियोजना के माध्यम से सीमा शुल्क कागजात ई-फाइलिंग किये जाने से आन लाइन आकलन, शुल्क का भुगतान और क्लियरेंस की प्रक्रिया में सुधार आया है। गेटवे परियोजना का स्तरोन्नयन किये जाने का उद्देश्य ऐसी क्षमता का विकास करना है जिससे कि समेकित परिवेश में इलेक्ट्रानिक संव्यवहार किया जा सके और सीमा शुल्क व्यापार भागीदारों को संवर्द्धित व गुणवत्ता प्रद सेवा प्रदान की जा सके।	आईसीईएस 1.0 के स्थान पर ईडीआई सेस्टम (आईसीईएस 1.5) के उन्नत संस्करण को लागू करने का काम सभी 41 सीमा शुल्क स्थलों पर अप्रैल, 2011 तक पूरा हो गया है। कस्टम्स ईडीआई सेस्टम (आई सी एस संस्करण 1.5) के उन्नत संस्करण को 111 सीमा शुल्क केन्द्रों पर लागू कर दिया गया है। इस समय 111 सीमा शुल्क केन्द्रों पर आई सी ई एस 1.5 के स्थान पर आइसगेट काम कर रहा है।	आईसीईएस 1.5 को उस समय 103 सीमा शुल्क स्थलों पर चालू कर दिया गया है। नये कार्यो में शामिल हैं-सेवाकर की आन लाइन वापसी, डीएफआईए लाइसेंसों का आन लाइन पंजीकरण किसी भी प्राधिकृत बैंक से केन्द्रीयकृत बाण्ड प्रबंधन और सीमा शुल्क का ई-पेमेंट। अन्य माड्यूल्स जैसे कि बहुमूल्य कार्गो का स्वचालन एसीईएस के साथ समेकन, आर एम एस, ईजेड पर आन लाइन इंटरफेस पर काम चल रहा है। इस समय सीमा शुल्क और इसके व्यापारिक साझीदारों के बीच 103 मेसेजेस काम कर रहे हैं। आई सी ई जी ए टी ई में जिन कार्य प्रणालियों को शामिल करने का विचार है उनमें शामिल हैं:- सभी सीमा शुल्क स्थानों के लिए 17 बैंकों के माध्यम से अनिवार्यतः ई पेमेंट डी एफआईए जैसे लाइसेंसों का आनलाइन अंतरण, पुरस्कार योजना आदि और ई पीए ऑ का

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
								क्रियान्वयन। ऐसा भी प्रस्ताव है कि व्यापार साझीदारों के साथ शेष तीन मेसेजों को भी लागू करना जिनको कि उनके परामर्श से अंतिम रूप दिया जा चुका है और एसईजेड के साथ आनलाइन इंटरव्यू फेस के लिए मेसेजेस को चालू करना।
					- जोखिम प्रबंधन प्रणाली की स्थापना (आरएमएस)	जोखिम प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य केवल उच्च जोखिम वाले कार्गों को व्यापार सुविधा प्रदान करना और उनकी जांच करना है और अच्छा ट्रैक रेकार्ड वाले, सीमा शुल्क के विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले विशेष ग्राहकों के लिए विश्वसनीय कस्टम क्लिएरेंस की सुविधा।	जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस3.1) का एक नया संस्करण जो कि आई सी ई एस 1.5 संस्करण के अनुरुप है, को चालू कर दिया गया है। 79 सीमा शुल्क केन्द्रों में नया संस्करण (आरएमएस 3.1) काम करने लगा है जिनमें 23 स्थान हैं जहां (आर एम 2.7) संस्करण पहले से ही काम कर रहा था।	जोखिम प्रबंधन प्रणाली के एक नये संस्करण (आर एम एस 3.1) जो कि आईसीईएस 1.5 के अनुरुप है को 69 सीमा शुल्क केन्द्रों में क्रियान्वित कर दिया गया है और योजना है कि इस आर एम एस का अतिरिक्ति केन्द्रों तक विस्तार किया जायेगा और प्रदान की जा रही व्यापार सुविधा का संवर्द्धन किया जायेगा निर्यात कार्गो के लिए भी आर एम एस की सुविधा चालू करने का विचार है।
					- करदाताओं की सुविधा के लिए बड़ी करदाता यूनिटों हेतु पोर्टल का गठन	- पोर्टल करदाताओं का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर तथा आयकर/ कारपोरेट कर के साथ पत्राचार को सुकर बनाता है केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	- एक एल टी यू विशिष्ट वेबसाईट विकसित किया गया है। वर्तमान समय में यह एल टी यू बंगलोर, चेन्नई, मुम्बई और दिल्ली में चल रही है।	एल टी यू की वेबसाइट स्थापित कर दी गई है।

1	2	3	4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.	5	6	7	8
						एवं सीमा शुल्क बोर्ड/ केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कर प्रशासन और ब? कर दाताओं के बीच एकल बिन्दु इंटरफेस की सुविधा होगी।		
2.	मुख्य शीर्ष 4047 निवारक कार्य- जहाजों और बड़ों की अधिप्राप्ति	तस्करी विरोधी क्षमता और उन्नत तटीय सुरक्षा को मजबूत बनाना	10.18	20.00	दिसम्बर, 2012 तक विभाग को वर्ग-II के सभी जहाज उपलब्ध करा दिये गए थे।	आधुनिक फास्ट वेसल से सीमा शुल्क विभाग की तस्करी रोधी क्षमता सुदृढ़ होगी। संवर्धित तटीय सुरक्षा से घातक/निषिद्ध माल की तस्करी को रोकने, पर्यावरणीय खतरों का निवारण करने तथा खतरे में पड़ी प्रजातियों का संरक्षण करने में मदद मिलेगी ।	—————-	संवर्ग I,III क औरIII ख की कुल 87 जलयानों को प्राप्त करने के आदेश मार्च, 2007 में बोट निर्माताओं को दे दिए गए हैं। सवंर्ग II के 22 जलयानों की आपूर्ति के आदेश दिसम्बर, 2008 में वोट निर्माताओं को दे दिया गया है । संवर्ग-IIIक और IIIख में सभी जलयान (IIIक में 30 और IIIख में 33) बोर्ड को जून, 2009 तक निर्माता द्वारा सुपुर्द कर दिया गया। संवर्ग-I में 24 जलयान अगस्त 2010 तक प्राप्त कर लिये गये हैं। श्रेणी-II में सभी 22 जलयानों की सुपुर्दगी दिसम्बर, 2012 तक पूरी की गई।
3.	**मुख्य शीर्ष 4047- तस्करी रोधी उपकरणों का प्रापण**	कार्गो क्लीयरेंश, कंटेनर ट्रेफिक की अधिकता के प्रभावी निपटान, नन-इंटूसिव जांच के माध्यम से संबंधित सीमा शुल्क नियंत्रण में सुधार	76.97	10.17	172.94 करोड़ रू. (अनुवर्ती) और 18.61 करोड़ रू. (अनुवर्ती)की कुल परियोजना लागत से 3 मोबाईल गामा रे स्कैनरों को लगाना, आदेश देना और 4 फिक्स्ड एक्स रे स्कैनरों के लिए सिविल निर्माण की शुरुआत ।	कंटेनरों की नन-इंटूसिव स्कैनिंग तूती कोरिन,चेन्नई और कांडला पोर्टो पर शुरु होगी। फिक्स्ड स्कैनरों को तूती कोरिन, चेन्नई, कांडला और मुम्बई पोर्टो पर लगाया जाएगा।अनियमिता की बड़ी संख्या में मामलों का पता लगाने में इससे	3 मोबाइल स्कैनरों और 4 फिक्स्ड स्कैनरों को लगाने के लिए भूमि की अधिप्राप्ति के लिए पत्तन प्राधिकारियों के साथ एक पट्टा करार पर हस्ताक्षर किये गये है। 07 स्कैनरों की आपूर्ति करने और उनको लगाये जाने के लिए पात्र बोली लगाने वालों के	इस परियोजना की प्रगति बंदरगाह प्राधिकरण से भूमि प्राप्ति पर तथा संवैधानिक प्राधिकारी से उसकी समय से दी गई अनुमति पर निर्भर है परियोजना कार्यान्वयन समिति द्वारा प्रगति की मानीटरिंग की जा रही है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
						मदद मिलेगी और अधिक राजस्व संग्रहीत होगा और कार्गो के क्लियरेंस में तेजी आयेगी , आदि	साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गये है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में क्रमशः 3 मोबाइल स्कैनर और 4 फिक्स्ड स्कैनर लगाये जाने की योजना है।	
4.	मुख्य शीर्ष 4059 - कार्यालय का अधिग्रहण	कार्यालय के लिए जगह की कमी को पूरा करने के लिए	28.00	4.31	कार्यालय के लिये जगह की खरीद से कार्यालय की स्थान संबंधी कमी पूरी हो जायेगी ।	कार्यालय के लिए अपने पास पर्याप्त जगह रहने से विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी	-बंगलौर में एन ए सी ई एन हेतु एक नए आफिस कॉम्प्लैक्स का निर्माण। यू टी आई, मुम्बई से भवन की खरीद एन बी सी सी प्लाजा तथा गुवाहाटी में कार्यालय भवन की खरीद तथा अन्य छोटे-मोटे प्रस्तावों के संबंध में भुगतान किए जाने की संभावना -मुम्बई में नवम्बर, 2006 में युनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के विशिष्ट प्रतिष्ठानों से भवनों की खरीद के मामले में स्थानीय प्राधिकरण यथा मुम्बई नगर निगम को स्टाम्प ड्यूटी और प्रभारों का भुगतान।	ऐसे मामले में भुगतान विभिन्न औपचारिकताओं पर निर्भर करता है जिसमें संबंधित प्राधिकारियों से परामर्श करना भी शामिल है।
5.	**मुख्य शीर्ष 4216 - आवासीय स्थान का अधिग्रहण**	रिहायशी आवास संबंधी कमी को पूरा करना	4.00	0.10	रिहायशी आवासों की खरीद से आवास संबंधी कमी पूरी हो जायेगी	रिहायशी आवासीय सुविधाओं की उपलब्धता से कर्मचारियों में संतोष पैदा होगा और इससे प्रेरणा और परिणाम में बढ़ोत्तरी होगी ।	अन्य जारी परियोजनाओं के संबंध में संभावित अन्य भुगतान किए जाने की संभावना है।	जी एफ आर में विहित प्रक्रिया का पालन करने के बाद इन प्रस्तावों में सी पी डब्लू डी, शहरी विकास मंत्रालय, एस एफ सी आदि से क्लियेरेंस प्राप्त करना भी शामिल है।

समग्र निष्पादन

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के समग्र निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं

- वर्ष 2011-12 में कुल अप्रत्यक्ष कर राजस्व 3,90,894 करोड़ रू. था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण 37% (144,239 करोड़ रू.), सीमा शुल्कः 38% (149,300 करोड़ रू.) एवं सेवाकरः 25% (97,355 करोड़ रू.) था ।
- अप्रत्यक्ष कर राजस्व 2003-04 के 1,47,294 करोड़ रूपए से 165.38% बढ़कर 2011-12 में 3,90,894 करोड़ रू. हो गया।
- पिछले वर्ष के मुकाबले 2011-12 के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण में 5.26% और सीमा शुल्क संग्रहण में 9.95% ब?ोत्तरी आयी है।
- पिछले वर्ष के मुकाबले सेवाकर संग्रहण में 2011-12 में 37.32% की वृद्धि हुई। इसके अलावा सेवाकर के संग्रहण में 2003-04 (7,891 करोड़ रू.) के मुकाबले 2011-12 (97355 करोड़ रू.) में सेवाकर संग्रहण में 1133.74% की वृद्धि हुई है। अप्रत्यक्ष कर में सेवाकर का हिस्सा 1995-96 के 1% से बढ़कर 2011-12 में 24.90% हो गया है।
- 2012-13 में, दिसम्बर, 2012 तक, अप्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रहण 3,07,649 करोड़ रू. था जिसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1,08,646 करोड़ रू., सीमा शुल्क 1,18,744 करोड़ रू. और सेवाकर 80,259 करोड़ रू. था।
- दिसम्बर, 2012 तक संग्रहित कुल अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में पिछले वित्तीय वर्ष के तुलनात्मक अवधि की तुलना में 35.59% वृद्धि हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर संग्रहण में क्रमशः 26.44%, 22.79% और 26.44% की वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2005-06 के बाद से अप्रत्यक्ष कर संग्रहण की लागत निम्न तालिका में दी हैः-

संग्रहण की लागत

शुल्क का शीर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
सीमा शुल्क	0.72%	0.56%	0.51%	0.72%	1.09%	0.67%	0.67%
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर	0.67%	0.63%	0.64%	0.98%	1.32%	1.00%	0.96%

- अप्रत्यक्ष कर राजस्व 2004-05 की जी डी पी में 5.3% की तुलना में बढ़कर 2010-11 की जी डी पी में 4.47% हो गया है।
- पिछले तीन वर्षों का प्रति कर्मचारी वेतन एवं भत्तों पर व्यय और औसत राजस्व संग्रहण नीचे दिया गया हैः-

वर्ष	प्रति कर्मचारी वेतन एवं भत्तों पर एवं भत्तों पर औसत व्यय (लाख रू.में)	प्रति कर्मचारी औसत राजस्व संग्रहण (करोड़ रू. में)
2009-10	4.20	4.37
2010-11	4.25	6.25
2011-12	5.68	7.31

ई-गर्वेनसः

प्रणाली महानिदेालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना समेकन परियोजना के क्रियान्वयन का काम पूरा कर लिया है। इस समेकित परियोजना के भाग के रूप में क्रियाचित की गई प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को नीचे दिया गया हैः-

(i) **वाईड एरिया नेटवर्किंगः-** वाईड एरिया नेटववर्क (डब्लू ए एन) :- 20,000 विभागीय उपयोग कर्त्ताओं को नेशनल डाटा सेंटर, डाटा रिप्लीकेान और डी आर साइट से जोड़ते हुए एक आल इंडिया वाइड एरिया नेटवर्क तैयार किया गया है जिससे कि सी बी ई सी के अधिकारियों को नेशनल डाटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी साइट्स से जोड़ा जा सके। वाइड एरिया नेटवर्क को उन स्थानों को छोड़कर जहां कि बड़े-बड़े मद्दे है, क्रियान्वित कर दिया गया है। हेल्पडेस्क की व्यवस्था कर दी गई है जिससे कि उपयोगकर्त्ताओं की डब्लूएएन और एलएएन मुद्दों से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सके।

(ii) **सिस्टम इन्टीग्रेान-** तीन राष्ट्रीय डाटा केन्द्रों यथा दिल्ली में प्राथमिक डाटा केन्द्र और बिजनेस कान्टीन्यूटी साइट और दिल्ली में डाटा रिकवरी साइट स्थापित किये गये हैं। सर्वर्स, स्टोरेज और सुरक्षापरक उपकरण आदि को इन डाटा केन्द्रों में लगा दिया गया है और साफ्टवेयर एप्लीकेशन्स स्थापित कर दिये गये है। जो इन केन्द्रों से चलाये जा रहे हैं।

एक नेटवर्क ऑपरेशन सेन्टर की स्थापना की गई है जिससे कि इन एप्लीकेशन्स का प्रयोग करने वालों की सहायता की जा सके और अवसंरचना की मानीटरिंग की जा सके।

अंतिम तौर पर उपयोग करने वालों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और उनके उपयोग के लिये अवसंरचनाओं और एप्लीकेानों में एक हेल्पडेस्क को चालू कर दिया गया है। एक सिंगल साइन-आन एफ्लीकेान की तैयार किया गया है और इसे चालू कर दिया गया है

जिससे कि नीतिगत आधार पर सीबीईसी के कर्मचारी विभिन्न एप्लीकेन्स से सम्पर्क कर सकें। एसएसओ को लगभग 19,000 अधिकारियों के लिये तैयार किया गया है।

मेल मेसेजिंग का सामधान डाटा केन्द्रों से आन लाइन किया जा चुका है जिससे कि लगभग 20,000 अधिकारियों को सरकारी ई-मेल अकाउंट प्रदान किये जा सके।

जुलाई, 2011 में प्रणाली और डाटा प्रबंधन महानिदेालय, सीबीईसी को आईएसओ/आईईसी 27001:2005 मानक का प्रमाणपत्र दिया गया है।

(iii) **लोकल एरिया नेटवर्क्स (एलएएन)**- लगभग 1160 भवनों में सीबीईसी के उपयोकर्त्ताओं के लिये लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिसमें आई टी हार्डवेयर जैसे कि थिन् क्लाइन्ट्स, नेटवर्क प्रिन्टर्स, प्रिन्टर सर्वर्स और स्कैनर्स आदि प्रदान किये गये है। एल ए एन का प्रयोग करके आयुक्तालय, कस्टम्स हाउस, निदेशालय प्रभाग आई सी डी लैंड कस्टम्स स्टेशन्स और सेन्ट्रल एक्साइज/सर्विस टैक्स रेन्जेस का सम्पर्क/पहुंच केन्द्रीय कम्प्यूटिंग सुविधा तक हो सकेगा ।

सीबीईसी के बड़े-बड़े एप्लीकेशनों को अब सिंगल नेटवर्क और कम्प्यूटिंग फेसिटिलिटी से जोड़ दिया गया है इसका ब्यौरा इस प्रकार है:-

सीमा शुल्क

आईसीईएस 1.0 के स्थान पर सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस 1.5) के उन्नत संरकरण को लगाने का कम सीमा शुल्क के सभी 41 कार्यालयों में अप्रैल, 2011 में पूरा हो गया है। अब आईसीईएस 1.5 को 100 से अधिक सीमा शुल्क केन्द्रों लगाया जा रहा है। इस एप्लीकेशन में जो नई प्रणालियां आई हैं उनमें शामिल हैं। सेवाकर की आनलाइन वापसी की सुविधा जो कि एसीईएस से आईसीईएस जोड़ने की दिशा में प्रारंभिक कदम था डीएफआईए लाइसेंसों का आनलाइन पंजीकरण, केन्द्रीकृत बाण्ड प्रबंधन। अन्य माड्यूल्स जैसे कि बहुमूल्य कार्गो का स्वचालन आर एम एस के साथ बेहतर संयोग और एसईजेड के साथ आनलाइन इंटरफेस का काम प्रगति पर है।

आई सी ई जी ए टी ई एक अवसरंचना परक परियोजना है जो कि विभाग की ईसी/ईडीआई और आंकड़ा सम्प्रेषण संबंधी जरुरतों को पूरी करती है। आईसीईजीएटीई पोर्टल पर व्यापार और कार्गो संवाहकों और सीमा शुल्क विभाग के अन्य ग्राहकों के लिए ई-फाइलिंग की सुविधायें उपलब्ध है। इस सुविधा के माध्यम से विभाग सेवाओं का एक समूह प्रदान करता है जिसमें आगम पत्रों (आयात माल की घोषणा) की ई-फाइलिंग, शिपिंग बिल्स (निर्यात माल की घोषणा) की ई-फाइलिंग तथा सीमा शुल्क विभाग और व्यापरिक साझीदारों के बीच इलेक्ट्रानिक संदेश वाहन शामिल हैं। इसके अलावा इसमें दस्तावेजों की ट्रैकिंग इ-पेमेंट आई पी आर का आन लाइन पंजीकरण विभिन्न अन्य प्रमुख वेबसाइटों से सम्पर्क, सम्प्रेषण सुविधाओं का प्रयोग (ई-मेल-वेब अपलोड एवं एफ टी पी) भी शामिल है जिनमें नयाचार संप्रेषण का सामान्यतया इन्टरनेट पर प्रयोग होता है। इसके अलावा सीमा शुलक और विभिन्न विनियामक और लाइसेसिंग एजेन्सियों जैसे कि डीजीएफटी, आर बी आई और डीजीसीआईएस के बीच आईसीईजीएटीई के माध्यम से आंकड़ों का आदान-प्रदान होता है। सभी इलेक्ट्रानिक दस्तावेजों/ संदेशों जिनकी देखरेख आईसीई जीएटीई पर होती है पर सीमा शुल्क में आईसीईएस 1.5 के प्रयोग से कार्रवाई होती है।

अगस्त, 2011 में ई-गवर्नेन्स के लिए आईसीईगेट परियोजना को 2011 का एसकेओसीएस डिजिटन इन्क्लूजन अवार्ड प्रदान किया गया था। आईसीगेट को नवम्बर, 2011 में ताइपे में ऐशिया पैशिफिक कौन्सिल फार ट्रेड फेसिलिटेशन एंड इलेक्ट्रानिक बिजनेस (एएफएसीटी) द्वारा ई-ऐशिया पुरस्कार प्रदान किया गया है।

जोखिम प्रबंधन प्रणाली को समुन्नत किया गया है और इसको डाटा केन्द्रों के सेन्ट्रल कम्प्यूटिंग फेसिलिटी पर स्थापित भी कर दिया गया है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य भारतीय सीमा शुल्क प्रशासन को इस लायक बनाना है कि वे व्यापार सुविधाओं और प्रवर्त्तन के बीच एक संतुलन कायम कर सकें। जोखिम प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत आयातकों द्वारा भारतीय सीमा शुल्क ई डी आई प्रणाली में दायर किये गये आगम पत्रों पर जोखिम की दृष्टि से कार्रवाई होती है और आयातकर्त्ताओं के स्वआकलन के आधार पर बिना जांच किये ही बड़ी संख्या में खेपों को क्लियरेंस दे दी जाती है। अन्य खेपों का आकलन या जांच या दोनों ही किया जाता है जो कि आर एम एस द्वारा निर्धारित जोखिम पर आधारित होता है। आर एम एस जिसके तहत् अच्छा ट्रैक रेकार्ड रखने वाले विशेष ग्राहकों के लिए और उनके लिए जो सीमा शुल्क द्वारा अभिज्ञात विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं विश्वसनीय सीमा शुल्क क्लियेरेंस की प्रक्रिया अपनायी जाती है। आर एम एस का क्रियान्वयन चल रही बिजनेस प्रासेस रि-इन्जीनियरिंग और ई गवर्नेंस, जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा किये जाने वाले प्रयास है, की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर का स्वचालन (एसीईएस) एक केन्द्रीय प्रायोजित, वेब आधारित और कार्यवहन आधारित साफ्टवेयर अनुप्रयोग है जिसका उद्देश्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और कार्यवहन आधारित साफ्टवेयर अनुप्रयोग है जिसका उद्देश्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर से संबंधित सभी कार्य प्रक्रियाओं का स्वचालन है जिनमें आनलाइन पंजीकर, रिटर्न की आनलाइन फाइलिंग ओर प्रोसेसिंग, दावों, सूचनाओं और अनुमतियों की आनलाइन फाइलिंग और उत्पाद शुल्क से संबंधित निर्यात रिपोर्टों, विवाद समाधान और लेखा परीक्षा आदि की आन लाइन फाइलिंग और प्रोसेसिंग शामिल हैं। एसीईएस को 23.12.2009 तक सभी 104 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्तालय में चालू कर दिया गया है। एसीईएस प्रमाणित सुविधा केन्द्रों को चालू कर दिया गया है। इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउण्टैण्ट्स आफ इंडिया (आईसीएआई), इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एंड वर्क्स एकाउण्टैण्ट्स आफ इंडिया

(आईसीडब्लूएआई) और इन्स्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया के सदस्यों ने इन सीएफसी की स्थापना की है। इस प्रयास का उद्देश्य ऐसे करदाताओं को सेवायें प्रदान करना है जिनके पास आवश्यक आईटी अवसंरचना/संसाधन नही हैं। अतः वे एसीईएस का प्रयोग कर सकते हैं।

डाटा वेयर हउस

सीबीईसी का उद्यम डी डब्ल्यू जिसे 'स्मार्ट व्यू' कहा जाता है, एक वेब आधारित विश्लेषणात्मक समाधान है जो कि विशेष रूप से तेजी से पूंछतांछ करने और अत्याधुनिक विश्लेषण क्षमताओं के लिए तैयार किया गया है जिसमें नवीनतम व्यापार आसूचना उपकरण का प्रयोग होता है। इसमें ऐसी क्षमता है कि यह विभिन्न आन लाइन संव्यवहार प्रणालियों जैसे कि आईसीईएस 1.5 (सीमा शुल्क), एसीईएस (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर रिटर्न) और सस्टेट (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर भुगतान) के आंकड़ों को नियमित पूर्व निर्धारित फ्रिक्वेन्सी पर प्राप्त कर लेता है। सी बी ई सी के डाटा वेयर हाउस को सी बी ई सी के केन्द्रीयकृत समेकित आईटी अवसंरचना पर स्थापित किया गया है। ऐसी आशा है कि यह अप्रत्यक्ष कर आंकड़ों के एक मात्र संग्रह का काम करेगा और सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर आंकड़ों का एक देश व्यायी समग्र परिदृश्य प्रस्तुत करेगा। इससे पहली बार सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर दाताओं की वास्तविक स्थिति का पता लग सकता है। 'स्मार्ट व्यू' एक प्रयोगकर्त्ता अनुकूल इंटरफेस है जिसमें पूर्व निर्धारित रिपोर्ट और बहु आयामी विश्लेषण प्राप्त किया जा सकता है। तथा इसमें तदर्थ पूंछतांछ की भी सुविधा उपलब्ध है। इसमें डाटा खोज और मूलपाठ की खोज करने की क्षमता है जिसका प्रयोग आयात और निर्यात में शमिल प्रविष्टियों की फाइलिंग करने में आर एम डी को सहायता देने में होता है।

अब तक डाटा वेयर हाउस में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर की लगभ्ंग 75 पूर्व निर्धारित रिपोर्ट तैयार हो गई हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रीय कर्यालयों निदेशालयों (डीआरआई, डीजीओवी, डीजीसीईआई आदि) टी आर यू बोर्ड आदि की जरुरतों पर आधारित हैं। इन रिपोर्टों को कोई प्रयोगकर्त्ता सीबीईसी के एप्लीकेशन इंटरफेस पर मउस क्लिक करके प्राप्त कर सकता है। स्मार्ट व्यू का प्रयोग विभाग के प्रयोगकर्त्ताओं के लिए शुरु किय गया है और ब?ी संख्या में अधिकारियों को वृहद इंड यूज ट्रेनिंग दी जा रही है। सी बी ई सी के डाटा वेयर हाउस द्वारा तैयार की गई जानकारी को भी सीबीईसी के बाहर जैसे कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग को प्रदान किया जा रहा है।

सी बी ई सी ने 'टैक्स 360' नामक एक पाइलट परियोजना शुरु की है जो कि डाटा वेय हाऊस का एक विस्तार है। इससे सी बी ई सी, सीबीडीटी और महाराष्ट्र के बिक्री कर प्रशासनों के बीच सीमलेस डाटा एक्सचेंज की सुविधा स्थापित हो गई है और इससे आयकर, सेवा कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और राज्यों के वैट के सभी करदाताओं के चतुर्दिक स्थिति का पता लग जाता है। टैक्स 36वें परियोजना का कुछ अन्य राज्यों तक भी बढ़ाया गया है।

उपर्युक्त उपायों का उद्देश्य विभाग ओर इसके ग्राहकों दोनों को सुविधायें प्रदान करना है और इससे शुल्क के आकलन में भी मदद मिलती है और विभाग की निम्नलिखित क्षेत्रों में शक्ति संवर्द्वित होती है यथा-

(क) कार्गो का तेजी से क्लियेरेंस

(ख) चरणों की संख्या, संव्यवहार के समय और लागत में कमी

(ग) गेटवे के माध्यम से सीमा शुल्क दस्तावेजों की ई फाइलिंग आनलाइन आकलन, शुल्क भुगतान और क्लियेरेंस की प्रक्रिया

(घ) कोर बैकिंग सोल्यूशन वाले राष्ट्रीय बैकों के माध्यम से सीमा शुल्क का ई-पेमेंट

(ड.) बैंकों में ड्रा बैक की इलेक्ट्रानिक क्रेडिट

(च) डाक्यूमेंट ट्रैकिंग की सुविधा

(छ) स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन

(ज) प्रक्रियाओं का सरलीकरण

(झ) विभिन्न कर प्रणालियों के बीच सहवर्तीक्रिया

(ञ) पारदर्शिता

(ट) मैन्यूअल इन्टरफेस को कम से कम करना

इसके अलावा, सी बी ई सी के डाटा वेयर हाउस को भी चालू कर दिया गया है। इससे पहली बार सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के सभी करदाताओं की चतुदिक स्थिति का पता चल जाता है। डाटावेयर हाउस में एक प्रयोगकर्त्ता अनुकूल इंटरुेस है जिससे पूर्व निर्धारित रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है और आयामी विश्लेषण प्राप्त किये जा सकते है साथ ही साथ इसमें तदर्थ पूंछ-तांछ की सुविधा भी उपलबध है। इसमें आंकड़ों और तथ्यों को खोज निकालने की क्षमता भी है। जिसका प्रयोग आयात और निर्यात में शामिल प्रविष्टियों की प्रोफाइलिंग में किया जा रहा है।

स्कैनर्स की प्राप्ति

इलेक्ट्रोनिक स्कैनर्स की प्राप्ति आयात और निर्यात कार्गो कन्टेनरो की स्कैनिग जो कि सीमा शुल्क निकासी के लिए आते है जिससे कि औषधि अस्त्र एवं शस्त्र एवं अन्य अघोषित कार्गो का पता लगाने के लिए किया जाता है यह एक पायलेट परियोजना है, जिसमें एक मोबाईल गामा रेस्कैनर एवं एक पुनस्थापित एक्स रे स्कैनर जवाहर लाल नेहरु पोर्ट न्हावा शेवा पर स्थापित करने के लिए कार्रवाई की गयी थी और जून, 2005 तक इसे पूरा किया गया। पायलेट परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने से एक मुख्य कदम कार्गो निकासी कंटेनर यातायात के बढ़े हुए परिमाण एवं गैर हस्तक्षेप परीक्षा के द्वारा सुधरा हुआ सीमा शुल्क नियंत्रण को प्रभावी रुप से प्राप्त किया गया है। उत्साहपूर्वक परिणामों को देखते हुए, तूतीकोरिन, चैन्नई, कांडला में मोबाइल स्कैनरों को मुम्बई, कांडला चेन्नै एवं तूतीकोरन में 4 फिक्सड स्कैनरों को स्थापित करने के लिए अधिग्रहण हेतु निविदा आमंत्रित करने की प्राप्ति की प्रक्रिया शुरु की गई है। इन स्कैनरों को लगाने हेतु करार पर हस्ताक्षर किए जा चुके है तथा इन स्कैनरों को 2013-14 तक लगाए जाने की आशा है।

विगत तीन वर्षों के दौरान इन स्कैनरों द्वारा स्कैन किए गए कंटेनरों की संख्या निम्न प्रकार हैः-

वर्ष	स्कैन किए गए कंटेनर	
	मोबाईल स्कैनर	फिक्स्ड स्कैनर
2010-11	87303	55286
2011-12	28253	77079
2012-13 (दिसम्बर, 2012)	45223	48113

वर्ष 2010-11 के दौरान 36 मामले दर्ज किए गए जिनमें जब्त माल का मूल्य 8.59 करोड़ रुपये था और इसमें 1.81 करोड़ रुपये का सीमा शुल्क शामिल था। वर्ष 2011-12 के दौरान 122 मामले दर्ज किये गये हैं जिनमें जम्बता माल का मूल्य 36.23 करोड़ रूपये है जिनमें 7.17 करोड़ रूपये की सीमा शुल्क शामिल हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान (दिसम्बर, 2012 तक) 88 मामले दर्ज किए गए जिसमें जब्त माल का मूल्य 27.73 करोड़ था जिसमें 4.48 करोड़ रूपये का सीमा शुल्क शामिल है।

समुद्री यानों की प्राप्ति

आर्थिक कार्य मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 22.02.2007 को 358.19 रुपये की लागत पर 109 समुद्री यानों की प्राप्ति को अनुमोदित किया था। वर्ग-I के सभी 24 यानों की डिलीवरी हो गई है और उनको मुम्बई (03), गोवा (02), मंगलोर (03), कोचिन (04), पुणे (रत्नागिरि) (02) और अहमदाबाद (उमर गांव), जामनगर (ऑखा), कांडला, विशाखापटनम, चेन्नै, ट्रिची, (तूतीकोरिन), ट्रिची (नागापटनम) विशाखापटनम-II (काकीनाडा) कोलकाता और भुवनेश्वर-I (पारादीप) आयुक्तालयों में तैनात कर दिया गया है। वर्ग-II के सभी स्वीकृत 22 यानों, की डिलीवरी हो गई है और उनको मुम्बई (03), जामनगर (02), पुणे (रत्नागिरि) (02), मंगलोर (02), अहमदाबाद (01), गोवा (01), और काण्डला (01) कोचीन (03), चैन्नई (01), ट्रिची (02), विजाग(01) भुवनेश्वर (01) तथा कोलकाता (02) आयुक्तालयों में तैनात कर दिया गया है।

वर्ग-III के सभी 63 यानों (वर्ग- IIIक में 30 यान और श्रेणी-I वर्ग-IIख में 33 यान) की डिलीवरी हो गई है और उनको मुम्बई (07), गोवा (02), मंगलोर (02), पुणे (04), कोचिन (04), अहमदाबाद (02), जामनगर (02), कांडला (02), चैन्नई (03), विशाखापटनम(01), विशाखापटनम-II(02) गुण्टूर (01) ट्रिची(10), कोलकाता (10) , भुवनेश्वर (02), पटना (03) और शीलांग (06) आयुक्तालयों में तैनात कर दिया गया है।

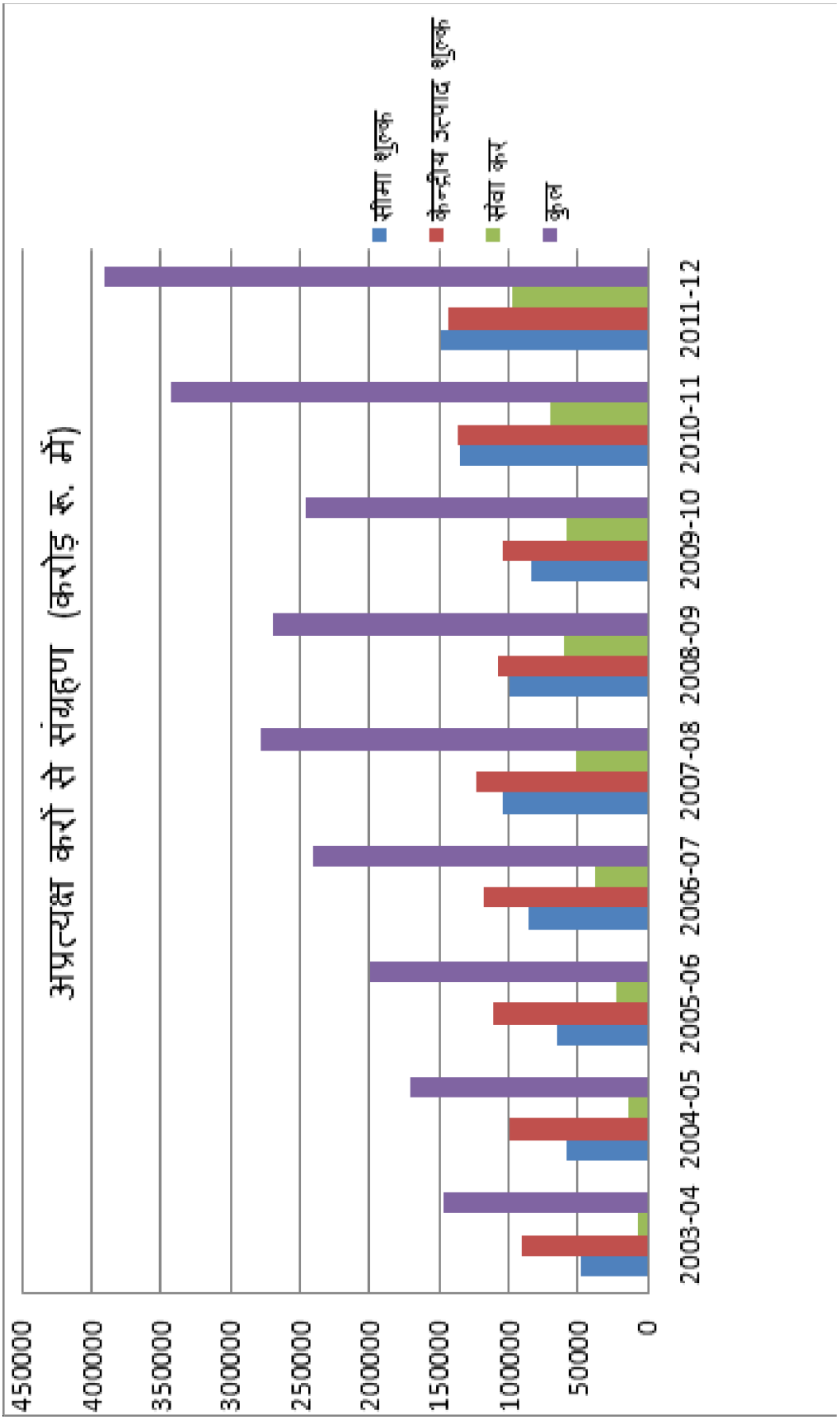
अप्रत्यक्ष करों से संग्रहण (करोड़ रू. में)
सीमा शुल्क
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
सेवा कर
कुल
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12

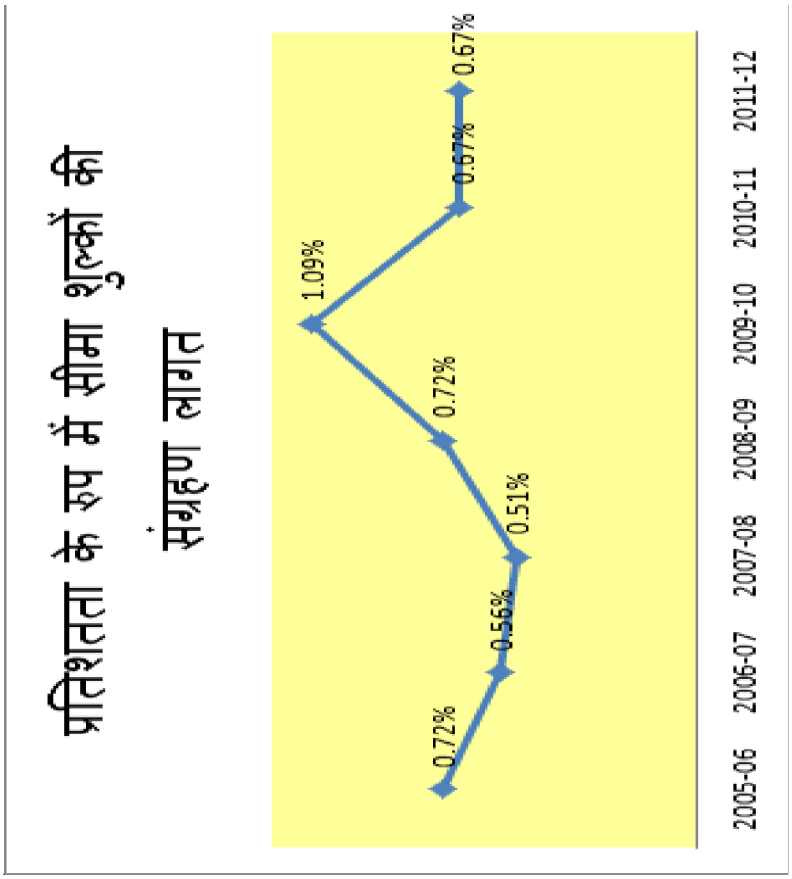
प्रतिशतता के रुप में सीमा शुल्कों की संग्रहण लागत
0.72%
0.56%
0.51%
0.72%
1.09%
0.67%
0.67%
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12

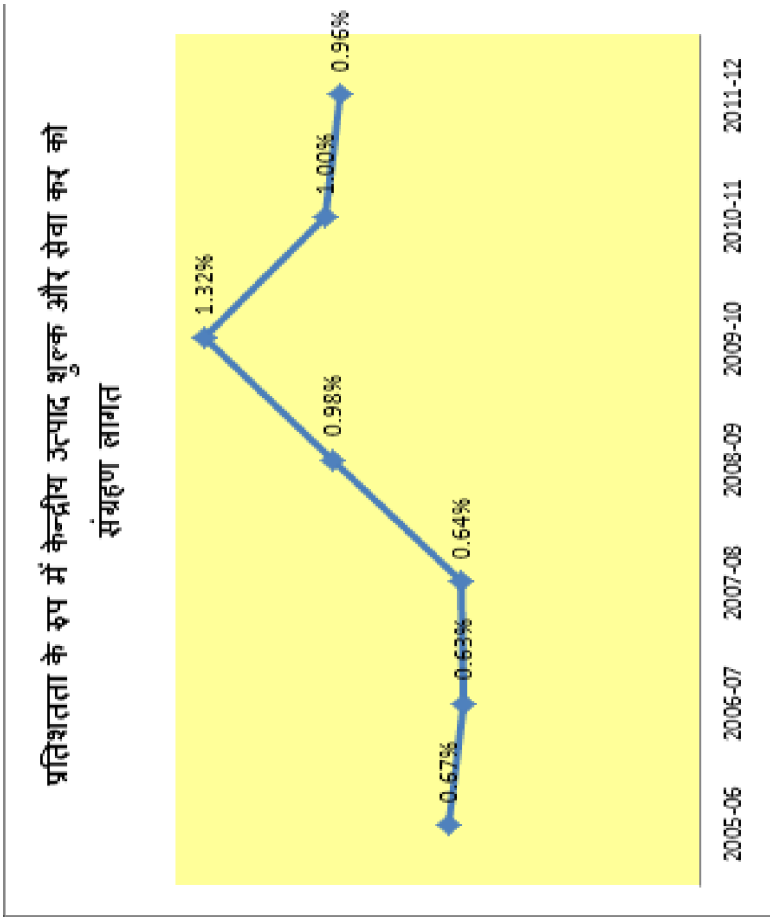
प्रतिशतता के रुप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की संग्रहण लागत
0.67%
0.63%
0.64%
0.98%
1.32%
1.00%
0.96%
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12

बजट निष्पादन 2013-14 के अंतर्गत योजनाओं की संक्षिप्त स्थिति

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	स्कीम	2011-12			2012-13			2013-14
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिसम्बर,12) तक	ब.अ.
1.	ई गर्वनेन्स के लिए आई टी सक्षमता को सुदृढ़ करना	150.00	150.00	144.31	150.00	178.00	77.21	152.00
2.	जहाजों एवं बेड़ों का अधिग्रहण	13.50	38.27	3.23	10.18	20.00	1.44	17.95
3.	कंटेनर स्कैनर्स का अधिग्रहण	70.00	43.65	43.29	76.97	10.17	0.00	82.00
4.	कार्यालय परिसरों का अधिग्रहण	40.00	7.00	0.00	28.00	4.31	1.00	47.91
5.	आवासीय परिसरों का अधिग्रहण	4.00	4.00	0.81	4.00	0.10	0.00	1.34
	कुल	**277.50**	**242.92**	**191.64**	**269.15**	**212.58**	**79.65**	**301.20**
	संशोधित अनुमानों की तुलना में प्रतिशतता			78.89			37.47	

वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के योजना-वार वास्तविक व्यय बनाम बजट अनुमान/संशोधित अनुमान को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	विवरण	मुख्य शीर्ष	2010-11			2011-12			2012-13		
			ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिसम्बर,12) तक
	राजस्व खंड										
	एम एच-2037 (सीमा शुल्क)										
1	सीमा शुल्क का संग्रहण	2037	850.26	918.84	903.29	981.51	978.03	960.56	1047.03	1051.21	797.49
	सीमा शुल्क कल्याण कोष	2037	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14	0.00	6.20	5.58	0.00
	विदेश मिशन 2037	1.40	1.55	1.55	1.70	2.10	2.10	2.30	2.30	2.30	
2	**एम एच-2038 (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)**										
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का संग्रहण	2038	1627.10	1827.38	1800.94	1970.27	1964.87	1938.32	2103.84	2126.49	1729.83
	बेन्डरोल्स इत्यादि का मुद्रण	2038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निरीक्षण निदेशालय	2038	27.97	30.48	30.32	31.83	34.76	31.75	37.12	38.71	27.90
	व्यवस्था तथा सांख्यिकी प्रबंधन	2038	131.80	83.78	124.97	135.15	134.80	131.25	138.00	165.49	78.36
	सर्तकता	2038	11.38	12.08	11.79	12.61	12.32	11.61	13.10	12.73	8.20
	राष्ट्रीय सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं मादक पदार्थ अकादमी	2038	21.57	36.58	39.97	37.83	43.37	41.09	44.31	44.60	28.44
	प्रचार एवं जनसंपर्क निदेशालय	2038	26.29	27.02	27.01	30.21	31.35	31.18	35.44	33.48	9.16
	उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय	2038	27.56	29.33	25.93	30.73	32.92	29.88	33.91	36.66	24.99
	अन्य कार्यालय	2038	11.97	12.87	11.37	13.50	12.88	11.97	13.63	13.53	8.58

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	विवरण	मुख्य शीर्ष	2010-11			2011-12			2012-13		
			ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिसम्बर,12) तक
3	आवास रखरखाव एवं मरम्मत	2216	6.00	4.75	2.29	6.00	5.30	3.96	7.00	5.00	1.39
4	एमएच-3606 (सहायता सामग्री)										
	सहायता सामग्री एवं उपस्कर	3606	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल-राजस्व खण्ड		2743.30	2984.66	2979.43	3251.34	3258.84	3193.67	3481.88	3535.78	2716.64
5	मेरीन पोत का अधिग्रहण	4047	48.00	42.00	21.87	13.50	38.27	3.23	10.18	20.00	1.44
	कंटेनर स्कैनरों का अधिग्रहण	4047	73.00	36.95	11.33	70.00	43.65	43.29	76.97	10.17	0.00
	मुख्य कार्य	4047	0.20	0.05	0.00	0.05	0.03	0.00	0.05	0.25	0.00
6	कार्यालय भवनों का अधिग्रहण	4059	132.00	51.00	88.92	40.00	7.00	0.00	28.00	4.31	1.00
7	तैयार निर्मित आवासीय भवनों का अधिग्रहण	4216	11.00	2.00	0.97	4.00	4.00	0.822	4.00	0.10	0.00
	कुल-पूंजी खण्ड		**264.20**	**132.00**	**123.09**	**127.55**	**92.95**	**47.34**	**119.20**	**34.83**	**2.44**
	महायोग		***3007.50***	***3116.66***	***3102.52***	***3378.89***	***3351.79***	***3241.01***	***3601.08***	***3570.61***	***2719.08***
	वसूलियां		**-0.50**	**-0.50**	**-5.24**	**-0.50**	**-0.50**	**-0.54**	**-0.50**	**-0.50**	**-0.29**
	निवल		**3007.00**	**3116.16**	**3097.28**	**3378.39**	**3351.29**	**3240.47**	**3600.58**	**3570.11**	**2718.79**

वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के शीर्षवार वास्तविक व्यय बनाम

बजट अनुमान/संशोधित अनुमान को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	विवरण	मुख्य शीर्ष	2010-11			2011-12			2012-13		
			ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिसम्बर,12) तक
	राजस्व खण्ड										
1	वेतन		2014.73	2356.16	2334.46	2521.00	2500.00	2476.80	2700.00	2760.00	2263.34
2	मजदूरी		10.50	11.18	10.61	12.50	13.00	12.29	14.00	15.65	11.30
3	समयोपरी भत्ता		13.00	10.75	9.10	12.00	10.20	8.70	11.00	9.89	4.71
4	इनाम		20.00	16.80	16.22	20.00	23.15	19.01	20.50	20.50	11.70
5	चिकित्सा उपचार		25.00	24.00	21.60	25.00	24.90	23.18	26.00	25.45	16.93
6	घरेलू यात्रा खर्चे		48.00	51.00	50.97	55.00	56.50	53.91	59.50	60.60	41.15
7	विदेश यात्रा खर्चे		0.60	1.75	1.19	1.75	1.75	1.41	1.75	1.58	1.41
8	कार्यालय खर्चे		280.00	233.73	230.35	258.00	257.55	259.08	273.00	246.00	186.92
9	किराया, दर एवं कर		105.00	99.00	95.09	110.00	127.00	115.92	119.00	124.00	70.94
10	प्रकाशन		1.00	1.15	1.22	1.20	1.16	1.11	1.20	1.40	0.86
11	बैक नकद लेनदेन कर		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	अन्य प्रशासनिक खर्चे		1.18	2.10	2.49	3.10	3.00	3.03	3.00	2.70	1.73
13	विज्ञापन एवं प्रचार		24.00	22.80	22.06	26.00	26.96	26.21	31.00	28.00	4.70
14	लघु कार्य		11.50	13.25	7.23	14.00	14.75	11.18	17.00	12.30	2.67
15	व्यावस्यायिक सेवाएं		12.00	13.35	13.12	14.00	16.70	15.75	17.00	15.30	8.15
16	अन्य संविदात्मक सेवाएं		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	विवरण	मुख्य शीर्ष	2010-11			2011-12			2012-13		
			ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिसम्बर,12) तक
17	सहायता अनुदान		0.09	0.09	0.06	0.09	0.09	0.07	0.09	0.08	0.01
18	गुप्त सेवा खर्च		4.20	4.40	4.39	4.80	5.39	5.29	6.20	5.58	3.83
19	अन्य प्रभार										
		(भारित)	0.50	0.50	0.45	0.50	0.50	0.16	0.50	0.50	0.09
		(स्वीकृत)	2.00	2.15	2.04	2.40	2.60	2.54	2.94	2.87	2.54
20	मशीनरी एवं उपस्कर		20.00	14.50	11.20	20.00	17.50	13.72	22.00	19.80	6.45
21	अंतर खाता स्थानांतरण		0.00	0.00	0.00	0.00	6.14	0.00	6.20	5.58	0.00
22	सूचना प्रौद्योगिकी		150.00	106.00	145.58	150.00	150.00	144.31	150.00	178.00	77.21
	कुल-राजस्व अनुभाग		**2743.30**	**2984.66**	**2979.43**	**3251.34**	**3258.84**	**3193.67**	**3481.88**	**3535.78**	**2716.64**
23	शिप एवं बेड़े का अधिग्रहण		48.00	42.00	21.87	13.50	38.27	3.23	10.18	20.00	1.44
24	तस्करी रोधी उपकरण का अधिग्रहण		73.00	36.95	11.33	70.00	43.65	43.29	76.97	10.17	0.00
25	मुख्य कार्य		0.20	0.05	0.00	0.05	0.03	0.00	0.05	0.25	0.00
	कुल - मुख्य शीर्ष '4047'		**121.20**	**79.00**	**33.20**	**83.55**	**81.95**	**46.52**	**87.20**	**30.42**	**1.44**
26	कार्यालयी आवास की खरीद		132.00	51.00	88.92	40.00	7.00	0.00	28.00	4.31	1.00
27	तैयार निर्मित रिहायशी आवास की खरीद		11.00	2.00	0.97	4.00	4.00	0.82	4.00	0.10	0.00
	कुल - पूंजी खण्ड		**264.20**	**132.00**	**123.09**	**127.55**	**92.95**	**47.34**	**119.20**	**34.83**	**2.44**
	महायोग		**3007.50**	**3116.66**	**3102.52**	**3378.89**	**3351.79**	**3241.01**	**3601.08**	**3570.61**	**2719.08**
	वसूलियां		**0.50**	**0.50**	**-5.24**	**0.50**	**0.50**	**-0.54**	**0.50**	**0.50**	**0.29**
	निवल		**3007.00**	**3116.16**	**3097.28**	**3378.39**	**3351.29**	**3240.47**	**3600.58**	**3570.11**	**2718.79**

वित्तीय समीक्षा-
व्यय में प्रवृत्ति का विश्लेषण

वर्ष 2011-12 में कुल व्यय 3241.00 करोड़ रू. था जो वर्ष 2010-11 के 3102.52 करोड़ रू. के व्यय से 4.46% अधिक था राजस्व खंड में बढ़ोतरी 7.20% है जो मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर अधिक व्यय के कारण था।

पूंजी खंड में, 2010-11 के व्यय के समक्ष 2011-12 के व्यय में 61.54% की कमी हुई। यह नई दिल्ली में एन बी सी सी प्लाजा में कार्यालय स्थान की खरीद के संबंध में कम व्यय के कारण हुई है। इसके अलावा 3 मोबाइल गामा रे स्कैनरों और 4 फिक्स्ड एक्स-रे स्कैनरों के न लगाये जाने के कारण खर्च में कमी आने के कारण ऐसा हुआ है।

वर्ष 2012-13 में कुल प्राक्कलित 3570.61 करोड़ रू. का व्यय 2011-12 के 3241.01 करोड़ से 10.17% अधिक है। राजस्व खंड में अनुमानित बढ़ोतरी 10.71% है जो मुख्यतः विभाग में वेतन तथा भत्तों तथा कम्प्यूटरीकरण के संबंध में अधिक व्यय के अनुमान के कारण है।

पूंजी खंड में, 2012-13 में 2011-12 की तुलना में 26.43% की कमी प्रत्याशित है। यह कमी स्कैनरों को लगाने में देशे तथा नई दिल्ली में एन बी सी सी प्लाजा में खरीदे गए कार्यालय स्थल के संबंध में संभावित और भुगतान में कमी के कारण है।

'विज्ञापन एवं प्रचार' के अंतर्गत वर्ष 2011-12 में व्यय 26.21 करोड़ रू. है जो वर्ष 2010-11 के 22.06 करोड़ रू. के व्यय से 18.81% अधिक है। इसका कारण सामान्य रूप से प्रचार कार्यक्रम पर अधिक जोर देने तथा पिछले वर्ष के लंबित बिलों के समाशोधन के कारण है। 2012-13 का प्राक्कलित व्यय 28.00 करोड़ रू. है जो बाहरी एवं विविध मिडिया के जरिए प्रचार के व्यापक अभियानों के कारण 2011-12 में 6.83% अधिक है।

वर्ष 2011-12 के दौरान 'सूचना प्रौद्योगिकी' के अंतर्गत व्यय 144.31 करोड़ रू. था जो 2010-11 के 145.58 करोड़ रू. के व्यय से 0.87% कम है। इसका कारण 2011-12 के दौरान कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के समेकन के अधिकतर अवयवों के कार्यान्वयन में कम व्यय है। 2012-13 के लिए प्राक्कलित व्यय 178.80 करोड़ रू. है जो 2011-12 के व्यय से 23.35% अधिक है। इसका कारण है कि भुगतान कम्प्यूटरीकरण के विभिन्न चरणों के सम्पादन से जुड़ा है और भुगतान के कुछ चरण अगले वित्तीय वर्ष में जा सकते हैं।

नौ-पोतों के प्रापण के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान व्यय 3.23 करोड़ रू. था जो वर्ष 2010-11 में किए गए 21.87 करोड़ रू. के व्यय से 85.23% कम है। व्यय में कमी का कारण बोटों के निर्माण और परिदान के साथ बोट निर्माताओं के भुगतान का जुड़ा होना है। पोतों के लिए निर्धारित भुगतानों के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान किये जाने के लिए संभावित व्यय 20.00 करोड़ रू. है।

109 जल यानों में से सभी अर्थात 109 जल यानों (वर्ग-I के 24, वर्ग-II के 22 और वर्ग-III-के 30 और वर्ग- III-ख के 33 जलयान) दिसम्बर, 2012 तक विभाग को प्राप्त हो गये है।

कंटेनर स्कैनरों के प्रापण के लिए 2011-12 के दौरान कोई 43.29 खर्च हुए है जो कि 2010-11 के 11.33 करोड़ रुपये से 282.08% अधिक है। पत्तन अधिकारियों से भूमि खरीदने और स्कैनरों के लिए एडवांस देने हेतु वर्ष 2012-13 के दौरान 10.17 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है।

कार्यालय आवास के अधिग्रहण के लिए वर्ष 2010-11 में व्यय 88.92 करोड़ रू. था जबकि वर्ष 2011-12 में यह व्यय शून्य है। बंगलौर में नासेन के कार्यालय के नए निर्माण हेतु अदायगी और अन्य परियोजनाओं के लिए 2012-13 में 4.31 करोड़ रुपये के खर्च होने का अनुमान है।

आवासीय भवनों की खरीद के लिए 2011-12 में 0.82 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे जो 2010-11 में हुए 0.97 करोड़ रुपये के व्यय से 15.46% कम है। वर्ष 2012-13 में विविध परियोजनाओं पर 0.10 करोड़ रुपये के खर्च होने का अनुमान है।

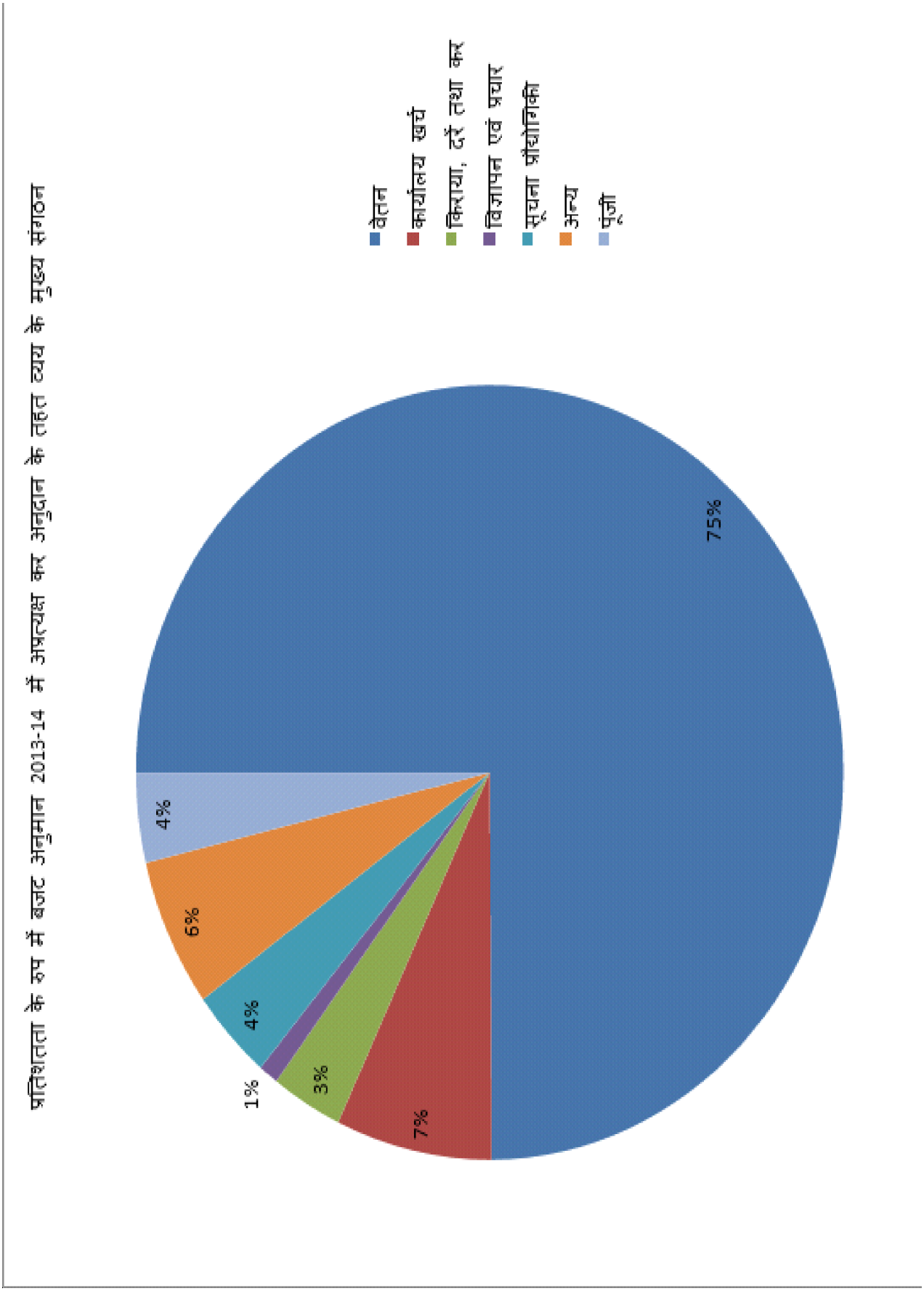
प्रतिशतता के रूप में बजट अनुमान 2013-14 में अप्रत्यक्ष कर अनुदान के तहत व्यय के मुख्य संगठन
वेतन
कार्यालय खर्च
किराया, दरें तथा कर
विज्ञापन एवं प्रचार
सूचना प्रौद्योगिकी
अन्य
पूंजी
75%
7%
3%
1%
4%
6%
4%

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान अभ्यर्पित राशियां तथा बचत का विवरण

2011-12 के वित्तीय वर्ष में 3386.39 करोड़ रूपए के बजटीय प्रावधान की तुलना में जिसमें अनुपूरक अनुदान भी सम्मिलित था, इस वर्ष के दौरान 3241 करोड़ रुपए का खर्च हुआ जिसके परिणामस्वरुप 145.39 करोड़ रुपए की बचत हुई जिसे वापस कर दिया गया। यह बचत 163.67 रुपए के कुल बचत का निवल परिणाम तथा अनुदान के पूंजीगत तथा राजस्व प्रभाग के विशिष्ट उप-मदों के अंतर्गत 18.28 करोड़ रूपए की कुल अधिकता थी।

इन बचतों को निम्नलिखित वर्गों में अलग-अलग दर्शाया गया है:-

(i) संसाधनों के किफायती प्रयोग के कारण सामान्य बचत: शून्य

(ii) योजनाओं/ परियोजनाओं के विलम्ब होने निष्पादन न होने के कारण बचत:-

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान जिन योजनाओं के निष्पादन में विलंब हुआ उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:-

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	उपशीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचत	टिप्पणी/कारण
1	राजस्व-सह-आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्य-आयुक्तालय	21.20	इसका कारण रिक्त पदों का न भरा जाना, कार्यालय संबंधी मदों पर कम खर्च होना, किराये को कार्यालययी इमारतों के संबंध में उनके किराये के पुनरीक्षण के प्रस्तावों को अंतिम रुप न दिया जाना, घरेलू/विदेशी यात्राओं का कम होना तथा स्थानीय क्षेत्रीय नेट वर्क परियोजनाओं (एलएएन) का पूरा न होना है।
2	केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला	3.28	इसका कारण प्रयोगशालाओं के लिए उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया को अंतिम रुप दिये जाने में विलंब का होना है तथा मशीनों एवं उपकरणों के रख-रखाव पर कम खर्च का होना है।
3	निवारक तथा अन्य कार्य कलाप- आयुक्तालय	5.22	इसका कारण कम मजदूरी तथा उपकरणों, मशीनों, फर्नीचर की खरीद के लिए निधि का कम होना तथा पारितोषिक की कम मंजूरी है।
4	राजस्व आसूचना निदेशालय	1.35	इसका कारण पुरस्कारों के मामलों की कम स्वीकृति मिलना तथा कार्यालयी इमारतों को भाड़े पर लेने के प्रस्तावों को अंतिम स्वीकृति न मिलना है।
5	निरीक्षण	2.74	इसका कारण रिक्त स्थानों का न भरा जाना, कार्यालयी उपकरणों तथा फर्नीचर की खरीद के लिए कम राशि की जरूरत होना है।
6	सीमा शुल्क एकेडमी उत्पाद शुल्क तथा स्वापक पदार्थो की राष्ट्रीय एकेडमी (नासेन)	2.61	इसका कारण परिवीक्षकों का कम संख्या में कार्यभार ग्रहण करना, ऑटीए तथा मजदूरी पर कम खर्च का होना है, फर्नीचर तथा कार्यालय के उपकरणों पर प्रत्याशा से कम खर्च होना है।
7	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय	3.86	इसका कारण रिक्त पदों का न भरा जाना किराये पुनरीक्षण प्रस्तावों को अंतिम स्वीकृति न मिलना तथा कम्प्यूटर इत्यादि की खरीद के लिए कम राशि की आवश्यकता है।
8	सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग	1.04	बचत का कारण किराये की बसो के संबंध में किराये के पुनरीक्षण के प्रस्तावों को अंतिम स्वीकृति न मिलना तथा रिक्त पदों का न भरा जाना था।
9	व्यवस्था तथा आंकड़ा- प्रबंधन	3.90	इसका कारण किराये के पुनरीक्षण को अंतिम स्वीकृति न मिलना तथा मजदूरी कार्यालयी फर्नीचर तथा उपकरणों पर कम राशि खर्च होना है।
10	वसूली प्रभार-आयुक्तालय (मुख्यालय)	27.49	इसका कारण रिक्त पदों का न भरा जाना तथा भाड़े को कार्यालयी इमारतों के संबंध में किराये के पुरीक्षण को अंतिम रुप न मिलना है।
11	भूमि सीमा शुल्क का संग्रहण	2.60	इसका कारण रिक्त पदों का न भरा जाना है।
12	अन्य मदें-लघु कार्य	1.77	इसका कारण इमारतों के रख-रखाव तथा कार्यालयी परिसरों के नवीकरण के लिए कम राशि की आवश्यकता है।
13	मुख्य शीर्ष-2216 (आवास)	2.04	इसका कारण, वर्ष के दौरान विभागीय रिहायशी इमारतों के रख-रखाव तथा मरम्मत की मांग का कम होना है।
14	अन्य वित्तीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	37.03	इसका कारण नावों के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा संविदात्मक दायित्व का पूरा करना एक्स- रे कंटेनर की खरीद के समझौते को अंतिम स्वीकृति में विलंब तथा

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	उपशीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचत	टिप्पणी/कारण
			बोर्डर चेक पोस्ट पर पूर्व निर्मित परिसरों के निर्माण के लिए प्रस्तावों को अंतिम स्वीकृति न मिलना है।
15	सार्वजनिक कार्य-पर पूंजीगत परिव्यय	40.00	दिल्ली की म्यूनिसिपल कार्पोरशन के स्टाफ शुल्क के मुद्दे पर समझौता न हो पाने का कारण पूरे ही प्रावधान का प्रयोग नही हो पाया तथा एनबीसीसी प्लाजा, साकेत की कार्यालयी इमारत मुम्बई को यूटीआई इमारत को पट्टे से पूर्ण स्वामित्व में परिवर्तित करने की खरीद के मामले में तथा गुवाहटी में कार्यालयी आवास की खरीद के लिए प्रस्तवों को अंतिम स्वीकृति न मिलना है।
16	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	3.19	इसका कारण इस वर्ष के दौरान रिहायशी आवासों की खरीद के लिए प्रस्तावों को अन्तिम रुप न दिया जाना है।

(iii) अप्रचालित/निष्क्रिय प्रोजेक्ट/ योजना के कारण या प्रोजेक्टों के समापन के कारण, अभ्यर्पित राशि या/बचतः शून्य

टिप्पणी: *यह अनुबंध वित्त संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में की गई अपेक्षा के अनुसार सामान्य बचत, वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान सुपुर्द की गई निधियों के कम उपयोग/उपयोग न किए जाने के कारण संचित बचतों के संबंध में बजट प्रभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.7 (1)-बी(एसी)/2011 के अनुसरण में शामिल किया गया है।*

विनिवेश विभाग

प्रस्तावना

विनिवेश विभाग को निम्नलिखित कार्य के लिए अधिकृत किया गया है:—

(1) (क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्र सरकार की इक्विटी के विनिवेश से संबंधित सभी मामले ;

(ख) बिक्री की पेशकश या निजी व्यवस्था के माध्यम से पूर्ववर्ती केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित सभी मामले;

टिप्पणी: पूर्ववर्ती केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सामरिक भागीदार द्वारा क्रय विकल्प का उपयोग करने से संबंधित और उससे उत्पन्न मामलों सहित विनिवेश के बाद के अन्य सभी मामलों पर, जहां आवश्यक हो, विनिवेश विभाग के परामर्श से, प्रशासनिक मंत्रालय या संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती रहेगी।

(2) पुनर्गठन सहित विनिवेश के तरीकों के संबंध में विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लेना ;

(3) सलाहकारों की नियुक्ति, शेयरों का मूल्य निर्धारण और विनिवेश के अन्य निबंधनों और शर्तों सहित विनिवेश संबंधी निर्णयों को क्रियान्वित करना ;

(4) विनिवेश आयोग;

(5) केवल सरकार की इक्विटी के विनिवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम; और

(6) राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा कराई गई विनिवेश से प्राप्त राशि के उपयोग से संबंधित वित्तीय नीति। (कार्य आबंटन नियमावली में दिनांक 12 जनवरी, 2006 के संशोधन के माध्यम से सम्मिलित)।

विभाग के मुखिया सचिव (विनिवेश) हैं, जिनका सहयोग चार संयुक्त सचिव करते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय निवेश कोष का भी एक पद है।

परिणाम बजट 2013-2014 में परिव्यय का विवरण

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	वर्ष 2013-14 का व्यय (करोड़ रुपए में)			मात्रात्मक परिणाम/ भौतिक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में भारत सरकार की शेयरधारिता का विनिवेश	संसाधन जुटाना तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के वास्तविक मूल्य को निर्मुक्त करना	54.97	...	...	₹40,000 करोड़ रुपए	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के स्वामित्व के व्यापक वितरण का लक्ष्य हासिल करना। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आम जन-मानस के स्वामित्व में वृद्धि करना निगमित नियंत्रण में सुधार करना।	विनिवेश, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की तैयारी सहित सरकार के अनुमोदन और उसके बाद सेबी, आरबीआई आदि द्वारा अनुमोदन पर निर्भर करता है। कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। हालांकि विभाग द्वारा एक रोडमैप तैयार किया जाता है जिस पर नियमित आधार पर निगरानी रखी जाती है।	- बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होना। - घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक मार्केट में उतार-चढाव
2.	एएमसी से वापस ली जाने वाली राशि					₹ 1814 करोड़ रुपए	एनआईएफ में दर्शाए गए उद्देश्यों के लिए उपयोग हेतु उपलब्ध कराई जाएगी	₹1475.00 करोड़ - अप्रैल, 2013 ₹ 339.00 करोड़ - दिसम्बर, 2013	

सुधारात्मक उपाय तथा नीतिगत पहल

विनिवेश प्रक्रिया को और कारगर तथा पारदर्शी बनाने के लिए इस वर्ष निम्नलिखित उपाय किए गए हैं।

- **वापस खरीद (बाई बैक):** 07.02.2012 को सेवी ने प्रतिभूतियों की वापस खरीद से संबंधित दिशा-निदेर्शों को संशोधित किया था ताकि सभी शेयरधारकों द्वारा अपनी शेयरधारिता के अनुपात में शेयरों की पेशकश का प्रावधान किया जा सके। ये उन उपबंधों के ही सामान हैं जो उपबंध कंपनियों द्वारा शेयरों के राइट्स इश्यू से संबंधित होते हैं। इस संशोधन के माध्यम से इन उपबंधों को छोटे शेयरधारकों के प्रति अनुकूल रवैये की तुलना में सभी शेयरधारकों के लिए समान बनाया गया है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने शेयरों की वापस खरीद करने और सरकार से अन्य केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के शेयर खरीदने के लिए सरपल्स धनराशि का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाया गया है।

- **एक्सचेंज ट्रेडेड फंडः** यह विनिवेश की एक नवप्रवर्तनशील पद्धति है जिसका विनिवेश विभाग की ओर से पता लगाया जा रहा है। यह नई पद्धति, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) सीपीएसई के शेयरों पर आधारित है और जब इसकी शुरुआत की जाएगी तो इससे निवेशकों, विशेष रूप से छोटे निवेशकों को एक ऐसे उत्पाद की खरीद का अवसर मिलेगा जो सरकारी क्षेत्र के शेयरों की संख्या का प्रतिनिधित्व करेगा जिसमें ईटीएफ की प्रचुरता शामिल होगी और इस प्रकार जोखिम न्यूनतम हो जाएगा। इस पद्धति से सरकार के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अपने शेयरों का एक स्टॉक तटस्थ, समय सफल और निर्बाध तरीके से मौद्रीकरण करने के लिए एक अतिरिक्त तंत्र उपलब्ध हो जाएगा।

- **राष्ट्रीय निवेश कोषः** विनिवेश से प्राप्त धनराशि का, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों की पुनः पूंजीकरण आवश्यकताओं के लिए उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय निवेश कोष का पुनर्गठन किया गया है। इस धनराशि का उपयोग केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा राइट्स बेसिस या अधिमानी आधार पर जारी किए जाने वाले शेयरों का पूर्वक्रय करने के लिए भी किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम न होने पाए।

पिछले कार्यनिष्पादन की समीक्षा

विनिवेश विभाग की कोई योजनाबद्ध अथवा गैर-योजनाबद्ध स्कीम नहीं है। विनिवेश विभाग का समस्त बजट, वेतन, मजदूरी, व्यावसायिक सेवाओं के भुगतान और अन्य प्रशासनिक व्ययों आदि के लिए गैर-योजना बजट के अन्तर्गत आता है। वित्त वर्ष 2012-13 के लिए राजस्व भाग के लिए बजट अनुमान ₹63.24 करोड़ था और वित्त वर्ष 2012-13 के लिए संशोधित अनुमान ₹25.83 करोड़ है।

1. (i) वर्ष 2012-13 के दौरान (फरवरी, 2013 तक) संपन्न किए गए विनिवेश सौदे

(क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एनबीसीसी) - कंपनी की 10% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का घरेलू बाजार में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से विनिवेश। भारत सरकार की शेयरधारिता 100% से घटकर 90% रह गई है। सरकार को 124.97 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। कंपनी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हो गयी है।

(ख) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) - कंपनी की 5.58% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का घरेलू बाजार में बिक्री की पेशकश के माध्यम से विनिवेश। भारत सरकार की शेयरधारिता 99.59% से घटकर 94.01% रह गई है। सरकार को 807.02 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

(ग) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (एनएमडीसी) - कंपनी की 10% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का घरेलू बाजार में बिक्री की पेशकश के माध्यम से विनिवेश। भारत सरकार की शेयरधारिता 90% से घटकर 80% रह गई है। सरकार को 5973.27 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

(घ) ऑयल इण्डिया लिमिटेड (ऑआईएल) - भारत सरकार ने कंपनी में अपनी 78.43% शेयरधारिता में से 10% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का बिक्री की पेशकश के जरिए विनिवेश किया। सरकार को 3141.51 करोड़ रु. की धनराशि प्राप्त हुई।

(ङ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) - भारत सरकार ने कंपनी में अपनी 84.50% शेयरधारिता में से 9.50% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का ऑएफएस पद्धति के माध्यम से विनिवेश किया। सरकार को 11457.54 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई।

(ii) कार्यान्वयन के अधीन विनिवेश सौदे

(क) एमएमटीसी लिमिटेड (एमएमटीसी) - सरकार ने एमएमटीसी में सरकार की 99.33% शेयरधारिता में से 9.33% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का सेबी के नियमों और विनियमों के अनुसार "स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से शेयरों की बिक्री की पेशकश" के जरिए विनिवेश करने का अनुमोदन किया है। इस विनिवेश के चालू वित्त वर्ष में संपन्न हो जाने की संभावना है।

(ख) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) - सरकार ने सरकारी शेयरधारिता में से 5% इक्विटी का विनिवेश करने का अनुमोदन किया है। डीआरएचपी, सेबी के पास 30.09.2011 को दायर कर दिया गया था। अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण यह निर्गम आरंभ नहीं किया जा सका था। निवेशक संपर्क गतिविधि पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण सेबी के पास दायर किए गए डीआरएचपी को कंपनी द्वारा वापस लिए जाने की अनुमति दी गई है। चूंकि अब शेयरों की बिक्री के लिए सेबी द्वारा नीलामी मार्ग प्रदान किया गया है, इसलिए बीएचईएल के संबंध में इसकी संभावना पर विचार किया जा रहा है। सौदे को आरंभ करने के संबंध में निर्णय भारी उद्योग विभाग के परामर्श से लिया जाना बाकी है।

(ग) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) - सरकार ने आरआईएनएल की 10% इक्विटी का विनिवेश करने का अनुमोदन किया है। आरएचपी, सेबी के पास 27.09.2012 को दायर कर दिया गया था। सलाहकारों की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक कार्रवाई पूरी कर ली गई है। इस निर्गम को फिलहाल आस्थगित कर दिया गया है।

(घ) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) - सरकार ने सेल में भारत सरकार की शेयरधारिता में से 10.82% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से विनिवेश करने का अनुमोदन किया है। सेल के निर्गम के लिए मर्चेन्ट बैंकरों/बिक्रीकर्ता ब्रोकरों तथा विधिक सलाहकारों की नियुक्ति कर ली गई है।

(ङ) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) - सरकार ने नालको में भारत सरकार की 87.15% शेयरधारिता में से 12.15% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का सेबी के नियमों और विनियमों के अनुसार "स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से शेयरों की बिक्री की पेशकश" के जरिए विनिवेश करने का अनुमोदन किया है। इस निर्गम के लिए मर्चेन्ट बैंकरों/बिक्रीकर्ता ब्रोकरों तथा विधिक सलाहकारों की नियुक्ति कर ली गई है। यह ऑएफएस सौदा तीसरी तिमाही के दौरान कार्यनिष्पादन में सुधार से संबंधित स्पष्टता आने के बाद संपन्न किया जायेगा।

(च) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) - सरकार ने एचएएल में भारत सरकार की 100% शेयरधारिता में से 10% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीऑ) के माध्यम से विनिवेश करने का अनुमोदन किया है। इस निर्गम के लिए बही संचालक अग्रणी प्रबंधकों तथा विधिक सलाहकारों की नियुक्ति कर ली गई है। इस निर्गम के वित्त वर्ष 2013-14 में संपन्न होने की संभावना है।

(छ) राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) - सरकार ने आरसीएफ में भारत सरकार की शेयरधारिता में से 12.5% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से विनिवेश करने का अनुमोदन किया है। मर्चेन्ट बैंकरों/बिक्रीकर्ता ब्रोकरों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

(ज) **नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड (एनएलसी)** - एनएलसी में भारत सरकार की 93.56% शेयरधारिता में से 5% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का बिक्री की पेशकश (ऑएफएस) के माध्यम से विनिवेश करने का प्रस्ताव आरंभ किया गया है। एनएलसी में ऑएफएस सौदे के लिए मर्चेन्ट बैंकरों/ बिक्रीकर्ता ब्रोकरों तथा विधिक सलाहकारों की नियुक्ति कर ली गई है। इस सौदे के वित्त वर्ष 2013-14 में संपन्न किए जाने की संभावना है।

(झ) **इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड (ईआईएल)** - सरकार ने इंजीनियर्स इण्डिया लि. (ईआईएल) में सरकार की 80.40% शेयरधारिता में से 10% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का घरेलू बाजार में एक प्रॉस्पेक्टस आधारित अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफपीऑ) के माध्यम से विनिवेश करने का अनुमोदन किया है। इस निर्गम के वित्त वर्ष 2013-14 में संपन्न होने की संभावना है।

(ञ) **भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड (एसटीसी)** - एसटीसी में भारत सरकार की 91.02% शेयरधारिता में से 5% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का सेबी के नियमों और विनियमों के अनुसार "स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से शेयरों की बिक्री की पेशकश" के माध्यम से विनिवेश करने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ट) **टायर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल)** - संसद द्वारा टीसीआईएल (स्वामित्व का विनिवेश) विधेयक 2007 पारित कर दिए जाने के बाद आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 16 नवंबर, 2008 को टीसीआईएल में तत्काल बिक्री के माध्यम से विनिवेश का अनुमोदन किया था। उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में विनिवेश विभाग ने टीसीआईएल में सामरिक बिक्री के माध्यम से विनिवेश की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए 13 अक्तूबर, 2011 को अन्तर्मंत्रालय दल (आईएमजी) से परामर्श किया था। इस सौदे के लिए सलाहकारों, विधिक सलाहकार तथा परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति कर ली गई है। टीसीआईएल सौदे के लिए अभिरूचि की वैश्विक अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए 13 तथा 20 जुलाई, 2012 को जारी किए गए विज्ञापन की प्रतिक्रिया में तीन पार्टियों ने अपनी अभिरूचि की अभिव्यक्तियां प्रस्तुत की हैं। आईएमजी ने 22 नवंबर, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में टीसीआईएल सौदे के लिए मसौदा बिक्री दस्तावेजों अर्थात सीआईएम, एसपीए, डीडीएण्डडीआर नियमावली तथा आरएफपी पर विचार किया और उनका अनुमोदन किया। बोलीदाताऑ द्वारा स्थलीय दौरे तथा उचित उद्यमिता दिसंबर, 2012 में पूरी कर ली गई थी।

(ठ) **स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड (एसआईएल)** - स्कूटर्स इण्डिया लि. के भारी उद्योग विभाग द्वारा प्रवर्तित पुनरूद्धार के संबंध में एक मंत्रिमंडल नोट पर मंत्रिमंडल ने 19.05.2011 को अन्य बातों के साथ-साथ एसआईएल में समस्त 95.38% सरकारी इक्विटी को विनिवेश विभाग के माध्यम से किसी उपयुक्त सामरिक भागीदार को हस्तांतरित करने तथा एसआईएल के लिए विनिवेश विभाग के माध्यम से एक सामरिक भागीदार का पता लगाने और उसे शामिल करने के लिए सरकार को अधिकृत करने के लिए संसद के दोनों सदनों में एक संकल्प प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया था। एसआईएल में विनिवेश विभाग द्वारा किए जाने वाले विनिवेश की वास्तविक प्रक्रिया संकल्प को संसद में प्रस्तुत करने और संसद द्वारा उसे पारित करने (जिसके लिए भारी उद्योग विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है) के बाद आरंभ होगी। भारी उद्योग विभाग ने संसद के मानसून सत्र 2011 के दौरान संकल्प प्रस्तुत किया था ताकि सामरिक भागीदारी को शामिल करने में सुविधा हो सके। तथापि, उत्तरवर्ती घटनाऑ के कारण प्रस्तुत किया गया संकल्प वापस ले लिया गया था। मामले पर पुनर्विचार के बाद भारी उद्योग विभाग ने इस बारे में उनके द्वारा प्रवर्तित एक मसौदा सीसीईए नोट के माध्यम से एसआईएल का स्वयं पुनरूद्धार करने का प्रस्ताव किया है। इस मामले पर निर्णय लिया जाना अभी बाकी है।

II वर्ष 2011-12 और 2012-13 (फरवरी, 2013 तक) के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश के जरिए विनिवेश प्राप्तियों के लिए बजटीय लक्ष्य और प्राप्त राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है: -

वर्ष	बजट लक्ष्य (₹ करोड़ में)	विनिवेश से प्राप्त धनराशि (₹करोड़ में)	अभियुक्ति (₹ करोड़ में)		
2011-12	40000.00	13894.07	पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड	:	₹1144.55
			तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.	:	₹12749.52
2012-13	30000.00	21504.31	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि0	:	₹124.97
			हिन्दुस्तान कॉपर लि0	:	₹807.02
			राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि0	:	₹5973.27
			ऑयल इंडिया लि0	:	₹3141.51
			राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि0	:	₹11457.54

III नवम्बर, 2012 के अंत में राष्ट्रीय निवेश कोष की खेप-1 से सृजित आय के रूप में 1,15,47,67,364 रुपये की राशि प्राप्त की गई है। खेप-2 की आय 27.03.2013 तक प्राप्त होगी और इसलिए एनआईएफ से आय के रूप में संशोधित अनुमान 2012-13 और बजट अनुमान 2013-14 को ₹196.00 करोड़ माना जा सकता है।

वित्तीय संवीक्षा

वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए शीर्षवार व्यय और साथ ही साथ बजट अनुमान/संशोधित अनुमान का उद्देश्य

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	2010-11			2011-12			2012-13		
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय (31.12.2012 तक)
राजस्व भाग										
1	वेतन	2.75	2.79	2.79	2.99	3.34	3.24	3.60	3.46	2.78
2	मजदूरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	समयोपरि भत्ता	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00
4	चिकित्सा उपचार	0.02	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03
5	देीय यात्रा व्यय	0.10	0.40	0.52	0.40	0.40	0.14	0.40	0.20	0.12
6	विदेा यात्रा व्यय	3.00	3.00	2.65	3.00	3.00	0.30	3.00	1.00	0.78
7	कार्यालय व्यय	0.60	1.00	0.95	0.95	1.10	1.10	1.00	1.00	0.80
8	प्रकाान	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
9	अन्य प्राासनिक व्यय	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
10	व्यावसायिक सेवाएं	56.80	56.04	56.06	55.14	42.57	30.31	55.09	20.04	8.33
11	सूचना प्रौद्योगिकी (अन्य प्रभार)	0.03	0.03	0.03	0.05	0.07	0.08	0.05	0.04	0.04
कुल राजस्व भाग		**63.36**	**63.36**	**63.05**	**62.63**	**50.58**	**35.26**	**63.24**	**25.83**	**12.91**
पूंजीगत भाग		**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**
सकल योग		**63.36**	**63.36**	**63.05**	**62.63**	**50.58**	**35.26**	**63.24**	**25.83**	**12.91**

व्यय में समग्र प्रवृत्ति का विश्लेषण

इस अनुदान के तहत समग्र राजस्व व्यय, वर्ष 2010-11 में ₹63.05 करोड़, वर्ष 2011-12 में ₹35.26 करोड़ तथा वर्ष 2012-13 में (दिसंबर, 2012 तक) ₹12.91 करोड़ था। यह व्यय मुख्यतः विभाग के सचिवालय की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए है।

अनुबंध

मांग संख्या 45 — विनिवेश विभाग (पूर्ववर्ती - 44)

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान ₹62.63 करोड़ के बजटीय प्रावधान की तुलना में ₹35.26 करोड़ का व्यय हुआ था जिसके परिणामस्वरूप ₹27.37 करोड़ की बचत हुई।

इस बचत को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है :-

(i) सामान्य बचत; संसाधनों के किफायती उपयोग के परिणामस्वरूप बचत

सामान्य बचत : ₹0.17 करोड़ (प्रशासनिक व्ययों की कम आवश्यकता)

(ii) कम उपयोगिता/गैर-उपयोगिता : परियोजनाओं/स्कीमों के/में गैर-कार्यान्वयन/विलंब के कारण बचत

₹27.20 करोड़ (सार्वजनिक पेशकशों के संपन्न न होने के कारण)

टिप्पणी: *यह अनुबंध वित्त संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में की गई अपेक्षा के अनुसार सामान्य बचत, वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान सुपुर्द की गई निधियों के कम उपयोग/उपयोग न किए जाने के कारण संचित बचतों के संबंध में बजट प्रभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.7 (1)-बी(एसी)/2011 के अनुसरण में शामिल किया गया है।*

संगठनात्मक ढांचा

विनिवेश विभाग

वित्त मंत्री

↓

सचिव

↓

संयुक्त सचिव एवं सीईओ, एनआईएफ
(सुश्री संगीता चौरे)

I. निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत आने वाले के.स.क्षे. के उद्यमों में विनिवेश से संबंधित सभी मामले
- रेलवे
- शिपिंग
- नागरिक उड्डयन
- जल संसाधन
- संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी
- सूचना एवं प्रसारण
- पर्यटन
- सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का विकास
- कपड़ा
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस
- रसायन एवं उर्वरक
- वाणिज्य एवं उद्योग

II. निम्नलिखित से संबंधित मामलेः
- मीडिया
- आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति से संबंधित दस्तावेज और अनुवर्ती कार्रवाई
- श्रमिक (वीआरएस/वीएसएस) मामले
- विनिवेश आयोग (शेष मामले)
- निवेश आयोग
- राष्ट्रीय निवेश कोष
- सीपीजीआरएएम

III. विनिवेश विभाग हेतु शिकायत अधिकारी

संयुक्त सचिव
(श्री आलोक टंडन)

1. निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत आने वाले के.स.क्षे. के उद्यमों में विनिवेश से संबंधित सभी मामले
- विद्युत
- खान
- इस्पात
- कृषि
- उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण
- वित्त

I. निम्नलिखित से संबंधित मामलेः
- सामान्य प्रशासन
- स्थापना
- संसद
- आर एंड आई
- बजट
- रोकड़
- समन्वय
- विविध

III. विनिवेश से संबंधित डाटा का प्रबंधन

संयुक्त सचिव
(श्री प्रमोद अग्रवाल)

I. निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत आने वाले के.स.क्षे. के उद्यमों में विनिवेश से संबंधित सभी मामले
- कोयला
- भारी उद्योग एवं लोक उद्यम
- रक्षा
- आण्विक ऊर्जा
- अंतरिक्ष
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा
- शहरी विकास
- आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उद्योग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

II. निम्नलिखित के लिए नोडल अधिकारी
- ई-गवर्नेंस
- सूचना प्रौद्योगिकी
- विनिवेश विभाग की वेबवाइट
- आईपीवी 6 नीति कार्यान्वयन

III. सूचना के अधिकार के तहत अपीलीय प्राधिकारी

IV. नीति

* मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय निवेा कोष, संयुक्त सचिव (एससी) द्वारा धारित अतिरिक्त प्रभार